माला, खंड 27, अंक 23

शुक्रवार, 4 मई, 2007
14 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 20 NOV 2008

(खण्ड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 शक

अंक 23, शुक्रवार, 4 मई, 2007/14 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 और 423 से 425	1-42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 422 और 426 से 440	42-134
अतारांकित प्रश्न संख्या 4132 से 4268	134-334
सभापटल पर रखे गए पत्र	335-343
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	344
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ पचानवेवां प्रतिवेदन	344
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) निर्मल ग्राम पुरस्कार, 2007	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	344-347
(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के एक सौ अड़सठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	347-349
(तीन) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री एम.वी. राजशेखरन	349-350
सभा का कार्य	350-359
सरकारी विधेयक—*पुरःस्थापित*	
(एक) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2007	359
(दो) विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007	359-364
सरकारी विधेयक—विचाराधीन	
विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005	364-373

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विचार करने के लिए प्रस्ताव 364

श्री सुशील कुमार शिंदे 364-368

श्री कीरेन रिजीजू 368-372

श्री के.एस. राव 372-373

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:*स्थापित*

(एक) भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2007

श्री के.एस. राव 373-374

(दो) राष्ट्रीय लघु और अतिलघु उद्योग आयोग विधेयक, 2007

श्री के. एस राव 374

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

श्री के. एस. राव 374-375

(चार) नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आयोग विधेयक, 2007

श्री के. एस. राव 375

(पांच) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आयोग विधेयक, 2007

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव 375-376

(छह) कृषक कल्याण निधि विधेयक, 2007

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव 376

(सात) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति (पहचान) विधेयक, 2007

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव 376

(आठ) विधवा कल्याण विधेयक, 2007

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव 377

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (नए अनुच्छेद 16क और 16क आदि का अंत:स्थापन)

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 377

(दस) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

(अनुसूचीत का संशोधन)

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 378

(ग्यारह) अनिवासी भारतीय (मतदान अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2007

श्री सी. के. चन्द्रप्पन 381

(बारह) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2007

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 382

(तेरह) काजू विकास बोर्ड विधेयक, 2007

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 382

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007

(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड 383

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–*वापस लिया गया*

कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 ..... 378–381, 384–420

विचार करने के लिए प्रस्ताव 378

श्री कीरेन रिजीजू 378-381

श्री शैलेन्द्र कुमार 384-385

श्री सुखराम सुधाकर रेड्डी 385-387

श्री भर्तृहरि महताब 387-390

श्री के.एस. राव 390-396

श्री एम. अप्पादुरई 396-398

डा. सत्यनारायण जटिया 398-403

श्री मधु गौड यास्खी 403-407

श्री एम. शिवन्ना 407-409

श्री किन्जरपु येरननायडु 409-411

श्री टी.के. हमजा 411-413

श्रीमती सी.एस. सुजाता 413-414

श्री ऑस्कर फर्नांडीस 414-418

श्री हन्नान मोल्लाह 418-420

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–*विचाराधीन*

स्वरोजगार-संवर्धन विधेयक, 2006 420-424

विचार करने के लिए प्रस्ताव 420

श्री चंद्रकांत खैरे 420–423

डा. करण सिंह यादव 423–424

व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना के निरूपण और कार्यान्वयन संबंधी संकल्प के बारे में 424-448

श्री कीरेन रिजीजू 424-429

श्री एस.के. खारवेनथन 429-432

श्री भर्तृहरि महताब 432-439

प्रो. रासा सिंह रावत 439-445

श्री फ्रांसिस फैन्थम 445-448

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 449

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 450-454

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रलय-वार अनुक्रमणिका 455-456

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रलय-वार अनुक्रमणिका 455-456

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 4 मई, 2007/14 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। आप 58-59 मिनट प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते?

प्रश्न 421–श्री एम. अंजनकुमार यादव–उपस्थित नहीं
श्री काशीराम राणा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आवासीय वित्त कंपनियां

***421. श्री काशीराम राणा:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संदिग्ध विश्वसनीयता वाली अनेक आवासीय वित्त कंपनियां कार्यरत हैं तथा वे लोगों को ठग रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस समय 42 पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) हैं। ये कर्पनियां राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा नियमित की जाती हैं। एनएचबी को उसके पास पंजीकृत 42 एचएफसी में से किसी भी कंपनी के विरुद्ध किसी जमाकर्ता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ ही समय पहले एक एचएफसी, जिसने कपटपूर्ण तरीके से कार्यकलाप किया है, का दृष्टांत एनएचबी के सामने आया है। एनएचबी द्वारा एचएफसी का पंजीयन प्रमाण-पत्र (सीओआर) रद्द कर दिया गया है और आपराधिक कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं। एनएचबी के सामने आवास वित्त का कारबार कर रही कुछ अपंजीकृत एचएफसी के दृष्टांत भी आए हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, एनएचबी ने एनएचबी अधिनियम के अंतर्गत इन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में समापन याचिकाएं दायर भी की हैं।

श्री काशीराम राणा: जमीन और वास्तविक संपदा की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और सरकार के अथवा भा. रि. बैंक के गृह ऋण के लिए कोई स्थायी ब्याज नीति या सूत्र नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपना घर बनाना बहुत कठिन हो गया है। वर्तमान स्थिति यही है। आवास वित्त निगम इस स्थिति का दुरूपयोग कर रहे हैं। ये कंपनियां जरूरतमंद, गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को अधिकाधिक धन लेने के लिए प्रलोभन दे रही हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। कल के समाचार-पत्र में एक वास्तविक संपदा कंपनी ने एक विज्ञापन के माध्यन से वायदा किया कि यदि कोई व्यक्ति दुबई में फ्लैट खरीदना चाहता है तो उसे विभागीय वीजा मिलेगा। इसी प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह दुबई में संपत्ति के मामले में हैं, यहां नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: इसका संबंध आवास वित्त निगम से है। लेकिन स्थिति वास्तव में गंभीर है। माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह आवास वित्त निगम का एक उदाहरण है जो कपटपूर्ण गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही, भा.रि.बैंक धोखाधड़ी को बढ़ती घटनाओं की जांच कर रहा है और इसने एक ग्रुप का गठन भी किया है जिसने भा.रि.बैंक को रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट को बैंकों में परिचालित किया गया लेकिन इसका कारगर कार्यान्वयन नहीं हो सका। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जरूरतमंद लोगों, जो अपना धन गवां चुके हैं के हितों को ध्यान में रखते हुए इन नकली आवास वित्त निगमों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: यह प्रश्न आवास वित्त निगमों से संबंध रखता है जो लोगों को धोखा दे रहे हैं और मैं इसका जवाब दे चुका हूं। हमें एन.एच.बी. में पंजीकृत 42 आवास वित्त कंपनियों में से किसी के भी विरुद्ध किसी जमाकर्ता से शिकायतें नहीं मिली हैं। यदि कोई नकली कंपनी है जो धारा 29(क) के अंतर्गत

एन.एच.बी में पंजीकृत नहीं है, और लोगों से धोखा कर रही है तो वह मामला उस राज्य की पुलिस का है कि पुलिस उस राज्य के आपराधिक कानून के अंतर्गत कार्रवाई करे। एन.एच.बी. पुनर्वित्तपोषण बैंक है और यह एन.एच.बी. में पंजीकृत आवास कंपनियों से संबंधित कार्य देखता है लेकिन राज्य सरकार और राज्य पुलिस द्वारा राज्य का साधारण कानून विशेषकर आपराधिक कानून लागू किया जाना अनिवार्य है।

श्री काशीराम राणा: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से इस बात की भी स्वकारोक्ति होती है कि एन.एच.बी. के समक्ष कुछेक अपंजीकृत आवास वित्त निगमों की घटनाएं आई हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यही बात कही है।

श्री काशीराम राणा: इसमें भारत सरकार और भा.रि.बैंक की क्या भमिका है?

अध्यक्ष महोदय: इसे देखना राज्य सरकार का काम है।

श्री काशीराम राणा: आखिरकार भा.रि. बैंक ही गृह ऋणों के संबंध में ब्याज नीति घोषित करता है और यह कभी-कभी ब्याज दर बढ़ा देता है और कभी-कभी कम कर देता है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस बात को नई केंद्र-राज्य मामलों संबंधी समिति में उठा सकते हैं।

श्री काशीराम राणा: कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अन्यथा, गरीब और मध्यवर्गीय लोग नकली आवास वित्त निगमों द्वारा लूटे जाते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री राणा, जो लोग इन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उनके खून-पसीने की कमाई इस तरह बरबाद नहीं होनी चाहिए।

श्री काशीराम राणा: एक आम आदमी के रूप में, मैं स्वयं को निस्सहाय महसूस करता हूं। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: भारत सरकार पर जिम्मेदारी डाल देने का प्रयास करने की कोई वजह नहीं है। देश के आपराधिक कानून का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है। वस्तुत: जब भी किसी राज्य की कानून और व्यवस्था अथवा अपराध के बारे में बातचीत करने का प्रयास किया जाता है, तत्काल सदस्य उठ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि यह राज्य का विषय है और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है विधि मंत्री यहाँ उपस्थित हैं और वह मेरी बात की पुष्टि कर सकते हैं।

यह बात कि भा.रि. बैंक नियामक है। जहां तक कि भा.रि. बैंक किसी संस्था को विनियमित करता है, वह उस संस्था के साथ विनियमन की सीमा तक ही संबंध रखता है। एन.एच. बी. एक पुनर्वित्तपोषण बैंक हैं। एच.एच.बी. में 42 आवास वित्त निगम पंजीकृत हैं। यदि उन पर निगमों में से कोई भी निगम ऐसा है जो लोगों से धोखा कर रहा है या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई गलत कार्य कर रहा है, तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने आपको एक ऐसा उदाहरण बताया है जिसमें हमने कार्रवाई की है। लेकिन यदि कोई, जो एन.एच.बी. में पंजीकृत नहीं है, और विनियमित नहीं होता, लोगों से धोखा करता है तो आपराधिक कानून के अंतर्गत यह सीधे-सीधे धोखाधड़ी का मामला बनता है और इस पर आपराधिक विधि लागू होनी चाहिए। राज्य सरकार और राज्य गृह विभाग तथा राज्य पुलिस को उस व्यक्ति पर राज्य के आपराधिक कानून का उललंघन करने के लिए मुकदमा चलाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: इस मामले में, सरकार भा.रि. बैंक अथवा राज्य सरकार को अनुदेश दे सकती है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्रवाई के लिए एक सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, 42 रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से चलती हैं और जिन लोगों को हाउसिंग के लिए लोन चाहिए, ये उन्हें लोन देती हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना जाहता हूं कि एचएफसी के माध्यम से कितने एससीज और एसटीज को लोन दिया गया है? एससीज और एसटीज के लिए इंट्रेस्ट रेट थोड़ा कम होना चाहिए, क्या इसके लिए कोई प्रोवीजन है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक नीतिगत निर्णय है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं लोगों की संख्या नहीं बता सकता जिन्हें आवास ऋण मिले हैं। यह प्रश्न लोगों की संख्या से संबंधित नहीं है जिन्हें आवास ऋण मिला है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि भा.रि. बैंक की चालू बैंक दर और मौद्रिक स्थितियों के आधार पर ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रही हैं। उदाहरण के लिए एस.बी.आई. की फ्लोटिंग आधार पर गृह ऋण दर को देखें जो निर्देश-चिह्न दर हैं वर्ष 1998-99 में, यह 14 प्रतिशत थी। वर्ष 1999-2000 में यह 14.5 प्रतिशत थी। उसके बाद, यह घटकर 13 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और फिर और घटकर 8.25 प्रतिशत हो गई। अब यह फिर से बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गई है। अत: पिछले 10 वर्षों में फ्लोटिंग आधार पर दी गई एस.बी.आई. की गृह ऋण दर 14 और 11.5 प्रतिशत के बीच रही है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 422

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: उपस्थित नहीं।

श्री ए. साई प्रताप: उपस्थित नहीं।

राज्यों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार (एसजेएसआर) योजना का कार्यान्वयन

*423. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार (एसजेएसआर) योजना को कुछ राज्य अपेक्षाकृत धीमी गति से क्रियान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसके मुख्य कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। देश में दिनांक 1.12.1997 से चलाई जा रही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के कार्यान्वयन की स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर योजना की वास्तविक और वित्तीय का राज्य-वार विवरण अनुबन्ध–I और अनुबन्ध–II में दिया गया है।

(ग) से (घ) कुछ राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में योजना की धीमी प्रगति के अनेक कारण हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:-

(i) योजना का बजट नियतन कम होने के कारण योजना के कार्यान्वयन के प्रति राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उत्साह की कमी है।

(ii) आय सृजन के अलावा शहरी निर्धनों की अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास और मूल सुविधाओं की पूर्ति हेतु योजना में समग्र दृष्टिकोण का अभाव है।

(iii) गरीबी रेखा से नीचे वाले स्तर और शहरी निर्धनों से संबंधित आजीविका आवश्यकता के प्रामणिक मूल्यांकन आंकड़ों का अभाव।

(iv) योजना के तहत लघु उद्यमों की स्थापना के लिए शहरी निर्धनों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंक आगे नहीं आते।

(v) स्थानीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों में पर्याप्त क्षमता निर्माण की कमी।

(ङ) योजना को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के लिए केन्द्रीय नियतन हाल ही के वर्षों में पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। जैसे 2005-06 से 160 करोड़ रु. से बढ़ाकर, 2006-06 में 250 करोड़ रु. तथा 2007-08 में 344 करोड, रु. कर दिया गया है।

(ii) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनएयूआरएम) के घटकों के रूप में 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू की गई शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत शहरी निर्धनों की आवास तथा मूल सुविधाओं की जरूरतों की ओर ध्यान दिया है ताकि एसजेएसआरवाई के तहत प्रयासों को पूरा किया जा सके।

(iii) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत देश के नगरों/कस्बों में स्लम, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा आजीविका की स्थिति से संबंधित सर्वेक्षक कराने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान की गई है ताकि प्रामाणिक आंकड़े मिल सकें।

(iv) बैंकों द्वारा सहयोग ने करने के मामलों को नियमित रूप से वित्त-मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया जाता रहा है।

(v) शहरी स्थानीय निकायों और शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित अन्य अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत "क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" शुरू किया गया है।

अनुबन्ध-I

एसजेएसआरवाई के तहत वास्तविक प्रगति (संचित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	[illegible]					[illegible]						[illegible]
		[illegible] की सं.	[illegible] किए गए	[illegible] की सं. (लाख में)	[illegible] की सं.	[illegible] किया गया	[illegible] की सं.	[illegible] की सं.	[illegible] की सं.	[illegible] की सं.	[illegible] की सं.	[illegible] की सं.	[illegible] की सं. (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	117	117	34.94	145	117	36	90777	51097	16131	54380	74757	89.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	4	0.008	8	17	82	442	314	6	75	6	12.05
3.	असम	87	87	0.90	87	87	7	7218	8864	120	225	200	8.32
4.	बिहार	122	122	12.02	122	122	122	15429	4860	2120	19245	0	28.15
5.	छत्तीसगढ़	110	75	3.82	90	75	55	10088	9474	448	1142	6590	4.77
6.	गोवा	13	0	1.57	13	13	9	480	996	4	30	1	1.41
7.	गुजरात	148	117	14.00	192	149	251	35734	50883	7203	194	1968	23.13
8.	हरियाणा	68	68	9.41	265	68	0	17192	25635	396	3832	891	3.40
9.	हिमाचल प्रदेश	49	49	0.14	49	49	13	1649	3882	54	397	31	6.11
10.	जम्मू-कश्मीर	70	5	0.09	3	25	98	11384	20657	135	304	49	1.67
11.	झारखंड	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12.	कर्नाटक	215	216	9.00	226	215	282	60562	128363	1661	12520	13552	73.46
13.	केरल	58	58	10.26	59	58	115	18291	40562	1796	16469	8632	2.91
14.	मध्य प्रदेश	337	337	30.30	512	337	236	99626	105561	3529	9651	14797	29.46
15.	महाराष्ट्र	247	237	14.44	868	245	189	74803	158825	5454	34538	22312	36.92
16.	मणिपुर	28	28	4.60	32	28	32	0	2506	96	0	88	6.00
17.	मेघालय	6	6	0.44	5	6	6	1710	1345	11	1	0	1.83
18.	मिजोरम	22	3	0.55	3	3	10	160	5389	337	0	30	15.38
19.	नागालैण्ड	11	8	1.45	11	11	14	812	2303	179	2982	0	2.27
20.	उड़ीसा	103	103	9.40	0	103	70	27160	21251	1824	13083	2144	23.85
21.	पंजाब	133	131	10.57	177	133	0	8666	14061	48	220	106	5.09
22.	राजस्थान	183	0	23.51	0	183	0	47014	22774	304	1027	482	23.47
23.	सिक्किम	46	1	0.00	0	46	4	479	1487	12	0	200	3.71
24.	तमिलनाडु	719	719	40.06	763	719	263	28976	37974	6342	14353	16555	84.84
25.	त्रिपुरा	13	13	0.49	13	13	16	4270	12262	109	1840	170	5.37
26.	उत्तरांचल	63	50	0.04	71	63	0	812	1414	2	20	23	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तर प्रदेश	624	624	56.23	1251	623	0	130592	122638	3393	9732	8443	71.79
28.	पश्चिम बंगाल	126	126	58.20	305	126	233	18686	77900	319	1404	19694	36.39
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0.01	1	1	1	47	0	10	0	4	5.55
30.	चंडीगढ़	1	1	0.21	8	1	3	252	3154	7	23	34	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	2	0	0.00	0	2	0	67	219	5	0	0	0.94
32.	दमन और दीव	2	2	0.04	1	2	1	68	0	0	0	0	0.04
33.	दिल्ली	9	1	12.23	198	0	0	1124	2570	47	58	55	0.00
34.	पांडीचेरी	5	1	1.81	7	5	11	1748	9743	362	3089	1070	4.09
	कुल	3755	3310	337.40	5465	3645	2159	716218	946943	52434	197834	192855	612.14

अनुबन्ध-II

एसजेएसआरवाई के तहत राज्य-वार वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अवशेष (1.112.97 तक)			कुल दी गई राशि (1997.2007)			कुल उपलब्ध राशि			कुल सूचित व्यय			अव्ययित राशि			व्यय %
		केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	1178.50	3507.56	4686.05	12553.43	7610.37	20193.80	13761.93	11117.93	24879.86	9764.18	9875.84	19640.02	3997.75	1242.09	5239.84	78.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	304.93	199.11	504.04	266.86	73.39	340.25	571.19	272:50	844.29	515.32	250.62	785.94	56.47	21.88	78.35	90.72
3.	असम	792.63	292.16	1084.79	2231.171	1124.72	3355.89	302310	1416.88	4440.8	2612.16	228.97	2841.13	411.64	117.91	1599.55	63.96
4.	बिहार	648.83	2436.90	308573	3336.27	689.26	4025.53	3985.10	3126.161	7111.26	2716.61	2510.01	5226.62	1268.49	616.15	1884.64	73.50
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	2240.63	589.84	2830.47	2240.63	589.64	2830.47	1202.24	399.13	1601.371	1038.39	190.71	1229.10	56.58
6.	गोवा	138.84	83.06	221.90	8406	35.53	119.59	222.90	118.59	34149	150.69	75.79	226.48	72.21	42.80	115.01	66.32
7.	गुजरात	1685.26	594.67	2279.93	5551.17	1899.08	7450.5	7236.43	249.37	9730.18	5278.33	2159.92	7438.75	1957.69	333.83	2291.43	76.45
8.	हरियाणा	293.79	170.97	464.76	3309.03	941.06	4250.09	3602.82	1112.03	4714.85	2959.41	1059.51	4018.92	643.41	52.52	695.93	85.24
9.	हिमाचल प्रदेश	257.09	440.94	698.03	430.08	191.51	621.59	687.17	632.45	1319.62	653.42	622.74	1276.15	33.75	9.71	43.46	96.71
10.	जम्मू-कश्मीर	490.61	448.60	939.21	1351.76	1153.18	2504.94	184237	1601.78	3444.15	983.93	1520.13	250406	858.44	81.65	94.091	72.70
11.	झारखंड	287.11	1137.36	1424.47	788.37	98.34	886.71	1075.48	1235.70	2311.18	000	0.00	0.00	1075.48	1235.70	2311.18	00
12.	कर्नाटक	2071.86	2816.89	4888.75	840507	2565.52	10970.59	10476.93	5382.41	15859.34	8891.90	4740.98	13632.88	1585.03	641.43	2226.46	85.96
13.	केरल	353.75	509.95	863.70	4339.05	1496.58	5835.63	469280	2006.53	6699.33	3659.96	174752	5407.48	1032.84	259.01	1291.85	80.72
14.	मध्य प्रदेश	1390.47	1663.48	3053.95	1188662	3166.09	15052.71	13277.09	4829.57	18106.66	10095.96	4449.78	14545.74	3181.13	37979	3560.92	80.33
15.	महाराष्ट्र	3884.94	2715.67	6600.61	12940.10	3936.13	16876.23	16825.04	6651.80	23476.84	12926.43	4466.84	17393.27	3898.61	2184.96	6083.57	74.09
16.	मणिपुर	29966	56.38	356.04	469.70	369.23	838.93	769.36	425.61	1194.97	759.63735	419.12	1178.75	9.72265	6.49243	16.21508	96.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	196.76	128.10	324.86	335.64	114.18	449.82	532.40	242.28	774.68	328.10	150.09	47819	204.30	92.19	296.491	61.72
18.	मिजोरम	53.67	36.91	90.58	2543.14	759.06	3302.20	2596.81	795.97	3392.78	2063.41	795.97	2859.38	533.40	0.00	533.40	84.28
19.	नागालैण्ड	150.62	80.00	230.62	777.52	595.00	1372.52	928.14	675.00	1603.14	842.21	580.41	1422.61	85.93	94.60	180.53	88.74
20.	उड़ीसा	422.55	693.79	1116.34	3122.84	919.79	4042.63	3645.39	1613.58	5158.97	2769.99	1580.59	4350.58	775.40	32.99	808.39	84.33
21.	पंजाब	847.37	522.78	1370.15	648.60	365.04	1013.64	1495.97	887.82	2383.79	1360.58	647.53	2008.11	135.39	240.29	375.68	84. 2.41
22.	राजस्थान	1328.56	1831.61	3160.17	3819.47	1141.78	4961.25	5148.03	2973.39	8121.42	392468	2268.93	6193.61	1223.35	704.46	1927.81	76.26
23.	सिक्किम	37.80	68.36	106.16	347.65	112.41	460.06	385.45	180.77	566.22	375.07	171.07	546.14	10.38	9.70	20.08	96.45
24.	तमिलनाडु	3268.38	4246. 27	7514.65	3690.65	2530.98	11221.63	11959.03	6777.25	18736.28	9857.84	6382.16	16240.00	2101.19	395.095	2496.28	86.68
25.	त्रिपुरा	58.25	39.95	98.20	1529.06	550.11	2079.17	1587.31	590.06	2177.37	1408.66	478.57	1888.23	177.65	111.49	289.14	86.72
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	756.86	220.94	977.80	756.86	220.94	977.80	200.45	66.82	267.27	566.41	154.12	710.53	27.331
27.	उत्तर प्रदेश	3112.79	4650.64	7763.43	21091.35	6102.71	27194.06	24204.14	10753.35	34957.49	20237.13	10226.20	30463.33	3967.01	527.15	494.16	87.14
28.	पश्चिम बंगाल	1035.93	1643.2	2679.14	6236.10	1724.44	7960.54	7272.03	3367.65	10639.68	6572.8	3179.79	9752.68	699.14	187.86	887.00	91.66
29.	अ. और नि. द्वीप समूह	100.43	0.00	100.43	261 .06	0.00	261.06	36149	0.00	361.49	333.8	0.00	333.80	27.69	0.00	27.69	92.34
30	चंडीगढ़	77.7	0.00	77.70	705.50	0.00	705.50	783.20	0.00	783.20	2813	0.00	281.38	501.82	0.00	501.82	35.53
31	दादरा और नगर हवेली	81.34	0.00	81.34	287.77	0.00	287.77	369.11	0.00	369.11	305.5	0.00	305.56	63.55	0.00	63.55	82.79
32	दमन और दीव	81.6	0.00	81.65	161.63	0.00	161.63	243.28	0.00	243.28	42.10	0.00	42. 10	201.18	0.00	201.18	52.91
33	दिल्ली	15488	107.70	262.53	275.31	339.89	615.20	430.14	447.59	877.73	154.58	309.8	464.42	275.56	137.74	413.30	94.00
34	पांडीचेरी	85.83	173.30	259. 13	950.65	194.11	1144.70	1036.48	367.41	1403.86	978.60	341.05	1319.66	57.86	26.36	84.24	94.00
	कुल	25172.73	31296.32	56469.05	122754.17	41610.28	164364.45	147926.90	72906.59	220833.49	115208.70	61705.92	176914.82	32718.20	11200.88	43918.87	80.11

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: अध्यक्ष महोदय, देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना बहुत अच्छी योजना है। इस योजना को लगभग दस वर्ष होने वाले हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में अब तक कुल कितने लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके हैं? क्या कारण है कि अब तक इतनी कम संख्या में लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं? इन दस वर्षों में यह योजना अपने मकसद को पाने में कहा तक सफल हुई है?

[अनुवाद]

कुमारी सैलजा: मुख्य उत्तर में, मैंने योजना की प्रगति, लाभार्थियों तथा वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति की आनकारी दे दी है। यह सब जानकरियां अनुबंध में दी गई हैं।

इस योजना की सफलता के बारे में उनके प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मेरा कहना है कि हमारे देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यद्यपि योजना काफी सफल रही है तथापि कस्बों एवं शहरों में रहने वाले निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई है। अतः जहां तक इस योजना से किसी भी अन्य योजना का संबंध है। मेरे विचार से हम यह कभी नहीं कह सकते हैं कि सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। यहां तक ही एस.जे.एस.आर.वाई. योजना का संबंध है हमने इसका मूल्यांकन किया है तथा भविष्य में इसे और सफल बनाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच ठचित समन्वयन न होने के कारण स्वर्ण जयन्ती शहरी योजगार योजना ठीक से सफल नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात सरकार ने स्वर्ण जयन्ती शहरी योजगार योजना से संबंधित यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट समय पर केन्द्र सरकार को नहीं भेजे, इस सबंध में मंत्री जी ब्यौरा दें?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि कुछ राज्य जिनमें गुजरात भी एक है, केन्द्र सरकार को समय पर युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं दे पाए हैं। राज्यों के पास अभी काफी अनयुटिलाइज्ड पैसा पैंडिंग पड़ा हुआ है। गुजरात उनमें से एक है। पिछले साल हमने ऐसे राज्यों की एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें उन सबसे बातचीत हुई थी और कहा गया था कि हमें शीघ्र ही युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट भिजवा दें ताकि आगे का कार्य हो सके। कई राज्यों ने युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट भिजवाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: सुग्रीव सिंह–उपस्थित नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जब आपको राजस्थान सरकार ने युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट भिजवा दिया है तो राजस्थान की गति को पकड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? यदि वह बाधा आपके द्वारा है तो उसे कब तक दूर कर देंगी ताकि हम राजस्थान सरकार से कहकर इस योजना का पूरा लाभ ले सकें?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से कुछ पैंडिंग नहीं है। कई बार राज्य सरकारें अपनी ओर से सारा पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं। मैंने उसका ब्यौरा आपके सामने रखा है जिसमें से मैं राजस्थान के बारे में आपको बता देती हूं। राजस्थान ने केवल 76 प्रतिशत अपना पैसा खर्च किया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में सुधार की बहुत गुंजाइश है और मैं राज्य सरकार से आग्रह करूगी कि वे इस स्कीम को सफल बनाएं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: मैं माननीय मंत्री से एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत उनके आय सृजन की आवश्यकता के अतिरिक्त शहरी गरीब व्यक्तियों की आवास तथा अन्य मूल-भूत सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानना चाहता हूं।

कुमारी सैलजा: मैं प्रश्न समझ नहीं पाई हूं। क्या माननीय सदस्य कृपया प्रश्न दोहराएंगे?

अध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि शहरी निर्धन व्यक्तियों की स्थिति सुधारने हेतु अन्य कौन-कौन से उपाय किए जा रहें हैं?

मेरे विचार से वित्त मंत्री इसका सही उत्तर दे सकेंगे। परन्तु आपको अभी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सी. एस. सुजाता: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों के कौशल विकास हेतु अतिरिक्त निधियां जारी करने के लिए सहमत है जिससे कि उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हों, तथा क्या सरकार केरल में कुदुम्बश्री, जिसका एस. जे. एस. आर. वाई. के तहत बेहतर प्रदर्शन रहा है, को विशेष सहायता देकर प्रोत्साहित करेगी?

कुमारी सैलजा: कुदुम्बश्री केरल की अति सफल योजनाओं में से एक है। यहां तक की हमने इस योजना की जानकारी विभिन्न मंचों में दी है। हमने इस योजना की जानकारी अन्य राज्यों को भी दी है जिससे कि वे भी इसकी विशेषताओं को अपना सकें, माननीय वित्त मंत्री यहां हैं। हम उनके बहुत अभारी हैं, उन्होंने इस वर्ष एस. जे. एस. आर. वाई. योजना हेतु हमें अधिक धन दिया है। उन्होंने हमें 344 करोड़ रुपये दिए हैं हम उनके आभारी हैं। हम इस योजना को सफल बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री सचिन पायलट: देश के समक्ष वर्तमान चुनौतियों में निश्चय ही बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती हैं हलांकि, वित्त मंत्री ने इस संबंध में निधि 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 344 करोड़ रुपये कर दी है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में करोड़ो बेरोजगारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से यह बहुत कम है।

मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि बजटीय आवंटन कम है, समग्र दृष्टिकोण का अभाव, प्रमाणिक बी. पी. एल. सूची का अभाव, बैंकों द्वारा सहायता न दिए जाने, क्षमता निर्माण का अभाव, आदि कारण गिनाए गए हैं, योजना के महत्व को देखते हुए मंत्रालय तथा मंत्री को बैंकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जब तक युवाओं द्वारा स्वयं का सूक्ष्म कारोबार आरंभ करने हेतु बैंक आसान योजनाएं तथा आसान शर्तों पर ऋण प्रदान नहीं करते हैं तो हम योजना के पूरे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

पहली बात यह है कि 344 करोड़ रुपया बहुत कम है। आप आंकड़ें देखें, माननीय भार्गव जी ने इस बात को उठाया है। राजस्थान में टाऊन्स 183, सेल फोर्न्ड जीरों, बीपीएल सर्वे सर्विस कन्डेक्टिड 183, एप्वाइंटमैंट ऑफ सीओज जीरो हैं। वहां पर लगभग 25 प्रतिशत पैसा अनयुटिलाइज्ड पड़ा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदया और सरकार को उन राज्यों पर, चाहे कोई भी राज्य को, जो इतनी अच्छी स्कीम को इम्प्लींमैंट नहीं कर पाते और अपने पैसे अनयुटिलाइज्ड छोड़ देते हैं, उन पर एक्शन लेना चाहिए। शासन उस पर पाबंदी लगाये और वह राज्य जनता को जवाब दें कि यह पैसा युटिलाइज्ड क्यों नहीं किया गया? इस बारे में मंत्री महोदया बतायें।

कुमारी सैलजा: महोदय, मैंने पहले भी कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इम्प्रूव करने का बहुत स्कोप है। आपने राजस्थान की

बात कही। मैं इस बारे में पहले भी कह चुकी हूं। इसके आलावा कुछ और राज्य भी हैं। हम उनसे टेकअप कर रहे हैं कि यह बहुत अच्छी स्कीम है। लाखों बेरोजगार लोग जो शहरों में बसकर गरीबी में रह रहे हैं उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। जहां तक बैंक्स की बात है, तो इस बारे में भी हमारी बार-बार बात होती है कि आज बैंकर्स को सेंसीटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बाद हम देखते हैं कि लोग लोन दिलवाने में समक्ष हो या कोशिश करें। एक कमी हमने और पायी है जिसमें राज्य सरकार बड़ा योगदान दे सकती है। जो डिस्ट्रिक्ट एसोसियेशन है, इंस्टीट्यूटशन्स हैं, स्टेट लैवल केमेटी हैं, वे बैंकर्स के साथ बातचीत करके लोन दिलवाने की कोकिश करते हैं लेकिन वह अभी तक शहरों के लिए नहीं है। जब हम अपनी गाइडलाइन रिवाइज करेंगे, तो उसमें हम एक सजेशन यह भी देना चाहेंगे कि सिटी लैवल कमेटीज भी होनी चाहिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के साथ तालमेल करके लोगों को, चाहे हमारी महिलाओं के समूह हों, बेराजगार युवा हों, उन सबको लोन दिलवानें में बड़ी दिक्कत आती है। यहां पर वित्त मंत्री जी मौजूद हैं हम इनका भी सहायोग चाहेंगे कि ये बैंकों को हिदायत दें कि वे गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील हों।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से हम सबको आपके प्रयासों में शामिल होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए यह एक अच्छी योजना है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि इस योजना को शत-प्रतिशत सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि बैंकों द्वारा सही सहयोग नहीं मिल रहा है, यह वास्तविकता है। यहां तक होता है कि अगर किसी परिवार के एक सदस्य ने किसी बैंक से लोन लिया है और वह डिफाल्टर हो गया, तो उसके परिवार के अन्य सदस्य को बैंक लोन नहीं देता। इसी तरह यह भी देखा गया है कि अगर किसी एरिया से ज्यादा डिफाल्टर्स हो गए, किसी वजह से लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंकों द्वारा उस एरिया के लोगों को भी लोन नहीं दिया जाता है। इसलिए बैंकों को अपना रवैया बदलना जरूरी है। यह इंडिविजुअल स्कीम है और बैंक किसी लाभार्थी को लोन देने से नकारते हैं। मंत्री जी ने भी स्वयं कबूल किया है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज आपको थोड़ी सांत्वना है कि वित्त मंत्री उपस्थित हैं।

कुमारी सैलजा: जी हां, मुझे खुशी है कि समस्त सदन इस बात से सहमत है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री भी इस बात से सहमत होंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): क्या मैं कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि कोई त्रुटि, विषमता या गलती नहीं हुई है, मैं एक उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु सरकार ने वहां के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति (एस. एस. बी. सी.) का एक बैठक बुलाई जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। बैठक आयोजित हुई। इन प्रत्येक योजनाओं, जिनका मेरे माननीय सहायोगी ने उल्लेख किया था, के संबंध में ऋण हेतु हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित होते हैं तथा इस बारे में विभिन्न समय सीमा तय होती है। पिछले सप्ताह मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वर्ष 2006-2007 के लिए बैंकों द्वारा तमिलनाडु हेतु निर्धारित सभी लक्ष्यों को पार कर लिया गया था।

मैं बिहार गया था, नीतिश कुमार जी ने एस. एल. बी. पी. की बैठक आयोजित की तथा इस बारे में कुछ प्रगति हुई है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एस. एल. बी. सी. की बैठक में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से भाग लेना चाहिए। राज्यों के वित्त मंत्रियों वर्ष में कम से कम दो बार ऐसी बैठकों में अनिवार्यत: भाग लेना चाहिए। यदि इनमें समझ है तो उन्हें हम में से एक को ऐसी बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित करना चाहिए। एस. एल. बी. पी. में हम बातचीत के पश्चात् हम यह निश्चय करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि यदि लक्ष्य प्राप्ति का अनुपात शत-प्रतिशत नहीं है तो कम से कम 85 या 90 प्रतिशत हो, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इन बैठकों की अध्यक्षता करें, बैठकों के साथ 3-4 घंटे व्यतीत करें, मुझे या मेरे सहायोगियों को आमंत्रित करें ताकि हम बैंकों को उनके लक्ष्य प्राप्ति में सुधार हेतु उन्हें प्रेरित कर सकें। तमिलनाडु की रिपोर्ट को मैंने सरसरी तौर पर पढ़ा, पिछले वर्ष संबंधी प्रत्येक वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री कीरेन रिजीजू: माननीय मंत्री ने उत्तर में भी इसका उल्लेख किया है, मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। क्योंकि जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है। इन दोनों कार्यक्रमों में क्या कोई परस्पर समान संबंध है? तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मैदानी क्षेत्रों के शहरों में आबादी पहाड़ी क्षेत्रों के शहरों की तुलना में अधिक होती है, तो आप शहरों की पहचान कैसे करते हैं? इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप किसी विशेष शहर हेतु मानदंड कैसे निर्धारित करते हैं?

कुमारी सैलजा: यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी क्योंकि वे शहरों और नगरपालिकाओं को अधिसूचित करेंगे तथा वे लाभ उठा सकते हैं। यह राज्य सरकार पर निर्भर है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, बाकी तमाम बातें हो चुकी हैं।

[अनुवाद]

मैं वित्त मंत्री की बात से सहमत हूं। शहरी विकास सबंधी स्थाई समिति का अध्यक्ष होने के कारण मैंने भी इस योजना की प्रगति की निगरानी की है। तमिलनाडु में मैंने एक बहुत अच्छी बात यह पाई है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख से ग्रहण वितरण 45 दिनों के भीतर किए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं जिससे किए ऋण वितरण न किए जाने का कोई कारण न हो, इस प्रकार, क्या मंत्री बैंकों द्वारा इसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी करके समस्त देश का हित कर सकेंगे कि एस. जे. आर. वाई. या इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के तहत स्वरोजगार हेतु आवेदन प्राप्ति की तारीख से ऋण वितरण 45 दिनों की निर्धारित अविध में किया जाए जिससे कि आवेदकों को पता चल जाए कि उन्हें ऋण मिलेगा या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, भारतीय रिर्जव बैंक के दिशा निर्देश समस्त देश में लागू होते हैं। आपके प्रश्न से मुझे यह समझ में बात आई है कि एस. एल. बी. सी. समन्वयक बैंक ने तमिलनाडु में यह सुनिश्चित किया है कि दिशा-निर्देश का पालन किया जाए। हमने आवेदनों को प्राप्त करने का केन्द्र स्थापित किया और यह सुनिश्चित किया कि आवेदनों के निपटान हेतु सभी बैंक वहां जाए। ऐसा अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है। परन्तु मैं पुन: अनुरोध करता हूं कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों को रुचि लेनी होगी और वे ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करें जिससे कि समय सीमा निर्धारित की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से मैंने वित्त मंत्री को आवास मंत्री की भूमिका में परिवर्तित नहीं किया है, परन्तु यह आपसी सहयोग द्वारा कार्य किए जाने का अच्छा उदाहरण है।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति दर

***424. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ माह से मुद्रास्फीति की लगभग 6.5 प्रतिशत के आस-पास उच्च दर बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2007 के दौरान अब तक इसमें साप्ताहिक उतार-चढ़ाव कितना रहा है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विद्यमान मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कतिपय मौद्रिक उपाए किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा है कि ब्याज दर में बढ़ोत्तरी का मुद्रास्फीति पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 6 जनवरी, 2007 से 14 अप्रैल, 2007 तक की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक आधारित वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति नीचे सारणी में दी गई है:

सारणी 1: थोक मूल्य सूचकांक आधारित साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर (%)

सप्ताहांत तिथि	मुद्रास्फीति (%)	सप्ताहांत तिथि	मुद्रास्फीति (%)
6 जनवरी 07	6.37	03 मार्च-07	6.46
13 जनवरी 07	6.15	10 मार्च-07	6.46
20 जनवारी-07	6.31	17 मार्च-07	6.46
27 जनवरी-07	6.69	24 मार्च-07	6.39
03 फरवरी-07	6.58	31 मार्च-07	5.74
10 फरवरी-07	6.52	07 अप्रैल-07	6.09
17 फरवरी-07	6.05	14 अप्रैल-07	6.09
24 फरवरी-07	6.10	24 फरवरी-14 अप्रैल, 2007 तक अनन्तिम	

गेहूँ, दानों और खाद्य तेलों जैसी कुछ कृषि वस्तुओं की मांग-आपूर्ति में अन्तर, विभिन्न वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, ऋण में तीव्र वृद्धि भण्डार के उत्साहजनक अन्तर्वाह जो निवेशकों की सकारात्मक भावनाएं प्रतिबिम्बित करते है तथा अर्थव्यवस्था में विकास की तेज़ रफ्तार मुद्रास्फीति के मुख्य कारण रहे हैं।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव को काबू में करने के लिए अभी हाल ही में कई बार नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर), रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की है।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों तथा सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों से निकट भविष्य में मुद्रास्फीति दर संतुलित होने की संभावना है।

(ङ) और (च) एशियाई विकास बैंक (एडबी) ने 'एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, 2007' संबंधी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि भारत में बढ़ती ब्याज दरों के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन से घरेलू खरीददारों, विनिर्माण निवेशकों और उपभोक्ताओं से आने वाली मांग-वृद्धि पर नियंत्रणकारी प्रभाव पड़ेगा। एशियाई विकास बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2007 और 2008 में, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर नरम पड़ेगी और फिर 5.0 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी तथा वित्त वर्ष 2007 के दौरान समग्र वृद्धि 8.00 प्रतिशत के स्तर पर रहेगी।

(छ) मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने के लिए, सरकार द्वारा हाल में किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* पहले नवम्बर, 2006 में और बाद में फरवरी, 2007 में पेट्रोल की खुदरा कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई।
* राज्य व्यापार निगम ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 55 लाख टन गेहूँ के आयत की संविदा की है।
* 50 प्रतिशत की सामान्य प्रयोज्य दर की तुलना में, निजी व्यापारियों को 28 जून, 2006 से 5 प्रतिशत शुल्क पर गेहूं का आयात करने और 9 सितम्बर, 2006 से शून्य शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई।
* फरवरी और मार्च, 2007 में खुली बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत 4 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया गया।
* 22 जून, 2006 से दालों के निर्यात और 9 फरवरी, 2007 से गेहूं और वसा रहित दुग्ध पाउडर (एसएमपी) के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगया गया।
* 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा-शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया।
* घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए नेफेड, एसटीसी और पीईसी द्वारा दालों का आयात।
* 24 जनवरी, 2007 से तूर और उड़द और 28 फरवरी, 2007 से गेहूं और चावल के भावी कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
* अगस्त, 2006 में पाम समूह के तेल के आयात शुल्क में 10 प्रतिशतांक की कमी की गई और जनवरी, 2007 में

10-12.5 प्रतिशतांक की और कमी की गई। आयात शुल्क निर्धारण के लिए टैरिफ मूल्य को जुलाई, 2006 के स्तर पर अपरिवर्तित रखा गया।

* वर्ष 2007-08 के बजट में, कच्चे तेल के साथ-साथ परिष्कृत खाद्य तेलों को 4 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क से मुक्त किया गया है। सूरजमुखी के तेल, कच्चे और परिष्कृत दोनों, पर शुल्क में 15 प्रतिशत की कटौती की गई। अप्रैल, 2007 में पाम समूह के तेलों पर बुनियादी सीमा-शुल्क की और 10 प्रतिशत कटौती अधिसूचित की गई थी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले दो सत्रों से मंहगाई पर लगतार चर्चा हो चुकी है। शायद 15 तारीख को महंगाई पर फिर चर्चा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल पूर्ण चर्चा हुई थी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: सर, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। हर बार सरकार कहती है कि महंगाई घट रही है, हम उपाय कर रहे हैं लेकिन मेरा कहना है कि महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है। माननीय मंत्री जी ने हमारे पहले सवाल पर यह स्वीकार किया है कि 6.5 प्रतिशत के आसपास मुद्रास्फीति की दर रही है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि मंहगाई की स्थिति का सही सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक है या उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। अगर उपभोक्ता कीमत सूचकांक को आधार बनाकर महंगाई का निर्धारण करें, तो पिछलें तीन वर्षों में महंगाई कितनी बढ़ी है और महंगाई की सही तस्वीर क्या बनती है, माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से, मैं यह जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, कल ही वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान अपने उत्तर में वर्तमान मुद्रास्फीति के कारण बताने तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताने में काफी समय लिया था। परम्परागत रूप से, मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक आधार पर आंकी जाती है। जब हम इस वर्ष की मुद्रास्फीति की तुलना पिछले वर्ष या छह वर्ष पहले की मुद्रास्फीति से करते हैं तो संतुलन हमेशा थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति ही होती है, यही कारण है कि हमने उत्तर में थोक मूल्य सूचकांक संख्या दी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े उपलब्ध हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने में जिन चीजों की गणना की जाती है वे चीजें थोक मूल्य सूचकांक बनाने में गणना की जाने वाली चीजों से भिन्न है। परन्तु प्रत्येक सरकार ने चर्चा के प्रयोजनार्थ, थोक मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए सही आधार के रूप में लिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण गेहूं, दाल, खाद्य तेल जैसी कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में असंतुलन है ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा है। सरकार मौद्रिक उपायों और गेहूं, दाल और खाद्य-तेल के आयात जैसे अल्पकालिक उपाय करके आपूर्ति बढ़ाने का प्रयत्न तो कर रही है लेकिन इन कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने का सरकार की दीर्घकालीन कोई योजना नहीं है। क्या ऐसी योजना है? क्या सरकार आग लगने पर ही आग बुझाने की नीति पर चलेगी या आग लगे ही नहीं, इसका भी कोई उपाय करेगी?

[अनुवाद]

श्री. पी. चिदम्बरम: महोदय, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों प्रकार के उपाय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, राजकोषीय उपायों में, यदि आप सीमा शुल्क में कटौती करते हैं तथा उत्पाद शुल्क में कटौती करते हैं तो इसका प्रभाव कमोवेश तुरन्त होता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपाय व्यवस्था से गुजरने में कुछ समय लग जाएगा। उदाहरण के लिए सभी अर्थशास्त्री और विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि 1994-95 में किए गए मौद्रिक उपायों का कुछ महीनों बाद तथा संभवतया एक वर्ष बाद व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए, 2000-01 में जैसा कि मैंने पहले कहा, मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। वस्तुत: यह 12 सप्ताहों तक 8 प्रतिशत से भी ज्यादा थी और 48 सप्ताहों तक 6 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। यादाश्त छोटी होती है लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते ।

इस मुद्रास्फीति को इसके पश्चात् छह मास से एक वर्ष की अवधि में कम किया गया। मौद्रिक उपायों का प्रभाव होने में समय लगेगा। उनका पहले ही प्रभाव हो रहा है। उनका प्रभाव होगा। कल मैंने सभा में मौद्रिक उपायों के आंकडे दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षण अनुपात छह चरणों में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय क्षेत्रों को उधार देने के लिए जोखिम भार बढ़ाकर मांग पक्ष पर भी कार्रवाई की है। उनका प्रभाव पड़ रहा है। मांग वृद्धि को कम

किया जा रहा है और साख वृद्धि को भी कम लाया जा रहा है। मुद्रास्फीति रोधी उपायों का तीसरा पक्ष आपूर्ति पक्ष के उपाय हैं–गेहूं, धान, दलहनों और तिलहनों की आपूर्ति में वृद्धि करना।

लगभग दस दिन पहले माननीय कृषि मंत्री ने अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कृषि तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा दीर्घावधि आपूर्ति पक्षीय उपाय करके मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताया था। हम इन उपायों का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमें गेहूं धान और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उपभोग में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों के उपभोग में वृद्धि हो रही है। हमें आपूर्ति पक्ष में वृद्धि करनी होगी। अल्पावधि के लिए, नि:सन्देह हम आयात कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र स्थायी उत्तर यही है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि गेहूं, धान, तिलहनों और दलहनों जिनकी इस देश की जनता को जरूरत है, के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि की जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्षमा कीजिए। इन पर वाद-विवाद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर न दें। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: माननीय मंत्री अत्यधिक आशावादी हैं और वह बाजार मूल्य से प्राप्त कठोर वास्तविकताओं की बजाय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्राप्त सांख्यिकी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक मूल्यों पर खरीददारी नहीं करते। उपभोक्ता खुदरा मूल्यों पर खरीददारी करते हैं। खुदरा मूल्यों और थोक मूल्यों के बीच हमेशा अन्तर होता है। यदि खुदरा मूल्य पर विचार किया जाए तो यह कोई अकादमिक विषय नहीं है, वृद्धि क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? यह जीवन का सत्य है। यह कोई अकादमिक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्नकाल है। आपका प्रश्न क्या है?

श्री गुरुदास दासगुप्त: गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है और यदि बाजार मूल्य संसद में बताए जाने वाले मूल्य से काफी अलग हों तो हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि सरकार जीवन की वास्तविकताओं का सामना नहीं करना चाहती। भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी से ही मूल्यों के स्थिर हो जाने की बात कर रहा था। तब से लेकर चार माह बीत चुके हैं। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है अथवा थोड़ी सी कमी हुई है। मूल्यों में कमी करने में सरकार की विफलता के मद्देनजर क्या मैं माननीय मंत्रीजी से पूछ सकता हूं कि सरकार जमाखोरी को खत्म करने के प्रश्न पर विचार करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रवर्तन करने और इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने सहित कौन से अतिरिक्त कदम उठा रही है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि थोक मूल्य सूचकांक वह मूल्य स्तर है जिस पर उपभोक्ता खरीददारी करते हैं। मैंने यह कहा कि जब हम मुद्रास्फीति पर चर्चा करते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक को आज की मुद्रास्फीति और एक वर्ष पहले की मुद्रास्फीति अथवा छह साल पहले की अथवा पांच साल पहले की मुद्रास्फीति पर नजर डालने के लिए संतुलक के रूप में लिया जाता है। नि:संदेह, जनसाधारण आवश्यक वस्तुएं विशेष रूप से खाद्य पदार्थ खुदरा बाजार में प्रचलित मूल्यों पर ही खरीदते हैं और ये मूल्य पिछले सात से आठ महीनों संभवतया एक वर्ष से काफी बढ़ गए हैं। इनके बढ़ने की शुरूआत चीनी से हुई। पिछले वर्ष, गन्ना उत्पादन कम था लेकिन अब चीनी के मूल्यों में 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई वास्तव में गन्ना उत्पादक अब यह शिकायत कर रहे हैं कि चीनी फैक्ट्रियां उनका गन्ना नहीं ले रही हैं क्योंकि चीनी का मूल्य कम है। मैंने कल यह बात कही और फिर गेहूं पर आया। पिछले वर्ष हमने 55 लाख टन गेहूं का आयात किया। हमने केवल 92 लाख टन गेहूं की खरीद की। इस वर्ष कृषि मंत्रालय ने कहा है कि गेहूं उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। हमें आशा है कि हम पिछले वर्ष से ज्यादा गेहूं खरीदेंगे। ज्यादा उत्पादन और ज्यादा खरीद से यह आशा बंधती है कि गेहूं के मूल्यों में कमी आएगी। दलहनों और तिलहनों के मामले में हमारे देश में इनकी कमी है। हम काफी वर्षों से इनका आयात करते रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय बीजों की दालों केवल म्यांमार, कुछ आस्ट्रेलिया और कुछ तुर्की में उगाई जाती हैं। छोटी मटर कनाडा में उगाई जाती है। हम दालों का आयात कर रहे हैं और हमने इस वर्ष भी दालों का आयात किए जाने की घोषणा की है। उपभोक्ता वास्तव में दालों और तिलहनों के मूल्यों में वृद्धि से प्रभावित हुआ है और मैंने कहा है कि हमने आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं।

अब, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम मौद्रिक कदम हैं और कोई भी विश्लेषक आपको यह बता देगा कि मौद्रिक उपायों का आवश्यक खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें केवल आपूर्ति में वृद्धि करके ही कमी की जा सकती है। खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ मांग और आपूर्ति से प्रभावित होते हैं। मांग ज्यादा है आपूर्ति और मांग में असंगति है और इसकी पूर्ति या तो घरेलू उत्पादन को बनाए रखकर या फिर, अंतरिम रूप से, ऐसे माल का आयात करके ही की जा सकती है। दोनों कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने उत्पादन में वृद्धि करने तथा आयात

करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया है। कृषि मंत्रालय द्वारा आपूर्ति पक्ष में वृद्धि करने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम का सरकार पूरा समर्थन करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: जमाखोरी खत्म करने के उपायों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उस विषय पर बोला भूल गया।

महोदय, कुछ समय पहले हमने राज्य सरकारों को स्टॉकहोल्डिंग संबंधी आदेशों का प्रख्यापन करने की शक्ति वापस दी है, जिसे पिछली सरकारों ने गलत ढंग से वापस ले लिया था। राज्य सरकरों को यह शक्ति वापस दे दी गई है। केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य सरकारों को, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन, विशेष रूप से स्टॉक सीमाओं संबंधी नियंत्रण आदेश पारित करने और कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से जमाखोरी खत्म करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखा है। अंतिम बार मैंने इसके बारे में सुना और मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं–ये करीब छः या सात सप्ताह पहले की बात थी। केवल पांच राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कृषि मंत्रालय के पत्र का प्रत्योत्तर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी समाप्त करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है और मैं निश्चित रूप से यह भार कृषि मंत्री को सौंपता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से नियंत्रण आदेश जारी करने, स्टॉक सीमा लगाने और स्टॉक जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जमाखोरी समाप्त करने संबंधी कार्रवाई करने का अनुरोध करे।

जहां तक मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए जाने की बात है वह कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और मैं निश्चित तौर पर यह भार उन्हें सौंपूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, सच्चाई यह है कि यदि आप देशों में कहीं भी जाएं और किसी भी व्यक्ति से वस्तु की मूल्य के बारे में पूछें, वह मुद्रास्फीति की बात करेगा। यह भारत सरकार की तथा राज्य सरकारों की भी पूर्ण विफलता है। गत एक वर्ष से भारत सरकार सभा में और सभा के बाहर यह उपाय कर रही हैं। वे उठाए गए कदमों के बारे में बता रहे हैं किन्तु जमीनी सच्चाई यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। मेरे अनुसार हमे सभी जगह जमाखोरी देखने को मिलता है। राज्य सरकारों को शक्तियां देने की बजाय, भारत सरकार केन्द्रीय स्तर पर आवश्क वस्तु अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। मान लीजिए हम यहां अधिनियम में संशोधन करते हैं, तो कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां तत्स्थानिक कार्रवाई करेंगी। यदि कोई मुख्यमंत्री इस मामले में रुचि नहीं लेते हैं। तो इसका दायित्व कौन वहन करेगा? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार करना चाहती है या जमाखोरी को नियंत्रित नहीं करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय: यह लोकतंत्र की जीवंतता है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में नियंत्रण आदेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। यह शिकायत जो कुछ समय पूर्व की गई थी कि नियंत्रण आदेश जारी करने में राज्य सरकारों की शक्ति, केन्द्रीय सरकार से पूर्व स्वीकृति लिए जाने का प्रावधान आवश्यक कर कम कर दी गई है। इसे बदल दिया गया है। स्टॉक रखने और जमाखोरी खत्म करने के मामले में केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लिए बगैर नियंत्रण आदेश जारी करने संबंधी राज्य सरकार की शक्ति फिर से बहाल कर दी गई है। इस तरह यह शक्ति राज्य सरकारों के पास है। जमाखोरी खत्म करने की कार्रवाई कौन करेगा? जमाखोरी समाप्त करने की मशीनरी राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग और राज्य पुलिस के पास है, इतने बड़े देश में प्रत्येक नगर या शहर में जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करना केन्द्र सरकार के लिए कहां तक संभव है। राज्य सरकारों को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और हमें जो भी सहयोग देना है, हम देंगे किन्तु जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करना अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अलग-अलग राज्यों के लिए पृथक कानून नहीं हो सकता है।

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज: माननीय वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए ढ़ेर सारे उपाय करने की दिशा में पहल की है साथ ही खाद्य तेल के मामले में भी मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। उत्तर में विस्तार से इसे बाताया गया है। कच्चा और रिफान्ड दोनों खाद्य तेलों पर अतिरिक्त चार प्रतिशत सी. वी. डी. हटा लिया गया है। बजट के माध्यम से सूर्यमुखी तेल, कच्च तेल और रिफाइन्ड पर से 15 प्रतिशत आयात शुल्क हटा लिया गया है। खजूर के तेल पर, अगस्त 2006 से अप्रैल 2007 तक तीन बार शुल्क में कटौती की गई है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि नारियल तेल की कीमत पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी राज्य विशेष रूप से केरल राज्य पर इन उपायों का प्रत्यक्ष असर पड़ता है। मैं माननीय वित्तमंत्री जी की बात का विरोध नहीं करता हूं कि इस का उद्देश्य मांग पूर्ति की खाई अथवा मांग-पूर्ति बेमेल को ठीक करना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या आप पूर्ति के मामले में ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आप इन शुल्कों को पुन: प्रभावित कर सकते हैं; क्या सरकार उत्तरी बंदरगाहों के माध्यम से इन आयातों पर प्रतिबंध लगाने का उपाय करेगी? क्या सरकार कोचिन, चेन्नई टुरीकोरिन के दक्षिणी बंदरगाहों के माध्यम से इन आयातों से परहेज के लिए तैयार होगी? नारियल तेल और अन्य तेल के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रश्न के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या माननीय मंत्री दक्षिणी राज्यों के माध्यम से आयाय को टालने का उपाय करेंगे? क्या अल्पकाल में अवस्था दर अवस्था इन शुल्कों को फिर से लगाना संभव होगा?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, आज लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल यथा खजूर का तेल, नारियल तेल, सूर्यमुखी का तेल सफोला तेल आदि का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि केरल में मुख्य रूप से नारियल तेल की खपत होती है और मुखतौर पर नारियल तेल का ही उत्पादन किया जाता है। किन्तु देश के विभिन्न भागों में लोग देश के सभी भागों में बस गए हैं। इन दोनों प्रादेशिक अधिमान्यता जैसी कोई बात नहीं है। उदाहरण के लिए दक्षिण के राज्यों में अब गेहूं की मांग बढ़ रही है। कुछ वर्ष पूर्व वे कह रहे थे, "हमें आपसे गेहूं का आवंटन नहीं चाहिए, हमें धान दे दो" अब वे और अधिक गेहूं की मांग कर रहे हैं।

मुद्दा यह है कि केन्द्रीय सरकार के रूप में हमें खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण रखना है। यदि मैं कहूं तो अब तारपीन का तेल आम लोगों का तेल है जो सभी के उपभोग में आता है। खजूर के तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है क्योंकि मलेशिया और इन्डोनेशिया दोनों ने खजूर के तेल का दूसरा उपयोग अर्थात इसे जैव ईंधन में परिणत करने का पता लगाया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खजूर के तेल की कीमतें बढ़ी हैं। कीमतें कम रखने के लिए हमने खजूर के तेल की प्रशुल्क मूल्य स्थिर कर दिया है। हमने शुल्कों में भी कटौती की है। शुल्क में इन कटौतियों का आशय कीमतों को कम रखना है। हम सीमा शुल्क राजस्व के मामले में ऊँचाई छू रहे हैं। किन्तु यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा उद्देश्य कीमतों को कम रखना है। यदि मैं सीमा शुल्क पुन: प्रभारित करता हूं तो हम वस्तुत: कीमतें कम रखने के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर रहे हैं।

अत: मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक मूल्य की स्थिति में सुधार नहीं होता है, फिर से सीमा शुल्क लगाने का कोई विचार नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री चीजों पर निगरानी रखने के लिए हाल ही में उठाए गए 10 कदमों का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि केवल निगरानी रखने से ही काम नहीं बनेगा। वह एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने सप्लाई के बारे में भी बताया अपने सिद्धांत के कारण वे केवल खुले बाजार में होने वाली पूर्ति पर निर्भर हैं। हमारे देश में हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर इस समस्या का सामना किया है।

हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आ रही लगातार गिरावट ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने का प्रमुख कारण है। इस संदर्भ में क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाल को मजबूत करना चाहती है और उसके अंतर्गत दालें, आदि को भी शामिल करना चाहती है। क्योंकि उनकी सप्लाई कम है इसलिए धनी लोग उसे ले लेते हैं। इसलिए साम्यता पूर्व वितरण के लिए वन्या दालों को राशन प्रणाली में शामिल किया जाएगा? क्या आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करने के उनका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं इस बात से सादर इंकार करता हूं कि हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तहस-नहस कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। गेहूं चावल केरोसीन और चीनी जैसी वस्तुओं को सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणली के माध्यम से की जा रही है। क्या देश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और वस्तुओं को शामिल करने के लिए तैयार है या नहीं, इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। क्या हमारे पास खुले बाजार के लिए पर्याप्त दालें और खाद्य तेल है, जहां से अधिकांश लोग खरीदारी करते हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा विषय है जिस पर कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा गहन विचार किया जाना चाहिए। मैं अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रश्न को उस मंत्रालय के समक्ष रखें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, महंगाई की चर्चा चल रही है और महंगाई सिर्फ एक वस्तु का दाम बढ़ने से नहीं होती है। महंगाई के कारण जब सब वस्तुओं के दाम धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं तो उसका असका असर गांवों की तरफ ज्यादा होता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जिन पर केन्द्र सरकार का सीधा नियंत्रण है और आपूर्ति की व्यवस्था तथा आपूर्ति पर नियंत्रण भी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर करती हैं। जिसका असर सीधा गांवों पर पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने जन वितरण प्रणाली की चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य सामानों जैसे चावल, दाल, गेहूं आदि पर बढ़ी है, लेकिन केरोसिन तेल पैसा देने पर भी देहातों में नहीं मिल रहा है। इसकी महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: चूंकि सब्सिडी यही घटाते और बढ़ाते हैं इसलिए हम इन्हें बता रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो राज्य सरकारें डिमांड कर रही हैं, केन्द्र से उन राज्यों को उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या वह राज्यों की डिमांड के अनुसार विशेषकर केरोसिन तेल की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेंगे और सब्सिडी में जो रोज कटौती करते जा रहे हैं, क्या उसे ठीक करके सस्ते दामों पर उपलब्ध करायेंगे, ताकि महंगाई पर नियंत्रण किया जा सके?

अध्यक्ष महोदय: आपका भाषण तो हो गया, लेकिन वह क्या करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई पर केरोसीन की आपूर्ति से इंकार किया गया है या नहीं मैं अभी इस प्रश्न के उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। इस प्रश्न को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के पास रखा जाना चाहिए। परंतु मेरा जहां तक ख्याल है केरोसिन वितरण की एक प्रणाली है। प्रत्येक राज्य को कुछ आवंटन किया जाता है और तब सरकार निर्णय लेती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज मेहरबानी करके आप बैठ जाइये। आप रूल जानते हैं।

[अनुवाद]

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम पहले ही 48 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 425–श्री विजय कुमार खंडेलवाल–उपस्थित नहीं।

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख

विद्युत परियोजनाएं

*425. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:**
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(घ) तकनीकी और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अभी भी लंबित केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ही ताप विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो गई है। किन्तु यदि कोई उत्पादन कंपनी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करना चाहती है तो उसे सीईए की सहमति हेतु एक स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करना होगा जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि से अधिक पूंजीगत व्यय होने की संभावना हो।

अधिनियम के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने दिनांक 18.4.2006 की अधिसूचना द्वारा यह अधिसूचित किया है कि किसी उत्पादन कंपनी द्वारा ऐसे जल विद्युत उत्पादन कंपनी की स्थापना के लिए, जिसमें अनुमानित पूंजीगत व्यय निम्नलिखित राशि से अधिक हो, स्कीम को सीईए की सहमति हेतु प्रस्तुत करना होगा:

1. दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये, बशर्ते कि-

(i) स्कीम अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 4 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में शामिल हो तथा स्कीम एनईपी में वर्णित क्षमता एवं प्रकार (रन ऑफ/स्टोरेज) के अनुरूप हो।

(ii) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए स्थल का आबंटन अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो।

2. अन्य स्कीमों, जो उक्त पैरा 1 के खंड (i) और(ii) में शामिल नहीं है, के लिए पांच सौ करोड़ रुपये।

योजना आयोग ने राज्य सरकारों को बिना किसी उपरी सीमा के विद्युत परियोजनाओं (जल एवं ताप विद्युत उत्पादन) को अनुमोदित करने की पूरी शक्ति प्रदान कर दी है। किन्तु ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में योजना आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है, जहाँ अंत:राज्यीय मामला शामिल है।

जहा तक विद्युत मंत्रालय का संबंध है, विगत तीन वर्षों के दौरान सीईए में राज्यों से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहमति हेतु 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 3 परियोजनाओं को सीईए ने पहले ही स्वकृति प्रदान कर दी है। दो परियोजनाओं के लिए सीईए की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी परियोजना लागत 500 करोड़ रुपये से कम है। पांच जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को वापस कर दिए गए हैं क्योंकि ये प्रस्ताव अपूर्ण थे। इनके ब्यौरे अनुबंध-I के रूप में दिए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय राज्य क्षेत्र में उत्पादन क्षमता की स्थापना हेतु प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान नहीं करता है। किन्तु पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य उत्पादन परियोजनाओं और संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को पीएफसी और आरईसी द्वारा मंजूर किए गए ऋणों के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत हैं:

करोड़ रुपये में

संगठन	2004-05	2005-06	2006-07
पीएफसी	7572	11839	19478
आरईसी	1797.35	1862.55	7526.28
कुल	9369.35	13701.55	27004.28

(घ) सीईए से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में केवल दो केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाएं, अर्थात् उत्तराखंड में नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की व्यासी जल विद्युत परियोजना (120 मे. वा.) और अरुणाचल प्रदेश में नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड की पारे जल विद्युत परियोजना (110 मेगावाट) उसी सहमति हेतु लंबित हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, तीन जल विद्युत परियोजनाएं और 5 थर्मल परियोजनाएं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित हैं। स्थिति सहित ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ङ) विद्युत परियोजनाओं की तीव्र स्वीकृति हेतु-

* विद्युत अधिनियम, 2003 ने उत्पादन के लिए एक अधिक उदारवादी ढांचा तैयार किया है। उत्पादन के लिए लाइसेन्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्मल उत्पादन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता अब नहीं है। जल विद्युत उत्पादन के लिए भी पूंजीगत व्यय की सीमा जिसके ऊपर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, को बढ़ा दिया गया है और वर्तमान आवश्यकता अप्रैल, 2006 में जारी अधिसूचना (उपरोक्त भाग (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट) में विनिर्दिष्ट की गई है।

* योजना आयोग ने उन जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, जहां अंतरराज्यीय मामले शामिल हैं, बिना किसी उच्चतम सीमा के विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों को पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

* केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के संबंध में निवेश अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम किया गया है। समयबद्ध रूप से अगले स्तर तक जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर ट्रिगर प्रणाली के साथ निवेश मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए 24 सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। अन्य के साथ-साथ सभी विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पूर्व-पीआईबी (सार्वजनिक निवेश बोर्ड) स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

* स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अंतर-मंत्रालय समन्वय तंत्र है।

अनुबंध-I

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त जल विद्युत प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना का नाम (राज्य)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	प्राक्कलित लागत (करोड़ रु. में) (मूल्य स्तर)	डीपीआर प्राप्ति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	मतनार (छत्तीसगढ़)	60	313.35 (03/04)	अप्रैल, 2004	19.8.2004 को केविप्रा द्वारा स्वीकृत
2.	अथिरापल्ली (केरल)	163	385.63 (04/04)	सितम्बर, 2004	31.3.2006 को केविप्रा द्वारा स्वीकृति
3.	धुकवान (यू.पी.)	30	170.03 (12/03)	अक्टूबर, 2005	परियोजना की प्राक्कलित लागत 500 करोड़ रुपये से कम है के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस की दी गई तथा परियोजना को केविप्रा से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
4.	दुमुगुदम (आंध्र प्रदेश)	319.60	2740.23 (12/03)	फरवरी, 2005	पूर्ण सूचना के अभाव में दिनांक 24.8.2006 को वापस
5.	लोअर जुराला (आंध्र प्रदेश)	240	885.08 (06/05)	जुलाई, 2006	पूर्ण सूचना के अभाव में दिनांक 20.07.2006 को वापस
6.	कोयना लेफ्ट बैंक कैनाल (महाराष्ट्र)	80	245.02	मार्च, 2006	प्राक्कलन लागत 500 करोड़ रुपये से कम होने के कारण डीपीआर वापस कर दी गई है। तथा परियोजना को केविप्रा से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
7.	सवलकोट (जम्मू-कश्मीर)	1200 *	7346.00 (05/06)	मई, 2006	पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 23.11.2006 को प्रस्ताव वापस

1	2	3	4	5	6
8.	गुंदिया (कर्नाटक)	400	1059.90 (06/06)	जुलाई, 2006	पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 11.08.06 को प्रस्ताव वापस
9.	कुन्दाह (तमिलनाडु)	500	1220.00 (05/06)	नवम्बर, 2006	पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 17.11.06 को प्रस्ताव वापस
10.	पाला मनेरी (उत्तराखण्ड)	480	1922.80 (12/06)	दिसम्बर, 2006	23.02.07 को केविप्रा द्वारा स्वीकृत

अनुबंध-II

प्रलंबित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4
ताप विद्युत परियोजनाएं			
1.	मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा विजाग, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री एसटीपीपी स्टेज-II (2 × 500 मे.वा.)	23.02.2007	अप्रैल, 2007 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा अतिरिक्त सूचनाएं मांगी गई हैं।
2.	मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा बोंगाई गांव, जिला कोकराझार, असम पर 3 × 500 मे.वा. का बोंगाईगांव थर्मल पावर स्टेशन	02.03.2007	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिफारिश कर दी गई है।
3.	मेसर्स दामोदर घाटी निगम के द्वारा कोडर्मा, झारखण्ड पर कोडरमा टीपीएस (2 × 500 म.वा. चरण-I, 2 × 500 + 20% का विस्तार करना)	15.02.2007	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिफारिश कर दी गई है।
4.	मेसर्स नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के द्वारा तुतिकोरिन, तमिलनाडु पर तुतिकोरिन टीपीपी (2 × 500 मे.वा.)	05.12.2006	अप्रैल, 2007 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा अतिरिक्त सूचनां मांगी गई थी, तथा वांछित सूचना हाल ही में प्राप्त की गई है।
5.	मेसर्स एनटीपीसी लि. के द्वारा झाजर, हरियाणा में 3 × 500 मे.वा. अरावली टीपीपी का निर्माण	11.04.2007	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त किया गया है।

1	2	3	4
जल विद्युत परियोजना			
1.	मेसर्स एनएचपीसी लि. के द्वारा जिला नैनीताल, उत्तराखंड में कोटलीभेल एचइपी चरण-1ए (195 मे.वा.)	31.01.2007	ईएसी के द्वारा दिनांक 21.02.2007 को परियोजना पर विचार किया गया था तथा 22.3.2007 को पुन: विचार किया गया। समिति ने कुछ स्पष्टीकरण मांगी थी जो हाल ही में प्राप्त हुई है।
2.	मेसर्स एनएचपीसी लि. के द्वारा जिला पौड़ी तथा टिहरी गढ़वाल में कोटलीभेल एचइपी चरण-1ब (320 मे.वा.)	15.02.2007	ईएसी के द्वारा दिनांक 21.02.2007 को परियोजना पर विचार किया गया था समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ जन-सुनवाई अन्य जिलों में करने की सिफारिश की। प्रवर्तक को जन-सुनवाई आयोजित करनी होगी।
3.	मेसर्स टीएचडीसी के द्वारा चमोली जिले में विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा)	02.04.2007	ईएसी के द्वारा परियोजना पर नदी घाटी तथा हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए 18 अप्रैल, 2007 को विचार किया गया तथा अतिरिक्त सूचनाएं मांगी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य की तरफ से दस प्रस्ताव आपके पास आये हैं। दो प्रस्ताव आपने वापस भेज दिये हैं और तीन प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। इस तरह से जो पांच प्रस्ताव बाकी हैं, क्या आप उन्हें वापस मंगाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? इनसे तीन हजार मेगावाट बिजली का निर्माण हो सकता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बाकी पांच प्रस्ताव वापस मंगा रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, एनक्शर-1 में हमने उसकी पूरी डिटेल्स दे दी हैं और इस वक्त उनका जो स्टेटस है, वह भी बताया है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि यू.पी. की तीन नम्बर पर जो धुकवान परियोजना है, वह पांच सौ करोड़ से नीचे थी, इसलिए उसे वापस भेजा है। इसके अलावा कोयना लैफ्ट बैंक कैनाल का जो महाराष्ट्र का प्रस्ताव था, वह भी पांच सौ करोड़ रुपये से नीचे का था, इसलिए वह भी वापस भेजा है। अभी देखा जाए तो हमारे पास अभी केवल दो केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स बाकी हैं और कोई बाकी नहीं हैं।

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: मैं जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में एक मेगावाट से सौ मेगावाट तक छोटा बिजली निर्माण करने वालों को क्या आप केन्द्र सरकार से सहायता देने वाले हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, यह सवाल नॉन-कन्वैंशनल इनर्जी का है। 25 मेगावाट तक जो नॉन कन्वैंशनल इनर्जी डिपार्टमैन्ट है, इन्हें वहां से सब्सिडी नहीं मिल सकती है। इसके प्रमुख श्री विलास मुत्तेमवार हैं। 1 से 25 मेगावाट तक का निर्माण करने की परमीशन उन्हें देनी है। यदि सौ तक करना है तो हर राज्य को भी इसकी परमीशन दे दी है। लेकिन सब्सिडी नहीं मिली है। लेकिन भारत सरकार अपने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) और पी.एफ.सी. की तरफ से इसके लिए लोन देना चाहती है, क्योंकि देश में बिजली निर्माण का काम हम ज्यादा करना चाहते हैं। इसके लिए लोन अवेलेबल होगा।

श्री निखिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बिहार में अपने क्षेत्र औरंगाबाद में 1000 मेगावॉट सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट जो नवीनगर में लगने जा रहा है, इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार ने तीन साल की जद्दोजहद के बाद पिछली फरवरी में स्वीकृति दी थी और उम्मीद की जाती थी कि उस पर औपचारिकताएं सम्पन्न हो जाएंगी तथा निर्माण कार्य की तरफ पहला कदम उठाया जाएगा। पहला कदम उठाने के लिए जरूरी था कि एनटीपीसी जाकर सर्वेक्षण करे और यह फैसला करें कि कहां पर वह टाउनशिप लगनी है जिससे वहां काम का ढांचा स्थापित हो लेकिन अब तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह विलम्ब क्यों हो रहा है? इसमें कितना और विलम्ब होगा और इस पर कब पहल शुरू की जाएगी?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, नवीनगर को जो प्रोजेक्ट है, उसमें बीच में थोड़े से कॉम्पलीकेशंस आ गये थे लेकिन रेलवे से भी हमने अभी बात की है। माननीय सदस्य को मैंने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है और मैं खुद जितनी जल्दी हो सकेगा करूंगा। मैं खुद इसे मोनीटर कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री शैलेन्द्र कुमार का यहां पुन: स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से कितने विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव आपके पास लम्बित हैं? दूसरे, आपने जो अपने जवाब में बताया है कि धुकवान, उत्तर प्रदेश में 30 मेगावॉट को जो प्रस्ताव यू.पी. सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भेजा था, उसमें आपने जवाब दिया कि 500 करोड़ रु. लागत से कम है, इसलिए परियोजना की रिपोर्ट वापस कर दी गई है। आपने प्रस्ताव को अपूर्ण बाताया है, इसलिए आपने वापस भेजा है।

एक परियोजना दादरी, नौएडा, उ.प्र. में है जो गैस आधारित परियोजना है वह भी लम्बित पड़ी हुई है। क्या इन दोनों परियोजनाओं को जल्दी से चालू कराने के लिए आर्थिक मदद देंगे या तमाम जो भी प्रस्ताव आपके पास लम्बित हैं, उनको स्वीकृति देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है? उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत अधिक कमी रहती है जिस कारण विकास बाधित है। मेरे ख्याल से आप इस तरफ ध्यान देंगे और इन दोनों परियोजनाओं को जल्दी से स्वीकृत करेंगे तथा इसके लिए आर्थिक मदद भी देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, विद्युतीकरण के बारे में मैंने कहा कि जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट 500 करोड़ रु. के नीचे होते हैं, उनको हमने राज्यों को करने का अधिकार दिया है। प्लानिंग कमीशन ने एक नीति अपनाई। इसका कारण यह था कि राज्य में जल्दी से जल्दी बिजली होनी चाहिए। इसके लिए हमने कई ऐसे निर्णय लिये हैं कि राज्य वे कार्य करें। यह प्रोजेक्ट 500 करोड़ रु. के नीचे का है। तुरंत अभी उत्तर प्रदेश सरकार इसे कर सकती है। दूसरा सवाल इन्होंने गैस आधारित प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। मैं बताना चाहूंगा कि गैस मिलने में अभी कठिनाइयां हैं और जब तक गैस नहीं मिलती तब तक दादरी का प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। लेकिन यह बात सही है कि मैंने बार-बार इस सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में कैपेसिटी एडीशन 4-5 साल में नहीं किया गया है जबकि हम लोन देने के लिए तैयार हैं। आरईसी भी तैयार है और पीएफसी भी तैयार है। मैंने खुद इसका रिव्यू लिया है। इतना ही नहीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का भी मैंने रिव्यू लिया है ताकि लोगों को बिजली जल्दी मिले और उत्तर प्रदेश प्रकाशमय हो। हमने ऐसी नीति अपनाई है लेकिन अंधकार में रखने का काम वहां किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खगेन दास

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत अधिक भावुक न बनिए।

श्री खगेन दास: त्रिपुरा में मोनाकि गैस आधारित विद्युत परियोजना पिछले सात वर्षों से सरकार के विचाराधीन है। मंत्री महोदय इस बात से वाकिफ हैं कि नीपको ने यह सोचकर कि परियोजना को स्वीकृति मिल ही जाएगी, 50 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। परंतु इस परियोजना पर काम करने के लिए अभी तक सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है।

क्या मैं भारत सरकार से यह जान सकता हूं कि परियोजना को कब स्वीकृति दी जाएगी। इस परियोजना से प्राप्त बिजली त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगी जहां अभी बिजली का संकट गहराया हुआ है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैं माननीय सदस्य और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के साथ मोनाकि विद्युत परियोजना के बारे में पहले ही विचार-विमर्श कर चुका है। यह अभी अर्थक्षम अंतर के लिए वित्त की कमी के कारण लंबित है। जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता इस पर आगे काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि परियोजना की लागत बहुत अधिक हो चुकी है और इसमें थोड़ा बिलंब हुआ है। जहां तक त्रिपुरा की अन्य परियोजनाओं का संबंध है मैंने पेट्रोलियम मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि वे चलती रहे।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि बिजली के गंभीर संकट के बावजूद आंध्र प्रदेश की दो बिजली परियोजना से इस वर्ष भी गेल द्वारा गैस की सप्लाई न किए जाने से बिजली का उत्पादन नहीं हो सका। आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी-कृष्णा बेसिन में गैस का उत्पादन होता है। परंतु गेल आंध्र प्रदेश को गैस देने से इंकार कर रही है। भारत सरकार ने पहले ही इस परियोजना को अनुमति दे दी है। विद्युत विनियामक आयोग ने भी अनुमति दे दी है विभिन्न दलों की इस आपत्ति के बावजूद कि गैस की सुनिश्चित आपूर्ति के बिना यह अनुमति नहीं दे जानी चाहिए। यह अनुमति दी गई परंतु अभी

गैस की आपूर्ति नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करके आंध्र प्रदेश में बिजली संकट की समस्या का समाधान कर सकेगी।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि देश में गैस की भारी कमी है और कृष्णा-गोदावरी बेसिन में अभी भी मुश्किल है। अगले दो वर्षों में इससे गैस निकालने की कोई संभावना नहीं है। माननीय सदस्य ने केवल दो परियोजनाओं के बारे में बताया परंतु ऐसी सात या आठ परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण स्वतंत्र डेवलपरों ने किया है मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें बिजली की कमी है। वे नेप्था पर परियोजनाएं चला सकते हैं जो बहुत महंगी हैं। परंतु मैं यह नहीं जानता कि क्या हुआ। मैं आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ नेप्था से परियोजनाओं को चलाने और आसपास के बिजली संकट से ग्रस्त पड़ोसी राज्यों को बिजली देने के बारे में बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से विद्युत मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय के संपर्क में है जैसे ही गैस उपलब्ध होगी, प्रदान किया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि जब गैस उपलब्ध होगी तब ही परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

देश में बिजली की कमी है। मैंने हाल ही में स्थिति पुनरीक्षा की। पहले मैं यह कहा करता था कि 70,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जानी होगी। आज यह कमी घटकर 14000 मेगावाट हो गई है और बिजली की आवश्यकता 21,000 मेगावाट हो गई है। हमें देश में क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें गैस के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए प्रारंभिक कार्य करना होगा। हम इसका संज्ञान लेंगे और जैसे ही गैस उपलब्ध होगी हम उसे प्रदान करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के शासन और गुजरात के मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में विलंब से केन्द्र सरकार के 68,000 मेगावाट की अतिरिक्ति क्षमता के लक्ष्य के दावे पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा नौ 4000 मेगावाट वाले अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना की स्थापना करके विद्युत की कमी दूर करने के प्रयासों के बावजूद 11वीं योजना अवधि के दौरान एक भी परियोजना का प्रचालन किए जाने की संभावना काफी धूमिल दिखाई देती है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जी नहीं महोदय, यह सच नहीं है। 4000 मेगावाट की टाटा पावर अल्टा मेगा प्रोजेक्ट के स्वीकृति दी गई है और अपेक्षित स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। इस पर शीघ्र ही कार्य होगा। मैं समझता हूं कि दो या तीन महीनों के भीतर वे वित्तीय क्लोजर प्राप्त करना आरंभ कर देंगे।

जहां तक शासन का संबंध है इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। पावर फाइनांस कार्पोरेशन इस पर ध्यान दे रही है। जहां तक नौ अल्ट्रा मेगा परियोजना का संबंध है मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य उड़ीसा के हैं उड़ीसा के मुख्य मंत्री इस संबंध में सहयोग के लिए तैयार हैं। उड़ीसा के गर्वनर के कार्यभार मुक्त होकर जब मैंने विद्युत मंत्री का प्रभार संभाला तो वे इस परियोजना को शुरू करने के लिए तुरंत मुझसे मिले। पहले वे इस अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिये कुछ हिचक रहे थे परंतु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं पहल की और उड़ीसा से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का आफर की। सभी नौ अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा, इन्हें शुरू किया जाएगा और पूरा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के धन्यवाद करता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

*422. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन न्यायालयों में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो न्यायालयवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(घ) उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के पठित उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ मामले में उनके तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा तथा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की संपूर्ण प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ की जाती है। सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राज्य के मुख्यमंत्रियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरे जाने के लिए प्रस्ताव चलाने हेतु स्मरण कराती रही है।

विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	30.04.3007 को रिक्त पद
उच्चतम न्यायालय		26	23	03
उच्च न्यायालय :				
1.	इलाहाबाद	95	81	14
2.	आंध्र प्रदेश	39	32	7
3.	बम्बई	61	56	5
4.	कलकत्ता	50	44	6
5.	छत्तीसगढ़	08	06	2
6.	दिल्ली	36	32	4
7.	गुवाहाटी	23	22	1
8.	गुजरात	42	31	11
9.	हिमाचल प्रदेश	09	09	0
10.	जम्मू-कश्मीर	14	08	6
11.	झारखंड	12	10	2
12.	कर्नाटक	40	33	7
13.	केरल	29	23	6
14.	मध्य प्रदेश	42	42	0
15.	मद्रास	46	45	1
16.	उड़ीसा	20	14	6
17.	पटना	31	30	1
18.	पंजाब और हरियाणा	40	35	5
19.	राजस्थान	40	33	7
20.	सिक्किम	03	03	0
21.	उत्तराखंड	09	09	0
	योग	689	598	91

किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण

*426. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी बैंकों को भी किसानों को ऐसे ऋण देने के निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निजी बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005-06 हेतु लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक प्रत्येक 1,00,000/-रुपए तक की मूल राशि पर ऋणकर्ता को देयता के दो प्रतिशत अंक के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद खरीफ 2006 से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपए की उच्चतर सीमा सहित 7 प्रतिशत पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए किसानों को सुलभ ऋण देने के संबंध में कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए बकाया अग्रिमों में पिछले 3 वर्ष में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मार्च 2004	-	17,649 करोड़ रुपए
मार्च 2005	-	21,473 करोड़ रुपए
मार्च 2006	-	36,185 करोड़ रुपए
सितम्बर 2006	-	32,178 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों द्वारा ऋण की वसूली

*427. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सहकारी बैंक अशोध्य ऋणों के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि सहकारी बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा व्यावसायिक बैंकों की भांति त्वरित ऋण वसूली प्रक्रिया नहीं अपना सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य वित्तीय संस्थाओं की ही भांति ऋण वसूली के लिए सहकारी बैंकों को शक्तियां प्रदान करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऋण वसूली में सहकारी बैंकों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) मुम्बई और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के समक्ष आए अलग-अलग मामलों में उनके द्वारा यह माना गया था कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के तहत गठित अधिकरण की ऐसे बैंक को देय ऋणों को वसूली के लिए सहकारी बैंक के आवेदनों पर विचार और निर्णय करने की अनन्य अधिकारिता है। इसके अलावा, यह भी माना गया था कि न्यायालयों और राज्य सहकारी समिति अधिनियम तथा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकरणों की सहकारी बैंक द्वारा उनकी देयराशियों की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार करने की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी। उपर्युक्त निर्णय से पीड़ित होकर, भारत के उच्चतम न्यायालय में कई अपीलें/विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें, महाराष्ट्र राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किए गए सहकारी बैंकों पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के लागू होने के मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया था।

उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंध सहकारी बैंकों द्वारा अपने सदस्यों से अतिदेय राशियों की वसूली पर लागू नहीं हैं। तथापि, राज्य सहकारी समिति अधिनियम और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबंध सहकारी बैंकों द्वारा देयराशियों की वसूली के लिए लागू रहेंगे। चूंकि उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता सहकारी बैंकों द्वारा उनकी अपील याचिकाओं में किए गए अनुरोध के अनुरूप हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से सहकारी बैंकों के अपनी देयराशियों की वसूली के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिकूल स्थिति में होने की संभावना नहीं है।

ऋणों की वसूली के लिए सहकारी बैंक उस राज्य सहकारी समिति अधिनियम, जिनके तहत वे पंजीकृत हैं, के उपबंध के तहत गठित किए गए सहकारी न्यायालयों का आश्रय ले सकते हैं। वे अपनी देयराशियों की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों का आश्रय भी ले सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अशोध्य ऋणों के लिए एकबारगी निपटान से संबंधित मार्गनिर्देश भी बनाए हैं जिन्हें राज्य सरकारों को राज्य सहकारी समिति अधिनियमों/नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों में सहकारी बैंकों को सूचित करने के लिए भेजा गया है।

सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण

*428. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री के. सुब्बारायण:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान वरीयता क्षेत्र को दिया गया ऋण उनके द्वारा दिए गए कुल ऋण के 40 प्रतिशत से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार ऋण प्रदान किया गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिम्बरम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2005-07 (सितम्बर 2006 तक) के दौरान घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंक) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रुपए में)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक		गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	
	2005-2006	2007-07 (सितम्बर 2006 तक)	2005-2006	2006-07 (सितम्बर 2006 तक)
निवल बैंक ऋण (एनबीसी)	1017656	1125310	249082	277919
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (पीएसए)	409748	451752	106586	105215
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का %	40.30	40.14	42.8	37.86

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मार्गनिर्देशों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने हेतु निवल बैंक ऋण के 40% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत निवल बैंक ऋण के 18% एवं 10% का उप-लक्ष्य क्रमश: कृषि और कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए निर्धारित किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का मद-वार ब्यौरा निम्नलिखत है:

(राशि करोड़ रुपए में)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक		गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	
	2005-2006	2006-07 (सितम्बर 2006 तक)	2005-2006	2006-07 (सितम्बर 2006 तक)
कुल कृषि अग्रिम	155220	174866	36712	32178
निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि अग्रिम का %	15.3	15.54	14.7	11.58
लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	82434	86465	10421	10872
निवल बैंक ऋण की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र का %	8.10	7.68	4.18	3.91
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (ओपीएस)	163756	176273	57777	61141
एनबीसी की तुलना में ओपीएस का %	16.09	15.66	23.20	22.00
कमजोर वर्ग को अग्रिम	78158	81997	4174	43338
निवल बैंक ऋण की तुलना में कमजोर वर्ग को अग्रिम का %	7.70	7.65	1.7	1.56

आयकर विभाग में कर्मचारियों की कमी

***429. श्री सी. के. चन्द्रप्पन:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है कि हलांकि, करदाताओं की संख्या तथा कर संग्रहण में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विभाग में, विशेषत: महानगरीय कार्यालयों में, 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की स्वीकृति व रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार करदाताओं की संख्या तथा प्रत्यक्ष कर के रूप में संग्रहीत राशि कितनी-कितनी है तथा इस अवधि के दौरान कितने प्रतिशत का अंतर आया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान काम तथा कर संग्रहण बढ़ने के बावजूद रिक्त पदों के नहीं भरे जाने तथा कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (पी. चिदम्बरम): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग)

	निर्धारितियों की संख्या	प्रत्यक्ष कर वसूली
31.03.2004	3,01,78,616	1,05,088 करोड़ रुपये
31.03.2007 (अनन्तिम)	3,19,25,822	2,29,505 करोड़ रुपये
प्रतिशत परिवर्तन	5.79	118.39

(घ) और (ङ) सीधी भर्ती को कुल संस्वीकृत कर्मचारी संख्या के एक प्रतिशत के अध्यधीन, एक वर्ष में कुल सीधी भर्ती वाली रिक्तियों के एक तिहाई भाग तक सीधी भर्ती को सीमित रखने की भारत सरकार की नीति, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू की गई थी, से विभिन्न वर्गों में सीधी भर्ती सीमित हो गई है।

वर्ष 2005 में, उक्त नीति से छूट के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुरोध पर विचार करते हुए, सचिवीय समिति ने, कार्यभार की तुलना में कर्मचारियों की आवयकता का निर्धारण होने तक 3300 प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अनुमति प्रदान कर दी। कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के बाद, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अतिरिक्त पदों की मंजूरी हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव किया और मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 2006 में कर्मचारी श्रेणी में 6519 पदों सहित विभिन्न संवर्गों में 7051 पदों के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया। ये पद चरणबद्ध रूप से तीन वर्ष की अवधि में भरे जाने हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने आयकर निरीक्षकों, कर सहायकों और आशुलिपिकों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी है तथा इस वर्ष के अंत तक कर्मचारी उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित अतिरिक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त स्टॉफ प्रकोष्ठ से पहले ही विभिन्न प्रभारों को आवंटित कर दिया गया है। इन उपायों से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कर्मचारियों संबंधी आवश्यकता आंशिक रूप से पूरी हो जाएगी।

विवरण

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. स.	प्रभार का नाम / पद का नाम	अहमदाबाद			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	आयकर अधिकारी	368	23	383	5
2.	क. नि. अधि. ग्रेड-II	4	0	3	0
3.	क. नि. अधि. ग्रेड-III	74	39	74	2
4.	निजी सचिव	71	37	71	27
5.	आयकर निरीक्षक	863	100	873	137
6.	कार्या. अधीक्षक	180	32	185	8
7.	व. कर सहा.	693	75	712	126
8.	कर सहायक	662	139	913	472
9.	आशुलिपिक ग्रेड-I	78	50	78	9
10.	आशुलिपिक ग्रेड-II	159	16	159	45
11.	आशुलिपिक ग्रेड-III	159	60	203	197
12.	व. हि. अनु.	4	2	3	0
13.	क. हि. अनुवादक	7	1	6	1
14.	स्टा. कार ड्रा. ग्रेड-I	21	18	21	12
15.	स्टा. कार ड्रा. ग्रेड-II	18	18	18	1
16.	नोटिस सर्वर	264	60	249	31

1	2	3	4	5	6
17.	दफ्तरी	244	9	244	112
18.	व. चपरासी/जमादार	21	13	21	15
19.	चपरासी	312	74	247	103
20.	चौकीदार	67	15	52	27
21.	स्वीपर	31	4	27	14
22.	फराश	39	7	31	12
23.	व. नि. स.	8	0	8	1
	कुल जोड़	4347	792	4581	1357

स्रोत: (फा.सं. सीसी/एबीडी/105-1/2007-08, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं	प्रभार का नाम / पद का नाम	बंगलौर			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	6	0	6	1
2.	सीआईटी/डीआईटी	36	3	41	6
3.	अपर/सीआईटी/डीआईटी	57	6	72	25
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	105	25	114	2
5.	उप निदेशक (पद्धति)	1	0	1	-
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	2	2	2	2
7.	आई टी ओ	221	5	246	0
8.	क.नि.अ.ग्रे.-II	1	0	2	0
9.	क.नि.अ.ग्रे.-III	39	26	39	1
10.	निजी सचिव	34	10	34	9
11.	उप निदेशक (रा.भा.)	0	0	1	0
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	4	1	4	2

1	2	3	4	5	6
13.	व. हि. अनुवादक	2	0	2	0
14.	क. हि. अनुवादक	4	3	3	1
15.	डीपीए, ग्रेड 'क'	2	0	14	12
16.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	1	0	1	0
17.	आई टी आई	476	31	555	96
18.	कार्यालय अधीक्षक	97	39	102	12
19.	व. कर सहायक	320	27	351	120
20.	कर सहायक	326	40	609	465
21.	अ.ग्रे. लिपिक	11	0	11	0
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	39	18	39	14
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	77	10	77	30
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	77	33	152	142
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	2	0	2	0
26.	एससीडी ग्रेड-I	14		14	0
27.	एससीडी ग्रेड-II	12		12	0
28.	एससीडी (ओ जी)	12	3	7	0
29.	नोटिस सर्वर	118	9	113	3
30.	रिकार्ड कीपर	0	0	0	0
31.	दफ्तरी	123	2	123	0
32.	व. चपरासी	10	0	10	0
33.	चपरासी	158	67	158	87
34.	व. गैस्ट आपरेटर	1	0	1	0
35.	चौकीदार	56	0	20	0
36.	फराश	6	0	2	0
37.	सफाई कर्मचारी	17	0	6	0
38.	माली	1	0	1	0

1	2	3	4	5	6
39.	व. पी. एस	6	0	6	0
40.	हिन्दी टंकण	3	3	3	0
41.	अ.श्रे. लिपिक (संरचना पूर्व)	0	0	0	0
	कुल जोड़	2477	383	2956	1053

स्रोत: (एफ संख्या 211 (71)/2007-08/ सा सा आई टी-I, दिनांक 30 अप्रैल, 2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	भोपाल			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	4	0	4	1
2.	सीआईटी/डीआईटी	23	1	23	0
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	39	7	39	4
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	66	26	66	23
5.	उप निदेशक (पद्धति)	1	0	1	0
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	2	1	2	1
7.	आई टी ओ	140	1	158	2
8.	क.नि.अ.ग्रे.-II	1	1	2	0
9.	क.नि.अ.ग्रे.-III	26	13	26	2
10.	पीएस	23	12	23	16
11.	उप निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	3	0	3	1
13.	व.हि. अनुवादक	2	1	2	1
14.	क.हि. अनुवादक	5	2	3	
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	1	0	1	
16.	डीपीए, ग्रेड 'क'	3	2	6	5

1	2	3	4	5	6
17.	आई टी आई	344	57	340	65
18.	कार्यालय अधीक्षक	97	14	99	25
19.	व. कर सहायक	326	24	331	109
20.	कर सहायक	335	112	533	371
21.	अ.श्रे. लिपिक	11	0	11	0
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	35	30	35	7
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	69	5	69	30
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	68	34	101	96
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	2	1	2	0
26.	एससीडी ग्रेड-II	10	2	10	2
27.	एससीडी ग्रेड-II	9	3	9	0
28.	एससीडी (ओ जी)	9	3	9	1
29.	नोटिस सर्वर	106	8	100	5
30.	रिकार्ड कीपर	-	-	-	-
31.	दफ्तरी	111	6	111	27
32.	व. चपरासी	4	0	4	4
33.	चपरासी	142	49	94	22
34.	व. गैस्ट आपरेटर	1	0	1	0
35.	चौकीदार	144	72	91	61
36.	फराश	6	0	6	2
37.	सफाई कर्मचारी	20	1	18	2
38.	माली	-	-	-	-
39.	वरिष्ठ निजी सचिव	4	0	4	0
40.	हिन्दी टाइपिस्ट	-	-	-	-
41.	अ.श्रे. लिपिक (संरचना पूर्व)	-	-	-	-
	कुल जोड़	2192	488	2337	887

स्रोत: (एफ संख्या सीसीआईटी/एल पी /स्था./2007 (2) (सी)/2007-08, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं	प्रभार का नाम / पद का नाम	भुवनेश्वर			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	1	0	1	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	13	0	13	4
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	18	3	20	6
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	38	21	41	22
5.	उप निदेशक (पद्धति)	-	-	-	-
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	1	0	1	0
7.	आई टी ओ	56	0	66	1
8.	क.नि.अ.ग्रे. II/III	14	7	14	1
9.	निजी सचिव	14	5	14	4
10.	उपर निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-
11.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	1	0	1	0
12.	व.हि. अनुवादक	1	0	1	0
13.	क.हि. अनुवादक	2	0	2	0
14.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	-	-	-	-
15.	डीपीए, ग्रेड 'क'	-	-	-	-
16.	आई टी आई	140	17	148	25
17.	कार्यालय अधीक्षक	38	6	39	0
18.	व. कर सहायक	124	7	127	40
19.	कर सहायक	112	28	99	42
20.	अ. श्रे. लिपिक	3	0	3	0
21.	आशुलिपिक ग्रेड-I	13	0	13	3
22.	आशुलिपिक ग्रेड-II	26	4	26	7
23.	आशुलिपिक ग्रेड-III	26	14	31	28

1	2	3	4	5	6
24.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	1	0	1	0
25.	एससीडी ग्रेड-I	4	1	4	1
26.	एससीडी ग्रेड-II	4	1	4	1
27.	एससीडी (ओ जी)	3	1	3	1
28.	नोटिस सर्वर	38	0	36	2
29.	रिकार्ड कीपर	-	-	-	-
30.	दफ्तरी	43	0	43	0
31.	व. चपरासी	1	0	1	0
32.	चपरासी	55	9	48	8
33.	व. गैस्ट आपरेटर	-	-	-	-
34.	चौकीदार	91	17	67	15
35.	फराश	1	1	1	1
36.	सफाई कर्मचारी	5	0	5	1
37.	माली	1	0	1	0
38.	गैस्ट-आपरेटर	1	1	1	1
39.	हिन्दी टंकक	-	-	-	-
40.	अ.श्रे. लिपिक (संरचना पूर्व)	-	-	-	-
	कुल जोड़	889	143	875	214

स्रोत: (एक संख्या स्थापना सी, संख्या डी आर/सी सी/2007-08, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	चंडीगढ़			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	6	0	8	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	39	0	40	2
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	73	6	77	4

1	2	3	4	5	6
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	137	41	142	30
5.	उप निदेशक (पद्धति)	-	-	-	-
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	4	0	4	0
7.	आई टी ओ	313	2	329	7
8.	का.नि.अ.ग्रे.-II	1	1	1	0
9.	क.नि.अ.ग्रे.-III	44	28	44	6
10.	पीएस	38	25	38	29
11.	उप निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	7	1	7	1
13.	व.हि. अनुवादक	4	0	4	0
14.	क.हि. अनुवादक	9	2	9	5
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	2	2	2	2
16.	डीपीए, गेड 'क'	5	3	5	3
17.	आई टी आई	645	57	679	102
18.	कार्यालय अधीक्षक	135	5	137	5
19.	व. कर सहायक	517	5	521	45
20.	कर सहायक	570	48	819	407
21.	अ.श्रे. लिपिक	18	18	18	18
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	52	4	52	24
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	105	45	105	70
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	105	88	169	160
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	3	2	3	2
26.	एससीडी ग्रेड-I	21	18	21	18
27.	एससीडी ग्रेड-II	19	1	19	1
28.	एससीडी (ओ जी)	19	20	19	20
29.	नोटिस सर्वर	180	8	180	32
30.	रिकार्ड कीपर	5	5	0	0

1	2	3	4	5	6
31.	दफ्तरी	188	17	168	10
32.	व. चपरासी	6	2		
33.	चपरासी	215	63	189	77
34.	व. गैस्ट आपरेटर	-	-	-	-
35.	चौकीदार	183	6	176	20
36.	फराश	25	7	25	0
37.	सफाई कर्मचारी	12	0	12	4
38.	माली	9	1	9	2
39.	व.पी. एस.	6	2	6	2
40.	पीए/सीओ	8	8	8	8
41.	डीपीए	t	1	1	1
	कुल जोड़	3729	447	4046	1077

स्रोत: (एफ संख्या स्थापना सी. संख्या डी आर/सी सी/2007-08, दिनांक 34.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	चेन्नई			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	10	0	10	1
2.	सीआईटी/डीआईटी	60	5	63	15
3.	अपर/संयुक्त सीआईटी/डीआईटी	100	11	114	45
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	178	61	187	107
5.	उप निदेशक (पद्धति)	4	0	4	0
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	6	3	6	–1
7.	आई टी ओ	356	2	372	4
8.	का.नि.आ.ग्रे.-I	4	0	4	2

1	2	3	4	5	6
9.	का नि.आ.ग्रे.-III	63	20	63	2
10.	वरि. पीएस/पीएस	58	1	58	3
11.	कम्प्यूटर मैनेजर	1	1	1	1
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	3	-1	5	0
13.	व. हि. अनुवादक	3	0	3	0
14.	क. हि. अनुवादक	3	2	3	3
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	6	0	6	2
16.	डीपीए, ग्रेड 'क'	12	3	10	4
17.	आई टी आई	727	74	744	138
18.	कार्यालय अधीक्षक	197	6	201	8
19.	व. कर सहायक	651	168	666	44
20.	कर सहायक	760	25	914	479
21.	अ.ग्रे. लिपिक	24	0	24	21
22.	आशुलिपिक-I	77	10	77	17
23.	आशुलिपिक-II	153	68	153	30
24.	आशुलिपिक-III	153	31	243	232
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	4	0	4	0
26.	एससीडी ग्रेड-I	27	9	27	8
27.	एससीडी ग्रेड-II	23	8	23	8
28.	एससीडी (ओ जी)	23	7	23	-5
29.	नोटिस सर्वर	237	17	221	5
30.	रिकार्ड कीपर	1	0	1	0
31.	दफ्तरी	231	0	231	27
32.	व. चपरासी	12	2	12	4
33.	चपरासी	296	113	165	119
34.	गैस्ट आपरेटर	1	1	1	1
35.	चौकीदार	155	48	55	-1
36.	फराश	12	7	0	0

1	2	3	4	5	6
37.	सफाई कर्मचारी	21	3	12	0
38.	माली	1	0	1	0
39.	व. नि. सचिव	10	0	10	1
40.	हिन्दी टंकण	5	5	5	5
41.	पी.ए/कन्सोल आपरेटर	0	0	2	0
42.	व. क. नि. अधिकारी	1	1	1	1
	कुल	4669	697	4725	1330

स्रोत: (सी एफ संख्या 13) (1) स्थापना 2007-08, दिनांक 27.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं	प्रभार का नाम / पद का नाम	दिल्ली			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	20	o	21	2
2.	सीआईटी/डीआईटी	80	-10	89	-3
3.	अपर/संयु.सीआईटी/डीआईटी	120	-26	145	8
4.	उप/सहा. सीआईटी/डीआईटी	202	47	227	105
5.	उप निदे. (पद्धति)	4	3	4	3
6.	सहा. निदे. (पद्धति)/प्रोग्रा.	6	2	6	6
7.	आयकर अधि.	356	2	385	2
8.	क.नि.अधि. ग्रेड-II	4	1	3	0
9.	क.नि.अधि. ग्रेड-III	92	9	92	22
10.	निजी सचिव	83	7	83	6
11.	व. हि. अनु.	4	1	4	0
12.	क. हि.अनुवादक	6	0	9	2
13.	डीपीए, ग्रेड-बी	10	5	10	7
14.	डीपीए, ग्रेड-ए	18	11	25	22

1	2	3	4	5	6
15.	आ.का. निरी.	748	62	948	224
16.	कार्या. अधीक्षक	193	25	204	17
17.	व. क. सहा.	654	73	708	248
18.	कर सहायक	691	23	1141	585
19.	अ. श्रेणी लिपिक	30	2	42	0
20.	आशुलिपिक ग्रेड-I	89	15	89	8
21.	आशुलिपिक ग्रेड-II	178	24	178	110
22.	आशुलिपिक ग्रेड-III	179	154	314	280
23.	स्टा.कार.ड्रा. (स्पे.ग्रेड)	3	0	3	0
24.	स्टा.कार.ड्रा. ग्रेड-I	21	1	21	2
25.	स्टा.कार.ड्रा. ग्रेड-II	18	13	18	9
26.	स्टा.का.ड्रा. (ओजी)/ग्रेड-III	19	-12	19	-6
27.	नोटिस सर्वर	239	5	239	12
28.	रिकार्ड, कीपर	0	-2	-	-
29.	दफ्तरी	247	9	247	12
30.	व. चपरासी	17	0	17	0
31.	चपरासी	370	3	370	89
32.	व. गेस्ट. ऑप.	1	0	1	0
33.	क. गेस्ट. ऑप.	3	-2	3	0
34.	कंसोल ऑप.	-	-	4	0
35.	डी.ई.ओ. ग्रेड-ए	-	-	7	0
36.	चौकीदार	207	10	207	71
37.	फराश	21	2	21	4
38.	स्वीपर	62	9	62	8
39.	माली	2	0	2	2
40.	क. डी आई टी (पद्धति)	1	1	1	0
41.	व. नि. सचिव	15	2	15	1
42.	व.क.नि. अधि. ग्रेड-I	1	1	I	1

1	2	3	4	5	6
43.	कर सहा. (पुराना)	1	1	0	0
44.	कैन्टीन ग्रेड-सी	0	0	12	1
45.	कैंटीन ग्रेड-डी	0	0	23	1
	कुल जोड़	4965	471	5970	1841

स्रोत: (फा.सं. सीसीआईटी-1/कार्मिक/लोक सभा/वी.क्यू/तारांकित प्र.सं. 14220/2007-08/1276 दिनांक 27.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	गुवाहाटी			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	2	0	2	1
2.	सीआईटी/डीआईटी	13	2	14	2
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	23	10	25	16
4.	उप/सहा. सीआईटी/डीआईटी	49	21	50	26
5.	सहा. निदे. (पद्धति)	1	0	1	0
6.	आयकर अधि.	93	1	100	1
7.	क.नि. अधि. ग्रेड-II	1	1	1	0
8.	क.नि.अधि. ग्रेड-III	16	8	16	0
9.	निजी सचिव	17	3	17	4
10.	सहा. निदे. (रा.भा)	2	0	2	0
11.	व. हि. अनु.	2	1	2	1
12.	क. हि. अनुवादक	1	1	1	0
13.	आयकर निरीक्षक	205	29	215	51
14.	कार्या. अधीक्षक	62	17	63	9
15.	व. कर सहा.	154	25	157	43
16.	कर सहायक	177	8	242	141
17.	अ. ग्रे. लि.	7	0	7	0

1	2	3	4	5	6
18.	आशुलिपिक ग्रेड-I	18	10	18	0
19.	आशुलिपिक ग्रेड-II	35	12	35	21
20.	आशुलिपिक ग्रेड-III	36	28	54	54
21.	स्टा.कार ड्रा. ग्रेड (ओजी)	11	5	10	2
22.	रिकार्ड कीपर	68	6	65	7
23.	नोटिस सर्वर	-	-	-	-
24.	दफ्तरी	60	0	60	26
25.	व. चपरासी	2	0	2	0
26.	चपरासी	77	18	73	44
27.	गेस्ट ऑप.	1	0	1	0
28.	चौकीदार	77	52	33	11
29.	फराश	3	0	3	1
30.	स्वीपर	7	0	7	1
31.	हिन्दी टंकण	0	0	-	-
	कुल जोड़	1220	258	1276	462

स्रोत: (फा.सं. ई-29/सीसीआईटी/जीएचवाई/99-2000/1625, दिनांक 27.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्रम. सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	हैदराबाद			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	5	0	5	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	30	3	33	1
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	52	-8	53	2
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	98	25	98	22
5.	एडी निदेशक (पद्धति)	3	3	3	1

1	2	3	4	5	6
6.	आई टी ओ	230	0	245	1
7.	क.नि.अ.ग्रे.-II	1	1	2	0
8.	क.नि.अ.ग्रे.-III	34	4	34	2
9.	पी.एस.	30	5	30	5
10.	व. हिन्दी अनुवादक	2	0	2	0
11.	क. हिन्दी अनुवादक	4	2	4	1
12.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	2	0	2	0
13.	डीपीए ग्रेड 'क'	3	1	7	5
14.	आई टी आई	504	44	527	97
15.	कार्यालय अधीक्षक	125	14	129	11
16.	व. कर सहायक	395	90	419	38
17.	कर सहायक	430	3	605	380
18.	अ.ग्रे. लिपिक	14	0	14	0
19.	आशुलिपिक ग्रेड-I	47	6	47	1
20.	आशुलिपिक ग्रेड-II	94	7	94	19
21.	आशुलिपिक ग्रेड-III	94	10	150	98
22.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	2	0	2	0
23.	एससीडी ग्रेड-I	13	9	13	5
24.	एससीडी ग्रेड-II	11	-4	11	-3
25.	एससीडी (ओ जी)/ग्रेड-III	12	-3	8	-1
26.	नोटिस सर्वर	172	0	165	7
27.	दफ्तरी	174	12	174	10
28.	चपरासी	223	12	193	27
29.	क. गैस्ट आपरेटर	1	1	1	0
30.	चौकीदार	107	0	81	11
31.	फराश	9	2	8	2
32.	सफाई कर्मचारी	20	0	13	-3
33.	माली	3	1	2	0

1	2	3	4	5	6
34.	व. निजी सचिव	5	0	5	1
35.	पद्धति विश्लेषक	1	1	1	1
36.	हिन्दी अधिकारी	2	0	2	0
37.	कैंटीन ग्रेड 'सी'	-	-	15	9
38.	कैंटीन ग्रेड 'डी'	-	-	19	1
	कुल जोड़	2952	241	3216	751

स्रोत: (एफ संख्या सीसीएपी/एसएसडब्ल्यूएस/स्था.2007, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	जयपुर			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	4	0	4	1
2.	सीआईटी/डीआईटी	27	2	28	-2
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	42	0	48	18
4.	उप/सहा. सीआईटी/डीआईटी	81	27	85	28
5.	सहा. निदे. (पद्धति)/प्रो.	2	2	2	1
6.	आयकर अधि.	170	9	182	1
7.	क.नि.अधि. ग्रेड-I	1	0	2	0
8.	क.नि.अधि. ग्रेड-III	27	15	27	3
9.	निजी सचिव	24	5	24	9
10.	सहा. निदे. (रा.भा.)	4	1	4	1
11.	व. हि. अनु.	2	0	2	0
12.	क. हि. अनु.	4	3	4	3
13.	डीपीए, ग्रेड-बी	1	0	1	1
14.	डीपीए, ग्रेड-ए	4	2	5	3
15.	आयकर निरी.	364	16	419	76

1	2	3	4	5	6
16.	कार्या. अधीक्षक	94	36	95	4
17.	व. कर सहायक	260	11	262	122
18.	कर सहायक	219	92	459	375
19.	अ. श्रेणी लि.	9	-35	9	-23
20.	आशुलिपिक ग्रेड-I	31	9	31	22
21.	आशुलिपिक ग्रेड-II	62	21	62	45
22.	आशुलिपिक ग्रेड-III	63	56	123	121
23.	स्टा. कार ड्रा. (स्पे. ग्रेड)	2	0	2	1
24.	स्टा. कार ड्रा. ग्रेड-I	10	10	10	2
25.	स्टा. कार ड्रा. ग्रेड-II	9	1	9	2
26.	स्टा. कार ड्रा. (ओजी)/ग्रड-III	9	-9	9	0
27.	नोटिस सर्वर	90	3	90	8
28.	रिकार्ड कीपर	0	-1	0	-2
29.	दफ्तरी	91	0	91	5
30.	जमादार	5	0	5	0
31.	चपरासी	116	56	116	54
32.	डी.ई.ओ. ग्रेड-ए	11	11	11	5
33.	चौकीदार	133	14	133	59
34.	फराश	14	3	14	3
35.	स्वीपर	16	0	16	2
36.	माली	4	0	4	1
37.	व. नि. सचिव	4	0	4	0
38.	डी.ई.ओ. ग्रेड-सी	1	1	1	1
39.	डी.ई.ओ. ग्रेड-बी	9	9	9	-2
	कुल जोड़	2019	370	2402	948

स्रोत: (फा.सं. सीसी/बेपीआर/प्रशा./एफ-55/2007-08/68, दिनांक 27.4.2007)

दिनांक 3.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	कानपुर			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	3	0	3	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	22	0	23	1
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	39	0	43	11
4.	उप/सहा. सीआईटी/डीआईटी	74	16	78	17
5.	उप निदे. (पद्धति)	1	0	1	0
6.	सहा. निदे. (पद्धति)	4	2	4	2
7.	आयकर अधि.	196	2	207	33
8.	क. नि. अधि. ग्रेड-I	1	0	2	0
9.	क. नि. अधि. ग्रेड-III	19	4	19	2
10.	निजी सचिव	17	1	17	1
11.	सहा. निदे. (रा.भा.)	4	0	3	0
12.	डीपीए, ग्रेड-बी	2	1	2	1
13.	डीपीए, ग्रेड-ए	4	2-	4	2
14.	आयकर निरी.	453	62	466	61
15.	कार्या. अधीक्षक	111	33	113	23
16.	व. कर सहायक	369	31	378	31
17.	कर सहायक	362	33	488	301
18.	अ. श्रेणी लि.	13	0	13	1
19.	आशुलिपिक ग्रेड-I	44	33	44	7
20.	आशुलिपिक ग्रेड-II	87	19	87	22
21.	आशुलिपिक ग्रेड-III	87	44	82	80
22.	स्टा.कार ड्रा. (स्पे. ग्रेड)	2	1	2	1
23.	स्टा.कार ड्रा. ग्रेड-I	13	10	13	5

1	2	3	4	5	6
24.	स्टा.कार ड्रा. ग्रेड-II	11	0	11	1
25.	स्टा.कार ड्रा. (ओजी)	11	0	9	0
26.	नोटिस सर्वर	129	12	123	4
27.	दफ्तरी	135	22	104	0
28.	व. चपरासी	5	0	5	2
29.	चपरासी	173	0	149	5
30.	गेस्ट ऑपरे.	1	1	1	0
31.	चौकीदार	189	105	144	61
32.	फराश	33	0	26	0
33.	स्वीपर	34	5	26	2
34.	माली	3	1	2	1
35.	व. नि. स.	3	0	3	0
	कुल जोड़	2654	440	2695	678

स्रोत: (फा.सं.सीसीआईटी/सीसीए/केएनपी/968/2007-08/135, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	कोची			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	3	0	3	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	20	5	21	4
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	30	5	32	18
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	57	19	59	12
5.	उप निदेशक (पद्धति)	2	0	2	1
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	1	0	1	0
7.	आई टी ओ	111	9	116	7
8.	क.नि.ओ. ग्रेड-II	1	0	2	0

1	2	3	4	5	6
9.	क.नि.ओ. ग्रेड-III	23	6	23	3
10.	पी.एस.	24	6	21	8
11.	उप निदेशक (रा.भा.)	1	0		
12.	सहायक निदेकश (रा.भा.)	2	0	2	0
13.	व. हि. अनुवादक	2	2	1	1
14.	क. हि. अनुवादक	1	0	2	0
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	2	0	2	1
16.	डीपीए, ग्रेड 'क'	2	1	6	4
17.	आई टी आई	243	35	255	69
18.	कार्यालय अधीक्षक	76	43	79	9
19.	व. कर सहायक	190	30	195	31
20.	कर सहायक	275	21	339	196
21.	अ.श्रे. लिपिक	7	0	7	1
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	24	3	24	8
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	48	9	48	8
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	49	15.	59	48
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	1	0	1	0
26.	एससीडी ग्रेड-I	6	4	6	4
27.	एससीडी ग्रेड-II	6	1	6	2
28.	एससीडी (ओजी)	6	4	6	3
29.	नोटिस सर्वर	71	2	71	9
30.	रिकार्ड कीपर	-	1		
31.	दफ्तरी	70	8	70	4
32.	जमादार	4	0	4	0
33.	चपरासी	54	9	54	29
34.	चौकीदार	25	1	25	10
45.	फराश	4	0	4	1
36.	सफाई कर्मचारी	55	2	55	21

1	2	3	4	5	6
37.	माली	2	0	2	0
38.	व. पी. एस.			3	0
39.	चाय/काफी मेकर	-	-	2	1
40.	वाश ब्याय	-	-	1	0
	कुल जोड़	1498	241	1550	513

स्रोत: (एक संख्या 18 स्थापना सी.सी.एच.एन/सीसी/2007-08, दिनांक 27.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	कोलकाता			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	14	0	13	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	92	24	95	13
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	126	30	128	48
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	216	20	220	57
5.	उप निदेशक (पद्धति)	-	-	-	-
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	-	-	-	-
7.	आई टी ओ	473	2	479	41
8.	का.नि.ओ. ग्रेड-II	-	-	-	-
9.	का.नि.ओ. ग्रेड-III	106	24	108	5
10.	पीएस	112	52	112	37
11.	व.नि.स.	-	-	-	0
	उप निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-
13.	व. हि. अनुवादक	4	1	4	0
14.	क. हि. अनुवादक	6	2	5	1

1	2	3	4	5	6
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	1	0	1	0
16.	डीपीए, ग्रेड 'क'	4	0	9	5
17.	आई टी आई	1191	282	1012	166
18.	कार्यालय अधीक्षक	381	117	387	11
19.	व. कर सहायक	1340	153	1345	58
20.	कर सहायक	1717	143	1464	497
21.	अ. श्रे. लिपिक	53	0	51	1
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	159	19	158	16
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	316	35	316	75
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	316	186	255	243
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	4	1	4	2
26.	एससीडी ग्रेड-I	27	14'	25	7
27.	एससीडी ग्रेड-II	23	1	22	0
28.	एससीडी (ओजी)	23	-13	21	-6
29.	नोटिस सर्वर	618	54	578	17
30.	रिकार्ड कीपर	-	-	-	-
31.	दफ्तरी	536	21	536	159
32.	व. चपरासी/जमादार	24	4	24	18
33.	चपरासी	684	218	421	41
34.	व. गैस्ट आपरेटर	2	1	2	1
35.	चौकीदार	209	69	89	41
36.	फराश	39	9	17	0
37.	सफाई कर्मचारी	87	13	59	7
38.	माली	-	-	-	-
39.	क. गैस्ट ऑपरेटर	2	1	2	2
40.	हिन्दी टाइपिस्ट	-	-	-	-
41.	अ. श्रे. लिपिक (संरचना पूर्व).	-	-	-	-
	कुल जोड़	8905	1483	7962	1563

स्रोत: (फा संख्या I ई/6/2006-07/आर डब्ल्यू, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	लखनऊ			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	4	0	4	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	21	0	22	7
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	39	12	39	11
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	55	12	55	7
5.	उप निदेशक (पद्धति)	-	-	1	0
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	2	0	2	0
7.	आई टी ओ	104	0	147	7
8.	क.नि.अ. ग्रेड-II	1	0	2	0
9.	क.नि.अ. ग्रेड-III	24	6	24	5
10.	वरि. पीएस/पीएस	25	3	25	9
11.	उप निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	3	1	3	0
13.	व. हि. अनुवादक	2	0	2	1
14.	क. हि. अनुवादक	4	0	4	1
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'/ग्रेड 'क'	4	1	-	-
16.	मुख्य इंजीनियर (ए.ए)	1	1	1	0
17.	आई टी आई	372	43	373	77
18.	कार्यालय अधीक्षक	97	54	97	11
19.	व. कर सहायक	297	48	299	49
20.	कर सहायक	281	1	280	92
21.	अ.श्रे. लिपिक	10	0	10	2
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	32	0	32	0
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	64	11	64	22
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	64	53	38	28

1	2	3	4	5	6
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	1	1	1	1
26.	एससीडी ग्रेड-I	10	3	10	3
27.	एससीडी ग्रेड-II	8	0	8	1
28.	एससीडी (ओजी)	9	0	9	0
29.	नोटिस सर्वर	109	11	101	11
30.	रिकार्ड कीपर	-	-	-	-
31.	दफ्तरी	116	8	116	28
32.	व. चपरासी/जमादार	7	0	7	0
33.	चपरासी	148	53	102	17
34.	गेस्ट आपरेटर	1	0	1	1
35.	चौकीदार	248	84	222	79
36.	फराश	7	3	7	2
37.	सफाई कर्मचारी	17	0	17	3
38.	माली	3	0	3	1
39.	डीपीए ग्रेड 'क'	-	-	4	3
40.	डीपीए ग्रेड 'ख'	-	-	1	0
	कुल जोड़	2226	409	2133	479

स्रोत: (एफ संख्या स्थापना सी. संख्या डी आर/सी सी/2007-08, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.207 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	मुम्बई			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	व. हिन्दी अनुवा.	4	0	5	0
2.	क. हिन्दी अनुवा.	8	3	6	4
3.	डीपीए, ग्रेड-बी	11	8	16	13
4.	डीपीए, ग्रेड-ए	18	14	18	15

1	2	3	4	5	6
5.	आ. क. निरी.	1294	109	1365	220
6.	कार्या. अधी.	352	76	363	13
7.	व. क. सहा.	1282	292	1314	235
8.	कर सहा.	1427	19	1379	601
9.	अ. श्रे. लि.	52	0	52	0
10.	आशुलिपिक ग्रेड-I	180	94	180	10
11.	आशुलिपिक ग्रेड-II	360	27	360	89
12.	आशुलिपिक ग्रेड-III	359	183	332	327
13.	स्टा.कार ड्रा. (स्पे. ग्रेड)	5	3	5	0
14.	स्टा.कार ड्रा. ग्रेड-I	35	22	35	28
15.	स्टा.कार ड्रा. ग्रेड-II	30	5	30	4
16.	स्टा.कार ड्रा. (ओजी)	31	21	31	11
17.	नोटिस सर्वर	470	12	441	12
18.	दफ्तरी	496	27	496	48
19.	व. चपरासी	27	3	27	6
20.	चपरासी	633	165	406	126
21.	व. गेस्टे. ऑप.	3	2	3	1
22.	क. गेस्टे. ऑप..	1	0	1	1
23.	फराश	23	2	16	10
24.	स्वीपर	64	6	43	0
25.	माली	3	1	3	2
26.	चौकीदार	145	85	32	0
27.	सीसीआईटी	-	-	15	1
28.	सीआईटी	-	-	104	0
29.	एडी/जेसीआईटी	-	-	153	10
30.	एएस/डीसीआईटी	-	-	249	89
31.	आ. क. अधि.	-	-	581	16

1	2	3	4	5	6
32.	क.नि.अधि.ग्रे. II/III	-	-	112	12
33.	व.नि.सहा./नि.सहा.	-	-	116	19
34.	हिन्दी टंकण	3	3	3	3
	कुल जोड़	7316	1182	8292	1926

स्रोत: (एफ सं., सीआईटी (मु.) का./लो.स. तारां. प्रश्न/2007-08, दिनांक 27 अप्रैल, 2007, (सीसीआईटी/मुम्ब./एसएस एंड डब्ल्यूएस/2007 दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	नागपुर			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	1	0	1	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	9	0	9	-2
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	21	4	22	8
4.	उप/सहा. सीआईटी/डीआईटी	48	27	49	30
5.	सहा. निदे. (पद्धति)	1	0	1	0
6.	आयकर अधि.	66	0	72	2
7.	क.नि.अधि. ग्रेड-II	1	0	2	1
8.	क.नि.अधि. ग्रेड-III	9	4	9	0
9.	व. निजी सचिव	2	2	2	0
10.	निजी सचिव	8	0	8	1
11.	उप निदे. (रा.भा.)	-	-	-	-
12.	सहा. निदे. (रा.भा.)	1	o	1	0
13.	व. हि. अनु.	1	0	2	0
14.	क. हि. अनुवादक	1	0	0	0
15.	डीपीए, ग्रेड-बी	2	2	2	2
16.	डीपीए, ग्रेड-ए	2	1	2	1
17.	आयकर निरी.	148	13	158	26

1	2	3	4	5	6
18.	कार्या. अधीक्षक	59	21	59	1
19.	व. कर सहायक	160	0	162	3
20.	कर सहायक	184	-1	241	126
21.	अ. श्रेणी लि.	6	0	6	0
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	18	0	18	2
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	35	0	35	4
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	30	14	55	45
25.	स्टा.कार ड्रा. ग्रेड-I	3	1	3	1
26.	स्टा.कार ड्रा. ग्रेड-II	2	0	2	0
27.	स्टा.कार ड्रा. (ओजी)	2	-3	2	-3
28.	नोटिस सर्वर	58	1	54	1
29.	दफ्तरी	56	0	56	0
30.	जमादार	1	0	1	0
31.	चपरासी	72	12	59	38
32.	व. गेस्ट. ऑप.	1	0	1	0
33.	चौकीदार	101	62	45	13
34.	फराश	5	-1	5	-1
35.	स्वीपर	3	2	1	0
36.	माली	5	5	0	0
	कुल जोड़	1122	166	1145	299

स्रोत: (एफ सं. सीसीआईटी/एनजीपी/स्था. 1/एसएस/डब्ल्यूएस/2007-08, दिनांक 27-4-2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारी की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	पटना			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	4	0	4	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	19	2	19	4

1	2	3	4	5	6
3.	अपर/सीआईटी/डीआईटी	36	11	39	15
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	72	31	76	38
5.	उप निदेशक (पद्धति)	-	-	-	-
6.	सहायक निदेशक (पद्धति)	2	0	2	0
7.	आई टी ओ	114	0	124	0
8.	क.नि.अ.ग्रे.-II	1	0	1	0
9.	क.नि.अ.ग्रे.-III	22	9	22	0
10.	निजी सचिव	4	1	4	0
11.	निजी सहायक	19	12	19	11
12.	उप सहायक निदेशक	3	0	2	1
13.	व. हि. अनुवादक	2	1	2	0
14.	क. हि. अनुवादक	3	2	2	2
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	1	1	1	1
16.	डीपीए, ग्रेड 'क'	2	2	2	2
17.	आई टी आई	289	30	321	48
18.	कार्यालय अधीक्षक	74	24	74	0
19.	व. कर सहायक	230	21	232	21
20.	कर सहायक	357	53	394	173
21.	अ. श्रे. लिपिक	9	-23	9	-12
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	27	1	27	2
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	56	7	56	28
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	59	46	80	63
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	1	0	1	1
26.	एससीडी ग्रेड-I	8	3	8	3
27.	एससीडी ग्रेड-II	6	0	6	0
28.	एससीडी (ओजी)	7	-3	7	-3
29.	नोटिस सर्वर	88	5	86	2
30.	रिकार्ड कीपर	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
31.	दफ्तरी	87	2	87	0
32.	व. चपरासी	3	0	3	0
33.	चपरासी	111	3	89	26
34.	व. गैस्ट आपरेटर	1	1	1	0
35.	चौकीदार	89	9	76	38
36.	फराश	4	0	4	1
37.	सफाई कर्मचारी	6	1	5	2
38.	माली	7	1	7	1
	कुल जोड़	1823	253	1892	468

स्रोत: (एफ संख्या स्थापना सी. संख्या डी आर/सी सी/2007-08, दिनांक 30.4.2007)

दिनांक 31.3.2004 और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	प्रभार का नाम / पद का नाम	पुणे			
		31.3.04 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कर्मचारी संख्या	31.3.04 की स्थिति के अनुसार रिक्ति	31.3.07 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या	31.3.07 की स्थिति के अनुसार रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सीसीआईटी/डीजीआईटी	5	0	5	0
2.	सीआईटी/डीआईटी	28	-1	30	3
3.	अपर/संयु. सीआईटी/डीआईटी	57	0	67	15
4.	उप/सहायक सीआईटी/डीआईटी	94	12	102	21
5.	उप निदेशक (पद्धति)	-	-	-	-
6.	सहायक निदेशक (पद्धपि)	-	-	-	-
7.	आई टी ओ	242	2	258	9
8.	क.नि.अ.ग्रे.-II	1	0	2	0
9.	क.नि.अ.ग्रे.-III	34	20	34	0
10.	निजी सचिव	0	0	30	24
11.	उप निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
13.	व. हि. अनुवादक	2	1	2	1
14.	क. हि. अनुवादक	3	0	3	0
15.	डीपीए, ग्रेड 'ख'	2	0	2	0
16.	डीपीए, ग्रेड 'क'	8	6	10	6
17.	आई टी आई	486	94	513	100
18.	कार्यालय अधीक्षक	100	15	104	8
19.	व. कर सहायक	357	65	384	64
20.	कर सहायक	395	40	618	202
21.	अ.श्रे. लिपिक	12	0	12	0
22.	आशुलिपिक ग्रेड-I	39	28	39	0
23.	आशुलिपिक ग्रेड-II	79	3	79	27
24.	आशुलिपिक ग्रेड-III	79	17	136	68
25.	एससीडी (विशेष ग्रेड)	0	0	2	2
26.	एससीडी ग्रेड-I	4	1	10	4
27.	एससीडी ग्रेड-II	6	-3	8	0
28.	एससीडी (ओजी)	21	3	8	-6
29.	डीईओ ग्रेड 'ख'	0	-9	0	0
30.	नोटिस सर्वर	117	9	108	9
31.	रिकार्ड कीपर	-	-	-	-
32.	दफ्तरी	117	2	117	22
33.	व. चपरासी/जमादार	1	0	1	1
34.	चपरासी	150	94	81	50
35.	क. गैस्ट आपरेटर	1	1	1	0
36.	चौकीदार	83	13	51	-1
37.	फराश	21	21	19	-5
38.	सफाई कर्मचारी	10	10	0	10
39.	माली	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
40.	कैंटीन स्टाफ ग्रेड 'सी'	5	0	5	0
41.	व. निजी सचिव	0	0	5	1
42.	हिन्दी टंकण	-	-	-	-
43.	कैंटीन स्टाफ ग्रेड 'डी'	8	0	8	2
44.	व. निजी सहायक	35	28	0	0
	कुल जोड	2602	472	2854	637

स्रोत: (संख्या पी एन/सी सी/स्था./654/2007-08, दिनांक 30.4.2007)

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन

***430. श्री श्रीचन्द कृपलानी:**
श्री वानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक को राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से राज्यवार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार उनके कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं तो निचले स्तर पर समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं और समूह बनाने तथा उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह योजना राज्य सरकारों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। एसजीएसवाई के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों के नामों का रिकार्ड नहीं रखता है और न ही इन संस्थाओं के कार्य-निष्पादन की केंद्रीय स्तर पर निगरानी करता है। एसजीएसवाई के दिशा-निर्देशों में गैर-सरकारी संगठनों को स्व-सहायता समूह बनाने तथा उनके विकास के लिए 10,000 रुपये का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। हलांकि, यह अधिकतम राशि है तथापि, जिला स्तरीय एसजीएसवाई समिति स्थानीय मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर वास्तविक राशि का निर्णय कर सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एसजीएसवाई के बजट से यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात 'सोशल मोबीलाइजेशन अराउण्ड रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर पावर्टी एलीविएशन' के अंतर्गत भी निधियां रिलीज करता है। यूएनडीपी इन निधियों को कन्ट्रोलर ऑफ एड एकाउंट्स एंड ऑडिट (सीएएए) को प्रतिपूर्ति करता है। यूएनडीपी के अंतर्गत यह विदेशी सहायता प्राप्त योजना 2003-04 में शुरू हुई थी और 3 राज्यों अर्थात् राजस्थान, झारखंड तथा उड़ीसा के 11 चुनिंदा जिलों में 17 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

ग्रामीण आवास के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो योजनाएं आर्थात् ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास का अभिनव चरण तथा ग्रामीण निर्मिति केन्द्र (आरबीसी) थीं जिनके अंतर्गत भी गैर-सरकारी संगठनों को निधियां स्वीकृत की जाती थी। इन योजनाओं को 1.4.2004 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, इन योजनाओं की लम्बित परियोजनाओं के लिए निधियां दी जा रही हैं। ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के अभिनव चरण के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 53.45 लाख रु. रिलीज किए गए हैं जैसाकि विवरण-II में दिया गया है। ग्रामीण निर्मित केंद्र योजना

के उपर्युक्त अवधि के दौरान 37.62 लाख रु. रिलीज किए गए हैं जैसा कि विवरण-III में दिया गया है। सरकार गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों की किस्तें रिलीज करने से पहले उपयोग प्रमाणपत्र तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्टें अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाती हैं। समय-समय पर इस मंत्रालय तथा/या हुडको के अधिकारियों द्वारा स्थल पर निरीक्षण भी किए जाते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय ग्रामीण समुदायों के क्षमता निर्माण के लिए एनआरईजीए संबंधी मामलों तथा प्रक्रियाओं से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों से उनकी रुचि के हिसाब से प्रस्ताव भी मांगे हैं ताकि चुनिंदा एनआरईजीए जिलों में एनआरईजीए के अंतर्गत उनकी हकदारी का निर्धारण किया जा सके और एनआरईजीए के अंतर्गत उनके अधिकारियों की रक्षा की जा सके।

विवरण-I

वर्षवार आबंटन और रिलीज (बजट)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	राज्य का नाम	कुल यूएनडीपी हिस्सा	मार्च, 07 तक कुल रिलीज
1.	प्रदान	झारखंड	315.05	242.09
2.	एसजीएसएस	झारखंड	84.87	67.61
3.	फिमेल	झारखंड	37.01	29.66
4.	एएए	झारखंड	99.98	76.80
5.	केएसआरए	झारखंड	95.90	82.86
6.	वीएलकेएएलपीए	उड़ीसा	212.92	164.09
7.	लोक दुरूस्ती	उड़ीसा	213.07	194.58
8.	डब्लूआईडीए	उड़ीसा	145.55	107.83
9.	अम्मा	उड़ीसा	132.07	102.15
10.	आस्था	राजस्थान	150.84	128.22
11.	एफईएस	राजस्थान	114.10	89.50
12.	अरावली	राजस्थान	224.75	200.39
13.	समर्थक	राजस्थान	49.23	39.54
14.	बैफ	राजस्थान	65.02	52.34
15.	संकल्प	राजस्थान	133.01	102.31
16.	जीवीटी	राजस्थान	50.00	42.86
17.	सीईसीओईडीईसीओएन	राजस्थान	79.99	53.94
	कुल		2203.36	1776.77

विवरण-II

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ग्रामीण आवास एवं पर्यावास के अभिनव चरण के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/ऐजेंसी का नाम	ग्राम/ब्लॉक/जिला	2005-06 में रिलीज की गई राशि	2006-07 में रिलीज की गई राशि	निर्मित आवासों की सं.
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	ब्रदर्न इंस्टीट्यूट फॉर आर. डी. 11014/3/00	वी-चिन्ना कम्बम्ब एम-कम्बम्ब डी-प्रकाशम			30
2.	हरिता एसोशियन फॉर लर्निंग (एनजीओ) 11014/2748/00	डी-खम्माम			8
3.	ग्रामोदय आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट 11014/155/00	वी-तिरूमलगिरी, टोंडा, एम-तिरूमलगिरी डी-नालगोंडा	4.55		19
4.	साईं सेवा समिति (एनजीओ) 11014/229/00	वी-मंत्रालयम एम-मंत्रालयम डी-कुरनूल	5.00		1
5.	प्रजा प्रगति सेवा संगठन (एनजीओ) 11014/165/00	वी-मंगलापुरम एम-चल्लपल्ली डी-कृष्णा	2.21		55
6.	विलेज डवलपमेंट सोसायटी 11014/122/01	वी-अग्रहरम थांडा एम-वांगरू डी-महबूबनगर			35
7.	नित्य कृषि आर डेव. एजूकेशन एंड एचएस (एनजीओ) 11014/235/01	वी-चेतानापल्ली बी-गूटी डी-अनंतपुर			25
	गुजरात				
8.	जेड एन वी के मंडल (एनजीओ) 11014/2401	वी-अटखोल बी-वालिया डी-भडौच			22
9.	अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप (एनजीओ)	डी-अहमदाबाद			70

1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश				
10.	स्टार स्कूल समिति 11014/179/00 (एनजीओ)	वी-जामखुर्द बी-महू डी-इंदौर			15
	मणिपुर				
11.	डब्ल्यूएसवाईडीए (एनजीओ) 11014/7/99	वी-वांगुसबल बी-मोयरंग डी-मणिपुर		5.00	44
	राजस्थान				
12.	एसएवएसएस भरतपुर (एनजीओ) 11014/81/00	वी-लालपुर बी-महुआ डी-दौसा	3.93		13
13.	नेताजी एस सी बोस एस समिति एच 11014/95/2000	वी-डाबला खुर्द टी-फागी डी-जयपुर	3.93	1.18	50
	तमिलनाडु				
14.	नेहरू आर डेव. सोसायटी (एनजीओ) 11014/224/00	वी-मेलनगर बी-वेस्ट आरनी डी-तिरूवनामलाई			
15.	आईआर डेव. सोसायटी (एनजीओ) 11014/123/00	पी-सेंजी, इकाडू बी-कदमबत्तूर डी-तिरूवल्लूर		5.00	29
16.	कॉपरेट लीग इन डेव	पी-मेलपुरम टी-विवाकोड डी-कन्याकुमारी			
	उत्तर प्रदेश				
17.	पिंकी जी संस्थान (एनजीओ) 11014/129/01	वी-वालीपुर पी-मठिया डी-अम्बेडकर	4.87		16
18.	एसएस संस्कृत (एनजीओ) महाविद्यालय	वी-साथिनी वेसी बी-लगलास डी-अलीगढ़			25
19.	एबीयूएसके परिषद (एनजीओ)	वी-नागला सिसम बी-मूरसान डी-हाथरस			52

1	2	3	4	5	6
20.	जेएम विकास, लखनऊ 11014/6/00	वी-झाबरीपूर्वा टी-सदर डी-हरदोई			48
	पश्चिम बंगाल				
21.	कम्प्रीहेंसिव एरिया डेव. सर्विस 11014/6/00	वी-परारी बी-चकदा डी-नादिया			14
22.	अग्रदूत पीयू समिति (एनजीओ) 11014/309/01	वी-गाजा बी-उदयनारायणपुर डी-हाबड़ा			24
23.	केएनएस संघ (एनजीओ) 11014/183/00	वी-उदरानपुर बी-काटूग्राम-2 डी-बर्दवान	9.84		60
	बिहार				
24.	एसएमवीएसएसएस लि. (एनजीओ) 11014/52/00	वी-रुंटी डी-मधुबनी	4.00		60
	उड़ीसा				
25.	मानव सेवा सदन (एनजीओ) 11014/152/00 डी-ढेंकनाल	वी-सारंगा बी-पाराजंग	3.94		56
	योग		42.17	11.18	771

पिछले दो वर्षों में जारी कुल राशि 53.45 लाख रु.

विवरण-III

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ग्रामीण निर्मित केंद्र के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की गई निधियां

वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं को रिलीज की गई निधि

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि (लाख रुपये)
1	2	3
1.	ग्राम विकास परिषद (नौगांव), असम	6.00
2.	राजेन्द्र शैक्षिक एवं समाज कल्याण संस्थान (सीतामढ़ी), बिहार	6.00

1	2	3
3.	अभिनव प्रीफैब इंडस्ट्रीज, मोतीहारी, बिहार	3.00
4.	इन्टरनेशलन रूरल एजूकेशन (नर्मदा), गुजरात	5.60
5.	सोसायटी फॉर टेक्लोलॉजी एंड डवलपमेंट (मंडी), हिमाचल प्रदेश	2.02
6.	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड एक्शन रिसर्च (ढेंकनाल), उड़ीसा	3.00
7.	जनमानस विकास संस्थान (हरदोई), उत्तर प्रदेश	6.00

वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं को रिलीज की गई निधि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि
1.	पूर्व हैलाकांडी डेवलपमेंट काउंसिल (हैलाकांडी) असम	3.00
2.	चौबिसी विकास संघ (रोहतक), हरियाणा	3.00
	कुल	37.62

[अनुवाद]

सांध्यकालीन न्यायालय

***431. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:**
श्री पी. एस. गढ़वी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या केंद्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सांध्यकालीन न्यायालय शुरू करने के प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) केवल गुजरात सरकार ने, उस राज्य में 'सायंकालीन न्यायालय आरंभ किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार से 5 करोड़ रुपए के एक विशेष अनुदान का अनुरोध किया था। न्याय प्रशासन का मुख्य रूप से एक राज्य विषय होने के कारण और साथ ही इसलिए भी कि इस प्रकार केंद्रीय सहायता देने के लिए इस संबंध कोई स्कीम नहीं है, गुजरात सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। किसी अन्य राज्य सरकार ने सायंकालीन न्यायालय आरंभ करने के लिए केंन्द्रीय सरकार को औपचारिक रूप से नहीं लिखा है।

(ख) अन्य बातों के साथ, अधीनस्थ न्यायालयों में पाली प्रणाली आरंभ करने के विषय पर नई दिल्ली में 8 अप्रैल, 2007 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। उस सम्मेलन में सभी राज्यों ने अधीनस्थ न्यायालयों में पाली प्रणाली आरंभ करने का स्वागत किया था और इस दिशा में कार्य करने का वचन दिया था। उस सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया था कि जहां कहीं साध्य हो, सायंकालीन/प्रात:कालीन न्यायालयों का गठन किया जाए और समुचित मामलों, जिनके अंतर्गत छोटे-मोटे अपराधों के मामले भी हैं, को ऐसे न्यायालयों को पुन: नियोजित किया जाए या सेवारत न्यायिक अधिकारियों को उचित प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार ने राज्य सरकारों से ऊपर उल्लिखित विनिश्चय के संबंध में और साथ ही सम्मेलन के अन्य विनिश्चयों पर भी उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सरकार ने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से भी राज्य सरकारों के परामर्श से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

***432. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री अबु अयीश मंडल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और कुछ अन्य सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को देश के कुछ राज्यों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां। राज्य विद्युत यूटीलिटियों की कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के मद्देनजर तथा उनकी आवश्यकता व इच्छा के अनुरूप ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी सहायता करने के लिए भी चार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों, नामशः, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावरग्रिड कॉरपोरेशन इण्डिया लि, नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और दामोदर वैली कॉरपोरेशन की सेवायें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई है।

(ख) सत्ताईस राज्यों में से तेरह ने 139 जिलों में आरजीजीवीवाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन सीपीएसयू को सौंपा है, जैसा कि ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने 566 जिलों के लिए 602 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए हैं जिनमें 1,18,350 गैर-विद्युतीकृत गांव और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2.54 करोड़ परिवार शामिल हैं।

स्कीम के चरण-I में 12,401 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यान्वयन हेतु 235 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 83 लाख परिवारों समेत 1.26 करोड़ ग्रामीण परिवार और 68,763 गैर-विद्युतीकृत गांव शामिल हैं।

शेष 367 परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्कीम के चरण-II में आरम्भ किया जाना है। चरण-II का कार्यान्वयन बढ़ाई गई निधियों के साथ स्कीम को ग्यारहवीं योजना में जारी रखे जाने का अनुमोदन होने पर निर्भर करता है।

विवरण

उन जिलों की संख्या जहां सीपीएसयू स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है

सीपीएसयू	उत्तरी क्षेत्र			दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र			पूर्वी क्षेत्र				उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		कुल
	जम्मू-कश्मीर	राजस्थान	यू.पी	केरल	छत्तीसगढ़	गुजरात	मध्य प्रदेश	बिहार	झारखंड	उड़ीसा	प.बंगाल	असम	त्रिपुरा	
पीजीसीआईएल		7	8		4	2		24		12	2	7	2	68
एनटीपीसी				6	5		4		8	12	1*			35
एनएचपीसी	7				7			6		6	1			27
डीवीसी									8		1			9
कुल	7	7	8	6	16	2	4	30	16	30	4	7	2	139

*केवल दो ब्लॉक

कानूनी सहायता प्रणाली

*433. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य नि:शक्ताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त

करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर और दबे कुचले वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी तंत्र की स्थापना करना है। अधिनियम के अधीन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है तथा अधिनियम की धारा 3क के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का भी गठन किया गया है। केंद्रीय प्राधिकरण (अर्थात् नाल्सा) निम्नलिखित द्वारा गुंजायमान विधिक सहायता कार्यक्रम आरंभ कर रहा है।

(क) अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत अधिकथित करना;

(ख) अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अत्यधिक प्रभावी और आर्थिक स्कीमें विरचित करना;

(ग) उसके नियंत्रणाधीन निधि का उपयोग करना और राज्य प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों को निधियों का उचित आबंटन करना;

(घ) उपभोक्त संरक्षण, पर्यावरण या समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष महत्व के किसी अन्य विषय के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमों के माध्यम से आवश्यक उपाय करना और इस प्रयोजन के लिए सामाजिक कार्यकताओं को विधिक कौशलों में प्रशिक्षण देना।

(ङ) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों झुग्गी-झोंपड़ियों या श्रमिक कालोनियों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करने और साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रात्साहित करने के दोहरे प्रयोजन से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन करना;

(च) बातचीत, माध्यस्थम् और सुलह के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना;

(छ) निर्धन लोगों के बीच विधिक सेवाओं की आवश्यकता के विशेष प्रति-निर्देश से ऐसी सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ करना और उसका संवर्धन करना;

(ज) संविधान के भाग 4क के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक कर्रवाईयां करना;

(झ) अवधिक अंतरालों पर विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी और मूल्यांकन करना तथा अधिनियम के अधीन उपबंधित निधियों द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से कार्यान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए उपबंध करना;

(ञ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उसके नियंत्रण में रखी गई रकम में से विभिन्न समाज सेवा संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना;

(ट) भारतीय विधिज्ञ परिषद के परामर्श से क्लीनिकल विधिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना तथा मार्गदर्शन का संवर्धन करना और विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिकों की स्थापना और कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना;

(ठ) जनता में विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता के प्रसार के लिए और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक कल्याण विधानों तथा अन्य अधिनियमितियों और साथ ही प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों, फायदों और विशेषाधिकारों के प्रति शिक्षित करने के लिए समुचित उपाय करना;

(ड) साधारण जन के स्तर पर विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों के बीच कार्य कर रही स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं के सहयोग से सूचीबद्ध करने के लिए विशेष प्रयास करना; और

(ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधिक सेवा समिति और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों के कार्यकरण का समन्वय और मानीटरी करना तथा विविध उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए अन्य साधारण निदेश देना।

चेकों के समाशोधन में विलम्ब

***434. श्री रघुनाथ झा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक उनके उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए चेकों के समाशोधन में 4-6 दिनों का समय लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चेकों के समाशोधन में असामान्य विलम्ब उपभोक्ताओं को अपनी राशि को समय पर प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है;

(ग) क्या अपने उपभोक्ताओं को विलम्ब से धनराशि देने पर ब्याज का भुगतान करना बैंकों के लिए अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान (माइकर) केन्द्रों में, जो 80 प्रतिशत से अधिक चेकों के समाशोधन के लिए उत्तरदायी हैं, स्थानीय चेकों के लिए समाशोधन की अवधि सामान्यतया 3 से 4 दिन है। बाहरी चेकों के समाशोधन में उनके वास्तविक संचलन की आवश्यकता की वजह से अधिक समय लग सकता है। तथापि, 25 केन्द्रों में अधिक मूल्य का समाशोधन शुरू किया गया है, जहां शहर के केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र में उनके वास्तविक संचलन की आवश्यकता की वजह से अधिक समय लग सकता है। तथापि, 25 केन्द्रों में अधिक मूल्य का समाशोधन शुरू किया गया है, जहां शहर के केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र में प्रात: 11.00 बजे तक शाखाओं में प्राप्त होने वाले अधिक मूल्य के चेकों (1 लाख रुपए से अधिक) को उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है। चेकों/ड्राफ्टों का भुगतान न किया जाना या उसके भुगतान या उगाही में अत्यधिक विलम्ब होना बैंकिंग सेवा में कमी है जो ग्राहक को संबंधित बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र बनाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 1 नवम्बर, 2004 के अपने मार्गनिर्देशों के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं, समाशोधन व्यवस्थाओं के लिए अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा प्रतिनिधियों के माध्यम से उगाही के लिए अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए (i) स्थानीय/बाहरी चेकों को शीघ्र जमा करने, (ii) स्थानीय/बाहरी चेकों की उगाही की समय-सीम, और (iii) विलंबित उगाही के लिए ब्याज के भुगतान को सम्मिलित करते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक और पारदर्शी नीति बनाने का परामर्श दिया है।

बैंक ग्राहकों को निधियों के तीव्र अंतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) प्रणाली जैसी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणालियां विकसित की हैं।

बायोमास/सह-उत्पादन (कोजेनरेशन) विद्युत परियोजनाएं

***435. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बायोमास अवशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन के लिए गांवों और छोटे कस्बों में बायोमास/सह-उत्पादन (कोजेनरेशन) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बायोमास विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल स्वीकृत और खर्च की गई धनराशि कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए छोटे उद्यमियों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) सरकार द्वारा ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों और ग्रिड को बिजली देने के लिए विभिन्न बायोमास अविशिष्टों से विद्युत के उत्पादन की दहन/सह-उत्पादन और गैसीकरण प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बायोमास गैसीकरण परियोजनाएं अधिकांशतया गांवों में स्थापित की जाती हैं, सह-उत्पादन परियोजनाएं उद्योगों और चीनी मिलों द्वारा अपने कैप्टिव प्रयोग तथा ग्रिड को अतिरेक बिजली देने के लिए स्थापित की जाती हैं। मंत्रालय द्वारा ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी और विभिन्न अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बायोमास विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत मंजर और खर्च की गई कुल राशि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	(करोड़ रु. में) मंजूर/जारी की गई राशि
2004-05	4.21
2005-06	4.10
2006-07	19.56

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उद्योगों/चीनों मिलों द्वारा स्थापित की जाने वाली बायोमास/खोई-सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।

आई.आई.बी.आई. का आई.डी.बी.आई. के साथ विलय

*436. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आद्यौगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 में संशोधन

*437. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को दिए जा रहे कर-अवकाश लाभ को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम से सरकार से इतर (आउट ऑफ स्टेट) खरीद बहुत अधिक महंगी हो जायेगी और क्या राज्य भी इससे प्रभावित होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(ङ) क्या इससे अन्ततः उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद और सेवाएं और अधिक महंगी हो जायेंगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कर-अवकाश संबंधी लाभों को वापिस लेने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में के.बि.क. अधिनियम उपलब्ध नहीं है। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधत के.बि.कर अधिनियम, 1956 के प्रावधान सभी कर-दाताओं पर एक समान लागू होते हैं चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र के हों।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों की संख्या में कमी

*438. **श्री रविन्द्र कुमार राणा:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हर वर्ष वैज्ञानिकों की संख्या में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आबंटित धनराशि का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक कदम क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध सरकारी आंकड़ो के अनुसार, देश में वैज्ञानिक तकनीकी कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2000 में 7.8 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2001 में 8.1 मिलियन हो गयी है। इनमें से प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लगभग 1 लाख कर्मचारी अनुसंधान और विकास कार्यकलाप में लगे रहते हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान के लिए निधियों के उपयोग के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं। इस संबंध में किये गये सुधारात्मक उपायों में मौजूदा परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया में परिवर्तन, निधियों की प्राप्ति और व्यय की तिमाही मॉनिटरिंग और विभिन्न स्कीमों के बारे में वैज्ञानिक समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों द्वारा निधियों का उपयोग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/ एजेंसियां	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04		वार्षिक योजना 2004-05		वार्षिक योजना 2005-06		वार्षिक योजना 2006-07	वार्षिक योजना 2006-07
		बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एंड डी क्षेत्र)	535.00	405.56	464.00	409.94	703.58	609.52	872.74	770.80	1003.00	1032.72
2.	महासागर विकास विभाग/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	175.00	138.69	175.00	147.38	200.00	198.88	340.00	225.05	575.00	400.00
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	625.00	537.10	800.00	602.37	900.00	696.26	1250.00	1024.24	1230.00	954.00
4.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	225.00	203.25	260.00	248.76	310.00	319.27	445.00	396.00	521.00	496.00
5.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	440.00	366.96	520.00	390.15	650.00	596.25	846.00	730.33	975.00	775.00
6.	अंतरिक्ष विभाग	1950.00	1846.71	2050.00	1941.00	2400.00	2194.70	2800.00	2294.30	3220.00	2800.00
	कुल योग	3950.00	3498.27	4269.00	3729.60	5163.58	4814.88	6553.74	5491.08	7524.00	6457.72

स्रोत: योजना आयोग, भारत सरकार

पीएमजीएसवाई में अनियमितताएं

***439. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत हुई किन्हीं अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएसजीएसवाई) के अन्तर्गत किए जा रहे कुछ सड़क कार्यों में अनियमितताओं के बारे में 104 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) 57 शिकायतें राज्य सरकारों को जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गई हैं और 34 मामलों में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को शिकायतों की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। 13 शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 24 मामलों के संबंध में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की टिप्पणियां आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और 10 मामलों की जांच की जा रही है।

(ङ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र निर्धारित किए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों में उच्च स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। गुणवत्ता नियंत्रण संरचना के प्रथम दो स्तर राज्य के अधीन हैं। संरचना के तृतीय स्तर के रूप में, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के रूप में नामित स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं को कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए सड़क कार्यों का यादृच्छिक निरीक्षण करने के लिए लगाया जाता है।

[अनुवाद]

स्वसहायता समूहों में महिलाएं

***440. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत स्वसहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करते समय क्या मानदण्ड उपनाए जाते हैं;

(ख) क्या ऐसे समूहों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इन समूहों में उनकी प्रतिशतता दर्शाते हुए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) एसजीएसवाई का उद्देश्य सहायता प्राप्त परिवारों, उनकी आय में कुछ समय में पर्याप्त रूप से वृद्धि करते हुए, गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। स्व-सहायता समूहों का गठन करते समय अपनाए जाने वाले मानदण्ड निम्नलिखित हैं:-

1. एक स्व-सहायता समूह में 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं।

2. सामान्यतया, समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से होने चाहिए तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, किसी समूह के अधिकतम 20% सदस्य गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर के परिवारों से लिए जा सकते हैं।

3. समूह को प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे आचार संहिता बनाने, नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने, नियमित बचतों के माध्यम से धन संचय करने, ऋण मंजूर करने के लिए वित्तीय प्रबंधन मानदण्ड, ब्याज दर तथा प्रक्रियाएं बनाने इत्यादि में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

4. समूह बैठकों में सदस्यों को मिलजुलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से ऋण संबंधी सभी प्रकार के निर्णय लेने चाहिए।

5. समूह को मुख्य रूप से अपने सेवा क्षेत्रों की बैंक शाखा में ही समूह का खाता खोलना चाहिए।

6. समूह को कार्यवृत पुस्तिका, उपस्थिति पंजिका, ऋण-खाता, सामान्य खाता, रोकड़ पुस्तिका, बैंक पास-बुक तथा वैयक्तिक पास बुक जैसे सामान्य मूलभूत दस्तावेज रखने चाहिए।

(ख) जी, हां। एसजीएसवाई के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक ब्लॉक में गठित समूहों का 50% सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए। एक वर्ष में सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों में कम से कम 40% महिलाएं होंगी।

(ग) एसजीएसवाई के अंतर्गत योजना की शुरूआत अर्थात् 1.4.1999 से लेकर मार्च 2007 तक गठित स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या 25.22 लाख है। इनमें से महिला स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या 16.56 लाख अर्थात् गठित कुल स्व-सहायता समूहों का 66% है। एसजीएसवाई की शुरूआत से लेकर अब तक योजना के अंतर्गत 85.24 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई है, इनमें से 45.50 लाख महिला स्वरोजगारी हैं जो सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों का 53.38% है।

तृप्ति हेतु विश्व बैंक सहायता

4132. श्री परसुराम माझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक टारगेटेड रूरल इनिशियेटिव फॉर पॉवर्टी टर्मिनेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर (तृप्ति) के अंतर्गत धनराशि प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई तथा इन निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों का ऋण माफ किया जाना

4133. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में नवम्बर 2006 के प्रथम सप्ताह में बाढ़ के कारण किसानों को हुए घाटे से अवगत है;

(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के इन जिलों में किसानों द्वारा लिए गए ऋणों का माफ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों पर आई विपत्ति की सरकार को जानकारी है। सूखे/बाढ़ की स्थिति में बैंक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हैं। मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा जारी मौजूदा मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हैं। मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को निम्नलिखित की अनुमति दी गई है:

(i) प्राकृतिक आपदा आने पर लगातार फसल खराब होने/क्षतिग्रस्त फसलों की मात्रा के आधार पर ऋणों को 3 से 9 वर्ष की अवधि के लिए बदलना/पुनर्निर्धारित करना;

(ii) प्रभावित किसानों को नए फसल ऋण देना;

(iii) उन कृषकों को उपभोग-ऋण देना, जिनकी फसलें नष्ट हो गई हों, आदि।

सरकार ने देश के 31 ऋणग्रस्त जिलों के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है, जिनमें आन्ध्र प्रदेश के 16 ऋणग्रस्त जिले भी शामिल हैं। अन्य संघटकों के साथ इस पैकेज में दिनांक 01.07.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर ब्याज माफ किए जाने का प्रावधान है। जैसा कि इस पैकेज में प्रावधान है, आन्ध्र प्रदेश में 1992.18 करोड़ रुपए का अतिदेय ब्याज माफ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र को ऋण

4134. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बैंकों द्वारा उनके द्वारा वितरित किए गए कुल ऋण में से कम से कम 18 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां, कृषि क्षेत्र के लिए निवल बैंक ऋण 18 प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाने वाले बैंकों के नाम विवरण में दिए गए हैं। कृषि में कम पूंजी का प्रवर्तन जिसके कारण ऋण खपत क्षमताओं में कमी, कुछ राज्यों में सूखा/बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो प्रतिकूल ढंग से ऋण की खपत आदि को प्रभावित करता है, लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कुछ कारण हैं।

(ग) प्राथमिकता क्षेत्र और/या कृषि उधार लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में असफल रहने वाले सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उनके द्वारा की गई चूक की मात्रा के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें आबंटित राशि ग्रामीण आधारित विकास निधि (आरआईडीएफ) में जमा करने की अपेक्षा की जाती है। प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने हेतु हतोत्साहक उपाय के रूप में अंशदाता बैंकों द्वारा आरआईडीएफ में जमा कराई गई राशियों पर देय ब्याज को 18 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कृषि उधार में कमी के विलोम अनुपात से जोड़ दिया जाता है, अर्थात जितनी कमी, उतनी ही कम ब्याज दर।

विवरण

कृषि क्षेत्र के लिए निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत प्राप्त न कर पाने वाले बैंक

सरकारी क्षेत्र के बैंक

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक आफ मैसूर
4. स्टेट बैंक आफ पटियाला
5. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
6. बैंक आफ बड़ौदा
7. बैंक आफ महाराष्ट्र
8. केनरा बैंक
9. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
10. कार्पोरेशन बैंक

11. देना बैंक
12. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
13. पंजाब एंड सिंध बैंक
14. यूनियन बैंक आफ इंडिया
15. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
16. यूको बैंक
17. विजया बैंक
18. आईडीबीआई बैंक लि.

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

1. बैंक आफ राजस्थान लि.
2. भारत ओवरसीज बैंक (जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ विलय हो चुका है)
3. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
4. सून्चूरिय बैंक आफ पंजाब लि.
5. सिटी यूनियन बैंक लि.
6. डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.
7. धनलक्ष्मी बैंक लि.
8. दि फेडरल बैंक लि.
9. यस बैंक लि.
10. एचडीएफसी बैंक लि.
11. आईसीआईसीआई बैंक लि.
12. इंडस्इंड बैंक
13. आईएनजी. वैश्य बैंक लि.
14. जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.
15. कर्नाटका बैंक लि.
16. करूर वैश्य बैंक लि.
17. कोटक महिन्द्रा बैंक लि.
18. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
19. लार्ड कृष्णा बैंक लि.
20. दि नैनीताल बैंक लि.
21. दिन रत्नाकर बैंक लि.
22. दि सांगली बैंक लि.
23. एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.
24. दि साऊथ इंडियन बैंक लि.
25. तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.
26. दि युनाईटेड वैस्टर्न बैंक लि. (जिसका आईडीबीआई बैंक लि. के साथ विलय हों चुका है।)
27. यूटीआई बैंक लि.।

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत दूसरी किश्त जारी करना

4135. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता तथा अनुदान मांगा गया तथा कितना मंजूर किया गया; और

(ख) योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य में सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है तथा अविनियोजित तथा दुर्विनियोजित राशि को दर्शाते हुए इसके लिए कितना केन्द्रीय योगदान किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) आबंटन आधारित कार्यक्रम है। उद्देश्य मानदंड के आधार पर राज्य/जिले-वार आबंटन किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई निधियों और सृजित श्रमदिवसों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत दुर्विनियोजन के माध्यम से कोई केन्द्रीय आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण

(रु. लाख में) (श्रमदिवस लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07*	
		निधियों की केन्द्रीय रिलीज	सृजित श्रम दिवस	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	सृजित श्रम दिवस	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	सृजित श्रम दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	24049.88	434.02	29453.70	434.16	13545.64	136.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	1368.64	8.53	1377.50	9.42	842.20	11.74
3.	असम	32124.06	625.80	40916.96	716.00	29847.28	632.95
4.	बिहार	49196.29	605.32	59124.30	618.37	20462.40	151.45
5.	छत्तीसगढ़	12931.67	348.85	16605.81	256.82	6089.13	83.58
6.	गोवा	292.55	3.57	242.07	1.91	250.58	2.64
7.	गुजरात	9941 .23	264.68	12648.76	186.34	10724.36	
8.	हरियाणा	5567.67	70.12	6758.76	70.90	7552.28	73.99
9.	हिमाचल प्रदेश	2259.63	40.18	2230.05	36.48	1948.24	24.32
10.	जम्मू-कश्मीर	2715.61	43.73	3229.13	42.09	3252.59	19.34
11.	झारखंड	27394.54	303.88	33841.77	407.43	4173.94	40.97
12.	कर्नाटक	18290.28	419.24	21881.83	395.07	19871.61	310.51
13.	केरल	7866.56	118.91	9767.11	109.46	9618.09	53.38
14.	मध्य प्रदेश	28713.84	581.39	34606.57	533.55	20402.84	267.72
15.	महाराष्ट्र	33657.28	674.69	40869.63	659.28	31832.03	412.54
16.	मणिपुर	2123.41	31.93	2164.50	13.56	2179.95	32.90
17.	मेघालय	2439.01	36.96	2394.13	41.74	1753.09	25.87
18.	मिजोरम	574.44	6.54	748.55	11.48	688.66	14.20
19.	नागालैण्ड	1637.97	36.71	1415.70	33.10	1356.43	20.42
20.	उड़ीसा	26939.86	553.94	33322.45	556.02	11931.45	183.61
21.	पंजाब	5818.55	43.29	6412.39	36.68	4416.73	44.19
22.	राजस्थान	14564.97	219.48	17945.03	182.54	25360.83	162.76
23.	सिक्किम	685.88	5.34	828.75	7.60	703.59	7.81

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	22470.43	519.41	25995.76	472.11	23561.42	212.36
25.	त्रिपुरा	4079.04	108.46	5213.91	130.36	4324.16	46.21
26.	उत्तरांचल	5361.66	94.29	6607.12	102.02	6123.38	86.6
27.	उत्तर प्रदेश	79279.95	1750.45	98576.36	1608.65	68935.32	786.12
28.	पश्चिम बंगाल	26731.84	377.56	34453.29	539.74	14439.59	165.95
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	220.94	3.01	44.36	3.94	0.00	0.27
30.	दादरा और नगर हवेली	87.28	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	28.57	0.13	126.75	0.41	129.55	0.15
33.	पांडिचेरी	205.09	0.13	0.00	1.23	166.64	0.59
	कुल	449618.62	8330.53	549743.00	8218.45	346484.00	4067.58

*वर्ष 2006-07 में 388 जिलों को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कवर किया गया था जबकि 200 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को एनआरईजीएस में मिला दिया गया था।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों को कर राहत

4136. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों को उपलब्ध कर राहत का ब्यौरा क्या है तथा ये किन नियमों/शर्तों से शासित होती हैं;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान इनमें से कुछ कंपनियों द्वारा ऐसे नियमों/शर्तों के उल्लंघन का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, आयकर अधिनियम और सरकार द्वारा किसी अन्य देश की सरकार के साथ किये गये दोहरे कराधान के परिहार, यदि कोई हो, के प्रावधान के अनुसार विदेशी कम्पनियों को दोहरी कर प्रभारित आय पर कर राहत उपलब्ध है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, केवल विदेशी कंपनियों को कोई विशिष्ट कर राहत उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) कर राहत देने की शर्तों के उल्लंघन का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

कौशल विकास बैंक का स्थापित किया जाना

4137. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के बीच वित्तीय मध्यस्थता हेतु जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल

विकास बैंक स्थापित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भू-तापीय ऊर्जा

4138. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में भू-तापीय ऊर्जा के विकास को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भू-तापीय ऊर्जा के सृजन तथा उपयोग का कोई संगठित कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान में देश में कोई-भूतापीय ऊर्जा सृजन संस्थान कार्यरत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा भारत को भू-तापीय ऊर्जा के विकास के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ग) और (घ) कार्य-आवंटन नियमावली के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भू-तापीय ऊर्जा का विषय सौंपा गया है। भू-तापीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में 1.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) और (च) देश में अलग से कोई भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन संस्थान कार्यरत नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय-भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद द्वारा इस मंत्रालय की एक प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत देश में चुनिंदा स्थलों पर भू-तापीय ऊर्जा की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान का स्थापित किया जाना

4139. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन गुवाहाटी में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(घ) कब तक इसे स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्षस्थ निकाय है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहालीपाडा, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित कर रहा है। उक्त परियोजना के टर्न-की कार्यान्वयन के लिए एनपीटीआई ने मैसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नियुक्त किया है।

(ख) उक्त परियोजना को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2004 में स्वीकृति दी। असम राज्य विद्युत बोर्ड ने परियोजना के लिए एसएलडीसी कांप्लेक्स, कहालीपाड़ा के साथ-साथ 15 एकड़ भूमि प्रदान की है। परियोजना के अंतर्गत एक संस्थान भवन, हॉस्टल, आवासीय क्वार्टर तथा एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाना है। संस्थान में फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ-साथ विभिन्न प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण सामग्री तथा उपस्कर उपलब्ध होंगे। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के मानव संसाधन का विकास करना है।

(ग) परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 18.29 करोड़ रुपये है।

(घ) परियोजना को 30.4.2008 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

हवाला व्यापारियों पर छापे

4140. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाला व्यापारियों पर छापों के दौरान स्विस खातों की जानकारी प्रकाश में आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) हवाला व्यापारी, वे व्यक्ति हैं जो प्राधिकृत बैंकिंग चैनलों के माध्यम के अतिरिक्त धन अन्तरण करने में मूल रूप से संलिप्त हैं। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में छह महीनों में किए गए तलाशी और जब्ती प्रचालनों के दौरान स्विस बैंक खातों के संबंध में कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आई है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीमा व्यापार में बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रवेश

4141. श्री संजय धोत्रे:

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

श्री बापू हरी चौरे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का एक यूरोपीय सहभागी के साथ जीवन-बीमा के व्यापार में प्रवेश करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीवन बीमा कारोबार शुरू करने के लिए लीगल एंड जनरल, यू.के. की अपने विदेशी संयुक्त उद्यम (जे.वी.) भागीदारी के रूप में पहचान की है। 170 वर्षों के सफल निष्पादन कार्य रिकार्ड और लगभग 9. 3 बिलियन पौंड के बाजार पूंजीकरण के साथ लीग़ल एंड जनरल यू.के. की अग्रणी बीमा कंपनियों में से एक है।

[अनुवाद]

निर्मल ग्राम पुरस्कार

4142. श्री नवीन जिन्दल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों को राज्यवार निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया;

(ख) क्या इस संबंध में अन्य गांवों से संबंधित प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कब तक इन्हें मंजूर कर दिया जाएगा;

(घ) क्या पुरस्कार की राशि बढ़ाने का कोई विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरूआत से लेकर अब तक गांवों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 2007 के लिए उन गांवों की जानकारी दी गई है जिन्हें 4 मई, 2007 को दिए जाने वाले निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए चुना गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) वर्ष 2006 में पुरस्कार राशि को संशोधित किया गया था।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	निम्न वर्षों में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त कर चुके/प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या		
		2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	10	143
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2

1	2	3	4	5
3.	असम	0	1	3
4.	बिहार	0	4	39
5.	छत्तीसगढ़	0	12	90
6.	गुजरात	1	4	576
7.	हरियाणा	0	0	60
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	22
9.	झारखंड	0	0	12
10.	कर्नाटक	0	0	121
11.	केरल	1	6	220
12.	मध्य प्रदेश	0	1	190
13.	महाराष्ट्र	13	380	1974
14.	मिजोरम	0	0	3
15.	उड़ीसा	0	8	33
16.	राजस्थान	0	0	23
17.	सिक्किम	0	0	27
18.	तमिलनाडु	12	119	296
19.	त्रिपुरा	1	36	46
20.	उत्तर प्रदेश	0	40	488
21.	उत्तराखंड	0	13	109
22.	पश्चिम बंगाल	10	126	468
	कुल	38	760	4,945

गुजरात में सीएसआईआर की प्रयोगशालाएं स्थापित करना

4143. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में सीएसआईआर की प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना के अंतर्गत दूसरी किश्त की धनराशि जारी करना

4144. श्रमती रूपाताई डी. पाटील:
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान कुछ राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना हेतु दूसरी किश्त को मंजूर की गई धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें अब तक दूसरी किश्त जारी नहीं की गई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन्हें कब तक दूसरी किश्त जारी कर दी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य चरणों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। पहली किस्त के रूप में परियोजनाओं के स्वीकृत मूल्य अथवा वार्षिक आबंटन का 50% इनमें से जो भी कम हो, रिलीज किया जाता है तथा शेष राशि दूसरी किस्त के रूप में रिलीज की जाती है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होती है। स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्य और रिलीज की गई राशि के चरण-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) विवरण-I और विवरण-II में दिए गए अनुसार।

(घ) कुछ राज्यों/संघ शासित राज्यों को दूसरी किस्त की निधियां रिलीज नहीं की जा सकीं। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया था।

(ङ) संबंधित राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों का अनुपालन करने को कहा गया है ताकि दूसरी किस्त रिलीज की जा सके।

विवरण-I

31.3.07 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्ताओं का मूल्य और रिलीज की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	चरण-I		चरण-II		चरण-III		चरण-IV		चरण-V		चरण-VI	
		प्रस्तावों का मूल	राशि	प्रस्तावों का मूल्य	राशि	प्रस्तावों का मूल्य	राशि	प्रस्तावों का मूल्य	राशि	प्रस्तावों का मूल्य	राशि	प्रस्तावों का मूल्य	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	248.00	248.00	436.36	409.91	258.56	253.56	369.24	255.09	350.21			
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.95	40.95	86.51	86.51	0.00	0.00	106.22	106.22	204.06		208.97	
3.	असम	75.00	75.00	154.92	154.92	199.72	199.72	244.46	246.91	425.59	315.80	975.14	
4.	बिहार	149.89	149.90	302.98	276.92	2004.15	707.46	0	0.00	340.77			
5.	छत्तीसगढ़	117.93	92.43	225.13	203.22	378.02	376.06	412.59	412.59	448.62	180.00	503.43	
6.	गोवा	5.00	5.00	3.64	5.00	0.00	0.00	1.08	0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	गुजरात	44.6	59.81	130.87	111.70	88.70	88.70	49.31	49.31	125.1	92.55	224.02	
8.	हरियाणा	20.57	25.18	65.00	62.74	48.04	48.04	40.22	40.22	84.25	80.50	199.64	99.82
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00	128.93	128.66	254.01	254.00	136.11	69.16	132.93	70.75	861.04	
10.	जम्मू-कश्मीर	20.09	20.09	55.63	52.44	91.27	72.82	144.41	0.00	532.4			
11.	झारखंड	123.92	123.92	230.26	230.00	135.92	135.92	113.78	55.63				
12.	कर्नाटक	105.64	105.64	231.76	231.76	118.26	118.26	101.17	96.31	202.53		330.72	
13.	केरल	19.90	19.90	55.48	56.30	20.54	20.77	52.76	25.00	48.43	15.00		
14.	मध्य प्रदेश	186.27	217.64	583.86	552.49	583.00	583.00	736.59	528.00	537.95	268.98	1295.10	390.00
15.	महाराष्ट्र	130.21	130.21	269.90	269.08	147.46	145.34	143.16	135.00	1107.92	40.00		
16.	मणिपुर	40.00	40.00	80.71	64.33	0.00	0.00	0	0.00	152.33			
17.	मेघालय	34.95	34.95	80.72	80.72	30.05	7.50	39.62	0.00				
18.	मिजोरम	23.12	19.93	46.53	49.38	48.80	48.80	92.79	73.40	121.99	60.99		
19.	नागालैण्ड	19.75	19.75	45.53	47.76	21.44	21.44	37.51	37.51	70.2	35.10		
20.	उड़ीसा	170.88	179.70	350.00	345.09	440.93	440.93	398.72	398.72	530.96	265.48	579.84	
21.	पंजाब	27.93	24.66	74.29	75.39	36.81	36.81	78.87	78.87	82.41	41.20	486.85	
22.	राजस्थान	140.09	140.09	253.05	290.64	679.45	591.25	302.81	302.81	550.59	550.59	1833.02	340.00
23.	सिक्किम	13.16	13.16	37.81	37.81	35.30	35.29	63.10	51.84	149.00	10.00		
24.	तमिलनाडु	152.01	152.33	115.81	115.81	164.78	164.78	117.27	58.95	174.31	20.00		
25.	त्रिपुरा	24.75	24.75	51.85	51.85	39.59	31.40	79.22	62.89	47.86			
26.	उत्तर प्रदेश	324.22	321.11	569.83	588.65	670.54	650.27	1007.76	603.88	2013.46			
27.	उत्तरांचल	58.99	60.63	140.41	140.41	58.56	27.08	102.67	0.00	200.75			
28.	पश्चिम बंगाल	140.04	135.00	305.49	309.17	599.28	599.28	311.90	198.43	666.22			
	कुल (राज्य)	2517.62	2539.71	5119.26	5008.66	7153.20	5658.49	5283.54	3887.94	9300.85	2046.94	7498.77	829.82
	संघ राज्य क्षेत्र												
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.01	10.59	22.38	0.00								
30.	दादरा और नगर हवेली			9.95	5.00					7.78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	दमन और दीव	10.00	10.00	0.00	0.00								
32.	दिल्ली	5.00	0.00	0.00	5.00								
33.	लक्षद्वीप			4.89	4.89								
34.	पांडीचेरी	5.00	5.00	7.40	0.00								
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	30.01	25.59	44.62	14.89								
	कुल योग	2547.63	2565.30	5163.88	5023.55					9308.63	2046.94		

चरण-VII के तहत मध्य प्रदेश के लिए 1295.32 करोड़ रु. के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण-II

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य और रिलीज की गई राशि (एडीबी/डब्ल्यूबी)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	प्रस्ताव का मूल्य	रिलीज की गई राशि (31.3.2007 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश		
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम (एडीबी) बैच-I	501.42	160.00
	बैच-II	573.46	
4.	बिहार		
5.	छत्तीसगढ़ (एडीबी) भाग-I	98.24	98.24
	भाग-II	587.11	424.26
	भाग-III	598.83	
6.	गोवा		
7.	गुजरात		
8.	हरियाणा		
9.	हिमाचल प्रदेश (डब्ल्यूबी) चरण-I	80.28	40.14
	चरण-II (किस्त-I और II)	176.1	
10.	जम्मू और कश्मीर		

1	2	3	4
11.	झारखंड (डब्ल्यूबी)	29.15	14.57
12.	कर्नाटक		
13.	केरल		
14.	मध्य प्रदेश (एडीबी) चरण-I	99.40	99.40
	चरण-I (चरण-I)	119.25	84.05
	चरण-II	456.81	260.00
	चरण-III	560.71	
15.	महाराष्ट्र		
16.	मणिपुर		
17.	मेघालय		
18.	मिजोरम		
19.	नागालैंड		
20.	उड़ीसा (एडीबी) चरण-I चरण-II	349.46	174.73
		513.81	
21.	पंजाब		
22.	राजस्थान (डब्ल्यूबी) किस्त-I	307.42	307.42
	राजस्थान किस्त-II	130.18	130.18
	किस्त-III	295.40	284.20
23.	सिक्किम		
24.	तमिलनाडु		
25.	त्रिपुरा		
26.	उत्तर प्रदेश (डब्ल्यूबी)	343.94	310.27
	चरण-II (बैच-I और-II)	276.31	42.88
27.	उत्तरांचल		
28.	पश्चिम बंगाल (एडीबी)	313.71	85.27
	कुल योग	6410.99	2515.61

किसानों को ऋण

4145. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:**
श्री पारसनाथ यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किसानों को कितनी ऋण राशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) किसानों को किस दर से उक्त ऋण उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान, किसानों को दिए गए ऋणों की राशि की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) से (घ) सरकार ने दिनांक 16 जुलाई, 2003 को कृषि क्षेत्र विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों को ब्याज की घटी दरों का पूरा लाभ देने के उद्देश्य से कृषि के लिए उधार दर में कटौती की घोषणा की थी। तत्पश्चात् सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको को 50,000/- रुपये की उच्चतम सीमा तक के फसल ऋणों पर अपनी उधार दर को घटाकर अधिकतम 9% वार्षिक करने की सलाह दी गई थी। ऐसे उपयुक्त अनुदेश नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को भी जारी किए गए थे।

तत्पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंको द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज दरों को इस शर्त पर विनियमित किया कि 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज दर संबंधित बैंक की बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

खरीफ एवं रबी 2005-06 के लिए किसानों द्वारा प्राप्त किए गए फसल ऋणों पर ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से, 1,00,000/- रुपयों तक के मूलधन पर उधारकर्त्ता की देयता के दो प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि को उनके खाते में जमा किया गया था। तत्पश्चात् खरीफ 2006 से, यह सुनिश्चित करने के कि किसान को 3 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के साथ मूल धन पर 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय बैंको (आरआरबी) तथा सहकारी बैंको को उनके स्वयं के संसाधनों से उधार देने पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता और सरकारी बैंको एवं आरआरबी को नाबार्ड से अपनी उधार राशियां लेने पर रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रही है।

विवरण

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के अन्तर्गत राज्यवार बुनियादी ऋण (जी एल सी) (संवितरण)

(रुपए लाख में)

क्रम.सं.	राज्य/संघ शाषित क्षेत्र	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	37245	90803	162231
2.	नई दिल्ली	242367	388227	1307623
3.	हरियाणा	628620	864028	1084743
4.	हिमाचल प्रदेश	38232	61581	95482
5.	जम्मू और कश्मीर	6619	11184	90545
6.	पंजाब	914790	1279416	1547980
7.	राजस्थान	313996	517225	756234
	उत्तरी क्षेत्र	2181869	3212464	5044838

1	2	3	4	5
8.	अरुणाचल प्रदेश	390	1257	1337
9.	असम	19129	26724	66332
10.	मणिपुर	580	1923	5766
11.	मेघालय	5184	2474	5657
12.	मिजोरम	544	2019	2432
13.	नागालैण्ड	742	1978	2402
14.	त्रिपुरा	3000	3817	8476
15.	सिक्किम	425	541	1169
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	29994	40733	93571
16.	बिहार	142172	181726	212458
17.	झारखंड	21461	40739	50588
18.	उड़ीसा	127778	198549	312919
19.	पश्चिम बंगाल	212944	302168	644134
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	385	587	1528
	पूर्वी क्षेत्र	504740	723769	1221627
21.	मध्य प्रदेश	342935	529344	690396
22.	छत्तीसगढ़	52377	78740	123321
23.	उत्तर प्रदेश	810833	1042864	1405866
24.	उत्तरांचल	42589	63232	93782
	मध्य क्षेत्र	1248734	1714180	2313365
25.	दादरा और नगर हवेली	0	76	158
26.	दमन और दीव	0	5	40
27.	गुजरात	479822	660930	1110647
28.	गोवा	3938	8008	13134
29.	महाराष्ट्र	528487	742083	1493814
	पश्चिमी क्षेत्र	1012247	1411102	261779:

1	2	3	4	5
30.	आंध्र प्रदेश	1001424	1349050	2050124
31.	कर्नाटक	532600	728127	1291353
32.	केरल	377502	571229	1032413
33.	लक्षद्वीप	78	62	115
34.	पांडिचेरी	6970	12716	23521
35.	तमिलनाडु	695166	1020670	1948810
	दक्षिणी क्षेत्र	2613740	3681854	6346336
	अन्य राज्य		1224	4870
	कुल	7591324	10785326	17642400
	गैर सरकारी क्षेत्र बैंक	1023008	1626342	
	आर.आई.डी.एफ.	83747	94123	405857
	अन्य संस्थाएं		19279	
	अन्य बांड्स		5867	300
	कुल योग	8698079	12530937	18048557

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

4146. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और संवर्धन के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और संवर्धन हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अग्रेषित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों, इंजीनियरी महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में भूकंप तथा भू-प्रणाली संबंधी अध्ययन, मौसम एवं जलवायु अनुसंधान, स्थान विशिष्ट अनुसंधान, औषधि एवं भेषज अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता का सृजन और लोकप्रियकरण, उद्यमवृत्ति विकास, जैव प्रौद्योगिकी आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर जम्मू एवं कश्मीर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रोन्नयन के लिए पहल की गई है। इसके अलावा राज्य में अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे पेटेंट सूचना केन्द्र, हानले टेलिस्कोप, टेलीएजुकेशन नेटवर्क और टेलि-मेडिसिन केन्द्रों की भी स्थापना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु आवासी भवनों का निर्माण

4147. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु में स्थित आवासीय भवनों की टाईपवार और स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये आवासीय मकान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कर्मचारियों के लिए और आवासीय भवनों का निर्माण करने का है.

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) चेन्नई (तमिलनाडु) में संपदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सामान्य पूल रिहायशी आवास के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए है।

(ख) और (ग) चेन्नई (तमिलनाडु) में अलग-अलग टाइप के सामान्य पूल रिहायशी आवास में कमी/अधिशेष दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। प्रत्येक टाईप के सामान्य पूल रिहायशी आवास के लिए मांग की पूर्ति स्तर कृपया कॉलम संख्या 5 में देखें। केन्द्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर अन्य नगरों में रिहायशी आवास के लिए मांग की पूर्ति का स्तर 50% आकलित किया है। चेन्नई में मांग की पूर्ति का यह स्तर प्राप्त कर लिया गया है। अत: केन्द्र सरकार का चेन्नई (तमिलनाडु) में कर्मचारियों के लिए और अधिक रिहायशी भवन बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण-I

चेन्नई (तमिलनाडु) में सामान्य पूल रिहायशी आवास का टाईप-वार तथा स्थान-वार विवरण

टाईप	केकेएन	एएन	बीएन (ओल्ड)	बीएन(नया)	आईएन	एचआर	एनएचआर	बीआर	टीआईआरयू (एक्सटेंशन)	कुल
I	408	42	–	–	–	–	–	–	–	450
II	780	164	–	–	–	–	–	–	–	944
III	174	318	168	–	–	–	–	–	–	660
IV	12	32	72	48	200	–	7	8	–	379
V	12	24	24	48	–	30	–	–	–	138
VI	–	4	–	–	–	12	4	–	–	20
एचएसयू	–	–	–	20	–	–	–	–	–	20
एचएसडी	–	–	–	30	–	–	–	–	–	30
होस्टल केकेएन	30*	–	–	–	–	–	–	–	–	30
कुल	1416	584	264	146	200	42	4	7	8	2671

केके नगर में सिंगल सुईट होस्टल की 30 इकाइयां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा अंडमान व निकोबार प्रशासन के लिए रखी गई हैं।

केकेएन-के के नगर
एएन-अन्ना नगर तिरुमंगलम
बीन(ओल्ड)-बेसेंट नगर (ओल्ड)
बीएन-बेसेंट नगर (न्यू)
एचआर-हड़ोस रोड
एनएचआर-नुंगाम्बक्कम हाई रोड
बीआर-बकुल्लाह रोड
टीआईआरयू-एक्सटेंशन-तिरुमनमिचुर एक्सटेंशन
आईएन-इन्दिरा नगर

विवरण-II

चेन्नई (तमिलनाडु) में सामान्य पूल रिहायशी आवास की मांग उपलब्धता की स्थिति और मांग की पूर्ति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

टाईप	मांग	उपलब्धता	कमी/अधिशेष	मांगी की पूर्ति की प्रतिशतता
I	352	450	(-)98	100
II	1209	944	265	78.08
III	727	660	67	90.78
IV	446	379	67	84.97
V	226	138	88	61.06
VI	41	20	21	48.78
एचएसयू	25	20	5	80.00
एचएसडी	56	30	26	53.57
कुल	3112	2671		85.82

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास

4148. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के संदर्भ में मलिन बस्तियों की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां। भोपाल इंदौर, जबलपुर एवं उज्जैन शहरों के स्लमों में आवास एवं मूलभूत सुविधाए प्रदान करने हेतु 503.27 करोड़ रु. की परियोजना लागत वाली 18 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित की गई हैं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शहर

4149. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्यों के कुछ और शहरों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) 2001 की जनगणना के अनुसार सभी शहर या तो 63 चुनिंदा शहरों पर लागू शहरी अवस्थापना और शासन उपमिशन या सभी अन्य शहरों पर लागू छोटे तथा मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अन्तर्गत शामिल है।

सेवा कर की वसूली

4150. श्री गणेश सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार की राज्य-वार सेवा कर प्राप्तियां कितनी है? और

(ख) उक्त प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संबंधित हिस्सा कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सेवा कर से संग्रहित राजस्व का आंकड़ा राज्यवार संग्रहित और संकलित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

जैव-ईंधन का उत्पादन

4151. श्री के.एस. राव क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जटरोफा और शीरे से जैव-ईंधन प्राप्ति की संभाव्यता और उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नए क्षेत्र को उसकी क्षमतानुसार विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करने तथा निदेश देने हेतु एक विनियामक प्राधिकरण गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) योजना आयोग की बायो-ईंधनों के विकास संबंधी समिति (2003) ने यह अनुमान लगाया है कि XI वीं योजना के अंत (2011-12) तक हाई-स्पीड डीजल (एस.एस.डी) की मॉग 66.9 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) हो जाएगी, अत: डीजल के साथ बायो-डीजल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 13.38 एम.टम.टी. बायो-डीजल की आवश्यकता होगी। समिति ने यह अनुमान लगाया है कि 20% मिश्रण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जटरोफा के पौधों को 11.2 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर रोपित किया जाना होगा, जिसकी तुलना में अवक्रमित वनभूमि सहित 32.29 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि को जटरोफा की खेती के लिए उपयुक्त माना गया हैं एथानॉल, जिसे मुख्यतया शीरे से तैयार किया जाता है, के संबंध में समिति ने अनुमान लगया है कि देश में एथानॉल उत्पादन की वर्तमान क्षमता से पेट्रोल के साथ 10% मिश्रण को प्राप्त किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन को, प्रारम्भ में एक प्रदर्शन चरण के जरिए शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की नॉडल मंत्रालय के रूप में पहचान की गई है। प्रदर्शन चरण के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि के दौरान देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में जटरोफा के पौधरोपण के लिए 5 लाख है. सार्वजनिक बंजरभूमि को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस पौधरोपण से प्राप्त जटरोफा के बीजों से लगभग 6 लाख मीट्रिक टन बायो-डीजल के प्राप्त होने की आशा है। प्रदर्शन चरण के उपरांत, 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बायो-डीजल कार्यक्रम का स्वत: सम्पोषणीय (सैल्फ ससटेनिंग) विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

गुजरात के पेयजल संबंधी प्रस्ताव

4152. श्री महेश कनोडीया:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'गुजरात राज्य के पंचमहल और दाहोद के पिछड़े आदिवासी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सतत् समुदाय प्रबंधित पेयजल आपूर्ति अवसंरचना' शीर्षक वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) जी, हां। "गुजरात राज्य में पिछड़े जनजातीय जिलों पंचमहल और दाहोद के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समुदाय प्रबंधित स्थायी पेयजल आपूर्ति आधारभूत सुविधा" नाम का एक प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ था जिसमें जापानी सहायता अनुदान कार्यक्रम के तहत विदेशी सहायता की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया किन्तु इसे सहायता के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि मांगी गई सहायता राशि बहुत कम थी।

किसान कल्याण न्यास

4153. श्री जी. एम. सिद्वीश्वर क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बैंको ने राज्यों में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए किसान कल्याण न्यासों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने हेतु उन्हें उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब नैशनल बैंक ने दो न्यासों, नामत: पीएनबी किसान कल्याण न्यास और पीएनबी शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास की स्थापना की है। इन दो न्यासों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर पद्रेश और हरियाणा राज्य में विभिन्न क्रिया कलापों के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु एक-एक किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है।

कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगुना करने हेतु 18 जून 2004 को कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की।

कृषि ऋण पैकेज के भाग के रूप में बैंकों से किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए कहा गया था ताकि वे गैर संस्थागत स्रोतों से लिए गये अपना ऋणों का मोचन कर सके। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (फरवरी, 2007 तक) में इस उद्देश्य के लिए किसानों को क्रमश: 63.47 करोड़ रुपये, 31.41 करोड़ रुपये और 65.35 करोड़ रुपये प्रदान किए गये थे।

इसके अतिरिक्त, खरीफ और रबी 2005-06 के लिए किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण पर ब्याज के बोझ को कम करने के लिए 1,00,000 रुपये तक की मूल राशि पर उधारकर्ता की देयता के 2% बिन्दु के बराबर राशि उनके खातों में जमा करा दी गई थी। उसके पश्चात खरीफ 2006 से, कि किसान द्वारा मूल राशि पर 3 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के साथ 7% की दर से अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त करने को, सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्रों के बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और सहकारी बैंको को अपने स्वयं के स्रोत से उधार देने पर 2% वार्षिक की ब्याज राहत प्रदान करती है और सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को नाबार्ड से लिए गए उनके उधारों पर रियायती दर से पुनर्वित्त प्रदान करती है।

रुपये के मूल्य में बढ़ोतरी

4154. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रुपये के मूल्य में बढ़ोतरी का व्यक्तियों, आयातकों और निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या रुपये के मूल्य में बढ़ोतरी का भारत के भुगतान संतुलन पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रुपये के मूल्य में वद्धि का व्यक्तियों, आयातकों और निर्यातकों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप विदेश मुद्रा प्रवाहों के प्राप्तकर्ताओं के हाथों में आने वाले रुपये के मूल्य में कमी और विदेशों में भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमानित और वास्तविक प्रभावी विनिमय प्रभावी विनिमय दर दोनों के संबंध में रुपये के मूल्य में वृद्धि से आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाएगे। रुपये की मूल्य वृद्धि अथवा मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होता है, जिसे बाद में चालू खाता शेष और भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाहों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

आईडीबीआई डीप डिस्कांट बांड

4155. श्री नकुल दास राई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने 1996 में आम जनता के लिए डीप डिस्काउंट बांड जारी किए थे.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बांडों को वापस ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ङ) क्या सभी बांड धारकों को योजना वापस लेने के बारे में समय पर जानकारी दे दी गई थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार ने इस योजना को वापस लेने से लोगों को हुई हानि की भरपाई किस प्रकार से की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आद्योगिक विकास बैंक

(आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि जनता को फरवरी, 1996 में 5300/-रुपये प्रति बांड के निर्गम मूल्य पर डीप डिस्काउंट बांड (डीडीबी) जारी किए गए थे। कुल अभिदान राशि 1106 करोड़ रुपये (18.05 लाख निवेशक) थी। हालांकि इन बांडो की परिपक्वता अवधि 25 वर्ष थी, परन्तु आईडीबीआई तथा निवेशकों दोनों के लिए चार वर्ष एवं 4 माह, दस वर्ष एवं आठ माह, पन्द्रह वर्ष एवं पांच माह, बीस वर्ष एवं दो माह तथा पच्चीस वर्ष की समाप्ति पर विकल्प मूल्य पर बांडो की बिक्री खरीद थी।

(ग) और (घ) प्रस्ताव दस्तावेज में यथा उल्लिखित इन बांडों के अंतर्गत आईडीबीआई को उपलब्ध क्रय विकल्प के आधार के पर, आईडीबीआई ने सभी बांडधारकों को काफी पहले से सूचित करते हुए चार वर्ष एवं चार माह की समाप्ति पर अर्थात 1 अगस्त, 2002 को बांड मोचन करने के लिए क्रय विकल्प का प्रयोग किया।

(ङ) से (छ) जी, हां। प्रस्ताव दस्तावेज में किए गए उल्लेखानुसार, सभी बांडधारकों को डाक प्रमाणित (यूसीपी) के अंतर्गत काफी पहले से क्रय विकल्प नोटिस जारी किए गए थे।

(ज) आईडीबाआई ने प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के आधार पर ही बांडों को मोचन करने के लिए क्रय विकल्प का प्रयोग किया। चूंकि, आईडीबीआई के प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित किसी शर्त का अतिक्रमण नहीं किया है, अत: बांडधारकों को पूर्व मोचन के फलस्वरूप कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

एलआईसी के जोनल कार्यालय खोलना

4156. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के वर्तमान जोनल कार्यालयों का ब्यौरा क्या है और क्षेत्रवार ऐसे कितने कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को पूर्वोतर क्षेत्र में एलआईसी के जोनल कार्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जोनल कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) एलआईसी ने सूचित किया है कि वह इस समय, देश में, निम्नलिखित सात आंचलिक कार्यालयों को परिचलित कर रहा है:

(1) भोपाल में मध्य आंचलिक कार्यालय

(2) मुम्बई में पश्चिमी आंचलिक कार्यालय

(3) कोलकाता में पूर्वी आंचलिक कार्यालय

(4) नई दिल्ली में उत्तरी आंचलिक कार्यालय

(5) हैदराबाद में दक्षिण मध्य आंचलिक कार्यालय

(6) कानपुर में उत्तर मध्य आंचलिक कार्यालय

(7) चेन्नई में दक्षिण आंचलिक कार्यालय

सरकार ने अभी हाल ही में, पूर्वी क्षेत्र के विभाजन और पटना में इसके मुख्यालय के साथ पूर्व मध्य अंचल के सृजन के लिए एलआईसी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इस पूर्व मध्य अंचल की प्रादेशिक सीमाओं में बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बैंक लॉकरों के लिए नए दिशानिर्देश

4157. श्री जसुभाई धानाभाई बारड:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक लॉकरों के प्रचालन हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसम्बर, 2006 को अपनी वेबसाइट पर "सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा प्रदान करने तथा सुरक्षित जमा लॉकरों तक पहुंच/बैंकों द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं की वापसी" के संबंध में मार्गनिर्देशों का मसौदा दिया है। बैंकों और जनता से प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल, 2007 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों से कहा गया है:

(1) लॉकर सुविधा को सावधि या किसी अन्य प्रकार की जमाराशि के नियोजन से विशेष रुप से अनुमत सीमा

से अधिक सीमा तक, जोड़ने की प्रतिबंधी प्रथा से बचें।

(2) लॉकर के किराए का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक आबंटन के समय एक सावधि जमाराशि प्राप्त कर सकता है, जिसमें 3 वर्ष का किराया तथा आकस्मिकता के मामले में लॉकर तोड़ने के लिए प्रभार शामिल हो। तथापि, बैंकों को लॉकर किराए पर लेने वाले मौजूदा ग्राहकों से ऐसी सावधि जमाराशि हेतु आग्रह नहीं करना चाहिए।

(3) लॉकरों के आबंटन के प्रयोजन हेतु एक प्रतीक्षा सूची बनाएं, लॉकरों के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और साथ ही लॉकर किराए पर लेने वाले व्यक्ति को आबंटन के समय लॉकर के परिचालन के संबंध में समझौते की प्रति दें।

विस्तृत मार्गनिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट *www.rbi.org.in* पर उपलब्ध हैं।

आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम. के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

4158. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय स्वच्छ पेयजल मिशन, (आर जी. एन.डी. डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत 100 से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्रामीण बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या अंतिम सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 के अंत में 42,000 अनकवर्ड बस्तियां, 2,00,000 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां और 2,50,000 से अधिक स्लिप्ड बैंक बस्तियां थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 2006-07 में इन कमी वाली बस्तियों पर ध्यान दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत, 20 परिवारों या 100 व्यक्तियों, इनमें से जो भी अधिक हो, की स्थायी आबादी वाली ग्रामीण बसावट जहां जल का कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, को कवरेज के लिए एक इकाई माना जा सकता है। भारत निर्माण के अंतर्गत, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं हेतु समयबद्ध योजना के तहत वर्ष 2009 तक कवर न की गई 55067 बसावटों को कवर किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, स्रोत खराब होने के कारण पूर्ण कवरेज की स्थिति से आंशिक कवरेज की स्थिति में आ गई बसावटों और जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाली बसावटों पर ध्यान दिया जाना है।

(ग) वर्ष 2005-06 के अंत में, कवर न की गई, जल गुणवत्ता प्रभावित तथा निचली श्रेणी में आ गई बसावटों की संख्या क्रमश: 41946; 1,95,813 तथा 2,52,060 थी।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान इन बसावटों की कवरेज की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1.4.2006 की स्थिति के अनुसार कवर न की गई, निचली श्रेणी में आ गई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों और 2006-07 के दौरान कवरेज की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2006 की स्थिति के अनुसार बसावटों की स्थिति			2006-07 के दौरान कवरेज*		
		कैप, 99 की कवर न की गई बसावटें	निचली श्रेणी में आ गई बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	कैप, 99 की कवर न की गई बसावटें	निचली श्रेणी में आ गई बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	26974	2555		4505	495
2.	अरुणाचल प्रदेश	343	2752	566	83	6	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	4947	10636	28181	1965		
4.	बिहार	0	45975	24717		8353	
5.	छत्तीसगढ़	0	8689	5021		8056	
6.	गोवा	5	0	0	1		
7.	गुजरात	0	3805	4929		947	482
8.	हरियाणा	0	2141	336		383	93
9.	हिमाचल प्रदेश	4941	9308	0	2673	1021	
10.	जम्मू-कश्मीर	2816	3070	114	41		
11.	झारखंड	0	15174	1348		1557	51
12.	कर्नाटक	3494	0	20170	890	1564	232
13.	केरल	5871	0	867	447	305	60
14.	मध्य प्रदेश	0	27011	3852		8784	86
15.	महाराष्ट्र	15838	10800	11215	2468	1265	53
16.	मणिपुर	0	0	37		105	
17.	मेघालय	134	4013	124	88	995	35
18.	मिजोरम	26	253	26	0	42	
19.	नागालैण्ड	625	202	136	8	6	
20.	उड़ीसा	0	3647	28016		5138	268
21.	पंजाब	690	4832	2041	223	409	48
22.	राजस्थान	1877	20853	31883	365	6625	1000
23.	सिक्किम	0	737	76	0	85	0
24.	तमिलनाडु	0	36447	1420		6007	353
25.	त्रिपुरा	0	447	2931		64	151
26.	उत्तर प्रदेश	0	5932	6377		9296	541
27.	उत्तरांचल	229	7126	0	38	1442	
28.	पश्चिम बंगाल	0	1236	18767		1660	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39	0	26	31		

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दादरा और नगर हवेली	24	0	0	9		
31.	दमन और दीव	0	0	0			
32.	दिल्ली	0	0	0			
33.	लक्षद्वीप	10	0	0			
34.	पांडिचेरी	37	0	82	31	0	11
35.	चंडीगढ़	0	0	0			
	कुल	41946	252060	195813	9361	68620	3964

*30.4.2007 तक सूचित कवरेज।

[हिन्दी]

रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव

4159. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रिवर्स-रेपो दर में लगातार वृद्धि करने के कारण शेयर बाजार प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उतार-चढ़ाव को रोकने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने संबंधी किए गए उपायों से कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ती रिपो दर को पिछली बार 25 जुलाई, 2006 को बढ़ाकर 6% किया गया था तथा जब से यह उसी स्तर पर बनी हुई है। तथापि, बाजार सूचकांकों या किसी विशिष्ट शेयर की कीमत का उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और कंपनी के बारे में देशीय और विदेशी, खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों के आवबोधनों को कार्य है। यह अबोधन अनेकानेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिनमें, वृहद आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और बाजार मनोभाव शामिल हैं।

(ग) सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा एक्सचेंजों ने एक सुरक्षित, पारदर्शी तथा दक्ष बाजार का संवर्धन करने तथा बाजार अखंडता का संरक्षण करने के लिए प्रणालियां तथा व्यवहार सुव्यवस्थित किए हैं। इन प्रणालियों में उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रक्रम शामिल हैं जिनमें ऑन लाईन निगरानी एवं अनुवीक्षण, स्थितियों संबंधी विभिन्न सीमाएं, मार्जिन अपेक्षाएं, सर्किट फिल्टर इत्यादि समाहित हैं जो बाजार में गिरावट की संभावना को कम करते हैं।

(घ) रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ किए गए मौद्रिक एवं विवेकपूर्ण उपाय क्रेडिट तथा मुद्रापूर्ति वृद्धि के संदर्भ में सकल मांग प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का निवारण करते हैं। विशिष्ट क्षेत्रकों पर प्रभाव का पता लगाना कठिन है।

[अनुवाद]

वर्षा बीमा योजना

4160. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना से कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड (एआईसीएल)

ने खरीफ-2004 के दौरान प्रायोगिक आधार पर और उसके बाद खरीफ-2005 के दौरान, 10 राज्यों में वर्षा बीमा-2005 के नाम से वर्षा पर आधारित बीमा उत्पाद प्रारम्भ किया था। यह योजना वर्षा में कमी के कारण फसल की अनुमानित पैदावार में कमी होने पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2006 के लिए यह योजना (1) 15 जून से 15 अगस्त तक वर्षा में कमी होने पर बीमा सुरक्षा (एसएफआई) (2) मौसमी वर्षा बीमा (एसआरआई) पूरे फसल मौसम के दौरान वर्षा बीमा और (3) वर्षा स्तर 15 अगस्त से अक्तूबर/नवम्बर की अवधि के लिए बीमा सुरक्षा का प्रावधान है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन मौसमों (वर्षों) के लिए प्रदान की गई बीमा सुरक्षा इस प्रकार है:

क्रम संख्या	मौसम	बीमित किए गए किसान	बीमित राशि (रु. लाख में)	प्रीमियम (रु. लाख में)	दावे (रु. लाख में)
1.	खरीफ 2004	1050	219	6.11	5.56
2.	खरीफ 2005	125453	5586	317	20
3.	खरीफ 2006	23213	1806	119	60

कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

4161. श्री निखिल कुमार: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि तापमान में वृद्धि/मौसम में परिवर्तन का देश में फसल उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जैसा कि हाल में विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। हालांकि यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित अन्तर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल ने अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन संबंधी व्यापक अनुमान दिए हैं तथा कृषि पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, परंतु ये अनुमान सामान्य टिप्पणी के रुप में तथा भारत का किसी तरह से भी विशेष जिक्र किए बिना दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक परिवहन परियोजना

4162. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत देश के लिए और अधिक कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं/मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पहचान के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कार्बन क्रेडिट की क्षमता के दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के क्योटो प्रोटोकोल का एक पक्षकार है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मराकेश समझौते की अपेक्षाओं के अनुसार पात्र सीडीएम परियोजनाओं को होस्ट कंट्री एप्रूवल (एचसीए) देने के लिए नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिजम (सीसीएम) का गठन किया है। अब तक 599 परियोजनाओं को एच सी ए दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं सेमिनारों के माध्यम से सीडीएम के संदेश का प्रचार किया गया है और विभिन्न हितबद्धों के क्षमता निर्माण हेतु बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति

4163. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डिप्लोमा पाठयक्रमों पी एच डी कार्यक्रम के लिए डी बी टी जूनियर रिसर्च फैलोशिप और देश के सर्वोत्तम प्रयोगशालाओं में पोस्ट डाक्टोरल कार्य को जारी रखने के लिए डी बी टी पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप सहित जैवप्रौद्योगिकी में जैवप्रौद्योगिकी विभाग एक एकीकृत मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर रहा है। विभाग विशिष्ट प्रयोगशालाओं, उपस्कर, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपभोगता वस्तुओं के लिए आसान रेकरिंग निधियां, यात्रा, छात्रवृत्ति, शोध अनुदान, विद्यार्थियों, अतिथि संकाय के लिए ग्रीष्म प्रशिक्षण हेतु निधियां प्रदान करता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय सामान्य परिवेश परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। "खोजी कार्यक्रम" के तहत जैवप्रौद्योगिकी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण कायक्रमों के लिए विश्वविद्यालाय अनुदान आयोग भी सहायता करता है।

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण में संलिप्त संकाय एवं मिड कैरियर वैज्ञानिकों के कौशल का स्तरोन्नयन करने के लिए विशिष्ट तकनीकों में सरकार के पास लघु अवधि शिक्षण कार्यक्रमों की काफी संख्या है। जैवप्रोद्योगिकी विभाग विदेशी लघु एवं दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाता है जिसके माध्यम से हर वर्ष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए 150 वैज्ञानिकों को सहायता दी जाती है और हमारे संकाय तथा विद्यार्थियों के मेलजोल के लिए विदेशी प्रयोगशालाओं से वैज्ञानिकों को आमंत्रित करने का अवसर देता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए निधि प्रदान की जाती है तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए निधि प्रदान की जाती है तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान भी दिया जाता है। यह सभी कार्यक्रम जैवप्रौद्योगिकी में मानव शक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाने में परिणामात्मक सिद्ध होते हैं।

राज्यों को लघु बचत ऋण संबंधी समिति

4164. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को लघु बचत ऋणों के मुद्दे की जांच के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में राज्यों के बकाया ऋणों के संदर्भ में उनके ऋण भार और ऋण राहत संबंधी मुद्दों की जांच-पड़ताल के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, (एनडीसी) की एक उप-समिति का गठन दिनांक 16 सितम्बर, 2005 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। उप समिति ने एनडीसी को अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की:-

(1) लघु बचत संग्रहण राज्यों और केन्द्र के बीच 80:20 के अनुपात में (राज्य सरकारों को निवल संग्रहणों के 100 प्रतिशत अंतरण की वर्तमान व्यवस्था की तुलना में) बांटे जाएंगे, जिसमें राज्यों को अपने संग्रहणों का 100 प्रतिशत लेने का विकल्प होगा। बंटवारे की संशोधित पद्धति 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी।

(2) राज्य सरकारों द्वारा एनएसएसएफ से वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 तक के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज दरों को 1 अप्रैल, 2007 से 10.5 प्रतिशत पर पुन: निर्धारित किया जाएगा। यदि वर्तमान ऋणों पर ब्याज दर में कमी की जाती है अथवा 3 वर्ष के पश्चात् जो भी पहले हो तो इन पुराने ऋणों पर ब्याज दर की समीक्षा की जाएगी।

(3) वर्तमान एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज दर 9.5 पर बनी रहेगी।

(4) अतिरिक्त मुक्त बाजार उधार के संबंध में राज्य सरकारों के अनुरोधों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा ताकि वे गैर-एनएसएसएफ ऋण की अदायगी कर सकें।

(5) वर्ष 2002 2003 तक संविदा किए गए एनएसएसएफ ऋणों की पूर्व अदायगी हेतु राज्यों सरकारों के अनुरोध पर भी अनुमोदित बाजार उधार उच्चतम सीमाओं के भीतर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 9 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त सिफारिशों का समर्थन किया है। सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली है और इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित) की सरकारों को अवगत करा दिया। लघु बचत संग्रहणों के बंटवारे से संबद्ध संशोधित पैटर्न को दिनांक 1.4.2007 से कार्यान्वित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा एनएसएसएफ से वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 तक लिए गए ऋणों पर ब्याज दरों को दि. 1/4/2007 से 10.5 प्रतिशत पर पुन: निर्धारित कर दिया गया है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पुलों के लिए अतिरिक्त निधियां

4165. श्री अर्जुन सेठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरण में उन्नयन/निर्माण के लिए चुनी गई सड़कों पर पुलियों/पुलों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं था;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सहित कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी) ने ऐसे अधूरे पी.एम.जी.एस.वाई सड़कों पर आवश्यक पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) क्रास ड्रेनेज कार्यों सहित सड़क कार्य, भूतल परिवहन मंत्रालय/भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार क्रियान्वित किए गए थे।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 15 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले पुलों को पीएमजीएसवाई के पहले तथा दूसरे चरणों में शामिल नहीं किया गया था

(घ) विद्यमान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में जहां आवश्यक हो, छोटे पुलों का प्रावधान है। 25 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले पुल के मामले में 25 मीटर से अधिक की यथानुपात लागत और अन्य प्रभार, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने से होते हैं। पुलों, यदि कोई हो, के साथ-साथ निर्माण कार्यों के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किए जाते हैं।

केतन पारिख घोटाला

4166. चौ. मुनव्वर हसन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआई ओ) ने केतन पारिख घोटाले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) मंत्रालय को केतन पारिख घोटाले पर विशेष धोखाधड़ी जांच कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 26.3.2007 को प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट मामले (मामलों) पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर दी गई है।

विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत

4167. श्री नरहरि महतो:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जल, तापीय, कोल आधारित तथा गैस आधारित परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में उपभोक्ताओं को कम लागत वाली विद्युत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत स्टेशन दर स्टेशन आधार पर भिन्न-भिन्न होती है और यह मुख्यत: संयंत्र के प्रकार, प्रयुक्त ईंधन, स्थान, आकार, आयु और क्षमता पर निर्भर करती है। इन कारकों के आधार पर उत्पादन लागत में अंतर होता है।

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 में उत्पादन के लिए एक प्रतिस्पर्द्धा ढांचा तैयार किया गया, जिससे लागतें क्रमिक रूप से कम होती जाएं।

राष्ट्रीय विद्युत नीति में संभाव्य जल विद्युत क्षमता के पूर्ण विकास पर अधिकतम ध्यान दिया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की लागत दीर्घावधि में पर्याप्त कम होती है।

थर्मल विद्युत के लिए नीति में यह कहा गया है कि उपलब्ध विकल्पों के बीच ईंधन चयन हेतु विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति में किफायत को आधार माना जाए। नए उत्पादन केन्द्रों का ईंधन स्रोतों उदाहरणार्थ पिटहेड स्थानों अथवा भार केन्द्रों के पास होना आर्थिक रूप से किफायती होगा।

दिनांक 06.01.2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति में यह व्यवस्था है कि विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार अथवा जहां अभिनिर्धारित विकासक के रूप में राज्य द्वारा नियंत्रित/स्वामित्व वाली कंपनी हो, के मामले को छोड़कर विद्युत की सभी भावी जरूरतों को वितरण लाइसेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धी रूप में पूरा किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए, सभी नई उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं की टैरिफ, 5 वर्ष की अवधि के बाद अथवा जब विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी प्रतिस्पर्द्धा के लिए आधार भूमि तैयार हो गई है, प्रतिस्पर्द्धात्मक आधार पर तय की जाए।

थर्मल परियोजनाओं के लिए कैप्टिव कोयला खनन को इस दृष्टि से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अन्य बातों के साथ-साथ कोयला आधारित स्टेशनों के लिए ईंधन लागत को कम किया जा सके।

कमजोर निष्पादन कर रहे थर्मल विद्युत स्टेशनों की प्रचालनात्मक क्षमता नवीकरण व आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अनुसरण करने के जरिए बढ़ गई है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2004-09 अवधि के लिए जारी टैरिफ के निबंधन और शर्तों से प्रचालनात्मक मानदंडों में सुधार हुआ है।

मेगा विद्युत नीति में इस नीति की पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली उत्पादन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत उपकरणों के आयात और घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं हेतु परिकल्पित निर्यात लाभों के लिए शून्य सीमा शुल्क की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने पूर्व में विद्युत परियोजनाओं के लिए नाप्था और प्राकृतिक गैस तथा कोयले पर सीमा को भी कर दिया था।

[अनुवाद]

कर मुक्त क्षेत्र

4168. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर मुक्त क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों को कर मुक्त क्षेत्र घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित औद्योगिकी उपक्रमों को कर अवकाश एवं रियायतें प्रदान करता है।

(ख) से (घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा निम्न लागत वाले विद्युत संयंत्रों की स्थापना

4169. श्री विजय कृष्ण:
श्री जुएल ओराम:
श्री अनन्त नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) का विचार देश में निम्न लागत वाली कुछ विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की स्थापना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एनटीपीसी लि. का मुख्य कार्य है। उचित टैरिफ पर विद्युत उत्पादन करने के लिए एनटीपीसी लि. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया आदि जैसे उपाय करता है। इससे सर्वाधिक प्रतियोगी मूल्य लाने में सहायता मिलती है और विद्युत संयंत्र की प्रति मेगावाट संस्थापना लागत में कमी आती है।

राज्यों के नाम के साथ 11वीं योजना की एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाओं की सूची *विवरण* के रूप में संलग्न है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि हेतु एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाओं (अनुमोदित एवं निर्माणाधीन, अनुमोदित और नई परियोजनाएं) की सूची

क्र.सं.	परियोजना	राज्य
1	2	3
अनुमोदित एवं निर्माणाधीन परियोजनाएं		
1.	कहलगांव एसीटीपीपी-II फेज-I @	बिहार
2.	कहलगांव एसटीपीपी-II फेज-II*	बिहार
3.	सीपत एसटीपीसी-II	छत्तीसगढ़
4.	सीपत एसटीपीपी-I*	छत्तीसगढ़
5.	बाढ़ एसटीपीपी*	बिहार
6.	कोरबा-III	छत्तीसगढ़
7.	भिलाई विस्तार विद्युत परियोजना	छत्तीसगढ़
8.	फरक्का-III	पश्चिम बंगाल
9.	एनसीटीपीपी-II, दादरी	उत्तर प्रदेश
10.	सिम्हाद्री-II*	आंध्र प्रदेश
11.	कोलडैम एचईपीपी*	हिमाचल प्रदेश
12.	लाहरीनागपाला एचईपीपी*	उत्तराखंड
13.	तपोवन विष्णुगाड एचईपीपी	उत्तराखंड
अनुमोदित परियोजना		
1.	नबीनगर टीपीपी @ रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम	बिहार
2.	झज्जर में अरावली एसटीपीपी* एचपीजीसीएल और आईपीजीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम	हरियाणा
3.	बाढ़ एसटपीपी-II*	बिहार
4.	बोंगाईगांव टीपीपी*	असम
5.	नॉर्थ करनपुरा @*	झारखंड
6.	मौदा*	महाराष्ट्र
7.	बदरपुरा-III*	दिल्ली
8.	कवास-II सीसीपीपी*	गुजरात
9.	झनौर गांधार-II सीसीपीपी*	गुजरात

*मेगा प्रोजेक्ट्स
@ 11वीं योजना में आंशिक लाभ
एचईपीपी-हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट
एसटीपीपी-सुपर थर्मल पावरी प्रोजेक्ट
सीसीपीपी-कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट

[हिन्दी]

कचरे के निपटान के लिए योजना

4170. **श्री पारसनाथ यादव:**
श्री निखिल कुमार:
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री अधीर चौधरी:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश कुछ शहरों में कचरे को उर्वरक में रूपान्तरित करने की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना वर्तमान में कितने शहरों में क्रियान्वित की जा रही है तथा उक्त योजना के विस्तार के लिए क्या स्कीम तैयार की गई है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने विशेषकर पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंध के वैज्ञानिक तरीकों के विकास के लिए सहायता की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऋण वसूली अधिकरण

4171. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्य कर रहे ऋण वसूली अधिकरणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अधिकरणों द्वारा मार्च, 2007 तक कितने मामलों का निपटान किया गया तथा अधिकरण-वार कितने ऋण की वसूली की गई;

(ग) प्रत्येक अधिकरण में अभी भी कितने मामले लंबित है; और

(घ) इन मामलों को निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के तहत, मामलों का निपटान किया जाता है। हालांकि इस अधिनियम में संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान है, परन्तु सरकार इन मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा नहीं दे सकती।

विवरण

क्र.सं.	ऋण वसूली अधिकरण का नाम	मार्च 2007 तक निर्णीत मामले	मार्च 2007 तक वसूली गई ऋण की राशि (करोड़ रु. में)	मार्च 2007 तक लंबित पड़े मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	3887	356.29	1607
2.	इलाहाबाद	2097	1770	527
3.	औरंगाबाद	588	533.73	185
4.	बंगलौर	7726	2490.02	1620
5.	चंडीगढ़-I	2976	566.92	938
6.	चंडीगढ़-II	140	47.97	1053
7.	चेन्नई-I	5239	1776	1116
8.	चेन्नई-II	2375	675.40	681
9.	चेन्नई-III	9	3.29	39
10.	कोयम्बटूर	2366	541.64	1711

1	2	3	4	5
11.	कटक	1307	234.61	199
12.	दिल्ली-I	4800	2452.47	713
13.	दिल्ली-II	1458	1491.05	1281
14.	दिल्ली-III	787	154.11	687
15.	एर्नाकुलम	3442	994.72	969
16.	गुवाहाटी	767	109.52	111
17.	हैदराबाद	3608	1690.96	1105
18.	जबलपुर	2170	632.65	497
19.	जयपुर	3042	805.10	275
20.	कोलकता-I	1947	562.53	1423
21.	कोलकता-II	816	148.27	891
22.	कोलकता-III	145	215.33	332
23.	लखनऊ	1213	397.77	662
24.	मुम्बई-I	2906	9782.74	906
25.	मुम्बई-II	3857	2044.20	791
26.	मुम्बई-III	2906	247.07	1169
27.	मदुरई	0	0.56	286
28.	नागपुर	856	596	190
29.	पुणे	1734	315.06	545
30.	पटना	1468	190.14	512
31.	रांची	272	28.69	185
32.	विशाखापट्टनम	1233	366.01	488

टाईटेनियम पर सीमा शुल्क में कमी

4172. श्री पी.सी. थामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को टाईटेनियम तथा इसके उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार को टाईटेनियम डायोक्साईड पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 7.5% करने के अनुरोध से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार करते

हुए फिलहाल टाईनियम डायोक्साईड और इसके उत्पादों के लिए सीमा शुल्क ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना

4173. श्री रामदास आठवले: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार चालू बायो-गैस संयंत्रों को ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना की गई;

(ग) क्या बाजार में बायो-गैस चूल्हा उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) बायोगैस संयंत्रों के संबंध में विस्तृत जानकारी, जिसमें अकार्यशील संयंत्रों के संबंध में सूचना भी शामिल है सामान्यतया राज्य नोडल विभागों/एजेंसियों द्वारा ब्लॉक/जिला स्तर पर; खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालयों और संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के मुख्यालय में रखी जाती है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2000-01 में 19 राज्यों में किए गए एक नैदानिक (डायोग्नोस्टिक) नमूना अध्ययन में यह रिपोर्ट दी गई कि सर्वेक्षण किए गए लगभग 81 प्रतिशत संयंत्र कमीशन किए हुए पाये गए। वर्ष 2005-06 के दौरान मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए हाल के नमूना निरीक्षण म

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में निरीक्षण किए गए बायोगैस संयंत्रों में 91 प्रतिशत संयंत्रों की औसत कार्यशीलता की रिपोर्ट दी गई है।

(ख) मंत्रालय के 'राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी)' के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में संचयी रूप से कुल 2.61 लाख पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थापित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार सख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष (2007-08) के दौरान विभिन्न राज्यों और एजेंसियों को 1,01,860 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य आबंटित किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05 से के दौरान संस्थापित बायोगैस संयंत्रों की राज्य-वार संख्या

(संयंत्रों की संख्या)

राज्य/एजेंसी	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	13000	7500	18002
अरुणाचल प्रदेश	136	34	-
बिहार	252	-	-
छत्तीसगढ़	3420	3862	1406
गोवा	88	86	60
गुजरात	6474	5001	8000

1	2	3	4
हरियाणा	1340	985	1055
हिमाचल प्रदेश	250	79	155
झारखंड	400	125	—
कर्नाटक	11100	1747	2801
केरल	2576	2100	2735
मध्य प्रदेश	10416	6738	6880
महाराष्ट्र	8776	7599	15000
मणिपुर	115	—	—
मेघालय	200	55	60
मिजोरम	123	100	67
नागालैण्ड	300	100	—
उड़ीसा	8950	1500	3922
पंजाब	880	1685	1437
राजस्थान	—	3	—
सिक्किम	200	100	185
तमिलनाडु	1622	1492	727
उत्तर प्रदेश	6889	3753	2734
उत्तरांचल	478	306	351
पश्चिम बंगाल	13473	7578	8500
खादी और ग्रामोद्योग आयोग	15157	10000	15053
अन्य	2851	—	—
कुल	1,09,466	62,528	88,930*

*आंकड़ों को निश्चित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एस.जी.एस.वाई का घटिया क्रियान्वयन

4174. श्री मित्रसेन यादव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऋण प्रदान करने में बैंकों के उदासीन रवैये के कारण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) का क्रियान्वयन आशाओं के अनुरूप नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार निष्कर्ष क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एस.जी.एस.वाई. के सम्पूर्ण एवं संतोषजनक क्रियान्वयन के लिए इसके दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ऋण-सह-सब्सिडी योजना है। हालांकि सब्सिडी केवल लघु तथा सहायक घटक है, जबकि ऋण योजना का महत्वपूर्ण घटक है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, बैंक सामान्यतया योजना के अंतर्गत ऋण भुगतान लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले को नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर आरबीआई तथा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाता है। इस उपायों से वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान लक्ष्य का 77% ऋण जुटाया गया है।

(ग) और (घ) योजना के मूल्यांकनों/अध्ययनों तथा बैंकों की भागीदारी से संबंधित उनके निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है। निष्कर्ष राज्य विशिष्ट नहीं हैं बल्कि समूची तस्वीर को उजागर करते हैं।

(1) एसजीएसवाई (2002-03) संबंधी समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार बैंक प्रणाली से संबंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा बताई गई प्रमुख शिकायतों में बैंकों द्वारा सहयोग न करना (58.18%), बैंक की व्यवस्था में स्वाभाविक विलम्ब (53.54%), सहायता के भुगतान में विलम्ब (50.73%) शामिल है।

(2) 2005 में एनआईआरडी ने भी अध्ययन किया था। अध्ययन के अनुसार (1) बैंक में अन्य कारीगर आधारित या विनिर्माण क्रियाकलापों की तुलना में ऐसे क्रियाकलापों में सहायता करना चाहते थे जिसके लिए अवसंरचना, परिसंपत्ति बीमा, समूह व्यवहार्यता तथा बाजार की व्यवस्था है (जैसे कि डेयरी, भेड़, बकरी, सिंचाई, कृषि तथा भूमिविकास आदि)। (2) अधिकांश बैंक कुछ क्रियाकलापों के लिए ऋण की निर्धारित न की हुई अधिकतम सीमा का अनुपालन कर रहे हैं। इसकी वजह से कम-वित्तपोषण हो रहा है विशेषकर कारीगर आधारित क्रियाकलापों जैसे कि हथकरघा, हस्तशिल्प आदि में, (3) 30% मामलों में बैंक ऋण को लेन-देन कर रहे थे तथा निर्धारित 3 वर्षीय स्थगन अवधि का पालन नहीं कर रहे थे।

(3) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) ने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के साथ 9 राज्यों के निर्धारित जिलों में एसजीएसवाई के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान कार्य अनुसंधान परियोजना शुरू की है। अध्ययन से पता चला है कि (1) उच्च एनपीए स्तर तथा कम लाभ एसजीएसवाई योजना के अंतर्गत ऋण के भुगतान के लिए शाखा प्रबंधकों को हतोत्साहित करता है। (2) शाखाएं संपार्श्विक विकल्प पर बल देकर लघु वित्त पोषण दृष्टिकोण के बजाय वास्तविक प्रतिभूति पर आधारित ऋण देने की परम्परागत प्रक्रिया अपनाती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि शाखा प्रबंधक उन्हें उपयुक्त ग्राहक नहीं मानते हैं। (3) एसजीएसवाई योजना के अंतर्गत ब्याज देने के बराबर है। (4) अधिकांश शाखाएं सब्सिडी सहित कुल बकाया राशि पर ब्याज ले रहे हैं जबकि ब्याज की गणना करते समय सब्सिडी को सामान्य रूप से इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) जी, हां। मंत्रालय इस समय एसजीएसवाई के दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर रहा है ताकि योजना को बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों का विकास

4175. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से छोटे तथा मध्यम वर्गीय शहरों के विकास हेतु समेकित योजना के अंतर्गत कई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत मिलने के बाद धनराशि का एक हिस्सा जारी कर दिया गया है तथा शेष धनराशि को अभी किया जाना शेष है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक शेष धनराशि जारी न किए जाने के क्या कारण है तथा इन्हें कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। छोटे एवं मझोले कस्बों के समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आइडीएसएमटी) के तहत योजना के प्रारंभ (1979-80) से 31.3.2007 तक मध्य प्रदेश के 146 कस्बों को 6422.04 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह योजना दिनांक 3.12.2005 से छोटे व मझोले कस्बों के शहरी अवस्थापना विकास (यूआईडीएसएसएमटी) की नई योजना में मिला दी गई है। इसके बाद से सभी नए प्रस्तावों पर यू आई डी एस एम टी के तहत विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा मुखबिरों को पुरस्कृत करना

4176. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुंबई के उन मुखबिरों को पुरस्कृत करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए से ऊपर के कर अपवंचन का पर्दाफाश करने में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग की सहायता की थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन मुखबिरों तथा अधिकारियों के लिए अंतिम रूप से पुरस्कार की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की एक विशेष श्रेणी वाले राज्य के रूप में घोषणा

4177. श्री जुएल ओराम:
श्री परसुराम माझी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा को एक विशेष श्रेणी वाला राज्य घोषित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा समुच्चय मानदण्डों के आधार पर दिया जाता है, जिसमें-पड़ोसी देशों की सीमा के साथ स्ट्रेटजिक अवस्थिति, पर्वतीय भूभाग, अपर्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना, अधिक जनजातीय जनसंख्या की बहुलता तथा विकासात्मक जरूरतों की तुलना में राजस्व का सीमित एवं कमजोर आधार शामिल हैं। राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने में राष्ट्रीय विकास परिषद को अनुमोदन अपेक्षित होता है। मौजूदा समय में उड़ीसा को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार में विचारधीन नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद

4178. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य कौन-कौन है;

(ख) क्या इस परिषद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कतिपय सुझाव दिए है;

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिए गए तथा उनके क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सुझावों को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिनांक 30.3.2007 को हुई परिषद की दूसरी बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव और सरकार द्वारा उस पर लिया गया निर्णय नीचे दिए गए अनुसार है:

क्र.सं.	दिए गए सुझाव	लिए गए निर्णय
1.	परिषद के सदस्य क्षेत्र दौरा करें	सदस्य, 3-4 सदस्यों के छोटे-छोटे समूहों में विभिन्न राज्यों का दौरा कर सकते हैं और अपने दौरे के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सदस्य सचिव को प्रस्तुत करें।
2.	राज्य और मंत्रालय दोनों स्तर पर एनआरईजीए के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करना	परिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी, निगरानी प्रणालियों, स्टॉफ संरचना को सुदृढ़ करने, पेशेवर विशेषज्ञों को तैनात करने और राष्ट्रीय स्तर पर एनआरईजीए के लिए अवसंरचनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अनुमोदन किया।
3.	सामाजिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता	यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए क्षमता करने का प्राथमिकता दी जाएगी।

विवरण

(क)	**केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री**	पदेन अध्यक्ष
(ख)	**सचिव, भारत सरकार**	पदेन सदस्य
	(1) ग्रामीण विकास विभाग	
	(2) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम का न हो	"
	(3) कृषि मंत्रालय को एक नामित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम का न हो	"
	(4) पर्यावरण एवें वन मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम का न हो	"
	(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम का न हो	"
	(6) पंचायती राज मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम का न हो	"
	(7) जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम का न हो	"
	(8) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम का न हो	"
	(9) योजना आयोग के सलाहकार, जो ग्रामीण विकास संबंधी कार्य करते हों,	"
(ग)	**राज्य सरकारों के प्रतिनिधि**	
	(1) सचिव (ग्रामीण विकास), आंध्र प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
	(2) सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), असम सरकार	"
	(3) सचिव (ग्रामीण विकास), बिहार सरकार	"

	(4) सचिव (ईजीएस), महाराष्ट्र सरकार	"
	(5) सचिव (ग्रामीण विकास), उत्तर प्रदेश सरकार	"
	(6) सचिव (ग्रामीण विकास), पश्चिम बंगाल सरकार	"
(घ)	**पंचायती राज संस्थाओं के गैर-सरकारी सदस्य, श्रमिकों एवं लाभ से वंचित समूहों का संगठन**	
	(1) श्री रामचन्द्र खूंटिया	सदस्य
	(2) श्री अश्क अली	"
	(3) श्रीमती बचा झांसी लक्ष्मी, अध्यक्ष जिला परिषद, विजयनगरम	"
	(4) श्रीमती रजनी राणा प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत, गोंदिया, महाराष्ट्र	"
	(5) श्री बी.डी. शर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)	"
	(6) श्रीमती अरूणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन	"
	(7) श्री महेन्द्र बोध	"
	(8) श्रीदेवी दयाल, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)	"
	(9) श्रीमती सुभाषिनी अली	"
	(10) श्री ए. वरदराजन	"
	(11) श्रीमती अनि राजा, 309	"
	(12) श्री रॉबर्ट मिन्ज	"
(ङ)	**राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य**	
	(1) डॉ. एलोयसियस फर्नांडीज, कार्यकारी निदेशक, एमवाईआरएडीए	सदस्य
	(2) डॉ. जीन ड्रेज, जी.बी.पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान	"
	(3) डॉ. डी. बंदोपाध्याय, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)	"
(च)	**संयुक्त सचिव, भारत सरकार जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रभारी हैं।**	सदस्य
(छ)	**संयुक्त सचिव, पीएमओं और श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव, जो परिषद की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति हैं।**	

[अनुवाद]

ग्लोबल वार्मिंग

4179. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई उन क्षेत्रों में आता है जिन्हें ग्लोबल वॉर्मिंग का सामना करने का खतरा है, जैसा कि दिनांक 29 मार्च, 2007 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(श्री कपिल सिब्बल): (क) टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लेख (दिनांक 29 मार्च, 2007 और लंदन के थॉमस वेग्नर द्वारा लिखित) विश्व के तटीय शहरों पर की गई रिपोर्ट/अध्ययन पर आधारित है न कि विशेष रूप से मुंबई के अध्ययन पर आधारित है। लेख में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि तटीय शहरों की ओर गमन को रोका जाए तथा बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और उसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप तटीय बस्तियों में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है।

(ख) और (ग) ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे चिंता वाले मुद्दों को प्रकाश में लाए जाने के कारण कुछ ऐसे अध्ययन/रिपोर्ट तैयार की गई है जिनमें विभिव परिदृश्यों का अनुमोदन लगाया गया है। ये अनुमान अलग-अलग स्तर की विश्वसनीयता वाले है और इन्हें अनुभव सिद्ध प्रमाण से परखे जाने की जरूरत है। अनिश्चिताएं होने के बावजूद भी सरकार ने जलवायु परिर्वतन में कमी करने तथा इसके दुष्प्रभाव को कम करने की दृष्टि से ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, ऊर्जा संरक्षण, वनीकरण, वनों को संरक्षण, व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण गुणता प्रबंधन प्रारंभ करने जैसी कुछ नई पहल आरंभ की है।

स्वच्छ शौचालय

4180. श्री अनवर हुसैन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में स्वच्छ शौचालय वाले परिवारों, पिट शौचालय वाले परिवारों, अन्य शौचालय वाले परिवारों तथा बिना शौचालय वाले परिवारों का राज्य-वार अलग-अलग प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक परिवार को स्वच्छ शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष कार्यक्रम चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार देश (ग्रामीण तथा शहरी) में जल शौचालय वाले परिवारों, पिट शौचालय, अन्य शौचालय तथा बिना शौचालय वाले परिवारों के राज्यवार प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चल रहे कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को स्वचछ शौचालय मुहैया कराना है। यह जिले में इकाई के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस समय देश के 572 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है।

(घ) 2012 ई. तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वच्छता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

देश (ग्रामीण+शहरी) में घरेलू शौचालय की राज्यवार कवरेज

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की सं.	पिट शौचालय वाले परिवार	जल शौचगृह वाले परिवार	अन्य शौचालय वाले परिवार	बिना शौचालय का % वाले परिवार	पिट शौचालय का %	जल शौचालय का %	अन्य शौचालय	शौचालय की % सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	16,849,857	1,439,884	3,053,673	1,065,649	11,290,651	8.55%	18.12%	6.32%	67.01%
पांडीचेरी	208,655	3,702	95,382	5,126	104,445	1.77%	45.71%	2.46%	50.06%
तमिलनाडु	14,173,626	1,035,315	3,291,248	656,257	9,190,806	7.30%	23.22%	4.63%	64.84%
लक्षद्वीप	9,240	50	7,610	582	998	0.54%	82.36%	6.30%	10.80%
कर्नाटक	10,232,133	1,368,797	1,907,116	561,113	6,395,107	13.38%	18.64%	5.48%	62.50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	6,595,206	815,221	4,299,445	426,102	1,054,438	12.36%	65.19%	6.46%	15.99%
जम्मू और कश्मीर	1,551,768	269,504	137,052	418,046	727,166	17.37%	8.83%	26.94%	46.86%
हिमाचल प्रदेश	1,240,633	181,333	141,411	91 ,974	825,915	14.62%	11.40%	7.41%	66.57%
पंजाब	4,265.156	1,037,560	870,241	516,632	1,840,723	24.39%	20.40%	12.11%	43.16%
हरियाणा	3,529,642	786,921	385,046	398,838	1,958,837	22.29%	10.91%	11.30%	55.50%
चंडीगढ़	201,878	3,212	137,926	18,048	42,692	1 .59%	68.32%	8.94%	21.15%
दिल्ली	2,554.149	417,854	1,161,494	411,861	562,940	16.36%	45.47%	16.13%	22.04%
सिक्किम	104,738	27,547	33,648	5,189	38,354	26.30%	32.13%	4.95%	36.62%
पश्चिम बंगाल	15,715,915	2,755,422	3,292,027	822,328	8,846,138	17.53%	20.95%	5.23%	56.29%
उड़ीसा	7,870,127	312,527	691,403	168,277	6,697,920	3.97%	8.79%	2.14%	85.11%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73,062	7,732	22,866	8,326	34,138	10.58%	31.30%	11.40%	46.72%
अरुणाचल प्रदेश	212,615	54,947	23,439	41,321	92,908	25.84%	11.02%	19.43%	43.70%
मेघालय	420,246	128,375	51,774	34,995	205,102	30.55%	12.32%	8.33%	48.81%
नागालैण्ड	332,050	152,410	28,960	52,949	97,731	45.90%	8.72%	15.95%	29.43%
मिजोरम	160,966	100,154	31,441	11,690	17,681	62.22%	19.53%	7.26%	10,98%
मणिपुर	397,656	265,863	34,523	25,829	71,441	66.86%	8.68%	6.50%	17.97%
त्रिपुरा	662,023	411,109	77,394	50,701	122,819	,62.10%	11.69%	7.66%	18.55%
असम	4,935,358	2,168,502	784,611	237,226	1,745,019	43.94%	15.90%	4.81%	35.36%
उत्तरांचल	1,586,321	296,799	245,025	175,163	869,334	18.71%	15.45%	11.04%	54.80%
झारखंड	4,862.590	159,103	521,865	275,714	3,905,908	327%	10.73%	5.67%	80.33%
उत्तर प्रदेश	25,760,601	2,651,088	2,054,535	3,389,803	17,665,175	10.29%	7.96%	13.16%	68.57%
बिहार	13,982.590	906,059	1,101,094	676.198	11,299,239	6.48%	7.87%	4.84%	80.81%
राजस्थान	9,342,294	977,831	1,114,296	616,762	6,633,405	10.47%	11.93%	6.60%	71.00%
छत्तीसगढ़	4,148,518	100,335	367,929	120,935	3,559,319	2.42%	8.87%	2,92%	85.80%
मध्य प्रदेश	10,919.653	647,998	1,361,758	609,690	8,300,207	5.93%	12.47%	5.58%	76.01%
गोवा	279,216	52,584	83,147	27,991	115,494	18-83%	29.78%	10.02%	41.36%
गुजरात	9,643,989	842,304	2,997,997	461,190	5,342,498	8.73%	31.09%	4.78%	55.40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	19,063,149	1 ,695,494	4,165,636	827,338	12,374,681	8.89%	21.85%	4.34%	64.91%
दमन और दीव	34,342	2,488	11,886	716	19,252	7.24%	34.61%	2.08%	56.06%
दादरा और नगर हवेली	43,973	462	13,548	308	29,655	1.05%	30.81%	0.70%	67.44%
	191,963,935	22,076,486	34,598,446	13,210,867	122,078,136	11.50%	18.02%	6.88%	63.59%

स्रोत: जनगणना 2001

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकिंग सेवाओं का पारस्परिक विस्तार

4181. श्री बापू हरी चौरे:

श्री संजय धात्रे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकिंग सेवाओं का पारस्परिक विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। पारस्परिक आधार पर एक दूसरे के देश में भारत और पाकिस्तान के बैंकों की दो शाखाएं खोलने की अनुमति देने पर भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है। शाखाएं खोलने की अनुमति दिए जाने वाले विशेष बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान द्वारा अपनी विनियामक नीतियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति बनाई जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान में अपनी शाखाएं खोलने के लिए स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान से हबीब बैंक लि. नैशनल बैंक आफ पाकिस्तान तथा युनाइटेड बैंक लि. ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने की इच्छा व्यक्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर की स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के गर्वनर के साथ दिनांक 26.09.2006 को आयोजित बैठक में यह सहमति हुई थी कि एक दूसरे के देश में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को लाइसेंस परस्पर और एक साथ खोले जाने के आधार पर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

कृषि ऋण पर ब्याज दर

4182. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सहकारी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कृषि ऋण पर ब्याज दर हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) किसानों द्वारा प्राप्त किए गए फसल ऋण ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से, खरीफ एवं रबी 2005-06 प्रत्येक मौसम के लिए 1,00,000/- रुपये तक के मूलधन पर उधारकर्ता की देयता के दो प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि को उनके खाते में जमा किया गया था। तत्पश्चात, खरीफ 2006 से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान को 3 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के साथ मूलधन पर 7% की ब्याज दर पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों को अपने स्वयं के संसाधनों से उधार देने पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से उनकी उधारराशियां लेने पर, रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान कर रही है।

कॉरपोरेट्स द्वारा आयकर छूट का दुरूपयोग

4183. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत में कॉरपोरेट्स द्वारा दान में दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई कम्पनियां केवल कर से बचने के लिए धोखाधड़ी करने वाली धर्मार्थ संस्थाओं को अंशदान दे रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार चंदे से संबंधित कानून को और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.पलानीमनिक्कम): (क) आयकर विभाग भारत में कार्पोरेट्स द्वारा धर्मार्थ में दिए गए दान के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखता है। विनिर्दिष्ट/अनुमोदित धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र हैं। कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए कार्पोरेट कर निर्धारितियों द्वारा दाखिल की गई ई-विवरणियों के अनुसार, कार्पोरेट कर निर्धारितियों द्वारा दाखिल की गई ई-विवरणियों के अनुसार, कार्पोरेट कर निर्धारितियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अन्तर्गत दावा की गई कटौती की कुल राशि 10445.38 करोड़ रुपए है। पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कार्पोरेट कर-निर्धारितियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विवरणियां दाखिल करना कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 से ही अनिवार्य बनाया गया था।

(ख) अभी तक ऐसा कोई दृष्टांत सामने नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) और (ङ) धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान संबंधी कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार के पास भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बैंकों में ए.टी.एम. लगाना

4184. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रेलवे स्टेशनों पर बैंकों में ए.टी.एम. लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे रेलवे स्टेशन कितने हैं जहां चालू वर्ष के दौरान इन्हें लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों ने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) कार्यान्वित किया है, उनका रेलवे प्राधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन प्रमुख/चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर एटीएम लगाने का प्रस्ताव है। एटीएम का स्थान रेलवे प्राधिकारियों द्वारा विशिष्ट स्थल की मंजूरी पर निर्भर करेगा। चालू वर्ष में रेलवे स्टेशनों पर स्थलेतर एटीएम लगाने का कोई अलग लक्ष्य नहीं है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान रेलवे स्टेशनों पर स्थलेतर एटीएम लगाने के लिए बैंकों से प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा प्राधिकरण नीति संबंधी वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

गायब हो जाने वाली कंपनियां

4185. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 2007 तक गायब हो जाने वाली कंपनियों के कारण जनता को कितनी धनराशि की हानि/फंसने को अनुमान लगाया गया है;

(ख) इन कंपनियों के प्रमोटरों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा, 62/63, 68 तथा 628 के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किए गए है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गायब होने वाली कंपनियों के कारण कितने निवेशकों के प्रभावित होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने कंपनियों के इस प्रकार गायब होने की घटनाओं को कम करने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चंद गुप्ता): (क) लगभग 799.31 करोड़ रुपये की पूंजी आकार के निर्गम वाली लुप्त कंपनियों की संख्या अभी 114 ही है।

(ख) कंपनी अधिनियमत, 1956 की धारा 62/63, 68 और 628 के अन्तर्गत 107 कंपनियों और इनके प्रवर्तकों/निदेशकों तथा सांविधिक रिटर्न न भरने वाली 94 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किये गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 403, 415, 418 और 424 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए 102 कंपनियों और इनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

(ग) लुप्त कंनियों के कारण बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है। इन निवेशकों की सही संख्या शेयरों के अन्तरण आदि के माध्यम से निरन्तर परिवर्तन के मद्देनजर बता पाना निश्चित नहीं है।

(घ) और (ङ) लुप्त कंपनियों और इनके प्रवर्तकों से संबंधित मामलों की जांच करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करने के लिए सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय और चेयरमैन, सेबी की सह-अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय और निगरानी समिति गठित की गई है।

कंपनी अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत इन कंपनियों और इनके प्रर्वतकों/निदेशकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अतिरिक्त, कंपनी कार्य मंत्रालय ने एक ई-गवर्नेंस परियोजना कार्यान्वित की है जिसके अन्तर्गत प्राधिकृत निदेशकों और व्यवसायिकों की पहचान एक सुरक्षित ढंग से रखी जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कई मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ, कम्पनियों के प्रर्वतकों से संबंधित उच्चतर प्रकटीकरण अपेक्षाओं को लागू करने के लिए सेबी (प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा) दिशानिर्देशों में संशोधन भी किये हैं। सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11 ख के अंतर्गत 100 कंपनियों और 378 निदेशकों पर पांच वर्ष की अवधि तक किसी भी रूप में पूंजी बाजार से पैसा लेने पर प्रतिबंध लगाया है।

सेबी ने सूचीबद्ध करार के वर्तमान खंड 49 में संशोधन किया है जिसमें प्रवर्तकों से संबंधित विशेष प्रकटीकरण अपेक्षा को सुदृढ़ करने का प्रावधान है तथा जनता से एकत्र निधियों के उपयोग की निगरानी का प्रावधान भी है।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

4186. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार राज्यों की राज्य-वार ओवरड्राफ्ट स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ओवरड्राफ्ट घटाने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 के दौरान बेहतर वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शन किया है तथा ओवरड्राफ्ट घटाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की ओवरड्राफ्ट स्थिति अनुबंध में दी गई है। वर्ष 2005-06 में 8 राज्यों के ओवरड्राफ्ट की तुलना में केवल दो राज्यों अर्थात् केरल और नागालैंड ने 2006-07 में खाते में जमाराशि से अधिक रकम निकाली है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। 2005-06 में 8 राज्यों ने ओवरड्राफ्ट किया, जबकि 2006-07 में केवल 2 राज्यों ने ओवरड्राफ्ट किया। 2006-06 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय के साथ-साथ उत्तराखण्ड जैसे जिन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट किया था, 2006-07 में ओवरड्राफ्ट की स्थिति से बचने में कामयाब रहे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम का औसत उपयोग कम था तथा 2005-06 की तुलना में 2006-07 में काफी कम अवसरों पर ऐसा हुआ। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2005-06 और 2006-07 में अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का राज्यवार ब्यौरा (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	अर्थोपाय			ओवरड्राफ्ट		
		2005-06 दिवस संख्या	2006-07 दिवस संख्या	2005-06 अवसर संख्या	2005-06 दिवस संख्या	2006-07 अवसर संख्या	2006-07 दिवस संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	2	0	0	0	0
3.	असम	57	0	2	22	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	25	1	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
12.	केरल	240	223	11	63	9	63
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	41	42	1	20	0	0
15.	मणिपुर	63	0	1	44	0	0
16.	मेघालय	15	0	1	1	0	0
17.	मिजोरम	14	1	0	0	0	0
18.	नागालैण्ड	42	28	1	17	2	16
19.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	22	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	34	0	1	11	0	0
25.	उत्तराखंड	27	63	1	13	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0

नोट: जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार तथा सिक्किम सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन नहीं करती है।

राष्ट्रीय भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम

4187. डा. के. धनराजू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चलाए जा रहे राष्ट्रीय भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां वर्ष 2005-06, 2006-07 के दौरान उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कितना आबंटन किया गया तथा उसका उपयोग किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) की संकल्पना एक प्रमुख प्रणाली तथा सुधार प्रयास के रूप में की गई है जो कि न केवल भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, अद्यतनीकरण और अनुरक्षण तथा स्वामित्व अधिकारों के विधिमान्यकरण से संबंधित है, बल्कि एक कार्यक्रम के रूप में यह उपयोगिता में वृद्धि करेगा और जहां कहीं स्थान-विशिष्ट सूचना अपेक्षित है, वहां विकास आयोजना के लिए एक विस्तृत साधन आधार उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य नागरिक सेवाएं जैसे निर्धारित पैमाने पर तैयार मानचित्रों (मैप्स टू स्केल) सहित अधिकारों के अभिलेख (आर.ओ.आर) उपलब्ध कराना; अन्य भूमि आधारित प्रमाण-पत्र जैसे जाति प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में), अधिवास प्रमाण-पत्र; विकास कार्यक्रमों के लिए पात्रता संबंधी सूचना; भूमि संबंधी पास-बुकें आदि उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा, यह कार्यक्रम सरकारों-केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के लिए भूमि राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण और इसमें कार्यकुशलता लाने में अत्यधिक लाभकारी होगा तथा विभिन्न भूमि आधारित विकासात्मक कार्यकलापों की आयोजना करने के लिए एक विस्तृत साधन आधार उपलब्ध कराएगा। तथापि, राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

भारतीय स्टेट बैंक में भर्ती

4188. श्री अनन्त नायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न संवर्गों में कितने उम्मीदवार भर्ती किये गए हैं;

(ख) इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने उम्मीदवारों की भर्ती की गई है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बकाया रिक्तियों को भर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्पिरिट और वाहन पर शुल्क

4189. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय आयोग द्वारा कराए गए अध्ययन से यह पता चला है कि कुछेक भारतीय राज्यों में आयातित स्पिरिट तथा वाहन पर शुल्क तथा करों का योग आयातित स्पिरिटों का 550% तक तथा वाहन पर 264% तक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातित वाइन तथा स्पिरिट पर शुल्क तथा करों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम प्रभावित हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार आयातित वाइन तथा डिस्टिल्ड वॉटर पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट में मुख्य रूप से दो मुद्दों को शामिल किया गया है। प्रथमत: भारत में यूरोपीय आयोग के शराब और स्पिरिट का बाजार बढ़ रहा है जिसे शुल्क ढांचे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और द्वितीयत: अतिरिक्त शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क का लगाया जाना जी.ए.टी.टी., 1994 के अंतर्गत हमारे दायित्वों का उल्लंघन है।

(ग) और (घ) सरकार ऐसे तरीकों की जांच कर रही है जिनमें घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करते समय यूरोपीय आयोग की चिन्ताओं को ध्यान में रखा जा सके।

गुंडिया जल विद्युत परियोजना

4190. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन लि. ने कर्नाटक में हासन जिले में स्थापित किए जाने वाले गुंडिया जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे वर्ष 2006 के दौरान तकनीकी-आर्थिक मंजूरी हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है तथा इसे कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) ने जुलाई. 2006 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को गुंडिया जल विद्युत परियोजना (400 मे. वा.) की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी।

यह परियोजना नेत्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियों को जोड़कर पानी के एकत्रण की संकल्पना है तथा यह 600 मीटर हैड के समुपयोग द्वारा विद्युत उत्पादन करेगा। परियोजना में 200 मे. वा. प्रत्येक की दो यूनिटें होंगी। डीपीआर के अनुसार परियोजना की कुल अनुमानित हार्ड कॉस्ट जून 2006 के मूल्य स्तर पर 926.72 करोड़ रुपये है।

डीपीआर की जांच सीईए, केन्द्रीय जल आयोग तथा रियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में की गई। केपीसीएल द्वारा सीईए, सीडब्लूसी तथा जीएसआई के अभिमतों का पालन करना अपेक्षित था। चूंकि आवश्यक सूचनाएं सुनिश्चित नहीं की गई थीं, इस कारण डीपीआर की सहमति हेतु जांच नहीं हो पाई और इसे सीईए ने 11.8.2006 को केपीसीएल को लौटा दिया है।

[हिन्दी]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के लम्बित प्रस्ताव

4191. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कामगार सहकारी समितियों को रोजगार देने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

4192. श्री नवीन जिन्दल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को मंत्रालय के "उत्कृष्टता में भागीदारी" (पार्टनरशिप इन एक्सीलैंस) कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी, हां। 60% से कम संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर कार्य कर रहे ताप विद्युत संयंत्रों के निष्पादन में सुधार के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त, 2005 में 22 ताप विद्युत केंद्रों में'' उत्कृष्टत में भागीदारी'' (पीआईई) नामक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनटीपीसी/टाटा पावर जैसे बेहतर निष्पाद करने वाले केंद्रों के इंजीनियरों को कम पीएलएफ पर कार्यरत विद्युत केंद्रों में प्रतिनियुक्त किया गया ताकि वे इन केंद्रों के पीएलएफ में सुधार में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकें। स्टेशन का नाम, पीआईई के अंतर्गत कवर किए यूनिट, क्षमता, पीआईई कार्यक्रम के अंतर्गत एनटीपीसी के साथ भागीदारी में वर्तमान में कार्यरत 13 स्टेशनों का वार्षिक विद्युत उत्पादन संबंधी ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। गत वर्ष, अर्थात् 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान अतिरिक्त रूप से 3283 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया।

विवरण

एनटीपीसी के साथ कार्यरत पीआईई तथा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के ब्यौरे

क्रम सं	राज्य/यूटिलिटी	स्टेशन (पीआईई के अंतर्गत यूनिटों की संस्थापित क्षमता)	यूनिटों की संख्या	पीआईई के अंतर्गत डिरेटेड क्षमता (मेगावाट)	2005-06		2006-07		2006-07 में (अतिरिक्त उत्पादन (मि.यू.)
					वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)	वास्तविक पीएलएफ%	वास्तविक उत्पादन (मि.यू)	वास्तविक पीएलएफ%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) एनटीपीसी के साथ पीआईई स्टेशनों की उपलब्धि									
1.	डीवीसी	बोकारो बी-1,2,3 (3x210=630 मेगावाट)	3	630	2664	48.3	3298	59.8	635
2.		चन्द्रपुरा-1,2,3 (3x140=420 मेगावाट)	3	390	2026	59.3	2154	63.1	128
3.		दुर्गापुर डीवीसी-3,4 (1x140+1x210=350 मेगावाट)	2	350	1800	58.7	2070	67.5	271
4.	उत्तर प्रदेश यूपीआरयूएनएल	ओबरा-7 से 13 (2x100+5x200=1200 मेगावाट)	7	1188	5481	52.7	5247	50.4	-234
5.		हरदुआगंज-3,4*,7(2x60+1x110=230 मेगावाट)	3	215	354	25.3	710	50.7	356
6.		परीछा-1,2 (2x110=220 मेगावाट)	2	220	766	39.8	1126	58.4	360
7.		पनकी-3,4 (2x110 = 220 मेगावाट)	2	210	956	52.0	923	50.2	-33
8.	दिल्ली	राजघाट पीएच-1,2 (2x67.5=135 मेगावाट)	2	135	574	48.5	635	53.7	61
9.	आईपीजीसीएल	आईपी-2,3,4,5 (3x62.5+1x60=247.5 मेगावाट)	4	247.5	987	45.5	954	44.0	-32
10.	तमिलनाडु टीएनईबी	एन्नौर-2,3,5 (1x60+2x110=280 मेगावाट)	3	280	519	21.2	1394	56.8	875
11.	झारखंड जेएसईबी	तेनुघाट 1,2 (2x210=420 मेगावाट)	2	420	1534	41.7	2719	73.9	1185
12.	झारखंड जेएसईबी	पतरातू-1,2,6*,9*,10* (2x50+1x100+2x110=420 मेगावाट)	5	390	239	34.1	374	53.4	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	पश्चिम बंगाल डीवीसी	दुर्गापुर डीपीएल-1 से 6 (2x30+3x77+1x110=401 मेगावाट)	6	390	2207	64.6	1782	52.2	-425
		उप जोड़ (क)	44	5065.5	20106	48.8	23368	56.8	3283

*लंबे समय से बंद यूनिटों के उत्पादन की गणना नहीं की गई है।
प्रयोग किए गए संकेताक्षर:
डीवीसी-दामोदर वैली कारपोरेशन
यूपीआरवीयूएनएल-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आईपीजीसीएल-इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
टीएनईबी-तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड
टीवीएनएल-तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड
जेएसईबी-झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड

[हिन्दी]

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

4193. श्री एम. अंजनकुमार यादव क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ग्रामीण ऊर्जा संरक्षण के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए आंध्र प्रदेश को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) ग्रामीण ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम जैसा कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश को इस संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। आंध्र सरकार तथा डिस्कॉम दोनों ने जिन किसानों के पास-पंप-सेट्स हैं, उन्हें उनके पंप-सेट्स में केपेसिटर लगाए जा चुके हैं। सभी मुख्य केपेसिटर निर्माताओं को पंपसेट्से में केपेसिटर लगाने के लिए किसानों से संपर्क कर सीधे आदेश लेने को कहा गया था। किसानों के लाभ हेतु दर की भी चर्चा की गई। कतिपय जिलों में जिला सहकारी बैंकों, जिला सहकारी मार्केटिंग समितियों ने थोक में केपेसिटरों को खरीद कर लागत आधार पर किसानों में बांटा। आईएसआई पंपसेट्स एवं एचडीपीई पाइप के प्रयोग को प्रोत्साहन जैसी अन्य पहलें की जाती हैं।

(ग) कृषि पंपसेट्स रखने वाले किसानों द्वारा यह कार्यक्रम सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

गुजरात में नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास

4194. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सरकार ने देश भर के संस्थानों से नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। गुजरात में नैनो-प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि गुजरात में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान की गयी है। ब्योरे का विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2004-05 में गुजरात राज्य में मंजूर की गयी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	प्रधान जांचकर्ता एवं पता	मंजूर की गई लागत (रुपये)
1	2	3	4
1.	ईंधन सेल अनुप्रयोगों के लिए कार्बनिक/अकार्बनिक यौगिक प्रोटोन एक्सेचेंज मेम्ब्रेन का विकास।	डा. वी. के शशि, सेन्ट्रल साल्ट एंड मैरिन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, गिजू भाई बढेका मार्ग, भावनगर-364002	1461000
2.	सिंथेटिक प्रिकरसर्स और गैसों से एक्टिवेटेड कार्बन का विकास	प्रोफेसर (श्रीमती) एस. सम. मनोचा, पदार्थ विज्ञान विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्या नगर-388120	2390000
3.	फ्लोरोसेंट मोलेक्यूलर सेंसर्स: अभिकल्पना, संश्लेषण और केशन पहचान अध्ययन	डॉ पारिमल पॉल विश्लेषण विज्ञान प्रभागक, सेंट्रल साल्ट एंड मैरिन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीटयूट, गिजुभाई बढ़ेक मार्ग, भावनगर-364002	1646900
4.	वन स्टेप हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ बेंजेन टू फेनोल ऑवर ट्रांजिशन मेटल जिसमें हाईड्रोटैल्साइट्स और उनके संशोधित रूप शामिल हैं।	डॉ एस. कण्णन सिलिकेट्स एंड केटिलिसिसि डिसिप्लिन, सेंट्रल साल्ट एंड मैरिन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट गिजूभाई बढ़ेका मार्ग, भावनगर 364002	1587360
5.	एर्गोनोमिक्स ऑफ ह्यूमन-कंप्यूटर-इंटरएक्शन कंपेटिबिलिटी एसेसमेंट	डॉ. प्रणब कुमार नाग डिपार्टमेंट ऑफ एर्गोनोमिक्स एंड आकुपेशनल फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकुपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद-380016	1820200
6.	सिंथेसिस ऑफ चिरल हाइड्रोसियानीन्स एज इनटरमीडीएट्स फॉर इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट बायोएक्टिव कम्पाउण्ड्स थ्रू चिरल केटेलिटिक रूट्स	डा. एन.एच. खान सिलिकेट्स एंड केटालिसिस डिसिप्लीन, सेन्ट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीटयूट, गिजू भाई बढेका मार्ग, भाव नगर -364002	2067000
7.	थियोरेटिकल इंवेस्टिगेशन ऑफ एब्जॉर्पस ऑफ एडिटिब्स ऑन टु द क्रिस्टल सरफेस एंड सोडियम क्लोराइड एंड ऑन अदर अल्किलहैलिड्स	डॉ. विश्वजीत गांगुली सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च, इंस्टीट्यूट, गिजुभाई बढ़ेका मार्ग, भावनगर-364002	1350000
8.	पान मसाला के जीनों का नैदानिक और प्रायोगिक अध्ययन, तथा फीटो विषाक्तता	डा. सुनील कुमार नेशनल इंडिस्टिटयूट आक्यूपेशनल हेल्थ, मेधानी नगर, अहमदाबाद-380016	2170000

1	2	3	4
9.	लगभग 1 लीटर/घंटा क्षमता के पल्स टयूब नाईट्रोजन लिक्विफायर का विकास और जांच	डॉ. एच. बी नायक यांत्रिक इंजीनियरी विभाग, सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इच्छानाथ, सूरत-395007	2398800
10.	टर्बाइन के रूप में कार्य करने के लिए सेन्ट्रीफ्यूगल पंप का विकास और लोड कंट्रोलर के साथ इसे एकीकृत करना	डॉ. एस. एस. चेटवानी, लो वोल्टेज प्रोडक्ट्स विभाग इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एसोसिएशन, बड़ोदरा-390010	757080
11.	स्टडीज ऑन डिवेलपमेंट, माक्रोस्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड फिजिकल प्रोपर्टीज ऑफ एलाइंड कार्बन नैनोट्यूब्स एंड कम्पोजिट्स बाई सी वी डी मेथड	प्रो. एल. सम. मनोचा पदार्थ विज्ञान विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर-388120	2167800

[हिन्दी]

निर्धनों के लिए मकान

4195. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमवीएवाई) के अंतर्गत हरियाणा के विभिन्न शहरों में कितने निर्धनों परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वीएएमवीएवाई) के अंतर्गत राज्य के निर्धन परिवारों को और अधिक मकान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) के तहत गरीबों के आवास हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: कोई ध नराशि जारी नहीं की गई।

(ख) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के तहत स्लमों की पहचान का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था।

(ग) वाम्बे का विलय दिनांक 3.12.2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में कर दिया गया है। दो कार्यक्रमों यथा-63 मिशन शहरों के लिए शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी) के लिए गैर-मिशन शहरों के लिए समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)-' के अंतर्गत, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मकान स्वीकृत किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बैंक आफ बड़ौदा की विस्तार योजना

4196. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा ने एक 'एक्सर्टेंसिव ओवरसीज एक्सपेंशन प्लान' तैयार किया है जिसमें अफ्रीकन बैंक का अधिग्रहण, विदेशों में शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना और आस्ट्रेलिया में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलना भी शामिल है जैसाकि दिनांक 19 मार्च, 2007 के 'दी टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को त्वरित और दक्षतापूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय रुप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए बैंकों के बोर्डों को पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिए फरवरी 2005

में स्वायत्ता पैकेज की घोषणा की थी। यह पैकेज बोर्डों को कंपनियों या कारोबारों के उपयुक्त रूप से अधिग्रहण करने, अलाभकारी शाखाओं को बंद करने/उनका विलय करने, विदेश में कार्यालय खोलने आदि का प्राधिकार प्रत्यायोजित करता है। बैंक आफ बड़ौदा ने विभिन्न देशों में वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए विदेशों में विस्तार की व्यापक योजना तैयार की है। इससे बैंक के 29 मिलियन वैश्विक ग्राहकों को समग्र सुविधा प्राप्त होने की संभावना है। त्रिनाडाड और टुबैगो (अनुषंगी), आस्टेलिया (प्रतिनिधि कार्यालय) और घाना (अनुषंगी) में कार्यालय स्थापित करने के लिए मेजबान देश के विनियामक से बैंक को हाल ही में अनुमोदन प्राप्त हुआ हैं। बैंक ने बहरीन, कतर, श्रीलंका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजले आफ मैन और मोजम्बिक आदि में कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिर्जव बैंक से भी अनुमति प्राप्त कर ली है।

विज्ञान संस्थानों को स्वायत्तता

4197. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों को बेहतर भविष्य की संभावनाओं का आश्वासन दिलाते हुए सरकार द्वारा भर्ती पर सामान्य तौर पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद वैज्ञानिकों की नियुक्ति और उनके प्लेसमेंट के संबंध में व्यापक स्वायत्तता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्थान सरकार के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत वैज्ञानिक पदों पर भर्ती के लिए अपने नियम और विनियम बनाते हैं। प्रत्येक संस्थान अपने शासी परिषद के माध्यम से इन नियमों को अनुमोदित करता है।

न्यायिक सुधार

4198. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायिक सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या भारत में न्यायपालिका पर किया जाने वाला परिव्यय जीएनपी के संदर्भ में अमरीका, ब्रिटेन, सिंगापुर इत्यादि जैसे विकसित देशों की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) न्यायिक सुधार एक सतत प्रक्रिया होने के कारण इसे बदलते समय, परिस्थितियों और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढलना होता है। सरकार सामान्य जन को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा न्यायिक सुधार के विभिन्न उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयों की स्कीम, न्यायिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, उच्च न्यायाधीश पद संख्या में वृद्धि न्याय प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, न्यायाधीशों की जवाबदेही, लोक अदालतों का आयोजन, विशेष अधिकरणों का गठन और विवाद संमाधान के वैकल्पिक ढंगों को प्रोत्साहन देना है।

सरकार ने देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के व्यापक कंप्यूटरीकरण के माध्यम से भारतीय न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोजन के लिए और देश में न्यायिक सुधारों के कार्यान्वयन के भाग रूप में न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए स्कीमें भी आरंभ की हैं। सभी ऐसी योजना स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों के बजट प्राक्कलनों में उपलब्ध कराई गई निधियों को नीचे उपदर्शित किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

2004-05	-	140.00
2005-06	-	220.00
2006-07	-	203.95

(ग) और (घ) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने, जिसे शेट्टी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, अपनी रिपोर्ट 11.11.1999 को प्रस्तुत की थी जिसमें यह कथन किया गया था कि हमारे देश में जीएनपी के निबंधनों में व्यय तुलनात्मक रूप से काफी कम था। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में यह 0. 2% से अधिक नहीं था जबकि यूएसए में यह 1.4% यू.के. 4.3% और सिंगापुर 1.2% था।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. सूची तैयार करना

4199. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने आज की तिथि तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची कब तक तैयार किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने बीपीएल जनगणना, 2002 के आधार पर नई बीपीएल सूची को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) और (घ) 14.2.2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त कर दिए जाने के पश्चात इस मामले को विभिन्न स्तरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और यदि कोई जन-शिकायत हो, तो उन्हें दूर करने के पश्चात बीपीएल सूची को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे संभवत: जून, 2007 तक इस कार्य को पूरा कर लें।

[अनुवाद]

कृषि ऋणों पर ब्याज माफ करना

4200. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के 16 जिलों के सभी किसानों के लिए प्रधान मंत्री के विदर्भ जैसे पैकेज के एक भाग के रूप में कृषि ऋणों पर ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार और संसद सदस्यों सहित विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने वर्ष 2004 में पुनर्निर्धारित किए गए और दिनांक 1 जुलाई, 2006 को अतिदेय न हुए कृषि ऋणों पर ब्याज माफी की राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) दिनांक 18 जून, 2004 को भारत सरकार ने किसानों के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीड़ित किसानों के लिए राहत का पैकेज शामिल था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया था कि दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित उनकी बकाया राशियों को पुनर्निर्धारित किया जाएगा और अधिस्थगन की अवधि अर्थात 2007 तक के ब्याज को भी अधिस्थगित किया जाएगा तथा 2007 से शुरू होने वाली 3 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय होगा। इस पुनर्निर्धारण से किसान नए ऋणों के लिए पात्र हुए थे।

आंध्र प्रदेश के 16 ऋण ग्रस्त जिलों के लिए घोषित पुनरुद्धार पैकेज में इन जिलों में सभी किसानों के 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋण शामिल थे। वर्ष 2004 में की गई घोषणा के अनुसार जिन किसानों को राहत का लाभ प्रदान किया गया है, वे भी चालू पैकेज के अंतर्गत राहत के लिए पात्र हैं बशर्ते कि उन्हें प्रदान किए गए नए ऋण अतिदेय हो गए हों, तो उनके ब्याज को भी माफ कर दिया गया है। दिनांक 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार (वर्ष 2004 में पुनर्निधार्रित किए गए) अतिदेय नहीं हैं और इस प्रकार राहत के लिए पात्र नहीं हैं। वर्ष 2004 में जिन किसानों के ऋणों को पुनर्निधारित किया गया था, उन्हें पहले ही अधिस्थगन की राहत प्रदान की गई है और नए ऋण भी प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए वे अन्यथा पात्र न हुए होते। वर्ष 2004 के पैकेज के तहत एक बार राहत प्रदान कर दिए जाने पर, उन्हें वर्तमान पैकेज में शामिल करना उपयुक्त नहीं समझा गया था।

[हिन्दी]

तेल अन्वेषण पर कर रियायतें

4201. श्री रविन्दर कुमार राणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए कम्पनियों को रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) आयकर अधिनियम की धारा 42 खनिज तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कारोबार में संलग्न किसी व्यक्ति को विशेष छूटें प्रदान करती है, बशर्ते वह विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

इसके अतिरिक्त धारा 80-झख (9) खनिज तेल के उत्पादन के कारोबार में संलग्न उपक्रमों को सात वर्षों का कर अवकाश प्रदान करती है।

इसलिए, कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कानून में किसी परिवर्तन का कोई मामला नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत संबंधी सुधारों के लिए विश्व बैंक सहायता

4202. श्री किसनभाई वी पटेल:
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में विद्युत संबंधी सुधारों के लिए सहायता उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के दौरान प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अभी तक ऐसे सुधारों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में किस सीमा तक सुधार दर्ज किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) दि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिंकस्ट्रक्शन एंड डेवलेपमेंट (विश्व बैंक ग्रुप की खिड़की जो कि सामान्य विकास सहायता प्रदान करती है) ने राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमश: 30.48 मिलियन और 26.55 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। परियोजना का लक्ष्य राजस्थान में चालू विद्युत क्षेत्र सुधार प्रक्रिया को सहायता देना था जिससे अधिक क्षेत्रीय दक्षता तथा वित्तीय वसूली हो सके और विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली में संकटपूर्ण अवरोधों को हटाकर विद्युत आपूर्ति में सुधार करना था।

ऋण पर बैंक की मानक शर्तें एवं निबंधन लागू हैं जिसके अंतर्गत चुकौती अवधि 20 वर्ष है, जिसमें छूट अवधि 5 वर्ष शामिल है तथा ब्याज दर एलआईबीओआर (लंडन इंटर ऑफर रेट) से ऊपर बेसिस प्वाइंट तक है।

(ङ) विद्युत क्षेत्र सुधारों का लक्ष्य उपभोक्ताओं को प्रतियोगी दरों पर विश्वसनीय गुणवत्तापरक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए दक्ष और वाणिज्यिक रुप से व्यवहार्य तथा सुधारना विद्युत क्षेत्र सुधारों मुख्य कार्यों में से एक है। विद्युत यूटिलिटियों की वाणिज्यिक हानियों के निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा संकलित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य विद्युत यूटिलिटियों में वाणिज्यिक द्वारा हानियां (सब्सिडी के बिना) जोकि 1992-93 के दौरान 4560 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-01 के दौरान 25,259 करोड़ रुपये हो गई थीं, वे 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान घटकर क्रमश: 19,722 करोड़ रुपये, 21,328 करोड़ रुपये और 16,563 करोड़ रुपये (अस्थायी आंकड़े) हो गई हैं।

स्व-सहायता समूहों का विकास

4203. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का किस सीमा तक विकास हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बैंककारी सेवाओं और आर्थिक कार्यकलापों से जुड़े स्व-सहायता समूहों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्व-सहायता समूहों द्वारा कितनी धनराशि वितरित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) स्व-सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम देश के व्यष्टि वित्त माडलों में से एक है और वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमश: 30912, 32971 और 43255 स्व-सहायता समूह बने थे। आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंको से जुड़े स्व-सहायता समूहों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ब्यौरा	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006
उन स्व-सहायता समूहों की संचयी संख्या जिन्हें बैंक ऋण दिए गये हैं	3,85,576	4,92,927	5,87,238
स्व-सहायता समूहों को संवितरित संचयी बैंक ऋण (करोड़ रुपये में)	1728.4	2746.1	4345.5

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि

4204. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना में शहरी सुधारों पर बल देने के मद्देनजर कुछेक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने हेतु शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को दायरे में लिया गया है;

(ग) शहरी सुधारों के लिए यूआरआई के अंतर्गत केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं योजनावधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त योजना को ग्यारहवीं योजना में भी जारी रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान उक्त योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी सुधार हेतु राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 10वीं योजना में 500 करोड़ रु. के वार्षिक आवंटन के साथ दिनांक 28.6.2003 को सरकार द्वारा शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) का अनुमोदन किया जिसमें पहले चरण में (2003-04) में शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन निरसन अधिनियम, स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण, किराया नियंत्रण सुधार, पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की शुरूआत, संपत्ति कर में सुधार, तर्कसंगत प्रयोक्ता प्रभार की उगाही और शहरी स्थानीय निकायों में लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की शुरूआत जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जिन्होंने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के तहत सरकार द्वारा जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) सरकार का शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) स्कीम को 11वीं योजना में अग्रेषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उपरोक्त स्कीम दिनांक 1.4.2005 से बंद कर दी गयी है।

विवरण-I

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख	स्वीकार्य सुधारों की सं./महत्व
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	29.10.2003	चार, यूएलसी का निरसन, स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण और किराया नियंत्रण कानून में सुधार को छोड़कर
2.	अरूणाचल प्रदेश	13.2.2004	चार, यूएलसी का निरसन, स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण और किराया नियंत्रण कानून में सुधार को छोड़कर
3.	बिहार	18.3.2004	छः यूएलसी अधिनियम के निरसन को छोड़कर
4.	छत्तीसगढ़	1.9.2003	छः स्टाम्प शुल्क के युक्तिकरण को छोड़कर
5.	गोवा	16.3.2004	चार, यूएलसी अधिनियम के निरसन किराया नियंत्रण कानूनों के सुधार और तर्कसंगत प्रयोक्ता प्रभार की उगाही को छोड़कर
6.	गुजरात	17.2.2004	सभी
7.	हरियाणा	15.10.2003	छः स्टाम्प शुल्क के युक्तिकरण को छोड़कर
8.	हिमाचल प्रदेश	31.3.2004	छः यूएलसी अधिनियम के निरसन को छोड़कर
9.	कर्नाटक	16.9.2003	पांच-स्टाम्प शुल्क के युक्तिकरण और किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार
10.	केरल	8.10.2003	सभी
11.	मध्य प्रदेश	6.8.2003	सभी
12.	महाराष्ट्र	1.10.2003	सभी
13.	मणिपुर	3.10.2003	छः स्टाम्प शुल्क के युक्तिकरण को छोड़कर
14.	मेघालय	16.3.2004	सभी
15.	नागालैंड	18.12.2003	पांच। स्टाम्प शुल्क के युक्तिकरण और पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया की शुरूआत
16.	उड़ीसा	9.12.2003	सभी
17.	राजस्थान	29.3.2004 तीन शेष सुधार क्षेत्रों के लिए मार्च, 2005 में अनुपूरक समझौता ज्ञापन	सभी 2003-04, चार सुधार: 2004-05 तीन सुधार (स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण किराया नियंत्रण में सुधार, संपत्ति कर में सुधार)
18.	तमिलनाडु	1.8.2003 एक शेष सुधार क्षेत्रों के लिए मार्च, 2005 में अनुपूरक समझौता ज्ञापन	सभी: 2003-04, छः सुधार: 2004-05 एक सुधार (स्टाम्प शुल्क) का युक्तिकरण)
19.	त्रिपुरा	11.9.2003	सभी

1	2	3	4
20.	उत्तर प्रदेश	3.3.2004	सभी
21.	पश्चिम बंगाल	28.11.2003	चार, यूएलसी का निरसन, स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण और किराया नियंत्रण कानून में सुधार को छोड़कर
22.	पंजाब	मार्च, 05	सभी
23.	झारखंड	मार्च, 05	सभी
24.	जम्मू व कश्मीर	मार्च, 05	छः यूएलसी अधिनियम के निरसन को छोड़कर
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.12.2003	सभी
26.	चंडीगढ़	17.10.2003	सभी
27.	दिल्ली	18.12.2003	छः, किराया नियंत्रण कानूनों के अलावा
28.	पांडिचेरी	*	सभी

कुल

*संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में फरवरी, 2005 में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है।

विवरण-II

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) की राज्यवार स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2003-04 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि	वर्ष 2004-05 में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8.987	2.6945
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.1	
3.	बिहार	6.84	1.52
4.	छत्तीसगढ़	2.92	0.456
5.	गोवा	0.2875	
6.	गुजरात	16.55	2.897
7.	हरियाणा	4.28	0.535
8.	हिमाचल प्रदेश	0.4725	
9.	कर्नाटक	9.42	9.42
10.	केरल	7.25	0.362
11.	मध्य प्रदेश	14.1	8.46
12.	महाराष्ट्र	35.925	0
13.	मणिपुर	0.4	0
14.	मेघालय	0.36	0
15.	नागालैंड	0.21	0
16.	उड़ीसा	4.825	0.7235
17.	राजस्थान	5.7875	8.1
18.	तामिलनाडु	19.1	16.7125
19.	त्रिपुरा	0.475	0.143
20.	उत्तर प्रदेश	30.225	3.022
21.	पश्चिम बंगाल	9.85	6.895

1	2	3	4
22.	पंजाब	0.00	3.6125
23.	झारखंड	0.00	2.625
23.	जम्मू व कश्मीर	0.00	1.98
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.2
2.	चंडीगढ़	0.00	1.4
3.	दिल्ली	0.00	22.45*
4.	पांडिचेरी	0.00	1.15*
	कुल	178.365	95.358

*गृह मंत्रालय के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और पांडिचेरी सरकार के लिए आर.ई. 2004-05 में क्रमश: 22.45 करोड़ रु. और 1.15 करोड़ रु. का प्रावधान था और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से उन्होंने सीधे उन संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी कर दी।

गुजरात में जैव-प्रौद्योगिकी मिशन

4205. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य जैव-प्रौद्योगिकी मिशन (जीएसबीटीएम) द्वारा केंन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अस्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जीएसबीटीएम से प्राप्त कुल 14 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं को विभाग द्वारा मंजूरी दी गई, 9 परियोजनाएं योग्यता के आधार पर/विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण अस्वीकृत की गई और 3 परियोजनाएं विचाराधीन हैं। परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान जीएसबीटीएम से प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति	कारण
1	2	3	4
1.	नैनो बायोटेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र, केनिन न्यूट्रिशनल टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत	विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया।	प्रस्ताव की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त
2.	पर्यावरण जैवप्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र, एस.पी. विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर द्वारा प्रस्तुत	योग्यता के आधार पर अस्वीकृत	बाह्य समकक्ष समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी वित्तपोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई
3.	राष्ट्रीय समुद्री जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, मेसर्स केडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत	विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया।	प्रस्ताव की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त
4.	समुद्री जैवप्रद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र, सीएसएमसीआरआई, भावनगर द्वारा प्रस्तुत	योग्यता के आधार पर अस्वीकृत	बाह्य समकक्ष समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी वित्तोपोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई
5.	गुजरात में, समुद्री जैवप्रौद्योगिकी पार्क में समुद्री जैवप्रौद्योगिकी ऊष्मायित्र की स्थापना	विचाराधीन	9.4.2007 को प्राप्त

1	2	3	4
6.	आण्विक जीवविज्ञान और जैवसूचनाविज्ञान में बहु-संस्थागत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जीएसबीटीएम द्वारा प्रस्तुत	अस्वीकृत	बाह्य समकक्ष समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी वित्तपोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई
7.	जैवप्रौद्योगिकी में आईपीआर मुद्दे, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा प्रस्तुत	अस्वीकृत	बाह्य समकक्ष समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी वित्तपोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई
8.	नैदानिक परीक्षणों में डिप्लोमा, एलएम कालेज आफ फार्मेसी द्वारा प्रस्तुत	अस्वीकृत	बाह्य समकक्ष समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी वित्तपोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई
9.	स्कूल बच्चों के लिए जैवसंसाधनों पर अवकाशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	अनुमोदित 5.07 लाख रु. (4 सप्ताह)	यह कार्यक्रम 2005 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था।
10.	स्कूली बच्चों के लिए जैवसंसाधनों पर अवकाशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	अनुमोदित 5.86 लाख रु. (4 सप्ताह)	यह कार्यक्रम 2006 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था।
11.	नैदानिक परीक्षणों में डिप्लोमा, बी. जे. मेडिकल कालेज द्वारा प्रस्तुत	विचाराधीन	.....
12.	एचएलए पंजीयन सुविधा और कोर्ड ब्लड बैंक सुविधा	विचाराधीन	.....
13.	मूंगा तथा सूक्ष्मजैविक सहजीवन को समझने की दिशा में जैवविविधता, जैव, पूर्वेक्षण, जैव, ईंधन और जैव उपचार	अस्वीकृत	बाह्य समकक्ष समीक्षा समिति द्वारा भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत उपयुक्त नहीं पाई गई
14.	दि वर्चुअल इंस्टीट्यूट आफ बायोइन्फार्मेटिक्स, जीएसबीटीएम द्वारा प्रस्तुत	अस्वीकृत	क्योंकि विभाग जैवसूचनाविज्ञान के माध्यम से जीवविज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यत: विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को सहायता प्रदान करता है।

न्यायाधीशों के लिए न्यायालयों/रिहायशी आवासों का निर्माण

4206. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने न्यायाधीशों के लिए न्यायालयों के निर्माण और रिहायशी आवासों के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से एक दस-वर्षीय संदर्शी योजना तैयार की है, जैसा कि 09 अप्रैल, 2007 के "हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) केंद्रीय सरकार न्यायपालिका हेतु अवसंरचना के विकास की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का उद्देश्योन्मुख कार्यान्वयन करने के विचार से, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 4025 करोड़ रुपए की प्राक्कलित कुल लागत से 5960 न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के 9263 आवासों के सनिर्माण के लिए एक दस वर्षीय भावी योजना तैयार की है। इस भावी योजना के आधार पर योजना आयोग को ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) में 3000 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्कीम के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से (50:50 के आधार पर) केंद्रीय सहायता के अंश के रूप में 1550 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है। बजट प्राक्कलन 2007-08 में 65 करोड़ रुपए की रकम का प्रावधान किया गया है।

शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं का प्रचार

4207. श्री रघुनाथ झा: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं के लाभ और उनकी प्रभावोत्पादकता के बारे में शहरी गरीबों के बीच जागरूकता का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का व्यापक प्रचार न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शहरी गरीबों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक शहरी गरीबी उपशमन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) प्रयोजनों के लिए अपने बजट का 2% आवंटन स्कीम के प्रचार/जागरूकता के लिए मुहैया कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्तर पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय पैम्फलेटों, होर्डिंगों, श्रव्य-दृश्य अभियानों आदि के जरिए प्रिंट मीडिया में समय-समय पर विज्ञापन जारी करके स्कीम के बारे में जागरूकता भी लाता है।

[हिन्दी]

शहरी गरीबी का उन्मूलन

4208. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री काशीराम राणा
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुमानत: कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है;

(ख) क्या शहरी गरीबों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहरी गरीबी के उन्मूलन के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक की अवधि के लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय (61वां) के बारे में नवीनतम व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया है। इन आंकड़ों से वर्ष 2004-05 के लिए दो भिन्न उपभोग वितरण दृष्टिगत हुए हैं। पहला उपभोक्ता वितरण सभी मदों के लिए 30 दिन की रिकॉल अवधि का प्रयोग करके एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है और दूसरा उपभोक्ता वितरण दृष्टिगत हुए हैं। पहला उपभोक्ता वितरण सभी मदों के लिए 30 दिन की रिकॉल अवधि का प्रयोग करके एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है और दूसरा उपभोक्ता वितरण कभी कभार खरीदी जाने वाली 5 गैर खाद्य मदों जैसे कपड़ा पर आधारित है और दूसरा उपभोक्ता वितरण कभी कभार खरीदी जाने वाली 5 गैर खाद्य मदों जैसे कपड़ा, फुटवियर, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा तथा सांस्थानिक चिकित्सा व्यय के लिए 365 दिन की रिकॉल अवधि प्रयोग और शेष मदों के लिए 30 दिन की रिकॉल अवधि तक का प्रयोग करके एकत्र किए गए उपभोक्ता व्यय आंकड़ों पर आधारित है। इन दोनों उपयोग वितरणों को क्रमश: एकसमान रिकॉल अवधि (यूआरपी) उपभोग वितरण तथा मिश्रित रिकॉल अवधि (एमआरपी) उपभोग वितरण'' एकसमान रिकॉल अवधि (यूआरपी) उपभोग वितरण तथा मिश्रित रिकॉल अवधि (एमआरपी)

उपभोग वितरण'' का नाम दिया गया है। योजना आयोग ने इन दोनों वितरणों का प्रयोग करके वर्ष 2004-05 में गरीबी का अनुमान लगाया है। यूआरपी उपभोग विधि के अनुसार, देश में 2004-05 में शहरी निर्धनों की संख्या 807.96 लाख अनुमानित की गई है। इसी प्रकार, एमआरपी उपभोग विधि के अनुसार, 2004-05 में देश में शहरी निर्धनों की संख्या 682.00 लाख अनुमानित की गई है।

(घ) और (ङ) शहरी निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा देश में शहरी गरीबी कम करने के लिए, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 1.12.1997 से सम्पूर्ण भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नाम केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन योजना चलाई जा रही है। एसजेएसआरवाई का उद्देश्य निजी/सामूहिक लघु उद्यमों की स्थापना में सहायता करके तथा उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में शहरी निर्धनों के श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार की व्यवस्था द्वारा शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।

एपीडीआरपी के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव

4209. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी हां। केन्द्र सरकार ने त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत पूर्व में राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। एपीडीआरपी के अंतर्गत मध्य प्रदेश से प्राप्त 1499 परियोजना प्रस्तावों में से भारत सरकार ने 663.20 करोड़ रु. के बराबर के 48 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं।

[अनुवाद]

स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां

4210. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत गुजरात सहित कुछेक राज्यों से अतिरिक्त निधियों के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक राज्य की मांग की तुलना में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अतिरिक्त निधियों की मांग और की गई रिलीज निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	अतिरिक्त निधियों के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोध			भारत सरकार द्वारा दी गई निधियां		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	—	8260.94		—	1020.20	—
गुजरात	13547.57	6792.03	11193.00	1173.67	543.21	**
हरियाणा	—	489.76	—	—	170.62	—
हिमाचल प्रदेश	—	456.72	2854.02	—	416.90	**
झारखंड	—	3000.00	—	—	268.53	—
कर्नाटक	3018.45	4253.28	1155.00	261.50	751.32	**

1	2	3	4	5	6	7
केरल	—	1568.46	—	—	261.54	—
मध्य प्रदेश	—	495.97	—	—	495.97	—
महाराष्ट्र	10881.00	14549.61	—	942.66	1339.91	—
नागालैण्ड	—	491.17	—	—	90.33	—
उड़ीसा	—	3081.47	—	—	602.59	—
पंजाब	—	49.92	—	—	49.92	—
राजस्थान	3720.28	2037.34	—	322.30	1598.47	—
तमिलनाडु	2651.40	688.56	—	229.70	576.69	—
उत्तरांचल	—	2769.65	570.60	—	278.03	**
पश्चिम बंगाल	—	1250.00	—	—	646.28	—
मणिपुर	—		490.00	—		**

** वर्ष 2006-07 के दौरान, निधियों की कमी के कारण उन राज्यों को अतिरिक्त निधियां नहीं दी जा सकीं जिनसे अनुरोध प्राप्त हुए थे।

विदेशी निवेशकों के लिए मानदण्ड का सरलीकरण

4211. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को उप-खातों के माध्यम से निवेश हेतु मानदंडों को सरल बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने अपने-अपने देशों में अनुपालन और प्रमाणन लागतों से बचने के लिए सरकार को पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) रूट के लिए अपनी प्राथमिकता बतलाई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को उन्हें प्रस्तुत की गई रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) बड़े-बड़े वित्तीय क्षेत्र समूहों, जैसे कि मेरिल लिंच, मार्गन स्टानली, गोल्डमैन सैचस आदि द्वारा जारी किए जाते हैं। पीएन का प्रयोग मूल निवेशकों द्वारा सामान्य लेन-देन की लागतों और अभिलेखापन के खर्चों के संबंध में विचार-विमर्श के आधार पर उप-लेखों के विकल्प के तौर पर किया जाता है।

सेबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पीएन का आनुमानिक मूल्य जनवरी, 2006 के 1,17,325 करोड़ रुपए से बढ़ कर जनवरी, 2007 में 2,02,487 करोड़ रुपए हो गया है। इस अवधि के दौरान विदेश संस्थागत निवेशक (एफआईआई) प्रबंध के तहत अस्तियों 3,84,491 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,81,087 करोड़ रुपए हो गई हैं। इस अवधि के दौरान एफआईआई प्रबंध के तहत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पीएन का आनुमानिक मूल्य 30.5 प्रतिशत से बढ़कर 34.8 प्रतिशत हो गया है।

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने एफआईआई द्वारा भागीदारी की नीति तैयार की है जिसमें निवेश के इस मार्ग के किसी भी तरह के संभावित दुरूपयोग से बचने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए हैं। सेबी में पंजीकृत एफआईआई द्वारा पीएन का

निर्गमन सेबी के एफआईआई विनियमों के दायरे में आता है। इन विनियमों में यह अपेक्षित है कि एफआईआई केवल विनियमित कंपनियों को पीएन जारी कर सकते हैं। सेबी में पंजीकृत ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशकों से जो पीएन जारी करते हैं अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रपत्र में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। एफआईआई द्वारा भागीदारी की नीति के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी/मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

एस.जी.आर.वाई., आई.ए.वाई. और एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत धनराशियों का उपयोग

4212. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग करने वाले जिलों और आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहने वाले जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित धनराशियों की हिस्सेदारी का पूर्ण उपयोग किया है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर न्यूनतम 85 प्रतिशत संसाधनों का भी उपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) (क) विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07) के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई), इंदिरा आवास योजना (आई.एस.वाई) तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) के अन्तर्गत आबंटित राज्यवार निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए उनके पास उपलब्ध निधियों के अथशेष के रूप में 10 प्रतिशत की सीमा रखने की अनुमति हैं राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एसजीआरवाई के अंतर्गत 2004-05 में 267 जिलों, 2005-06 के दौरान 245 जिलों तथा 2006-07 के दौरारन 28 जिलों ने उपलब्ध निधियों के 90 प्रतिशत से भी अधिक राशि का उपयोग किया है। 2006-07 के व्यय आंकड़े अनंतिम हैं तथा सभी योजनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद स्थिति सुधर सकती है। आईएवाई के अंतर्गत 2004-05 में 311 जिलों, 2005-06 के दौरान 280 जिलों तथा 2006-07 के दौरान 261 जिलों ने उपलब्ध निधियों के 90 प्रतिशत से भी अधिक राशि का उपयोग किया है। एसजीएसवाई के अंतर्गत 2004-05 में 331 जिलों, 2005-06 के दौरान 443 जिलों तथा 2006-07 के दौरान 25 जिलों ने उपलब्ध निधियों के 90 प्रतिशत से भी अधिक राशि का उपयोग किया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित निधियों के हिस्से की तुलना में उपयोग की गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान आईएवाई, एसजीएसवाई तथा एसजीआरवाई के अंतर्गत केन्द्रीय अंशदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएवाई			एसजीएसवाई			एसजीआरवाई		
		केन्द्रीय आवंटन 2004-05	केन्द्रीय आवंटन 2005-06	केन्द्रीय आवंटन 2006-07	केन्द्रीय आवंटन 2004-05	केन्द्रीय आवंटन 2005-06	केन्द्रीय आवंटन 2006-07	केन्द्रीय आवंटन 2004-05	केन्द्रीय आवंटन 2005-06	केन्द्रीय आवंटन 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	17961.83	24399.42	25939.14	5305.97	5305.97	5885.70	23487.18	28139.33	10903.95
2	अरुणाचल प्रदेश	825.98	949.43	1018.68	276.91	276.91	282.45	1246.98	1524.09	1403.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	18584.99	20994.23	22525.46	7195.18	7195.18	7339.07	32368.00	39560.89	25385.99
4.	बिहार	46846.34	72020.72	76565.57	12623.79	12623.79	13998.30	46512.14	55724.88	21299.37
5.	छत्तीसगढ़	3074.96	3773.17	4011.28	2802.45	2802.45	3109.61	13108.64	15705.09	4937.19
6.	गोवा	116.18	150.28	159.77	50.00	50.00	50.00	336.74	403.44	417.64
7.	गुजरात	5167.82	11966.03	12721.14	1997.27	1997.27	2216.70	10283.30	12320.13	8741.19
8.	हरियाणा	1747.40	1680.04	1786.06	1175.03	1175.03	1304.92	5417.38	6490.41	6048.66
9.	हिमाचल प्रदेश	773.06	592.56	629.95	494.85	494.85	548.73	2281.48	2733.38	2296.24
10.	जम्मू-कश्मीर	924.74	1840.52	1956.67	612.44	612.44	679.13	2681.02	3212.07	2628.03
11.	झारखंड	14351.50	6423.93	6829.31	4757.98	4757.98	5278.02	31543.52	37791.40	3338.58
12.	कर्नाटक	9301.41	9400.49	9993.64	4006.76	4006.76	4445.01	17539.74	21013.87	16224.75
13.	केरल	5763.87	5227.51	5557.39	1797.82	1797.82	1995.54	7870.10	9428.94	8116.50
14.	मध्य प्रदेश	10730.71	7504.14	7977.69	6007.91	6007.91	6664.05	28308.64	33915.78	16854.62
15.	महाराष्ट्र	16503.47	14714.56	15643.12	7920.39	7920.39	8784.83	34672.18	41539.76	25703.73
16.	मणिपुर	984.83	824.15	884.26	482.36	482.36	492.01	2172.42	2655.18	2403.18
17.	मेघालय	1308.47	1435.38	1540.07	540.42	540.42	551.23	2433.74	2974.57	1946.47
18.	मिजोरम	314.12	305.89	328.20	125.06	125.06	127.55	563.18	688.33	556.39
19.	नागालैण्ड	844.67	949.84	1019.11	370.70	370.70	378.12	1669.40	2040.38	1752.72
20.	उड़ीसा	14476.04	14149.75	15042.66	6068.94	6068.94	6729.73	26557.30	3182953	9623.95
21.	पंजाब	1157.56	2077.71	2208.83	571.05	571.05	635.23	6025.60	7219.10	6753.65
22.	राजस्थान	4876.10	6013.11	6392.56	3042.47	3042.47	3375.71	13318.65	15956.71	12542.23
23.	सिक्किम	226.45	181.66	194.91	138.45	138.45	141.22	623.52	762.08	552.78
24.	तमिलनाडु	9030.00	9763.97	10385.44	4691.65	4691 .65	5204.41	20538.10	24606.12	18850.46
25.	त्रिपुरा	1910.49	1849.42	1984.31	870.92	870.92	888.34	3922.76	4794.48	3820.26
26.	उत्तर प्रदेश	32923.88	32348.75	34390.12	18173.71	18173.71	20152.62	5242.62	6281.04	4920.58
27.	उत्तरांचल	3419.68	1621.77	1724.11	955.10	955.10	1061.01	78495.06	94042.72	56504.34
28.	पश्चिम बंगाल	19407.12	19518.40	20750.10	6744.42	6744.42	7480.75	28524.25	35372.18	15660.57
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	218.73	309.46	328.99	25.00	25.00	25.00	220.94	264.70	274.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	दादरा और नगर हवेली	114.78	51.56	54.82	25.00	25.00	25.00	145.46	174.27	180.40
31.	दमन और दीव	47.51	23.07	24.52	25.00	25.00	25.00	70.50	84.46	87.44
32.	लक्षद्वीप	3.72	20.00	21.26	25.00	25.00	25.00	110.50	132.39	137.05
33.	पांडिचेरी	108.59	154.14	163.86	100.00	100.00	100.00	223.94	268.30	277.74
	कुल	246067.00	273240.00	290753.00	100000.00	100000.00	110000.00	449525.00	539850.00	291154.31

विवरण-II

कार्यक्रम: स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए आईएवाई निधियों का उपयोग			अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए एसजीएसवाई निधियों का उपयोग			अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए एसजीआरवाई निधियों का उपयोग		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	14157.35	18416.06	20128.15	5405.31	10404.36	25900.53	13479.79	16484.36	4818.99
अरुणाचल प्रदेश	950.76	1189.94	823.51	357.84	264.46	128.06	14.56	28.55	83.02
असम	17299.36	13679.58	21383.71	3157.48	2671.70	3819.32	16348.70	19793.44	7025.51
बिहार	34477.39	49114.38	58463.03	9868.07	9612.48	120038.99	19705.16	24797.51	58410.71
छत्तीसगढ़	2882.16	3296.10	3489.52	3920.97	4153.93	5878.46	6812.71	8186.48	2961.76
गोवा	11.01	27.03	34.86	30.78	26.57	39.57	0.00	0.00	0.00
गुजरात	4507.21	9719.19	6965.37	1667.13	3162.53	3463.27	6928.64	8295.10	3816.04
हरियाणा	1448.01	1537.81	1695.83	1756.75	2370.89	2885.83	2883.96	3794.87	32787.82
हिमाचल प्रदेश	575.57	460.29	508.34	1353.80	1403.86	971.45	1347.63	1334.90	1020.60
जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	704.78	661.63	822.6	761.25	692.20	1014.96
झारखंड	10834.89	8958.28	6092.47	5891.37	6551.72	6004.69	13835.46	19265.68	16464.14
कर्नाटक	6235.34	7604.89	6869.72	4708.19	4934.11	5398.90	9322.49	11292.53	8162.00
केरल	4622.20	4339.54	4158.70	2292.27	446.12	3088.24	4481.38	5094.16	1368.48
मध्य प्रदेश	9282.58	7595.86	6800.61	8541.57	10700.19	11753.39	15968.88	5094.16	3550.30
महाराष्ट्र	14159.29	14166.54	8259.60	8655.19	9098.00	9153.73	18167.35	18174.05	11553.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	793.85	994.81	527.00	0.00	2.00	0.00	1114.54	20960.13	1333.59
मेघालय	1063.70	1540.00	524.81	262.32	161.60	66.3	0.00	485.03	628.15
मिजोरम	435.76	462.43	408.24	48.75	54.67	3.00	2850.26	1063.86	0.00
नागालैण्ड	716.11	1188.07	1069.52	132.39	0.00	9.00	1039.35	83.64	839.75
उड़ीसा	14486.29	13837.61	14006.56	8247.38	9367.91	11438.47	17526.05	1427.09	5399.47
पंजाब	739.20	1456.11	1675.65	1030.11	1233.53	2452.22	2970.88	14098.54	4292.12
राजस्थान	4282.22	5584.96	6202.66	6684.11	14569.38	7869.79	9391.13	3169.22	7805.92
सिक्किम	183.03	129.56	199.04	132.40	180.50	160.25	414.42	10019.33	201.90
तमिलनाडु	10915.50	11141.10	12286.54	4250.17	4512.35	4650.48	13317.41	549.73	10105.54
त्रिपुरा	1642.02	1660.18	948.00	1120.13	871.78	538.35	3463.15	16549.65	1712.96
उत्तर प्रदेश	24665.62	26975.22	19588.02	26528.50	29505.19	29635.16	3109.2	3386.83	9664.49
उत्तरांचल	3007.21	1 589.64	1510.31	507.57	1252.17	937.92	41415.14	3389.6	14747.65
पश्चिम बंगाल	17945.02	13190.52	17383.84	1845.15	1482.15	1375.13	12629.68	51698.93	7271.35

[अनुवाद]

एनटीपीसी और रेलवे के बीच पीपीए

4213. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी और रेलवे के बीच किसी विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा रेलवे को अधिक विद्युत प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली-कानपुर खंड की पूर्ति के लिए कर्षण की आवश्यकता हेतु दादरी गैस विद्युत स्टेशन और औरय्या गैस विद्युत स्टेशन के अनाबंटित कोटे से 100 मे.वा. विद्युत की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी लिमिटेड और रेलवे के बीच 5.3.1998 को एक विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षरित किया गया है।

(ग) और (घ) रेलवे ने भारतीय रेलवे के विद्युतीकृत नेटवर्कों पर एनटीपीसी/एनपीसीआईएल से विद्युत लेने संबंधी अपना मंतव्य प्रकट किया है। रेलवे विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित वितरण लाईसेंस धारकों से विद्युत की आपूर्ति वैसे ही प्राप्त कर सकता है, जैसे कि अब कर रहा है। यह संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार खुली पहुंच उपभोक्ता के रूप में अन्य स्रोतों से भी विद्युत की खरीद कर सकता हैं यह अपने केप्टिव पावर प्लांट्स को स्थापित करने का विकल्प भी रखता है।

[हिन्दी]

भारत-हॉलैण्ड प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाएं

4214. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं पर हालैण्ड की सहायता से कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी शुरू करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ प्राप्त निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) वर्तमान में हॉलैंड की सहायता के ग्रामीण विकास संबंधी कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही है।

(ग) से (ङ) हॉलैंड के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में योजनाएं शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डीआरडीए के अंतर्गत अनुदान सहायता

4215. श्री मित्रसेन यादव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के अंतर्गत ब्लाकों की संख्या के आधार पर अनुदान सहायता देती है तथा यह सहायता स्टाफ की संख्या के आधार पर नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप स्टाफ को वेतन देने के संबंध में कुछ राज्यों में डीआरडीए को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार दिशा निर्देशों के अनुसार डी आर डी ऐजेंसियों को अनुदान सहायता रिलीज करती है जो कि ब्लाकों की संख्या तथा संगत संख्या पर निर्भर करती है। चूंकि विभिन्न राज्यों में वेतन ढांचा भिन्न-भिन्न है, इसलिए राज्य अपना स्वयं का वेतन ढांचा अपना सकते हैं तथापि, निर्धारित प्रशासनिक लागत सीमा का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। उक्त सीमा से अधिक किसी भी वृद्धि को पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडिपेंडेंट-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

4216. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न कंपनियों को दी गई रेटिंग का इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप छोटे निवेशकों पर इसका प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के समुचित विनियमन की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बाजार सूचकांकों या किसी विशिष्ट शेयर की कीमत का उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और कंपनी के बारे में देशीय और विदेशी, खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों के अवबोधनों का कार्य है। यह अवबोधन अनेकानेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिनमें, वृहद आर्थिक महौल, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, देशीय और तर्राष्ट्रीय घटनाएं और बाजार मनोभाव शामिल हैं। तथापि, दर-निर्धारण जानकारीपूर्ण निवेश निर्णय करने के लिए निवेशकों के पास उपलब्ध एक अतिरिक्त साधन है।

(ख) से (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 सेबी को क्रेडिट दर-निर्धारण अभिकरणों को पंजीकृत करने तथा उन्हें विनियमित करने की शक्ति प्रदान करना हैं। इन शक्तियों के अनुसरण में, सेबी ने सेबी (क्रेडिट दर-निर्धारण अभिकरण) विनियम 1999 निरूपित किए है। जिनमें क्रेडिट दर-निर्धारण अभिकरणों के पंजीकरण तथा विनियमन की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश

4217. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में कितने रुपयों का निवेश किया गया है;

(ख) निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए शीर्ष पांच देश कौन से हैं; और

(ग) भारतीय कंपनियों द्वारा घरेलू कंपनियों की बजाए विदेश में निवेश करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदनों के अनुसार, भारतीय कंपनियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में निम्न प्रकार प्रत्यक्ष निवेश किया था।

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	2804.33	2854.84	7944.54

(ख) भारतीय कंपनियों के लिए निवेश करने हेतु शीर्ष पांच विदेश गंतव्य यूनाइटेड किंगडम् नीदरलैंड्स, मारीशस, साइप्रस तथा रूस हैं।

(ग) हालिया वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रक्रियाविधियों के उदारीकरण तथा सुप्रवाहीकरण ने भारतीय कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त, निवेश अवस्थल सापेक्ष लाभप्रदत्ता तथा दीर्घावधिक कार्यनीति के आधार पर लिया गया निवेशक का वाणिज्यिक निर्णय है।

[अनुवाद]

आयकर प्रतिदाय

4218. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर संग्रहण में बढ़ोतरी दिखाने के लिए आयकर प्रतिदाय के चैकों को देने में विलम्ब किया गया है जैसाकि दिनांक 17 मार्च, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा निर्धारितियों को आयकर प्रतिदाय चैकों को समय पर जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महोदय, आयकर अधिनियम, 1961 के सांविधिक प्रावधानों के अनुसरण में कर निर्धारित के परिणामस्वरूप मांग जारी करना अथवा किसी कर निर्धारित को प्रतिदाय मंजूर करना आयकर विभाग की एक सतत प्रक्रिया है। विलम्बित प्रतिदाय से संग्रहण में वद्धि दर्शाने में मदद नहीं मिलती है क्योंकि विलम्बित प्रतिदाय, यदि कोई हो, का अगले वर्ष के संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभाग ने वित्त वर्ष 2006-07 में 37313 करोड़ रुपए का प्रतिदाय जारी किया है जो वित्त वर्ष 2005-06 में जारी किए गए 29434 करोड़ रुपए के प्रतिदाय से 26.7% अधिक है। कर निर्धारितियों को समय पर प्रतिदाय जारी करने का सुनिश्चय करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कुछेक कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) प्रतिदायों का समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विवरणियों की कम्प्यूटरीकृत प्रोसेसिंग शुरू की गई है।

(ii) विवरणी दायर होने के चार माह के भीतर सभी विवरणियों की प्रोसेसिंग करने तथा प्रतिदाय जारी करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) करदाता के बैंक खाते में प्रतिदाय सीधे क्रेडिट करने के लिए 25 बड़े शहरों में इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ई सी एस) पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 214/244क के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा संदेय परिहार्य ब्याज

घटाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसी विवरणियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोसेस करने का निर्देश दिया गया है जिनसे प्रतिदाय जुड़ा हो।

(v) प्रतिदाय की समय पर पावती पाने में करदाताओं की सहायता करने के लिए प्रतिदाय बैंकर योजना शुरू की गई है।

निजी बैंकों को बन्द करना/विलय करना

4219. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के बंद किए गए अथवा विलय किए गए भारतीय निजी बैंको का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन्हें बन्द किए जाने/इनका विलय किए जाने के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) खराब वित्तीय स्थिति के कारण, अप्रैल 2004 से, निम्नलिखित गैर-सरकारी बैंक बैंककारी विनयमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के उपबंधों के तहत अन्य बैंकों के साथ समामेलित किये जा चुके हैं:-

(i) बैंक आफ बड़ौदा के साथ साऊथ गुजरात लोकल एरिया बैंक।

(ii) ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स के साथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक।

(iii) फेडरल बैंक लि. के साथ गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड।

(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. के साथ युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि. ।

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, इन बैंको की व्यावसायिक कार्यनीति के रूप में, बैंक आफ पंजाब लि. का सेन्चुरियन बैंक लि. के साथ, आईडीबीआई बैंक लि. का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लि. के साथ, भारत ओवरसीज बैंक लि. का इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ सांगली बैंक लि. का आईसीआईसीआई बैंक लि. के साथ विलय हो चुका है।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा सामान जब्त करना

4220. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए तस्करी के सामान की अनुमानित कीमत कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा किन मुख्य वस्तुओं को जब्त किया गया है;

(ग) ऐसी वस्तुओं के निपटान का तरीका क्या है;

(घ) क्या इसके लिए अलग-अलग खाता रखा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे सामान की उचित देख-रेख तथा निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए तस्करी शुदा माल का अनुमानित मूल्य निम्नानुसार है।

वर्ष	जब्तशुदा माल का मूल्य (करोड़ रु. में)
2004-2005	859.31
2005-2006	675.17
2006-2007	533.70

(ख) सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये प्रमुख सामान में स्वापक औषधियां, परिधान, फैब्रिक/यार्न, उपभोक्ता माल, इलेक्ट्रोनिक सामान, मशीनरी, कारखानागत माल, धातु उत्पाद आदि हैं।

(ग) जब्तशुदा व्यावसायिक माल का सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटान किया जाता है। और उपभोक्ता माल का राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को बिक्री के द्वारा निपटान किया जाता है। स्वापक अफीम जिसे सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को भेज दिया जाता है, को छोड़कर स्वापक औषधियों को नष्ट कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां बिक्री आगमों के लिए एक अलग खाता रखा जाता है जो निम्नानुसार है:-

(i) प्रमुख शीर्ष-0037-सीमा शुल्क

(ii) लघु शीर्ष-105 जब्तशुदा माल की बिक्री

(च) मंत्रालय ने ऐसे माल के समुचित रख रखाव और निपटान के लिए समय-समय पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में जल आपूर्ति कार्यक्रम

4221. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत-राजस्थान में बीस हजार से कम जनसंख्या वाले कस्बों में जल आपूर्ति परियोजनाएं संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो पूरी की गई, जारी, संस्वीकृत तथा प्रस्तावित योजनाओं का लागत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन जल आपूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) बजट सत्र 2007-08 के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान राज्य के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर जल आपूर्ति परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

(ग) और (घ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमत्य समय-सीमा 2 से 3 वर्षों की है।

(ङ) और (च) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम स्कीम का दिसम्बर, 2005 में इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई छोटे तथा मझौले कस्बों को शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में विलय कर दिया गया है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कोई नई परियोजना नहीं ली जा रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान केवल प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 32,50 करोड़ रुपये के नियतन का प्रस्ताव है।

राजस्थान राज्य के लिए यूआईडीएसएसएमटी तथा जेएनएनयूआरएम के तहत मंजूर और विचाराधीन जल आपूर्ति परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में है।

इस मंत्रालय ने अभी तक 2007-08 के बजट सत्र के लिए राजस्थान राज्य के लिए अपनी स्कीमों के अंतर्गत कोई परियोजना मंजूर नहीं की है।

विवरण-I

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

राज्य-राजस्थान

स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना)	मंजूरी की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत	प्रति व्यक्ति लागत (रु.में)	केन्द्रीय अंश	जारी राज्य अंश (भारत सरकार द्वारा)	दिसम्बर, 2006 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सथाली खैरी	कोटा	9744	जन., 2005	454.32	4662.56	227.16	227.16	179.94
2.	पिरावा	झालावाड़	9593	जन., 2005	439.93	4585.95	219.97	219.97	312.98
3.	मनोहर थाना	झालावाड़	7156	जन., 2005	314.78	4398.83	157.39	157.39	116.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	अकलेरा	झालावाड़	14487	जन., 2005	565.97	3906.74	282.99	282.99	287.28
5.	सुकेट	कोटा	11058	जन., 2005	617.00	5579.67	308.50	308.5	271.13
6.	उडपुरा	कोटा	6074	जन., 2005	334.00	5498.85	167.00	167.00	242.69
7.	पिंडवारा	सिरोही	15184	जन., 2005	111.17	732.15	55.59	55.59	42.33
8.	भवाड़ी	सिरोही	9019	जन., 2005	66.71	739.66	33.36	33.36	36.11
9.	रतननगर	चुरू	9346	जन., 2005	170.76	1827.09	85.38	64.04	13.61
10.	मंडल	भीलवाड़ा	16842	फर., 2005	193.00	1145.94	96.50	48.25	7.83
11.	पुष्कर	अजमेर	11,497	मार्च, 2005	333.14	2897.63	166.57	124.93	87.74
	कुल		120000				1800.39	1689.18	1598.10

विवरण-II

राजस्थान के लिए मंजूर और विचाराधीन-जल आपूर्ति परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कस्बों के नाम	कुल अनुमोदित	मंजूर/विचाराधीन अनुमानित लागत
1.	यूआईडीएसएसएमटी	उदयपुर	5395.00	मंजूर
2.	जेएनएनयूआरएम	अजमेर-पुष्कर	20000.00	मंजूर
3.	जेएनएनयूआरएम	जयपुर	112800.00	विचाराधीन

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

4222. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के लिए आबंटित तथा वास्तव में खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ग्रामीण विकास राज्य संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों तथा उक्त अवधि के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त कार्यक्रम में पिछड़ गए राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा राजस्व घाटे में कमी

4223. श्री दुष्यंत सिंह:
जुएल ओराम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त की आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने राजस्व घाटे कम किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने राजकोषीय निष्पादन पर आधारित ऋण की माफी की एक स्कीम तैयार की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों के राजस्व घाटों से जुड़ी है। राज्यों की ऋण समेकन तथा राहत सुविधा की स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान समेकित केन्द्रीय ऋणों पर राज्यों की पुनर्अदायगियां बट्टे-खाते डाले जाने की पात्र होंगी। आधार वर्ष की शुरूआत में राजस्व घाटे की जो मात्रा थी उसमें प्रत्येक वर्ष कमी करते हुए पिछले वर्ष हुई कमी की तुलना में राजस्व घाटे में जितनी मात्रा में कमी हुई वही पूर्ण राशि ऋणों को बट्टे-खाते डाले जाने की मात्रा होगी। जिन राज्यों के पास राजस्व अधिशेष है उनका ऋण तब तक बट्टे-खाते में डाला जाता रहेगा जब तक उनका राजस्व अधिशेष पूरी तरह से आधार वर्ष के स्तर से नीचे नहीं चला जाता है।

वर्ष 2004-05 में राजस्व लेखा में राजकोषीय शोधन तथा सुधार की गुणता के आधार पर; आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में 14 राज्यों का 3878.94 करोड़ रुपए का ऋण बट्टे खाते डाला गया है। इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में 19 राज्यों ने अपने राजस्व लेखे में आए सुधार को दर्शाया है तथा इस मानदण्ड को आधार बनाते हुए और राजकोषीय शोधन की गुणता के आधार पर, वर्ष 2006-017 के लिए इन राज्यों का अब तक 4594.89 करोड़ रुपए का ऋण बट्टे खाते में डाला गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय

4224. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय एक प्रतिशत से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो अन्य विकासशील तथा विकसित देशों में कितना व्यय किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आबंटन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):(क) और (ख) जी, हां उपलब्ध सरकारी आंकड़ो के अनुसार, भारत में वर्ष 2002-03 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 0.8 % था। इस संबंध में अन्य विकसित तथा विकासशील देशों की तुलना में भारत की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आबंटन बढ़ाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में प्रत्येक योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अधिक आबंटन, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में नये और अग्रणी क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा सुविधाओं के केन्द्रों का सृजन, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा विकास के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी अनुसंधान तथा विकास व्यय पर आय कर में राहत, प्रयोजित अनुसंधान के लिए भारित कर कटौती, सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं में उपयोग के लिए आयातित माल पर सीमा शुल्क में छूट, उत्कृष्ट अनुसंधान तथा विकास के लिए कारावकाश और राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं।

विवरण

चुनिंदा देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर व्यय, 2002-02

क्र.सं.	देश	जी डी पी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय
1	2	3
1.	अर्जेन्टीना	0.39
2.	आस्ट्रेलिया	1.55
3.	आस्ट्रिया	2.21
4.	ब्राजील	1.04

1	2	3
5.	कनाडा	2.00
6.	चैक गणराज्य	1.30
7.	डेनमार्क	2.51
8.	मिस्र, अरब गणराज्य	0.19
9.	फ्रांस	2.27
10.	जर्मनी	2.64
11.	चीन*	1.23
12.	हंगरी	1.01
13.	भारत	0.80
14.	इजराइल	5.11
15.	इटली	1.11
16.	जापान	3.11
17.	कोरिया गणराज्य	2.91
18.	पाकिस्तान	0.27
19.	रूसी फैडरेशन	1.24
20.	सिंगापुर	2.20
21.	स्पेन	1.04
22.	श्रीलंका	0.20
23.	स्वीडन	4.27
24.	यूनाईटेड किंग्डम	1.88
25.	यूनाईटेड स्टेट्स	2.67
26.	वैनेजुएला, आर बी	0.38

स्रोत: यू आई एस, यूनेस्को 2005
विश्व विकास सूचक 2004/05, विश्व बैंक
भारत-अनुसंधान और विकास सांख्यिकी, 2004-05 डी एस टी (भारत सरकार)
*चीन में हांगकांग शामिल नहीं है।

उड़ीसा में पीएनबी की शाखाओं का कम्प्यूटीकरण

4225. **श्री अन्नत नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नैशनल बैंक (पी. एन. बी.) ने उड़ीसा में अपनी सभी शाखाओं को को कम्प्यूटीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैंक ने राज्य में कोर बैंकिग भी शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी शाखावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य में अपनी नई शाखाएं खोलने के लिए पी. एन. बी. के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य में उनकी 54 शाखाएं और 2 विस्तार पटल हैं और सभी कम्प्यूटरीकृत हैं। उपयुक्त में से 31 शाखाएं (सेवा केन्द्र) कोर बैंकिग समाधान के अंतर्गत आती हैं। शेष सभी शाखाओं को नेटवर्क संपर्क की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2007-08 में कोर बैंकिंग समाधान शामिल कर लिए जाने का प्रस्ताव है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2007-08 के दौरान उड़ीसा राज्य में नई शाखाएं खोलने हेतु उन्हें 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक का उन्नयन

4226. **श्री विजय कृष्ण:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को उन्नत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जा रही सभी सुविधाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सामान्यत: बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के बैंकों का सुचारू एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम करने, पूजी पर्याप्ता मानदंड, ग्राहक सेवा सुधारने के लिए मार्गनिर्देश, आदि जैसे विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय/मार्ग निर्देश्य निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए फरवरी, 2005 में एक स्वयत्तता पैकेज की घोषणा की है, ताकि उन्हें तुरंत एवं सक्षमतापूर्वक निर्णय लेने में समर्थ बनाया जा सके और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर एवं सक्षमतापूर्वक निर्णय लेने में समर्थ बनाया जा सके और सरकारी क्षेत्र के बैंकों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने

में समर्थ बनाने हेतु बैंक बोर्डों का पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता दी जा सके। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न कार्यनिष्पादन मानदंडों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत "वार्षिक लक्ष्य संबंधी आशय-विवरण" के आधार पर उनके कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु एक व्यवस्था भी बनाई है। क्रेडित कार्डों, बैंकों द्वारा आश्वास्त सेवाओं आदि से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को शामिल करने हेतु जनवरी 2006 में बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना को संशोधित किया गया है। प्रतिस्थापित सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में संहिता एवं मानकों के लिए बैंकों का कार्यनिष्पादन मापने के लिए बैंकिंग कोड्स एवं स्टैंडर्ड बोर्ड आफ इंडिया (बीसीएसबीआई)की भी स्थापना की गई है। राष्ट्रीकृत बैंक ग्राहकों को सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान कर रहे हैं और सूचना प्रौद्योगिकी की अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं, ताकि कोई बैंकिंग समाधान तक पहुंच बढ़ाई जा सके, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं शुरू की जा सकें और चल बैंकिंग और विस्तारित इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं दी जा सकें।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

4227. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंको की सेवा क्षेत्रों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 26 मार्च, 2007 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो कितनी ग्रामीण जनसंख्या पर बैंक की एक शाखा खोली जाती है;

(ग) शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर बैंक की एक शाखा खोली जाती है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को एटीएम की सुविधा भी प्रदान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) जी, नहीं। वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति के अंतर्गत, एक नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है जो बैंकों की मध्यवधि कारपोरेट कार्यनीति तथा जनता के हित के अनुरूप होगा। भारतीय रिजर्व बैंक शाखाएं खोलने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, बैंकों द्वारा आम जनता को, विशेष रूप से अल्प बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में दी गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण प्रवाह, उपयुक्त नई सेवाओं को पेश करने सहित सेवाओं के मूल्यन तथा वित्तीय अंतर्वेशन को बढ़ावा देने हेतु समग्र प्रयास और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्यौगिकी के उन्नत प्रयोग को महत्व देता है।

बैंकों को अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों में केन्द्रों की पहचान करने हेतु सुकर बनाने के उद्देश्य से, उनहें ऐसे जिलों की एक सूची भी अग्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंको को अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सतत आधार पर खोलना अपेक्षित है।

जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(क) 10,000 से कम की जनसंख्या वाले बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों से युक्त "ग्रामीण" समूह।

(ख) 10,000 तथा इससे अधिक परन्तु 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों से युक्त अर्द्ध-शहरी समूह।

(ग) 1 लाख एवं इससे अधिक परन्तु 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों से युक्त "शहरी" समूह।

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही एटीएम खोल चुके हैं। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंको के 579 बैंक के बैंक-इतर एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में थे।

पीएमआरवाई स्वरोजगार के अंतर्गत ऋण

4228. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों ने स्वरोजगार हेतु पीएमआरवाई के अंतर्गत बिना गारंटी के

प्रदान किए जाने वाले ऋणों को प्रदान करने हेतु शिक्षित बेरोजगार युवाओं से गारंटी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण देने से मना करने वाले बैंकों को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वरोजगार के संबंध में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत सभी मामलों में ऋण प्रदान करने के लिए बैंको को निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) औद्योगिक क्षेत्र में 2 लाख रुपए (पीएमआरवाई) के तहत ऋण की अधिकतम सीमा) तक की परियोजना लागत वाली इकाइयों के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति लेने में छूट की सीमा पांच लाख रुपए प्रति ऋण खाता होगी। सेवा और कारोबार क्षेत्रों में इकाइयों के लिए, 1.00 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति लेने में छूट की सीमा पांच लाख रुपए प्रति ऋण खाता होगी। सेवा और कारोबार क्षेत्रों में इकाइयों के लिए, 1.00 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए किसी भी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। भागीदारी परियोजना के मामले में संपार्श्विक से छूट भी, परियोजना में भागीदारी कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1.00 लाख रुपए तक सीमित होगी।

(ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयक बैंको को निदेश जारी किए हैं कि वे पीएमआरवाई के तहत ऋणों के लिए संपार्श्विक पर जोर न दें।

(ग) और (घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

4229. श्री कुलदीप बिश्नोई क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2003 में लागू की गई सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने परिवार लाभान्वित हुए; और

(घ) अधिक से अधिक संख्या में गरीब परिवारों को उक्त योजना के लाभ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना पहली बार जुलाई, 2003 में आरंभ की गई थी और मार्च, 2004 तक बीमित किए गए कुल 3,37,385 परिवारों में से कुल 9252 बीपीएल परिवार थे। इस योजना को प्रारम्भ करते समय की गई परिकल्पना के अनुरूप, इस योजना के लिए प्रतिक्रिया नहीं मिलने से इसे वर्ष 2004-05 में, एक व्यक्ति, पांच व्यक्तियों के परिवार तथा सात व्यक्तियों के परिवार के लिए क्रमश: 365 रु., 548 रु और 730 रु. के प्रीमियम पर 200 रु., 300 रु., और 400 रु. की बढ़ी हुई आर्थिक सहायता सहित पुन: तैयार किया गया था।

(ख) इस योजना के धीमी गति से विकास के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारण भी शामिल हैं:- (i) जागरुकता की कमी और बीपीएल परिवारों की वहन करने की क्षमता की कमी; (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कंपनियों की पहुंच की कमी; (iii) योजना को प्रभावी और विस्तृत रूप से लागू करने के लिए इसकी कम प्रीमियम संरचना बीमा कंपनियों के लिए अत्यधिक लागत वाली है; (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुविधा; (v) बीपीएल परिवारों की पहचान में कठिनाई और (vi) यूएचआईएस को वर्तमान स्वरुप में कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया।

(ग) राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रदान की गई बीमा सुरक्षा का विवरण संलग्न है।

(घ) योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों और राज्य के मुख्य सचिवों को अधिक रूचि लेने की सलाह दी गई है। योजना के अंतर्गत सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों और राज्य के मुख्य सचिवों को अधिक रूचि लेने की सलाह दी गई है। योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए गैर-जीवन क्षेत्र की सरकारी बीमा कंपनियों को भी सक्रिय कदम उठाने के लिए कहा गया है।

विवरण

बीपीएल परिवारों के लिए पुन: तैयार की गई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रगति

	2004-05		2005-06		2006-07 (अनन्तिम)	
	बीमित किए गए परिवारों की संख्या	बीमित किए गए व्यक्तियों की संख्या	बीमित किए गए परिवारों की संख्या	बीमित किए गए व्यक्तियों की संख्या	बीमित किए गए परिवारों की संख्या	बीमित किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	18621	51222	11928	29546	8003	33412
असम	185	648	4103	5284	547	754
बिहार	0	0	40	44	631	961
चंडीगढ़	174	200	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	880	1641	0	0	0	0
दिल्ली	6	38	27	130	684	1233
गुजरात	6775	9040	1379	1808	15718	17409
हिमाचल प्रदेश	381	929	71	169	1066	1066
हरियाणा	656	1150	509	1081	1452	1877
जम्मू और कश्मीर	168	183	81	81	246	246
झारखंड	0	0	4	8	202	499
कर्नाटक	2662	8095	2533	9272	55330	317655
केरल	24067	83761	44174	163171	53170	213945
मध्य प्रदेश	962	1525	0	0	1753	5154
महाराष्ट्र	3018	9275	771	3076	1047	3050
उड़ीसा	71	169	191	422	1718	2723
पंजाब	671	745	250	250	2173	2658
राजस्थान	4227	9302	4416	10594	2504	5791
तमिलनाडु	696	2624	595	2226	2866	10984

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	1161	1615	788	1109	1756	2011
उत्तरांचल	323	419	4745	19530	96	132
पश्चिम बंगाल	14	60	0	0	973	2244
कुल	65718	182641	76605	247801	151935	623804

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभाव

4230. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में कोई खामी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डुप्लीकेट पैन कार्ड

4231. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

श्रीमती रूपातताई डी. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार के ध्यान में कई डुप्लीकेट/फर्जी स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान डिएक्टिवेट किए गए कार्डों का क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने हेतु कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस मामले में दोषी पाए गए प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा और क्या समुचित कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, डुप्लीकेट पैनों के क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरण-I में दिये गए हैं। इसी तरह, जिन व्यक्तियों ने गलत पहचान देकर पैन कार्डस प्राप्त किया है और जिन व्यक्तियों ने गैर-मौजूद पैन का उल्लेख किया है, उन व्यक्तियों के मामले विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्क्रिय किए गए डुप्लीकेट पैनों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन पत्रों में दिए गए ब्यौरे भिन्न-भिन्न होने के फलस्वरूप पैन कार्डों की पुनरावृत्ति हुई है और उसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड जारी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, अतिव्यापी प्रक्रिया के कारण डुप्लीकेट पैन भी जारी किए गए हैं। अत: ऐसे कार्ड जारी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान करना संभव नहीं है।

(च) उन मामलों में जहां गैर-मौजूद पैनों का उल्लेख किया गया है अथवा झूठी पहचान देकर पैन कार्ड प्राप्त किए गए हैं, वहां पुलिस प्राधिकारियों के साथ शिकायतें दर्ज की गई हैं।

(छ) प्राधिकारियों को निदेश दिए गए है कि वे एक समयबद्ध तरीके से उनको डी-डुप्लीकेट करने की कार्रवाई पूरी करें।

इसके अतिरिक्त, यह भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम में अथवा जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया कोई पैन पाया जाता है तो उसे जाली पैन के रूप में चिन्हित करें।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में डुप्लीकेट पाए गए तथा समाप्त किए गए/निष्क्रिय किए गए पैन कार्डों की स्थिति

कंप्यूटर केन्द्र	वर्ष 2004-05 में पता लगाए गए संभावित डुप्लीकेट पैन रखने वाले व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 2004-05 में समाप्त किए गए/निष्क्रिय किए गए डुप्लीकेट पैनों की संख्या	वर्ष 2005-06 में पता लगाए गए संभावित डुप्लीकेट पैन रखने वाले व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 2005-06 में पता लगाए गए/निष्क्रिय किए गए संभावित डुप्लीकेट पैनों की संख्या	वर्ष 2006-07 में पता लगाए गए संभावित डुप्लीकेट पैन रखने वाले व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 2006-07 में पता लगाए गए/निष्क्रिय किए गए डुप्लीकेट पैनों संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आगरा	5	5	10564	0	0	3675
अहमदाबाद	1	1	27067	0	0	27229
इलाहाबाद	0	0	10533	0	0	2409
अमृतसर	2	2	10061	9	0	4989
भुवनेश्वर	2	2	11410	0	0	4045
बंगलौर	21	21	46272	8	0	15544
मुम्बई	133	133	163131	217	0	109484
भोपाल	0	0	57511	7	0	10577
बड़ौदा	0	0	12336	6	0	10697
कोलकाता	0	0	82113	0	0	40384
कोचीन	496	496	6348	60	0	4565
कोयम्बटूर	98	98	11964	15	0	1519
दिल्ली	6	6	306233	8806	0	255994
हैदराबाद	3	3	54888	75	0	52421
जबलपुर	15	15	54646	37	0	8921
जोधपुर	40	40	18647	0	0	10725
जालंधर	0	0	36507	0	0	10070
जयपुर	0	0	23361	0	0	16215
कोल्हापुर	17	17	3669	0	0	3370
कानपुर	0	0	9884	0	0	2190

1	2	3	4	5	6	7
लखनऊ	2	2	2672	9	0	285
चेन्नई	3	3	96428	2	0	11740
मदुरई	0	0	263	0	0	9
मेरठ	0	0	27880	0	0	3156
नागपुर	3	3	10584	0	0	9399
नासिक	185	185	12849	43	0	12677
पुणे	0	0	35626	0	0	34441
पटियाला	0	0	47111	0	0	525
पटना	0	0	22614	0	0	16396
रांची	0	0	19149	0	0	16191
राजकोट	17	17	5405	62	0	4351
रोहतक	0	0	32029	0	0	20201
सूरत	0	0	8885	0	0	8000
त्रिवेन्द्रम	0	0	709	3	0	222
विशाखापट्टनम	0	0	10620	2	0	9862
शिलांग	2	2	20158	0	0	5
योग	1051	1051	1310127	9361	0	742483

विवरण-II

कतिपय गैर-मौजूद पैनों तथा झूठी पहचान के मामलों की सूची

क्रम सं.	पैन	पैन धारक का नाम
1	2	2
1.	एडीजेपीटी 987एम	मैं ट्रीडस्टोन इंडिया, नई दिल्ली
2.	एएएक्सपीएस5522ए	कुलदीप सिंह सुपुत्र-त्रिलोचन सिंह
3.	एएजीपीबी6529एल	रमन शर्मा सुपुत्र-ओम प्रकाश शर्मा
4.	एएजीपीजी2173एल	रवि गौतम सुपुत्र-प्रवीण गौतम
5.	एजीओपीए 3311	मै. आर.के. इण्डस्ट्रीज (प्रो. अजीत कृणन)
6.	एएईसीएम0875	मै. एम. एच. एंड संस कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.

1	2	2
7.	एसीयूपीजे 2651बी	श्री सतीश चंद जैन सुपुत्र -एम.एम. जैन
8.	एपीजीकेबी6436पी	सुनील नारंग सुपुत्र-आर.के नारंग
9.	एएमडब्ल्यूएसपी5763एन	पवन कुमार सुपुत्र-जगदीश कुमार
10.	एडब्ल्यूएमएसपी1348एल	त्रिलोक सिंह सुपुत्र-राय सिंह
11.	एएसीसीआर8107	मै. यार्डी सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.
12.	एएएचएफआर4798	मै. राघोजी स्पिनटेक्स
13.	एएडीसीओ4838के	मै. साई इपैक्स
14.	एआईजीपीएस4628के	पीसू लिंगा रेड्डी
15.	एकेएपीके3252बी	अमन कुमार सुपुत्र-राम कुमार
16.	एपीजीकेबी6436पी	राजीव नंदा सुपुत्र-आर.के. नंदा
17.	एएकेएलएम2132पी	रजत गुप्ता सुपुत्र-मुरारी लाल गुप्ता
18.	बीएफपीपीएस5480डी	गुरप्रीत सिंह
19.	बीएफजेडपीएस1188ई	मनदीप सिंह

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से आन्ध्र प्रदेश को ऋण/अनुदान

4232. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा क्षेत्र सेवाओं और सुधारों हेतु वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से आन्ध्र प्रदेश के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण/अनुदान के लिए गारंटी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीएफआईडी से उक्त ऋण/अनुदान प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

4233. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई प्रायोगिक अध्ययन यह दर्शाते है कि गृह सेवा कनेक्शन से वितरण में जल के बेकार होने का प्रतिशत 20% से 50% तक बैठता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने शहरी जलापूर्ति प्रणाली के प्रचालन और रख-रखाव संबंधी मैनुअल प्रकाशित किया है और उसे राज्य सरकारों को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के शहरी क्षेत्रों के लिए रख-रखाव और जलापूर्ति में बेहतर प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा कोई भावी कार्यनीति बनाई गई है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) शहरी विकास मंत्रालय ने "भारत में चुनिंदा शहरों में जल वितरण प्रणाली" के निष्पादन मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) नागपुर के जरिए एक अध्ययन कराया था। एनईईआरआई ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 1992 में प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया कि भारत के विभिन्न शहरों में प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर लगभग 82.6% लीकेज "घरों में जल आपूर्ति कनेक्शन" से तथा लगभग 17.4% लीकेज" मुख्य पाइप लाइनों" और "वितरण नलों" (उप मुख्य) से है।

(ख) और (ग) शहरी विकास मंत्रालय ने जल आपूर्ति प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव पर एक नियम पुस्तिका जनवरी, 2005 में निकाली और इसे अपनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया है। यह नियम पुस्तिका शहरी विकास मंत्रालय के वेबसाइट www.urbanindia.nic.in में भी उपलब्ध है।

उक्त ओ एंड एम मैनुअल में विभिन्न स्रोतों से जल शोधन, पेय जल गुणवत्ता निगरानी, जल लेखा परीक्षण, रिसाव नियंत्रण, मानव संसाधन विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित ओ एंड एम के सभी पहलू शामिल है।

(घ) "जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रचालन एवं रखरखाव" संबंधी मैन्यूअल में राज्य सरकारों, शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रभारी विभागों/संगठनों द्वारा अपनाए जाने हेतु जल आपूर्ति प्रणालियों के कारगर प्रचालन और रखरखाव के लिए कार्यनीति का उल्लेख किया गया है।

इस मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2005 में आरंभ किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकारों/जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रभारी शहरी स्थानीय निकायों को सेवाओं में सुधार तथा दक्ष सेवा सुपुर्दगी के लिए कुछेक अनिवार्य/वैकल्पिक सुधार कार्यान्वित करना पड़ता है, जिसमें रिसाव में कमी करना, सिस्टम में पानी व ऊर्जा लेखा परीक्षा आरंभ करना तथा 24 x 7 आधार पर आपूर्ति करने के मूलभूत उद्देश्य से सविरामी जल आपूर्ति की बजाय निरंतर जल आपूर्ति करना शामिल है।

(ङ) और (च) जल आपूर्ति प्रणाली के रख-रखाव एवं प्रबंध न के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किसी विशिष्ट योजना पर विचार नहीं किया गया।

नैनो-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं की स्थापना

4234. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर गुजरात में नैनो-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयोगशालाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़कों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता

4235. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद शहर की बाहरी रिंग रेड पर लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु किसी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी नहीं। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता चाहने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही में जापानीज बैंक फार इंटरनेशनल को आपरेशन (जेबीआईसी) की सहायता से 2700 करोड़ रु. की लागत से हैदराबाद की बाहरी रिंग रोड परियोजना के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त एक संशोशित संकल्पना नोट की दिनांक 6.3.2007 को आर्थिक कार्य विभाग को सिफारिश की गई है।

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

4236. श्री आनंदराव विठोवा अडसूल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री उदय सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बैकलॉग को निपटाने के उद्देश्य से इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) वर्ष 2006 में त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के अधीन रहते हुए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 106 पद अनुमोदित किए गए हैं:

(i)	इलाहाबाद	65 न्यायाधीश
(ii)	आंध्र प्रदेश	27 न्यायाधीश
(iii)	कलकत्ता	08 न्यायाधीश
(iv)	दिल्ली	01 न्यायाधीश
(v)	कर्नाटक	01 न्यायाधीश
(vi)	केरल	01 न्यायाधीश
(vii)	पंजाब और हरियाणा	02 न्यायाधीश तथा
(viii)	मध्य प्रदेश	01 न्यायाधीश
	योग	106 न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदसंख्या का उपबंध अनुच्छेद 124 (1) और समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के अधीन किया गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कोई परिवर्तन संसद के समक्ष विधान लाकर किया जाता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी सम्मेलन

4237. डा. एस. जगन्नाथ:
श्री चंद्रकांत खैर:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) वर्ष 2006-2007 के दौरान नई दिल्ली में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (एनआरआई) संबंधी छः सम्मेलन आयोजित किए गए जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इन सम्मेलनों में मुख्यतया संस्थापना और सहयोग से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया गया। ऐसे सम्मेलनों का प्रयास जागरूकता, प्रचार और पणधारियों (स्टेट होल्डर) के बीच नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए होता है।

विवरण

वर्ष 2006-2007 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी सम्मेलनों के विवरण

(i) एसोचेम, नई दिल्ली द्वारा 18-19 अप्रैल, 2006 के दौरान नई दिल्ली में "दक्षिण एशियाई देशों के लिए अक्षय ऊर्जा सम्मेलन"।

(ii) इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर फाउनडेशन, नई दिल्ली द्वारा 27-28 अप्रैल, 2006 के दौरान नई दिल्ली में "ग्रामीण क्षेत्र हेतु ऊर्जा विकल्प" पर राष्ट्रीय सम्मेलन।

(iii) एसोचेम, नई दिल्ली द्वारा 24-25 अगस्त, 2006 के दौरान नई दिल्ली में 9वां एसोचेम ऊर्जा शिखर सम्मेलन और छठवां एसोचेम अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन' ।

(iv) इंडिया एनर्जी फोरम नई दिल्ली द्वारा 15-16 सितम्बर, 2006 के दौरान नई दिल्ली में 9वां पावर इंडिया फोरम

2006 और छठा अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2006।

(v) भारतीय पवन ऊर्जा संघ (इन डब्ल्यूईए) नई द्वारा 6-8 नवम्बर, 2006 के दौरान नई दिल्ली में 5वां विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन सह-प्रदर्शनी 2006' ।

(vi) दी एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीच्यूट (टीईआरआई), नई दिल्ली द्वारा 9-10 नवम्बर, 2006 के दौरान नई दिल्ली में "भारत में विनियामक कार्य-निष्पादन : उपलब्धियां, अड़चने और भावी कार्रवाई" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण हेतु सहकारी बैंक को सहायता

4238. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के अभाव में किसानों को कम दर पर ऋण प्रदान करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहकारी बैंको ने इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अवगत करा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कोई योजना बना रही है जिससे कि वे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में सक्षम हो सकें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (च) किसानों द्वारा खारीफ एवं रबी 2005-06 हेतु लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक 1,00,000 रुपए तक की मूल राशि पर ऋणकर्ता को देयता के दो प्रतिशत अंक के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद खरीफ 2006 से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपए की उच्चतर सीमा सहित 7 प्रतिशत पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नाबार्ड से उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

इसके अतिरिक्त, वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों से परामर्श करके अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे हेतु पुनरूज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया गया है। अब तक 15 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने इस पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उन दस राज्यों में प्राथमिक ऋण समितियों (पीएसीएस) की विशेष लेखा-परीक्षा का कार्य चल रहा है, जिन्होंने पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए नाबार्ड एवं भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईडीबीआई द्वारा बट्टे खाते में डाली गई गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

4239. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान आईडीबीआई द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के हिस्से के रूप में कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गई;

(ख) क्या सरकार का विचार ऋणों को बट्टे खाते में डालने का कारण बनने वाली परिस्थितियों की किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच/छानबीन कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) आईडीबीआई ने जानकारी दी है कि गत पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशियां निम्नानुसार हैं:

2002-03	2003-04 (30 सितम्बर, 2004 को समाप्त 18 माह की अवधि	2004-05 (31 मार्च, 2006 को समाप्त 6 माह की अवधि	2005-06	2006-07
907	1450	52	1198	464

(ख) से (घ) आईडीबीआई के निवेश और उसके द्वारा ऋणों को बट्टे खाते डाला जाना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और

आईडीबीआई लि. के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन हैं। इस मामले में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों मे जलापूर्ति और स्वच्छता हेतु प्रयोक्ता प्रभार

4240. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता हेतु प्रयोक्ता प्रभार लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर विश्व बैंक की राय पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाते की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आवास का अधिकार

4241. श्री रामदास आठवले: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवास के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में निगमित करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आवास के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में समाविष्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कुटीर ज्योति कार्यक्रम

4242. श्री मनोरंजन भक्त: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में निर्धन ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत जिले-वार कितने सिंगल पाइंट लाईट कनेक्शन प्रदान किये गए;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी निर्धन ग्रामीण परिवारों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत द्वीपसमूह के इन सभी परिवारों को कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) कुटीर ज्योति स्कीम वर्ष 1988-89 में आरंभ हुई थी और इसे अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के साथ विलय कर दिया गया था। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ने कुटीर ज्योति कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। इसलिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण निर्धन और जनजातीय परिवारों को कुटीर ज्योति कनैक्शन जारी किए जाने की सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ने आरजीजीवीवाई में भाग नहीं लिया है जिसमें कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनैक्शन जारी करने के प्रावधान समेत सभी ग्रामीण परिवारों को विद्युत की पहुंच किए जाने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

पूंजी बाजार में शेयर मूल्यों में गिरावट

4243. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2006-2007 के दौरान लगभग 86 कंपनियों ने पूंजी बाजार के माध्यम से सामान्य निवेशकों से 11,568 करोड़ रुपए जुटाए हैं;

(ख) क्या तत्पश्चात उनके शेयर मूल्यों में काफी गिरावट आई है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इसमे किसी सांठ-गांठ की संभावना की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष के अंत में इनमें से उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके शेयर मूल्यों में अपने निर्गम मूल्यों की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि 85 कंपनियों ने वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से 29797 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान जिन 85 कंपनियों ने सार्वजनिक निर्गम जारी किए गए, उनमें से 40 कंपनियों के बंद मूल्य सूचीयन के दिन उनके निर्गम मूल्यों से निम्नतर थे।

(ग) और (घ) मूल्य की वृद्धि तथा गिरावट बाजारों में मांग और आपूर्ति का कार्य है। सेबी असाधरण तथा असामान्य कीमत उतार-चढ़ाव पर नज़र रखता है तथा जहां भी आवश्यक समझा जाएं, समुचित कार्रवाई करता है।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान जिन 85 कंपनियों ने सार्वजनिक निर्गम जारी किए थे, उनमें से 81 कंपनियों को वर्ष 2006-07 के दौरान सूचीबद्ध किया गया। 81 कंपनियों में से 50 कंपनियों के बंद मूल्य वर्ष 2006-07 के अंतिम कारोबार दिवस को निर्गम मूल्यों से निम्नतर थे।

[अनुवाद]

पीएमआरवाई के अंतर्गत ऋण

4244. श्री रविप्रकाश वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पीएमआरवाई के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण आबंटन की अवधि को जून, 2007 तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पीएमआरवाई के बहुत से लाभार्थी अपने ऋणों को चुकाते नहीं है;

(घ) यदि हां, तो 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार बैंक-वार इन लाभार्थियों से वसूली के लिए लंबित ऋणों की राशि कितनी है; और

(ङ) इन ऋणों की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के कार्यक्रम के लिए स्वीकृत मामलों के लिए ऋण संवितरण पूरा करने के उद्देश्य से संवितरण अवधि को जून, 2007 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

(ग) और (घ) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, बैंक-वार वसूली संबंधी स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथापि, 30 सितम्बर, 2006 के अनुसार बैंक-वार वसूली संबंधी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार ने योजना के अंतर्गत वसूली संबंधी कार्य में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) बैंको को संबंधित सरकारी विभागों अर्थात् जिला उद्योगों केन्द्र (डीआईसी) के साथ संयुक्त वसूली अभियान चलाने की सलाह दी गई है।

(ii) सभी राज्य सरकारों को पीएमआरवाई कार्यान्वयनकर्ता बैंकों से उन उधारकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज करने के लिए कहा है जो पीएमआरवाई के अंतर्गत संस्वीकृत ऋणों का दुरूपयोग करते हैं।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कार्यान्वयनकर्ता बैंकों, से उन उधारकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज करने के लिए कहा है जो पीएमआरवाई के अंतर्गत संस्वीकृत ऋणों का दुरूपयोग करते हैं।

विवरण

सितम्बर, 2006 को समाप्त छमाही के लिए पीएमआरवाई के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको का वसूली संबंधी कार्य

क्र.सं.	बैंक का नाम	सामान्य			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति		
		मांग	वसूली	अतिदेय राशियां	मांग	वसूली	अतिदेय राशियां
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र के बैंक							
1.	भारतीय स्टेट बैंक	93621.21	25519.67	68101.54	25008.96	6622.03	18386.93
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर	2592.65	487.21	2105.44	0.00	0.00	0
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	6544.18	2840,53	3703.65	0.00	0.00	0
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	912.45	353.60	558.85	368.17	73.00	295.17
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2360.08	701.51	1658.57	691.15	163.41	527.74
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1505.97	560.39	945.58	486.17	154.41	331.76
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	595.49	369.20	226.29	0.00	0.00	0
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3249.04	1981.92	1267.12	0.00	0.00	0
9.	इलाहाबाद बैंक	12291.08	4148.98	8142.10	3217.86	1020.02	2197.84
10.	आंध्र बैंक	3226.11	718.73	2507.38	0.00	0.00	0
11.	बैंक आफ बड़ौदा	11111.15	4482.62	6628.53	1950.35	736.47	1213.88
12.	बैंक आफ इंडिया	8742.93	3759.46	4983.47	10303.71	3279.78	7023.93
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5894.07	1437.24	4456.83	881.38	162.50	718.88
14.	केनरा बैंक	8254.36	3705.49	4548.87	2160.52	929.24	1231.28
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	18790.12	4103.06	14687.06	5186.64	964.79	4221.85
16.	कारपोरेशन बैंक	3749.86	995.44	2754.42	333.25	104.67	228.58
17.	देना बैंक	2737.94	1342.13	1395.81	440.73	170.00	270.73
18.	इंडियन बैंक	5845.80	1984.47	3861.33	0.00	0.00	0
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	9546.19	3972.21	5573.98	2195.03	818.05	1376.98
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	3921.24	1221.08	2700.16	539.82	163.31	376.51
21.	पंजाब नेशनल बैंक	17982.44	8704.60	9277.84	6263.60	2573.05	3690.55

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2927.81	770.95	2156.86	350.13	78.48	271.65
23.	सिंडिकेट बैंक	8741.89	3826.63	4915.26	1343.21	483.91	859.3
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	15808.48	4302.64	11505.84	3606.21	924.98	2681.23
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	12579.36	1550.59	11028.77	0.00	0.00	0
26.	यूको बैंक	11368.82	2482.14	8886.68	2359.52	410.07	1949.45
27.	विजया बैंक	3697.16	1604.21	2092.95	548.59	207.57	341.02
	कुल	278597.88	87926.70	190671.18	68235.00	20039.74	48195.26
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक							
1.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	57.47	24.48	32.99	14.05	5.38	8.67
2.	बैंक आफ राजस्थान लि.	1069.52	601.60	467.92	138.96	58.89	80.07
3.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	64.55	21.94	42.61	2.50	0.25	2.25
4.	यूटीआई बैंक लि.	8.39	5.67	2.72	0.00	0.00	0
5.	केथोलिक सीरियन बैंक लि.	602.90	253.40	349.50	47.11	19.33	27.78
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	559.90	243.75	316.15	44.35	28.51	15.84
7.	फेडरल बैंक लि.	1402.96	319.93	1083.03	142.40	38.09	104.31
8.	जे एंड के बैंक लि.	1696.31	772.93	923.38	0.00	0.00	0
9.	कर्नाटक बैंक लि.	1529.63	931.12	598.51	0.00	0.00	0
10.	करूर वैश्य बैंक	346.82	168.17	178.65	0.00	0.00	0
11.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	269.28	75.91	193.37	40.34	13.24	27.1
12.	नेदुंगाडी बैंक	2.67	2.22	0.45	0.00	0.00	0
13.	रत्नाकर बैंक लि.	260.87	83.14	177.73	0.00	0.00	0
14.	सांगली बैंक लि.	123.99	40.90	83.09	15.02	4.92	10.1
15.	साउथ इंडियन बैंक लि.	841.47	280.63	560.84	105.66	26.14	79.52
16.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	370.71	194.74	175.97	0.00	0.00	0
17.	आईडीबीआई बैंक	1040.77	243.15	797.62	194.67	24.88	169.79
18.	वैश्य बैंक लि.	515.17	209.44	305.73	58.39	15.34	43.05
19.	नैनीताल बैंक लि.	108.10	39.24	68.86	0.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	सिटी यूनियन बैंक लि.	165.57	77.97	87.60	0.00	0.00	0
21.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	74.44	45.96	28.48	0.00	0.00	0
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	11131.49	4636.28	6495.20	803.45	234.97	568.48
	सभी बैंकों का कुल	289729.37	92562.98	197166.38	69038.45	20274.71	48763.74

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्रीय ग्रिड

4245. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों के साथ विद्युत व्यापार के लिए दक्षिण क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्रीय ग्रिड की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत की कमी को किस सीमा तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) पड़ोसी देशों के साथ विद्युत व्यापार के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिनांक 3-4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में संपन्न 14वें दक्षिणी सहायोग संगठन (दक्षेस) शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा प्रणाली पद्धतियां तथा ग्रिड संरचना एकीकरण, एवं दक्षिण एशिया को शामिल करते हुए ऊर्जा बाजार के साथ ऊर्जा विनिमय को आरंभ करने का सुझाव दिया गया था।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत का योगदान

4246. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राप्त किए गए पेटेन्टों की संख्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्रों प्राप्त पी. एच. डी. आदि की दृष्टि से विश्व विज्ञान में भारत का योगदान 2.7 प्रतिशत है जबकि चीन का योगदान लगभग 12 प्रतिशत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) ऐसी कोई अकेली सूची उपलब्ध नहीं है जिसमें विश्व विज्ञान में देश के योगदान को बताने के लिए प्राप्त पेटेंटों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों, प्राप्त पी. एच. डी. आदि की संख्या सामूहिक रूप से दी।

	चीन	भारत
पी.एच.डी/वर्ष	20,000	4,500
विज्ञान उद्धरण सूची पत्रों	53,000	19,500

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यू आई पी ओ) द्वारा हाल में प्रकाशित पेटेंट आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2004 के दौरान चीन में निवासियों द्वारा दर्ज पेटेंट 65,786, भारत में निवासियों द्वारा सदृश दर्ज पेटेंट (7179) की तुलना में नौ गुनी से अधिक थी।

यह देखा गया कि चीन में अनुसंधान और विकास पर निवेश प्रतिवर्ष लगभग 2,66,000 करोड़ रुपये (64 बिलियन अमेरिकी डालर) है। जबकि भारत में यह लगभग 20,000 करोड़ रुपये (5 बिलियन अमेरिकी डालर) है। इसी प्रकार, चीन में अनुसंधान और विकास पेशेवर लगभग 8.5 लाख हैं जिसकी तुलना में भारत में 1.15 लाख हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय वर्ष 2000-2001 में 1105 करोड़ रुपये से वर्ष 2002-2003 में बढ़कर 12072 करोड़ रुपये हो गये हैं। देश में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप पर कुल निवेश वर्ष 2002-03 में 18000 करोड़ रुपये था और वर्ष 2003-04 में यह 19726 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2004-05 में 21639 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। सरकार द्वारा आगे अनुसंधान और विकास में निवेशों को बढ़ाने की योजना बनायी गयी है और इसी प्रकार अनुसंधान और विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए अनेक स्कीमें प्रारंभ की गयी हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी देनदारियां

4247. श्री विजय कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी देनदारियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक की विदेशी देनदारियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा अपनी विदेशी देनदारियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ख) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [(एफसीएनआर (बी)] योजना, विदेशी विदेशी मुद्रा ऋण अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों, वोस्ट्रो शेषों बांडो [भारतीय सहस्त्राब्दि जमा योजना (आईएमडी)], अमरीकी निक्षेपागार सीदों (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागर रसीदों (जीडीआर) अनिवासियों द्वारा धारित बैंक इक्विटी, आदि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी देयताएं मार्च, 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार, 68,127 करोड़ रुपए थीं, जो सितम्बर, 2006 के अंत में बढ़कर, 77,951 करोड़ रुपए हो गई। मार्च, 2005, 2006 और सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी देयताओं का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बैंक अपनी समग्र व्यावसायिक कार्यनीति के भाग के रूप में ऐसे संसाधनों को जुटाते हैं।

विवरण

राष्ट्रीकृत बैंको की विदेशी देयताएं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंको के नाम	मार्च, 2005	मार्च 2006	सितम्बर, 2006
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	479	504	416
2.	आन्ध्रा बैंक	1,136	1,090	1,044
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	13.85	13,348	14,039
4.	बैंक आफ इंडिया	9610	12,700	12,626
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	504	663	972
6.	केनरा बैंक	13,919	15,142	15,409
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,598	1,953	2,139
8.	कारपोरेशन बैंक	4,084	4,433	4,853
9.	देना बैंक	1,351	1,291	1,228
10.	इंडियन बैंक	2,485	2,948	3,147
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4,336	5,025	5,560
12.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,550	1,403	1,560
13.	पंजाब एण्ड सिंघ बैंक	957	1,114	1,158
14.	पंजाब नैशनल बैंक	2,642	3,058	3,267
15.	सिंडिकेट बैंक	2,488	2,699	2,828

1	2	3	4	5
16.	यूको बैंक	772	1,580	1,646
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,244	4,348	4,636
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	131	117	136
19.	विजया बैंक	1,990	1,782	1,586
	कुल	68,127	75198	75198

हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय

4248. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के लोगों की एक अलग उच्च न्यायालय की मांग लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) जी हां, हरियाणा के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, हरियाणा के लिए पृथक न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ से इसकी राजधानी के स्थानांतरण और साथ ही हरियाणा राज्य के भीतर नए उच्च न्यायालय के लिए अवसंरचना विकसित करने पर भी निर्भर करेगी।

राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया देय

4249. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की विभिन्न विद्युत कंपनियों को आज की तिथि के अनुसार एक बड़ी मात्रा देय है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी के बकाया देय का आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से 2005-2006 और 2006-07 के दौरान प्रत्येक कंपनी द्वारा वसूल बकाया देयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एसईबी द्वारा बकाया के भुगतान न करने के क्या कारण है; और

(ङ) एसईबी से बकाया देय की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा देय कुल बकाया राशि (जो कि त्रिपक्षीय करार के खंड 17 में यथा परिभाषित 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है) 636.86 करोड़ रुपये है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों से वसूली गई बकाया देय राशि क्रमश: 995.47 करोड़ रुपये और 173.20 करोड़ रुपये हैं ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) 90 दिनों की अवधि से अधिक की बकाया देय राशि जो कि विवरण में दी गई है, वह राज्य विद्युत बोर्डों की अस्थायी लिक्विडिटी की समस्या के कारण या समाधान की वजह से विलंब होने के कारण सृजित हुई है। जैसे ही समस्याएं पैदा हो रही हैं, सीपीएसयू समस्या का द्विपक्षीय रूप में समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं जब चूक बनी रहती है और द्विपक्षीय रूप में भी उनका समाधान नहीं होता है तो मामले को संबंधित राज्य के केंद्रीय विनियोजन से वसूली हेतु त्रिपक्षीय करार के खंड 17 क तहत भारत सरकार को भेजा जाता है। तथापि, इस वूसली तंत्र का प्राय: उपयोग नहीं किया जाता है।

विवरण-I

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रत्येक पीएसयू को देय बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	एनएचपीसी	एनटीपीसी	पीजीसीआईएल	डीवीसी	नीपको	कुल
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	3.19	3.19
असम	0	0	0	0	84.64	84.64
बिहार	0	0	0	3.73	0	3.73
झारखंड	0	0	0	485	0	485.03
मणिपुर	0	0	0	0	5.77	5.77
मेघालय	0	0	0	0	30.07	30.07
मिजोरम	0	0	0	0	6.41	6.41
नागालैण्ड	0	0	0	0	5.14	5.14
त्रिपुरा	0	0	0	0	12.88	12.88
कुल	0*	0	0	488.8	148.1	636.86**

*इसमें 55.61 करोड़ रुपए की विवादित राशि जो कि अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, शामिल नहीं है।
**इसमें डेसू अवधि की बकाया राशि शामिल नहीं है क्योंकि वह दिल्ली का राज्य विद्युत बोर्ड नहीं था।

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान वसूली गई कंपनी वार और राज्यवार बकाया देय राशि

(करोड़ रुपए में)

राज्य	एनएचपीसी	एनटीपीसी	पीजीसीआईएल	डीवीसी	नीपको	कुल
अरुणाचल प्रदेश		0	3.91	0	0	3.91
असम	0		0	0	0	0
बिहार	189.29	76.59	77.19	0	0	343.07
झारखंड	0	4.03	0	0	696.97	701
मणिपुर	0	10.97	10.62	42.72	0	64.31
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	1.6	10.22	37.64	0	49.46
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	1.6	11.25	0	0	12.85
दिल्ली		0	10.16	0	0	0
कुल	0	94.79	123.4	80.36	696.97	995.47

वर्ष 2006-07 के दौरान वसूली गई कंपनीवार और राज्यवार बकाया देय राशि

(करोड़ रुपए में)

राज्य	एनटीपीसी	एनएचपीसी	पीजीसीआईएल	नीपको	डीवीसी	कुल
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	94.65	94.65
मणिपुर	0	8	7.27	54.37	0	69.64
मेघालय	0	0	0	8.91	0	8.91
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0
कुल	0	8	7.27	63.28	94.65	173.2

अधिक विद्युत लिया जाना

4250. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स (आरएलडीसी) ने केन्द्रीय विनियामक को राज्यों द्वारा ज्यादा विद्युत लेने को रोकने के लिए अनशैड्यूल्ड इंटरचेंज (यूआई) सीमा दर को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण ने यूआई की सीमा दर को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बढ़ी हुई यूआई दरों से उन राज्यों पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है, जो कि विद्युत की भारी कमी झेल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) दक्षिण क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (एसआरएलडीसी) ने ग्रिड फ्रीक्वेंसी को 49.0 हर्ट्ज से ऊपर तक बरकरार रख दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड के सुरक्षित एवं विश्वसनीय प्रचालन के लिए, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी 49.0 हर्ट्ज से नीचे आए, ऐसे में दक्षिणी क्षेत्र के संघटकों की आवश्यकता लोड शेडिंग के निदेश देने के लिए तथा मौजूदा तरल ईंधन के अनुरूप यूआई सीलिंग रेट में वृद्धि हेतु अनुरोध करते हुए 10.11.2006 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को एक याचिका दायर की थी। 11.1.2007 को उक्त याचिका की सुनवाई के दौरान आयोग ने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) को निदेश दिया था कि वे क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटरों तथा राज्य लोड डिस्पैच सेंटरों के परामर्श से यूआई के मूल्य में वृद्धि पर विचार करे और 25.1.2007 तक आयोग को एक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तदनुसार, पीजीसीआईएल, जो एक केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी भी है, ने अपने दिनांक 25.1.2007 के शपथ-पत्र के जरिए यूआई मूल्य के यौक्तिकरण के लिए एक

विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर आयोग द्वारा विचार किया गया। उक्त प्रस्ताव, जिसे सभी आरएलडीसी के परामर्श से तैयार किया गया, में सीलिंग दर को वर्तमान 5.70 रुपये प्रति कि.वा.घं. से बढ़ाकर रुपये 9.30 प्रति कि.वा.घं. करने का विचार था।

(ग) और (घ) विभिन्न स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् आयोग ने 5.4.2007 को एक आदेश जारी किया और साथ ही 49.02 हर्ट्ज और इससे कम फ्रीक्वेंसी पर गैर-निर्धारित अंत: परिवर्तन हेतु रू. 7.45 प्रति कि.वा.घं. की नई सीलिंग दर के प्रावधान के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम 2004 में संशोधन हेतु प्रारूप विनियम पर लोगों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए 07 अप्रैल, 2007 को एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया। इस प्रकार टिप्पणियों पर आयोग ने विचार किया और इसने यूआई सीलिंग दर को 30.4.2007 से बढ़ाकर रुपये 7.45 प्रति कि. वा.घं. करने का फैसला किया।

(ङ) गैर-निर्धारित अंत: परिवर्तन (यूआई) दर सामान्य ऊर्जा प्रभारों से अलग है जिसका भुगतान राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा केंन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों से अपने लिए आबंटित हिस्सों के लिए किया जाता है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा यू.आई. प्रभारों का भुगतान तभी किया जाएगा यदि वे अपने निर्धारित आहरण से अधिक विद्युत का आहरण करते हैं (जो केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों में राज्य के हिस्से पर आधारित है) यदि राज्य विद्युत यूटिलिटियों अपने निर्धारित हिस्से से कम आहरण करती हैं, तो यूआई प्रभार प्राप्त करने की हकदार हैं। राज्य में यूआई मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव इसके आहरण पैटर्न पर निर्भर है। यदि यह क्षेत्रीय ग्रिड से आहरण केंद्रीय उत्पादन केंद्रो के अपने हिस्से तक सीमित रखता है तो इसे किसी यूआई प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा, फलस्वरूप उस राज्य के उपभोक्ताओं पर यू आई दर वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कम फ्रीक्वेंसी वाली स्थिति के दौरान क्षेत्रीय ग्रिड से अति-आहरण करने यूआई प्रभार का भुगतान बढ़ी हुई दर पर करना होगा। अधिक आहरण करने वाले राज्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले यूआई प्रभारों को कम आहरण करने वाले राज्यों को उनकी केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से पात्रता से कम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(च) सीईआरसी के अनुसार ग्रिड अनुशासन में सुधार तथा ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूआई दर में संशोधन आवश्यक हो गया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजना निगरानी

4251. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी विकास योजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एवं निगरानी इकाईयों की स्थापना का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी विकास योजनाओं के लिए ऐसी निगरानी इकाइयां स्थापित की हैं;

(ग) क्या उन राज्यों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने ऐसी निगरानी इकाइयां स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) से (ङ) परियोजना निगरानी इकाईयों (पीएमयू) की लागत में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

कंपनी विधि सरलीकृत निपटान योजना

4252. डा. एम. जगन्नाथ: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक कंपनी विधि सरलीकृत निपटान योजना तैयार की है जैसा कि अभियोजना तंत्र को सुचारू/निर्बाध बनाने के लिए विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए वर्तमान कंपनी विधि और सरलीकरण के लिए क्या उपाय किए गए है या किए जाने प्रस्तावित है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार पहले ही कंपनी अधिनियम, 1956 मे व्यापक संशोधन तथा एक नये कंपनी विधेयक की तैयारी का कार्य कर चुकी है।

[हिन्दी]

कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयर

4253. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की उन सूचीबद्ध कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिसमें पब्लिक स्टैकहोल्डिंग 25 प्रतिशत तक नहीं है;

(ख) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) का विचार उक्त सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम 25 प्रतिशत पब्लिक स्टैकहोल्डिंग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 25% की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुरक्षण करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, जिन कंपनियों द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित है उनमें से 240 कंपनियों इसका अनुपालन नहीं कर रही हैं।

(ख) और (ग) सूचीयन करार में अनुपालक कंपनियों के स्तर तक पहुंचने में अनुपालक कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए एक प्रक्रम का प्रावधान किया गया है। तथापि, यदि कोई कंपनी अनुज्ञेय समय में ऐसा करने में असमर्थ रहती है, तो असूचीयन दिशानिर्देशों के संदर्भ में इसके शेयर असूचीबद्ध किए जा सकते हैं तथा प्रतिभूति कानूनों में अंतर्गत इस पर दंडित कार्रवाई की जा सकती है।

फसल ऋण

4254. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि बहुत से किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खरीफ फसल ऋणों से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन राष्ट्रीयकृत बैंको के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जो कि किसानों को फसल ऋण न प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋण में गत चार वर्षों के दौरान बहुत वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ो से देखा जा सकता है:

वर्ष	संवितरित राशि
2003-04	42,211
2004-05	65,218
2005-06	94,278
2006-07	1,04,137*

*फरवरी 2007 तक

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को खरीफ ऋणों से वंचित किए जाने संबंधी कोई विशिष्ट मामला सामने नहीं आया है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलना

4255. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यूटीओ वचनबद्धता के अनुसार सरकार ने 2005-2009 के बीच प्रथम चरण में देश में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विदेशी बैंको का अनुमति देने के लिए निर्धारित मानदंडो को ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "भारत में विदेशी बैंको की उपस्थिति संबंधी रूपरेखा" के प्रथम चरण (अप्रैल, 2005

से मार्च 2009) में नए और विद्यमान विदेशी बैंकों के लिए वर्ष में 12 शाखाओं की विद्यमान डब्ल्यू.टी.ओ. की प्रतिबद्धता से आगे जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

(ग) भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों को अनुमति देते समय सुविचारित पैरामीटरों में, अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत की प्रतिबद्धता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पूंजी अपेक्षा मार्गनिर्देश, विनियामक सुविधा, भारत का विदेशी बैंक के मूल देश के साथ राजनयिक/आर्थिक/कारोबार संबंध, आवेदन बैंक के देश में भारतीय बैंको को दी जाने वाली सुविधा, विश्व बाजार में बैंक और इसके समूह के अनुपालन और कार्यचालन का पिछला रिकार्ड आदि शामिल है।

ला नीना मौसम संबंधी विषमता

4256. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशान्त क्षेत्र में ला नीना मौसम संबंधी विषमता बनने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत में मौसम की स्थिति किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या इस विषमता से मानसून पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु पूर्वानुमान केन्द्रों द्वारा किए गए पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ महीनों में विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र के ऊपर ला नीना मौसम स्थिति बनने की संभावना है।

(ख) ला नीना मौसम स्थितियों और भारत के ऊपर बनने वाली मौसम स्थितियों के बीच क्या संबंध है, इसका पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं किया गया है। परंतु ला नीना वर्षों के दौरान भारत के ऊपर सामान्य मानसून से अधिक वर्षा होने की आशा है, लेकिन ग्रीष्म मानसून को प्रभावित करने वाला यही पैरामीटर नहीं है बल्कि अन्य पैरामीटर भी हैं जिनसे ग्रीष्म मानसून प्रभावित होता है।

(ग) और (घ) सामान्यतया ला नीना स्थितियों और दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितम्बर) के दौरान भारत के ऊपर से होने वाली मानसून की वर्षा के बीच गहरा संबंध है। ला नीना वर्षों के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने की आशा है तथा पूरे भारत में सूखे की स्थितियां पैदा होने की बात सामान्यतया खारिज की जा सकती है।

पिछले 106 वर्षों (1901-2006) में 20 ला नीना स्थितियां बनी। इनमें से अधिकांश स्थितियों में मानसून की वर्षा या तो सामान्य रही या अत्यधिक। केवल दो बार (1928 और 1999) मानसून की वर्षा औसत से कम लेकिन सामान्य रेंज के भीतर हुई।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

4257. **श्री किसनभाई वी पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से राज्यों ने अभी तक "एम्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेन्जर्स एंड कंस्ट्रशन ऑफ ड्राई लैट्रीन (प्रोहीबीशन) एक्ट, 1993" अंगीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों को शुष्क शौचालय की स्थापना और सिर पर मैला ढोने के उन्मूलन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में हासिल प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) बीस राज्यों ने "मैला ढोने वालों की नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993" लागू किया है। आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर और सिक्किम ने यह अधिनियम लागू नहीं किया है।

तथापि, पांच राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ने बताया है कि उनके राज्य में कोई शुष्क शौचालय नहीं हैं और वे मैला ढोने वाले से मुक्त हैं। दो राज्यों राजस्थान व हिमाचल प्रदेश ने अपने-अपने अधिनियम बनाए हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को बदलने और व्यक्तिगत नई इकाइयों के निर्माण हेतु समेकित किफायती सफाई योजना के तहत राज्यों को क्रमश: 2 करोड़ रु. और 27 करोड़ रु. की केन्द्रीय सब्सिडी जारी की गई है।

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ङ)

(i) इस मंत्रालय द्वारा "मैला ढ़ोने वालों की नियुक्ति तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993" का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें शुष्क शौचालयों के निर्माण और मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ii) मंत्रालय द्वारा समेकित किफायती सफाई योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जलप्रवाही शौचालयों में बदलना है।

(iii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक नई स्वरोजगार योजना शुरू की है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पूरी की गई इकाइयां (निर्माण+परिवर्तन)	
		2005-06	2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	–	21586
2.	असम	–	60
3.	महाराष्ट्र	7254	–
4.	मध्य प्रदेश	8699	–
5.	मणिपुर	581	1246
6.	राजस्थान	118563	3067
7.	त्रिपुरा	5776	–
8.	उत्तर प्रदेश	37749	–
9.	पश्चिम बंगाल	–	15729
10.	छत्तीसगढ़	9430	9981
11.	कर्नाटक	–	184

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक जोन

4258. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोन परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह कार्यान्वयन के लिए तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके अंतर्गत राज्यवार कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं/चुने जाने हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि, और परती भूमि का ऐसी परियोजना के लिए प्रस्ताव किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो परियोजना के लिए उक्त/प्रस्ताव की जाने वाली राज्यवार अलग-अलग भूमि कितनी है;

(च) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कोई प्रस्ताव तैयार किया है और सरकार को प्रस्तुत किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) देश में विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड) की स्थापना करना विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 जो 10 फरवरी, 2006 से लागू हुए हैं, में निहित उपबंधों के द्वारा शासित होता है। एस.ई.जेड अधिनियम के मुख्य उद्देदश्य अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन करना, सामान तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू तथा विदेशी स्त्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार अवसरों का सृजन करना तथा आधारित संरचना सुविधाओं का विकास करना है।

(ग) एस.ई.जेड़ अधिनियम, 2005 तथा एस.ई.जेड़ नियम, 2006 के 10 फरवरी-2006 से लागू होने से लेकर 237 औपचारिक अनुमोदन दिए गए हैं, जिनमें से 3 प्रस्तावों को वापस ले लिया गया है/रद्द किया गया है। इस प्रकार आज की तिथि के अनुसार 17 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिए गए वैध औपचारिक

अनुमोदनों की कुल संख्या 234 है। औपचारिक रूप से अनुमोदित 234 एस.ई.जेड् का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। औपचारिक रूप से अनुमोदित 234 एस.ई.जेड् में से अभी तक (1.5.2007 की स्थिति के अनुसार) 99 एस.ई.जेड को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, 17 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में सिद्धांत रूप से अनुमोदित 162 प्रस्तावों को विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए भी अनुमति दी गई है।

(घ) से (छ) चूंकि भूमि तथा भूमि का उपयोग एक राज्य विषय है, अत: भूमि का अर्जन एक ऐसा मामला है जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि 1894 का एक केन्द्रीय भूमि अर्जन अधिनियम, जिसे 1984 में विस्तृत रूप से संशोधित किया गया है, मौजूद है, तथापि, राज्यों ने इस संबंध में संशोधन किए हैं और राज्यों की अपनी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उनके अपने मुआवजा तथा राहत एवं पुनर्वास उपाय हैं। प्रत्येक राज्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करता है, जो उनकी संबंधित नीतियों तथा प्रक्रियाओं के द्वारा शासित होता है और ये नीतियों तथा प्रक्रियाएं विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि के अर्जन के लिए भी लागू हैं। एस.ई.जेड. अनुमोदन बोर्ड केवल उन प्रस्तावों पर विचार करता है, जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होते हैं। अभी तक स्वीकृत 234 वैध औपचारिक अनुमोदनों में शामिल कुल भूमि क्षेत्र लगभग 34,000 है. है। इन सभी 234 मामलों में भूमि अर्जन का कोई ताजा मामला नहीं है, क्योंकि भूमि या तो राज्या औद्योगिक विकास निगमों अथवा विकासकों के कब्जे में थी।

भूमि के अर्जन सहित एस.ई.जेड. नीति से संबंधित विभिन्न मामलों पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और यह निर्णय किया गया है कि विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में अनिर्णीत पड़े आवेदनों पर सिद्धांत रूप में कार्रवाई तथा औपचारिक अनुमोदन एवं अधिसूचनाएं इस शर्त के अध्यधीन जारी की जाएं कि राज्य सरकारें ऐसे विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन नहीं करेंगी।

विवरण

अभी तक औपचारिक रूप से अनुमोदित विशेष आर्थिक जोनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन विशेष आर्थिक जोनों की संख्या जिनके लिए औपचारिक अनुमोदन दिया गया है।	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44	9387.957
2.	चण्डीगढ़	02	87.49
3.	दिल्ली	01	6
4.	गोवा	04	290.98
5.	गुजरात	19	9337.25
6.	हरियाणा	19	818.408
7.	झारखंड	01	36
8.	कर्नाटक	27	1566.339
9.	केरल	10	569.651
10.	मध्य प्रदेश	04	71.25
11.	महाराष्ट्र	47	8130.8
12.	उड़ीसा	05	745.61
13.	पुदुचेरी	01	346
14.	पंजाब	04	252
15.	राजस्थान	03	89.23
16.	तमिलनाडु	25	1300.571
17.	उत्तरांचल	03	468.2
18.	उत्तर प्रदेश	08	133.83
19.	बंगाल	07	170.26

[अनुवाद]

सी.पी.एफ. के स्थान पर पेंशन योजना का आना

4259. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय विद्यालय जैसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित एवं वित्तपोषित निकायों के कुछ कमचारियों पर अभी भी केन्द्रीय भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) योजना लागू है और इस प्रकार वे पेंशन योजना से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे कर्मचारी, जिन्होंने 1 जनवरी, 1986 तक सी.पी.एफ. योजना का विकल्प चुना था, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि गत इक्कीस वर्षों के दौरान उनके नियंत्रण से बाहर की बदली हुई परिस्थितियों के कारण पेंशन और सी.पी.एफ. योजना के बीच भारी असमानता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके नुकसान को कम करने के लिए उन्हें सी.पी.एफ. से पेंशन योजना को अपनाने का एक और अवसर देने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) हालांकि, केन्द्र सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा शासित एवं वित्तपोषित निकायों के कुछ कर्मचारियों पर अब भी अंशदायी भविष्य निधि (सी. पी. एफ.) स्कीम लागू है, फिर भी केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों पर सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 स्कीम लागू है।

(ख) से (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि 1.1.1986 को सेवारत सभी सी. पी. एफ. लाभानुभोगियों को उस तारीख को पेंशन स्कीम में माना जाए जब तक कि वे विशिष्ट रूप से सी.पी.एफ. स्कीम को लागू रखने का विकल्प न दें। तत्पश्चात् पेंशन विभाग ने दिनांक 1 मई, 1987 को एक का.ज्ञा. जारी किया तथा इस का.ज्ञा. के तहत इन विकल्पों का प्रयोग 30 सितम्बर, 1987 तक किया जाना था। कुछ कर्मचारियों ने सी.पी.एफ. स्कीम को ही लागू रखने का विकल्प दिया। सी. पी.एफ. से पेंशन स्कीम में लौटने के लिए कोई और अवसर देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। पेंशन स्कीम को लागू करने की लागत सी.पी.एफ. स्कीम से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक पेंशन देनदारियों को ध्यान में रखते हुए 1.1.2004 से केन्द्र सरकार/स्वायत्तशासी निकायों में नई पेंशन स्कीम शुरू की गई है और इस स्तर पर किसी स्वायत्तशासी संगठन में पेंशन स्कीम अपनाने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।

पवन ऊर्जा

4260. श्री मंजुनाथ कुन्नूर:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री रनेन बर्मन:
श्री एस.के.खारवेनथन:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पवन ऊर्जा की अनुमोदित क्षमता कितनी है तथा इसमें से कितनी ऊर्जा का अब तक दोहन किया गया है;

(ख) इस ऊर्जा की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या देश में पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए कुल स्थलों की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) संभाव्यता वाले क्षेत्रों में एक प्रतिशत की दर पर भूमि की उपलब्धता तथा 12 हेक्टेयर प्रति मेगावाट की दर पर भूमि की आवश्यकता को मानते हुए और 2000 वाट प्रति वर्गमीटर अथवा इससे अधिक के पवन विद्युत घनत्व वाले क्षेत्रों के आधार पर देश में 45000 मेगावाट से अधिक की सकल पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 7093 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है।

(ख) सरकार देश में वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ाना देने के लिए पवन इलैक्ट्रिक जनरेटर के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त आय पर दस वर्ष का कर-अवकाश, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा आगे संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में पवन विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर दी जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान नवीन और अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) 20 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययनों में संभाव्यता वाले 211 स्थलों की पहचान की गई है जहां पवन-विद्युत उत्पादन के लिए 50 मीटर की ऊंचाई पर 200 वाट/वर्ग मी. अथवा इससे अधिक का वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत मंजूर/जारी की गई निधियों के राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12.667	7.59	12.193	32.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.765	11.906	5.426	25.10
3.	असम	3.376	0.442	2.023	5.84
4.	बिहार	0.158	0.061	0.411	0.63
5.	छत्तीसगढ़	6.289	1.39	5.504	13.18
6.	गोवा	0.762	0.08	0.210	1.05
7.	गुजरात	4.552	2.215	3.497	10.26
8.	हरियाणा	6.749	1.576	1.479	9.80
9.	हिमाचल प्रदेश	4.329	12.818	2.565	19.71
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10.128	5.741	10.132	26.00
11.	झारखंड	11.11	0.047	12.649	23.81
12.	कर्नाटक	20.059	5.384	4.046	29.49
13.	केरल	2.733	1.332	1.371	5.44
14.	मध्य प्रदेश	2.697	4.991	5.784	13.47
15.	महाराष्ट्र	6.888	6.609	10.208	23.71
16.	मणिपुर	2.624	1.06	3.993	7.68
17.	मेघालय	2.403	5.302	3.168	10.87
18.	मिजोरम	4.02	3.459	14.345	21.82
19.	नागालैण्ड	2.459	1.629	1.568	5.66
20.	उड़ीसा	4.761	2.162	3.314	10.24
21.	पंजाब	14.323	1.451	1.654	17.43
22.	राजस्थान	5.987	3.017	5.233	14.24
23.	सिक्किम	8.871	0.88	3.066	12.82

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	9.452	6.105	3.370	18.93
25.	त्रिपुरा	10.467	10.749	0.241	21.46
26.	उत्तर प्रदेश	20.745	10.1	4.265	35.11
27.	उत्तरांचल	13.52	1.515	10.578	25.61
28.	पश्चिम बंगाल	35.486	5.609	17.010	58.11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.5	0	0.000	1.50
30.	चंडीगढ़	0.169	0	0.447	0.62
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0,000	0.00
32.	दमन और दीव	0	0	0.000	0.00
33.	दिल्ली	3.409	0.65	0.018	4.08
34.	लक्षद्वीप	1.52	0	0.000	1.52
35.	पांडीचेरी	0.357	0.081	0.632	1.07
36.	अन्य (संस्था/गैर सरकारी संगठन)	27.24	36.189	35.303	98.73
	कुल	269.575	152.14	185.701	607.42

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत आवासीय इकाईयों का निर्माण

4261. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत इसकी शुरूआत से अब तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सरकारों तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन से प्रस्ताव किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितनी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया गया तथा इन पर कितना व्यय किया गया;

(ग) सरकार के पास विचाराधीन कितने प्रस्ताव लम्बित है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक संस्वीकृत होने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा समेकित आवास एवं विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा अन्य राज्य सरकारों की स्वीकृत परियोजनाओं और रिहायशी इकाईयों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

मकानों के निर्माण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि धनराशि हाल ही में निर्मुक्त की गई हैं और इस वर्ष के बाद से सूचना मिलनी शुरू होगी।

ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा राज्य सरकारों के लिए नियम आवंटन की सीमा के भीतर हो।

विवरण

जेएनएनयूआरएम-शहरी-निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)

अनुमोदित परियोजना (राज्य-वार विवरण)

क्र. सं.	राज्य	आईएचएसडीपी जिलों/ कस्बों की संख्या	श.स्था./ कस्बा/ पंचायत/ नगर पालिका	कुल अनु. परि.	कुल अनु. लागत	कुल अनु. नई रिहा. ईकाईयां	मरम्मत के लिए कुल रिहा. इकाइयां	कुल अनु. रिहा. इकाइयां	अनु. केन्द्रीय अंश	अंनु. राज्य अंश	केन्द्रीय अंश की पहली किस्त	वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश*	2	9	572.81	15320	15000	0	30320	284.34	288.28	71.08	81.85
2.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	2	584.94	25728	0	0	25728	396.13	168.81	99,03	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1	4	391.45	27978	0	0	27976	312.18	17.26	78.05	78,05
4.	गुजरात	4	10	1028.32	0	72076	0	72078	497.36	530.95	124.35	98.98
5.	हरियाणा	1	2	84.23	3248	0	0	3248	31.18	33.05	7.79	4.58
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	9.99	252	0	0	252	7.05	2.94	1.76	1.76
7.	कर्नाटक	2	3	238.84	14511	0	0	14511	125.40	113,43	30.80	27.71
8.	केरल	2	3	63.20	2444	2304	0	4748	47.17	22.03	11.79	11.84
9.	मध्य प्रदेश*	3	14	428.22	21254	5019	0	26273	206.02	222. 20	51.51	39.54
10.	महाराष्ट्र	5	31	2934.82	77567	23011	0	100578	1299.50	1635.32	324.87	28.58
11.	नागालैण्ड	1	1	134.50	0	3504	0	3504	105.60	28.90	28.40	12.43
12.	राजस्थान	2	2	277.14	17337	0	0	17337	189.20	107.95	42.30	27.93
13.	तमिलनाडु	3	19	830.28	43336	0	685	33413	359.87	470.53	90.12	83.00
14.	उत्तर प्रदेश	5	5	82.13	4680	0	0	4680	38.58	43.55	9.84	9.84
15.	पश्चिम बंगाल	2	45	1160.04	53178	7136	0	60310	556.53	603.51	139.14	137.17
	वर्ष 2006-07	35	151	8786.69	309829	128050	685	435564	4435.93	4350.76	1108.84	901.77
	वर्ष 2005-06*	2	9	698.95	13441	41323	0	54764	349.33	349.61	87.33	72.14
	सकल योग	36	160	9485.63	320270	169373	685	490328	4785.26	4700.37	1195.97	973.91

*वर्ष 2005-06 में हैदराबाद की 5 परियोजनाएं और भोपाल की 4 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और वर्ष 2005-06 में दो शहरों की कुल 9 परियोजनाएं मंजूर की गई है और वर्ष 2006-07 में 2 शहरों की कुल 9 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

समेकित आवास स्लम विकास कार्यक्रम अनुमोदित परियोजना (राज्य-वार)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आईएचएसडीपी नियों/ कस्बों की संख्या	श.स्था./ कस्बा/ पंचायत/ नगर पालिका	कुल अनु. परि.	कुल अनु. परि. लागत	कुल अनु. नई रिहा. ईकाईयां	मरम्मत के लिए रिहा. इकाइयां	कुल अनु. रिहा. इकाइयां	अनु. केन्द्रीय अंश	अनु. राज्य अंश	केन्द्रीय अंश की पहली किश्त	वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	11	25	25	301.9178	24662	0	24862	210.57	91.35	105.28	83.33
2.	असम	2	3	3	12.2434	613	0	613	10.79	1.48	5.39	5.09
3.	बिहार	6	7	7	46.8113	4167	0	4167	38.55	12.28	18.28	8.96
4.	छत्तीसगढ़	7	13	14	178.4998	14846	0	14846	122.00	54.49	61.00	31.26
5.	गुजरात	5	8	8	72.0659	6200	0	6200	51.54	20.52	25.77	18.00
6.	हरियाणा	6	12	15	238.84	14558	83	14641	182.96	55.88	91.48	49.81
7.	कर्नाटक	5	5	5	68.46	4070	0	4070	41.90	26.56	20.95	14.93
8.	केरल	9	15	15	65.25	3695	2053	5748	50.10	15.15	25.05	21.46
9.	मध्य प्रदेश	13	20	23	197.16	14381	263	14644	138.00	59.16	69.00	45.77
10.	महाराष्ट्र	13	15	15	152.67	13036	0	13038	120.71	31.96	80.335	55.80
11.	नागालैण्ड	1	1	1	87.74	2498	0	2496	44,14	43.60	22.07	9.83
12.	राजस्थान	12	17	17	140.06	6697	3991	10688	110.06	29.99	55.04	39.28
13.	तमिलनाडु	13	22	22	146.05	12407	483	12890	112.56	33.50	56.28	43.37
14.	उत्तर प्रदेश	5	8	8	29.01	2032	0	2032	22.11	8.91	11.55	11.05
15.	पश्चिम बंगाल	10	16	16	201.20	12824	0	12824	150.57	50.64	75.28	55.08
	वर्ष 2006-07	118	187	194	1937.99	136684	8873	143557	1404.57	533.43	702.28	492.61
	वर्ष 2005-06	3	3	3	9.03	0	136	136	7.22	1.81	3.81	0.00
	योग	119	190	197	1947.02	136684	7009	143633	1411.79	535.23	705.89	492.81

[हिन्दी]

बकाया ऋण

4262. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षों से कुछ बड़ी कंपनियों के प्रति निजी क्षेत्र के बैंकों की भारी ऋण राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों से बकाया ऋण की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निवल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 3161 करोड़ रूपये थीं। बैंको के 1 करोड़ एवं इससे अधिक के वाद-दायर खातों और 25 लाख रूपये तथा इससे अधिक के गैर वाद-दायर खातों (जानबूझ कर चूक करने वाले) के संबंध में सूचना, ऋण सूचना, ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड द्वारा रखी जाती है। यह सूचना इनकी वेबसाइट www.cibil.com. पर उपलब्ध है।

(ग) बैंक अपनी ऋण वसूली नीतियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी बकाया देयराशियों की वसूली करने का प्रायास करते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, दीवानी न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई, समझौता निपटान, आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों की दुर्दशा

4263. श्री पी. करूणाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह बात महसूस की है कि हाल ही में बीड़ी पर करों में की गई वृद्धि से बीड़ी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) इस वर्ष के बजट में सरकार ने हाथ से बनी बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दर (श्रम कल्याण उपकर को छोड़कर) को 7 रु. से बढ़ाकर 11 रु. प्रति हजार तथा मशीन से बनी बीड़ियों पर 17 रु. से बढ़ाकर 24 रु. प्रति हजार कर दिया था। बजट के बाद सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें उत्पाद शुल्क में वृद्धि पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया गया था। इन अभ्यावेदनों की जांच की गई है और दिनांक 03.05.2007 से सरकार ने हाथ से बनी बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क (श्रम कल्याण उपकर को छोड़कर) को घटाकर 11 रु. से 9 रु. प्रति हजार तथा मशीन से बनी बीड़ियों पर 24 रु. से 21 रु. प्रति हजार कर दिया है।

अवसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता

4264. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में अवसंरचना विकास हेतु विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर की सहायता लेने का है, जैसाकि 12 अप्रैल, 2007 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए सहायता लेने का प्रस्ताव है;

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उन निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है, जिन पर विश्व बैंक यह सहायता उपलब्ध कराएगा तथा इसमें सरकार की देनदारी कितनी होगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित विश्वसनीय परियोजनाओं/स्कीमों के लिए धनराशि के स्रोत प्रदान करने हेतु विश्व बैंक/आईडीए/एडीबी/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थानों की सहायता से एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना कोष (एनयूआईएफ) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्ताव के ब्यौरे इसकी स्थापना के पश्चात ही प्राप्त हो सकते हैं।

त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु धनराशि

4265. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री रामदास आठवले:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने आपराधिक मामलों से निपटने वाले त्वरित न्यायालयों की तर्ज पर दीवानी मामलों को निपटाने के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) विद्यमान त्वरित निपटान न्यायालयों की रूपरेखा के अनुसार सिविल मामलों के निपटान के लिए नए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तथापि, राज्य सरकारें, अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से, कतिपय परिस्थितियों में, सिविल मामलों के, निपटान के लिए विद्यमान त्वरित निपटान न्यायालयों को अंतरित कर सकेंगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश हेतु योजनाएं

4266. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पुन: रोजगार सहायता और कौशल विकास हेतु किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस योजना के माध्यम से अब तक कितने लक्ष्यों की पूर्ति हुई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में पुनर्रोजगार सहायता एवं कौशल विकास के लिए किसी स्कीम की घोषणा नहीं की है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सोलर फोटोवोल्टैक स्कीम

4267. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोलर फोटो वोल्टैक स्कीम क्रियान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में (1) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन कार्यक्रम, (2) सौर और लालटेन कार्यक्रम और (3) सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान अंडमान एवं निकोबार को कुल 130 और सड़क रोशनी प्रणालियां और 1000 सौर लालटेन मंजूर किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में व्यक्तियों और गैर-सहकारी संगठनों को प्रति सौर सड़क रोशनी 9600 रु. और प्रति सौर लालटेन 2400 रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, द्वीप समूह के अविद्युतीकृत गांवों में गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की कक्षा IX- XII में पढ़ने वाली स्कूली बालिका अपने, स्कूल अध्ययन की संपूर्ण अवधि के दौरान एक सौर लालटेन मुफ्त प्राप्त करने के लिए पात्र है।

दिनांक 31 मार्च, 2007 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कुल 358 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां, 405 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, 6296 सौर लालटेन, 5 सौर पंप, 100 किवापी. समग्र क्षमता के ग्रिड-संबल एसपीवी संयंत्र और 167 किवापी. समग्र क्षमता के स्टैंड एलोन एसपीवी संयंत्र संस्थापित किए गए।

आवासीय संपत्तियों को बंधक रखना

4268. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवासीय संपत्तियों के दूसरे बंधक की अनुमति देने का है जैसाकि व्यावसायिक संपत्तियों के मामले में है;

(ख) यदि हां, तो किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संपत्ति के स्वामियों की ओर से कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं पावर फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 6264/07]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, मैं, श्री एस. जयपाल रेड्डी के ओर से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199 (अ) जो 15 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 10 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 10 (अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी गयी, **देखिए** सं. एल. टी. 6265/07]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, अनुसूची-1 संशोधन आदेश, 2007 जो 6 मार्च, 2007 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 323(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, अनुसूची-2 संशोधन ओदश, 2007 जो 6 मार्च, 2007 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 324(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयीं, **देखिए** सं. एल. टी. 6266/07]

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 34 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 14 (अ) जो 8 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राज्य सरकार द्वारा स्कीम बनाए जाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से 6 महीने से लेकर एक वर्ष तक की अवधि बढाएं जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 6267/07]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संसोधन) विनियम, 2007 जो 11 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 11/एलसी/जीएन/2006/2143 में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी था अंग्रेजी संस्करण):

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 6268/07]

(2) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1912 (अ) जो 8 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2006 को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 6269/07]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 212 (अ) जो 20 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि 258(अ) जो 29 मार्च 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि 263(अ) जो 30 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 270(अ) जो 3 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 287(अ) जो 12 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 157/1990-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सीमा शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2007 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 6 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 175 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं. एल.टी. 6270/07]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 2005(अ) जो 19 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैकरिन के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 2006(अ) जो 19 मार्च 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यायित पेरोक्सोसल्फेट्स जो पेरसल्फेट्स के नाम से भी जाना जाता है, के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 215(अ) जो 21 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही अल्पकालिक समीक्षा जांच को लम्बित रखते हुए 26 मार्च, 2008 सहित इस तारीख तक लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 216(अ) जो 21 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाईट्रेट के आयात पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही अल्पकालिक समीक्षा जांच को लम्बित रखते हुए 27 मार्च, 2008 सहित इस तारीख तक लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.कि.नि. 238(अ) जो मार्च 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित हाईड्रोलोरिक एसिड के आयात पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही अल्पकालिक समीक्षा जांच को लम्बित रखते हुए 27 मार्च, 2008 सहित इस तारीख तक लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.कि.नि. 239(अ) जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताइवान और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पेंटारीथिरोल के आयात पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही अल्पकालिक समीक्षा जांच को लम्बित रखते हुए 26 मार्च, 2008 सहित इस तारीख तक लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 244(अ) जो 28 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्विट्जरलैंड और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यायित विटामिन-ए पलमिटेट के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लागाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.कि.नि. 259(अ) जो 29 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोटाशियम परमैंगनेट के आयात पर अल्पकालिक समीक्षा

निष्कर्ष में नामित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 206(अ) जो 29 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित स्टील के पहियों के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं. एल.टी. 6271/07]

(5) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 332 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "जी.सी.वाई.एम. चैरिटी ट्रस्ट, नागालैंड" को निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 3335 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "नियो सन्नास फांडडेशन, 17 कोरेगांव पार्क, पुणे" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 336 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "संत श्री आशाराम आश्रम, पोस्ट मोटेरा, जिला गांधीनगर, गुजरात" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 337 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "सेंट मेरीज एजुकेशनल एण्ड सोशल वेल्फेयर सोसायटी, पारा रोड, राजाजी पुरम, लखनऊ-226017" को निर्धारित वर्ष 2006-2007 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में।

(पांच) का.आ. 338 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "द क्लॉथ मार्केट एण्ड शॉप्स बोर्ड, 94/96, भुलेश्वर रोड, भूलेश्वर, मुंबई-400002" को निर्धारण वर्ष 1997-1998 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 339 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "ट्रगोपन फार्मर्स सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड" का निर्धारित वर्ष 2007-2008 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 340 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधि नियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन "फैमली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बजाज भवन, प्रथम तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021" को निर्धारित वर्ष 2002-2003 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 341 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मैक्समूलर मार्ग, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 342 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन "राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ब्लॉक-डीडी-34 सेक्टर-1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता" को निर्धारण वर्ष 2000-2001 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 343 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 344 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा (23ग) के अधीन "सेंटर फॉर डेवलपमेंट एण्ड ह्यूमन राइट्स, क्यू-1ए हौजखास एन्कलेव, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 345 जो 10 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन "पोपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, सी-445, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा उससे आगे की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 6272/07]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 271(अ) जो 4 अप्रैल 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों के परिवहन के लिए, पैकेज टूर के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के अलावा, यथोचित परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के अंतर्गत कार्यरत टूर प्रचालकों द्वारा प्रदान की जा रही कर योग्य सेवाओं पर भारित सकल राशि के 60% पर 01.04.2000 से 04.02.2004 तक की अवधि के लिए सेवा कर में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2007 जो 6 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 6273/07]

(7) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23(क) की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 259(अ), जो 21 फरवरी 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गौड़ ग्रामीण बैंक, मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, नादिया ग्रामीण बैंक तथा सागर ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(दो) का.आ. 288(अ), जो 26 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हावड़ा ग्रामीण बैंक, वर्धमान ग्रामीण बैंक और मयूरक्षी ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 403(अ), जो मार्च 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गौड़ ग्रामीण बैंक, मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, नदिया ग्रामीण बैंक और सागर ग्रामीण बैंक के समामेलन को 21 फरवरी, 2007 से समाप्त किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 404(अ), जो 21 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हावड़ा ग्रामीण बैंक, वर्धमान ग्रामीण बैंक और मयूरक्षी ग्रामीण बैंक के समामेलन को 26 फरवरी, 2007 से समाप्त किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 6274/07]

(8) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण):-

(एक) प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 29 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 27 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 3 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरआरबीडी/32/927 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 11 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ नं. 1(1)/2006-

आरआरबी/एचओ/पीएससी/आरआरबी/नोटिफिकेशन/32 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 17 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एओपी/सर.रेग. 2194 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र 4 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या एचओ/एएण्डपी/सर्विस रेगुलेशंस/2745 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं. एल.टी. 6275/07]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2007 जो 6 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं. एल.टी. 6276/07]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2007 जो 19 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 251 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 8 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 334(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन) स्कीम, 2007 जो 19 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 252(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपंत्र जो 8 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 335 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं. एल.टी. 6277/07]

अपराह्न 12.02 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) का 'गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2006-07) का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ पचानवेवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): महोदय, मैं युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह तो हिंदी जैसा लगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, हम सबने बी.पी.एस.टी. के तत्वावधान में हिन्दी सीखना शुरू कर दिया है।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) निर्मल ग्राम पुरस्कार, 2007*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस महान सदन को यह जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कमाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को तीसरा निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जा रहा है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए श्रेष्ठ गांवों और ग्रामीण स्वच्छता के अनुकरणीय उदाहरणों का चयन किया जाता है।

---

*राज्यवार ब्यौरे सहित विवरण ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी 6278/2007]

निचले स्तर पर कार्य स्टेकहोल्डरों, पंचायती राज संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों के बीच सामाजिक जागृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता कवरेज हासिल करने पर निर्मल ग्राम पुरस्कार के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। खुले में शौच की प्रथा से पूर्णत: मुक्त, गांवों में समुचित स्वच्छता कवरेज हासिल करने वाली तथा पूरी तरह से साफ-सफाई रखने वाली पंचायती राज संस्थाएं इस पुरस्कार की हकदार होती हैं। वित्तीय प्रोत्साहन की राशि जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों के लिए 50,00 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये, ब्लांक पंचायतों के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तथा जिला पंचायतों के लिए 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार वर्ष 2005 में शुरू किया गया था जिसके दौरान 40 पंचायती राज संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया था। दूसरा समारोह 2006 में आयोति किया गया था जिसमें 769 पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित किया गया था। यह गर्व का विषय है कि चालू वर्ष के दौरान 22 राज्यों से लगभग 4945 ग्राम पंचायतों, 14 ब्लाक पंचायतों तथा 27 गैर-सरकारी संगठनों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। (राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता के महत्व का विशेष उल्लेख किया जब उन्होंने यह कहा कि "स्वच्छता स्वतंत्रता से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है" वर्ष 1981 की जनगणना में हमारे देश के केवल एक प्रतिशत परिवारों ने ही स्वच्छता कवरेज हासिल की थी।

1991 की जनगणना में ये आंकड़े नौ प्रतिशत तक और 2001 की जनगणना में 21.9 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। इसके बाद मांग आधारित दृष्टिकोण के साथ पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। अब यह कार्यक्रम भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों की सहायता तथा स्वयं लाभार्थियों के अंशदान से देश के 572 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 11375 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भारत सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए पहले ही 2280 करोड़ रु. की राशि रिलीज कर दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों के परिवारों के लिए अलग-अलग घरेलू शौचालय तथा विद्यालयों/बालवाड़ियों/आंगनवाड़ियों इत्यादि के लिए स्वच्छता परिसरों की व्यवस्था की गई है। फिर भी हमारे इस अभियान का उद्देश्य केवल शौचालय बनाना ही नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की बेहतर प्रक्रियाओं पर निरंतर बल देना है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान की सहायता से अब तक 3.16 करोड़ परिवारों ने स्वच्छ शौचालय बना लिए हैं। मात्र पिछले तीन वर्षों में 2.36 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि का द्योतक है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रयासों के परिणामस्वरूप घरेलू स्वच्छता कवरेज 44 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मंत्रालय को यह उम्मीद है कि स्वर्णिम विकास लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। इस पुरस्कार ने समूचे कार्यक्रम को जन-आंदोलन में परिवर्तित करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान के महत्व को बढ़ा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से मेरी प्रार्थना है कि उसमें सभी माननीय सदस्य आमंत्रित हैं। यह राज्यवार है, एक मिनट में हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे सभापटल पर रखें। हमें उन पंचायतों और उन लोगों की सराहना करनी चाहिए जिनकी सही पहचान बन रही है। मुझे विश्वास है कि इससे अन्य पंचायतों को भी अनुसरण करने की प्रेरणा मिलेगी। यह बहुत अच्छी बात है।

*राज्यवार ब्यौरा**

क्र.सं.	राज्य	2005 पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	2006 पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	2007 पंचायती राज संस्थाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-	10	143
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	2
3.	असम	-	1	3
4.	बिहार	-	4	39+1 ब्लाक

*राज्यवार ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये।

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	–	12	90
6.	गुजरात	1	4	576
7.	हरियाणा	–	–	60
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	22
9.	झारखंड	–	–	12
10.	कर्नाटक	–	–	121
11.	केरल	1	6	220+6 ब्लाक
12.	मध्य प्रदेश	–	1	190
13.	महाराष्ट्र	13	381	1974
14.	मिजोरम	–	–	3
15.	उड़ीसा	–	8	33
16.	राजस्थान	–	–	23
17.	सिक्किम	–	–	27
18.	तमिलनाडु	13	119	296
19.	त्रिपुरा	1	36	46
20.	उत्तर प्रदेश	–	40	488
21.	उत्तरांचल	–	13	109
22.	पश्चिम बंगाल	11	134	468+7 ब्लाक
	कुल	40	769	4.945 ग्राम पंचायत + 14 ब्लाक*

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के एक सौ अड़सठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-दो द्वारा जारी लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियमों 389 के उपबंधों के अनुसरण में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने अपना एक सौ अड़सठवां (168वां) प्रतिवेदन 14 दिसम्बर, 2006

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 6279/2007

को लोक सभा पटल पर रखा। समिति के 168वें प्रतिवेदन में कुल 13 (तेरह) सिफारिशें थी। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्योरा परिबद्ध अनुलग्नक में दिया गया है जिसे सभा के पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): मैं योजना मंत्रालय की 2006-07 की अनुदानों की मांगों के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में दे रहा हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का 38वां प्रतिवेदन लोक सभा में 22.5.2006 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 की योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों-टिप्पणियों के बारे में की-गई-कार्रवाई विवरण वित्त संबंधी स्थायी समिति को 01.9.2006 को भेजा गया था। ये उनके 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 47 वें प्रतिवेदन के हिसा थे जिसे 14.12.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा अपने 38वें प्रतिवेदन में 7 मुद्दों की जांच की गई जो मुख्यत: (1) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में उनके 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का पर्यावलोकन (2) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) और उपयोगिता मैपिंग परियोजना, (3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, (4) सर्व शिक्षा अभियान, (5) ग्रामीण टेलीफोन संपर्क, (6) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, (7) श्रम और रोजगार से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे विवरण के अनुलग्नक में इंगित है जो सभापटल पर रखा जाता है। मैं इस अनुलग्नक की सभी बातों को पढ़कर सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 6280/2007

अपराह्न 12.08 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 7 मई 2007 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होगा:

(1) आज की कार्यसूची पत्र से लिए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार तथापारित किया जाना।

(3) मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इस पर विचार तथा पारित किया जाना।

(4) संविधान (अनुसूचित जातियां) ओदश (संशोधन) विधेयक, 2006 पद विचार तथा इसे पारित किया जाना।

(5) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित किया जाना।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी पर बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने कोई सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गवर्नमेंट बिज़नैस का सात तारीख से ग्यारह तारीख तक का प्रोग्राम रखा है, परंतु यहां संसद के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि यह सत्र आठ मई को समाप्त कर दिया जाएगा और इस बात के बारे में सब तरफ से बार-बार चर्चा की जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि आपने सात तारीख से ग्यारह तक की जो बात रखी है, मंशा यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में अपनी पराजय निश्चित देख कर, यह सरकार वहां प्रेसीडेंट रूल लगाना चाहती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम आश्वासन चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, आप इसे इस तरह से नहीं उठा सकते हैं। से उठाने का यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप उचित नोटिस देकर इसे उठा सकते हैं। हमारी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी। इसे उठाने का यह तरीका नहीं है। इसकी एक सु:स्थापित प्रक्रिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री हंसराज अहीर:

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे मंजे हुए राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। मुझे क्यों परेशान होना है? *(...व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, इस सदन की बहुत पहले से परम्परा रही है कि प्रत्येक सप्ताह एक हफ्ते का कार्यक्रम ही संसदीय कार्य मंत्री की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। महीने भर का कार्यक्रम संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में पेश करने का यदि एक भी नमूना प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बता दें, तो मैं महीने भर का कार्यक्रम पेश करने के लिए तैयार हूं। अब रही बात उत्तर प्रदेश के चुनावों की, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता क्या राय देगी, इसको बताने के लिए अगर मल्होत्रा जी, खुद ज्योतिषी बन गए हैं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि इस बारे में राय जनता के ऊपर छोड़िए। सदन के कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता की राय का कोई संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री हंसराज जी. अहीर।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हाउस तो एडजर्न नहीं करेंगे? *...(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्हें बताने दीजिए कि सत्र 22 तारीख तक चलेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही असामान्य बात है, प्रो मल्होत्रा, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह विषय आपके लिए नहीं है। कृपया बैठ जाइए। मैं आप सभी से बैठने का आग्रह करता हूं। उन्होंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया है और उन्होंने उसका उत्तर दिया है। अब मुझे सु:स्थापित प्रक्रिया का पालन करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: संसदीय कार्यमंत्री जी के इस वक्तव्य के पश्चात मैंने इस समय हस्तक्षेप नहीं किया होता। किन्तु मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री मुझसे मिले थे और मुझसे कहा था कि वित्त मंत्री जी के कार्यक्रम के मामले में दिक्कतें आ रहीं और इसके कारण क्या वित्त विधेयक बाद में लिए जाने की बजाय पहले लिया जा सकता है। आशा है, जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है कि सभा पहले स्थगित की जाए। यदि यही उद्देश्य था तो यह अत्यंत गंभीर मामला होगा क्योंकि मैं इस पर सहमत हो गया था और मैंने कहा: "आखिरकार, ये ऐसी कठिनाईयां हैं जो सरकार के समक्ष आती रहती हैं। और इसलिए 3 या 4 मई को वित्त विधेयक लाए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।" किन्तु यदि उद्देश्य यह था तो यह गंभीर है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सरकार और माननीय विपक्ष के नेता के बीच का मामला है।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं इस पर सहमत हो गया और बोला, अन्यथा हमारे पास 11 या 12 मई तक की गुंजाइश है। इसलिए विशेष रूप से वे इसी के लिए आए थे *...(व्यवधान)*

यह विश्वास का प्रश्न है, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे अपना विचार व्यक्त करने दीजिए कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी: सरकार आपैचारिक तौर पर विपक्ष से संपर्क स्थापित करती रहती है। संसदीय कार्यमंत्री मुझसे रात में 10 बजे मिलने आए और उन्होंने कहा: "यह कठिनाई है और इसी वजह से मैं आपसे इस पर सहमति मांगने आया हूं" मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि उद्देश्य भिन्न हो, तब यह गंभीर है...*(व्यवधान)* इसलिए, सिर्फ इस बात का आश्वासन देने की आवश्यकता है कि सभा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 मई तक चलेगी। मुझे इतना ही कहना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय विपक्ष के नेता के प्रति अपने सम्मान के कारण मैंने उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। यह मामला पूर्णत: सरकार और विपक्ष के नेता के बीच का है क्योंकि जो भी चर्चा हुई, इनके बीच हुई थी। जहां तक हमारा संबंध है, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि सभा कार्यवाही 22 मई तक चलेगी। आज तक इसके विपरीत कोई संकेत नहीं मिला। इसलिए हमें कुछ चीजों का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं किन्तु इस समय मुझे केवल आज की कार्यसूची की चिन्ता है।

अब, श्री हंसराज गं. अहीर की बारी है। मैं पहले ही उनका नाम पुकार चुका हूं। *...(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: सरकार को कहने दीजिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय विपक्ष के नेता और विपक्ष के उपनेता के बीच बातचीत का बहुत अधिक अभाव है। *...(व्यवधान)*

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी (पुरी): संप्रग सरकार में अन्तर्विरोध है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप उप-नेता नहीं हैं। आपको अब तक वह दर्जा नहीं मिला है। कृपया इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए *...(व्यवधान)*

महोदय, मैंने उस रात विपक्ष के सम्मानीय नेता को बिल्कुल ठीक-ठीक बताया था। विपक्ष के नेता आज सुबह मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा कि आप कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित थे और हमने 15 तारीख तक अनेक चर्चाओं की सूची बनाई गई है। मैंने एक प्रति दिखाई है जिसे मैंने मंत्रियों और उनको परिचालित किया है। मैं समझता हूं कि उन्हें इसकी जानकारी विपक्ष के नेता को देनी चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपस में तालमेल बिठाएं और समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह व्यक्तिगत चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। मैं ससम्मान कहूं तो यह बहुत ही असामान्य सी बात है। अब श्री हंसराज गं. अहीर *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम लोग मद सं. 11 पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने श्री हंसराज गं. अहीर का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, कृपया अगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1–देश के अनेक राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में बिजली कटौती का संकट भीषण रूप धारण कर चुका है। आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 14 घंटे तक बिजली कटौती करने से आम आदमी, व्यापारी, उद्योग जगत, अस्पताल, छात्र आदि त्रस्त हैं। लगभग 6800 मेगावाट की बिजली की कमी से राज्य में भीषण गर्मी के दिनों बिजली कटौती एक त्रासदी बन गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: राज्य सरकार द्वारा लोगों को बिजली मुहैया कराने में असफल होने के कारण लोगों में पनप रहा असंतोष आन्दोलनों के माध्यम से जनाक्रोश बनकर हिंसक रूप ले रहा है, इस कुस्थिति में लोगों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार पहल कर अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अहीर जी, आप केवल विषय का ही उल्लेख करें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: 2–महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना का क्रियान्वयन धीमी गति से हो रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो विषय आप उठाना चाहते हैं, उन्हीं का उल्लेख करें

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माफ कीजिए, मुझे यह सब हटा देना होगा। आप इस बारे में भाषण नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा विकास कार्य कराने में महत्वपूर्ण इस योजना का सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारणों की जांच कर इस लापरवाही में दोषियों पर दण्डात्मक कार्रवाई होनी आवश्यक है। केन्द्र सरकार इसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्षमा कीजिए; श्री हंसराज गं. अहीर, आप अनुभवी माननीय सदस्य हैं। आप अवसर का दुरूपयोग कर रहे हैं। यह सही बात नहीं है। यह सुस्थापित प्रथा है कि सभा के कार्य के लिए निवेदन करते समय आपको केवल विषयों का ही उल्लेख करना होगा।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचारियों द्वारा तथा स्कूल की वर्दी के रूप में खादी पहनने और हथकरघा पर सहमति बनाए जाने की आवश्यकता;

2. समुद्र अपघटन के कारण राजमार्ग की क्षति को रोकने तथा अलाप्पुझा तट के सौंदर्य को बचाए रखने के लिए दो सड़क उपरिपुलों तथा बीच की सड़क के स्थान पर अलाप्पुझा बाईपास पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1. देश में राष्ट्रीय एवं भावानात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण देश में कॉमन सिविल कोड (समान संहिता) लागू करने के उपायों पर विचार करने के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय आयोग गठित किये जाने की आवश्यकता।

2. राष्ट्रभक्ति एवं देश-प्रेम को बढ़ावा देने के लिए तथा मातृभूमि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु स्वाधीनता सेनानियों, क्रान्तिकारियों तथा राष्ट्रनायकों द्वारा बड़ी शान के साथ गाये जाने वाले वंदेमातरम नामक राष्ट्रीय गीत को देश के समस्त संस्थानों में अनिवार्य रूप से गाये जाने का कानून बनाये जाने की आवश्यकता।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

1. देश की नदियों को जल संसाधन के समुचित उपयोग के लिए अविवादित नदी जल प्रदेशों की नदियों को परस्पर जोड़ा जाये। इसके अन्तर्गत नर्मदा-क्षिप्रा नदी जोड़ो योजना को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत कर कार्यान्वित करने में सहयोग प्रदान करें।

2. देश को ऐतिहासिक पौराणिक-पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित रखने के विशेष उपाय किये जाएं तथा श्री राम सेतु की सम्पूर्ण संरक्षा एवं संरक्षित करने के प्रभावी उपाय किए जाएं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1. संकट ग्रस्त किन्तु हमारे देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र के हित के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग की विभिन्न सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार विमर्श।

2. माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी योजना 11वीं योजनाविधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, को लागू करने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के मामले में छठी अनुसूची में सृजित छह स्वायत्त परिषद जिलों से भिन्न स्वायत्त परिषदों को भारत सरकार द्वारा की गई पेशकश के अनुसार विशेष पैकेज दिया जाए।

2. उत्तर-पूर्व क्षेत्र में वृहद् परियोजनाओं द्वारा निर्मित अतिरिक्त विद्युत को अन्य राज्यों को दिए जाने से पूर्व उत्तर पूर्व क्षेत्र के कमी वाले राज्यों के उद्योग के विकास के लिए प्रथम प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाए।

[हिन्दी]

गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, अगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर में आई. आई. टी. खोलने के लिए मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में सारी सुविधाएं हैं। वहां जमीन भी है, वह बड़ी सड़कों से भी जुड़ गया है, वहां रेलवे लाइन और हवाई अड्डा भी है, इसके साथ ही वहां मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, वहां 345 बीघा भूमि भी है, इन सभी चीजों को देखते हुए जयपुर में आईआईटी. खोलना अति आवश्यक है।

2. वर्तमान में राजस्थान में कच्चे तेल की भारी मात्रा में प्राप्ति हुयी है और आगे भविष्य में और तेल प्राप्त होने की संभावना है, इन सभी को देखते हुए राजस्थान में ही रिफाइनरी का लगाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें जयपुर से कोई नहीं हटा सकता।

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय निम्न विषयों को लोक सभा की अलगे सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने का कष्ट करें:

1. देश में सफल बीमा योजना को अनिवार्य किए जाने का कार्य।

2. देश में मूंगफली का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण खाद्य तेल का उत्पादन भी कम हो रहा है, देश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने का कार्य।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. गायों और गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध और साथ ही मांस के निर्यात पर प्रतिबंध।

2. भारत सरकार की हाल की नीति के अनुसार दक्षिण गुजरात के दहेज का पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) के रूप में विकसित किए जाने के लिए चयन करना।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. केरल राज्य में बड़े विझिन्जम बंदरगाह सहित बंदरगाहों के विकास के लिए केंद्र द्वारा निधियों की स्वीकृति अत्यावश्यक मामला है। केंद्रीय सरकार को किए गए वायदे के अनुसार बंदरगाहों के विकास के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

2. यह अति महत्वपूर्ण विषय है। मौसम की स्थितियों में भूमि पर मानव जीवन के अस्तित्व को चुनौती देते हुए बदलाव घोर चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय: हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे सहमत हूं कि यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह बताया गया है कि मौसम की स्थिति में यह अभूतपूर्व बदलाव पर्यावरणीय स्थितियों पर विचार किए बिना कार्बन डाइआक्साईड का उत्पादन करते हुए ....* की ओर से अभेदकारी कार्रवाई के कारण है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अंतिम भाग हटाया जाता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसके लिए अत्यंत शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूं कि हमने पहले ही चर्चा करने का निर्णय कर लिया है। मुझे आशा है कि आपके दल को उसमें भाग लेने दिया जाएगा।

अपराह्न 12.23 बजे

सरकारी विधेयक–पुर:स्थापित

(एक) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.23½ बजे

(दो) विमानवाहन (संशोधन विधेयक), 2007*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विमानवाहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि विमानवाहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 4.5.07 में प्रकाशित।

श्री प्रफुल पटेल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब शोर-गुल फिर शुरू हो गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का नोटिस है। ...*(व्यवधान)* हम लोगों ने सूचना दी है। यह क्या ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए। मैं सब को मौका दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने प्रापर नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवश्य मौका दूंगा, रामजी लाल सुमन जी, परन्तु आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा। मैं सभी पक्षों को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा और उनके उत्तर भी दिए जाएंगे। अत: कृपया अन्य लोगों को बोलने दें। और उनकी बाते सुनें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज बिहार): महोदय, अगर दोनों में झगड़ा हो, तो आप हमें ही बोलने का मौका दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: झगड़ा क्यों होगा, यहां बहुत अच्छा वातावरण है। आप बोलिए और सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग हेतु मैं आप सब का आभारी हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय

कल मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि सेतु समुद्र केनाल प्रोजैक्ट, जिसे इम्प्लीमैंट करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए पांच एंलाइनमैंट्स हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि वहां कोई केनाल प्रोजैक्ट बने। वहां केनाल प्रोजैक्ट बन सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। श्री कुप्पुसामी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह न्यायालय में विचाराधीन है। परन्तु मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। यदि माननीय मंत्री भी चाहें तो उन्हें भी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि वह बनें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा हूं इस संबंध में श्री प्रधान की कोई मदद नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इन्हें बोलने दें। मैं आपको इसका खंडन करने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यदि वहां राम सेतु को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : महोदय, रिट याचिका सं. 2262/2007 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णास्वामी, आप सदैव सहयोग करते हैं तथा आप एक उत्कृष्ट सांसद हैं। कृपया सहयोग दें ताकि आपके विचार को कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जा सके। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री एस. कृष्णास्वामी: इसके अलावा रामनाथपुरम उप-न्यायालय में ओ. एस. सं 59/2006 लंबित है। स्थगनादेश हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके विचार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किए जाएंगे। यह अवश्य ही होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। आप इस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अर्ह है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। श्री रामजीलाल सुमन पिछले पांच दिनों से नोटिस दे रहें हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले? कृप्या बताएं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चले तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। आप सब से मिलकर सदन बना है मेरे अकेले से नहीं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है जिसे मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री की बात सुनिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं वे बीच में कैसे बोल सकते हैं मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या राम सेतु तोड़ा जाएगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन के सभी पक्षों से पुन: अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन के सभी पक्षों से सहयोग के लिए अपील करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 1.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 01.36 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.36 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, हमारी बात सुन लें। हम लोग बराबर पांच दिन से नोटिस दे रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, कृपया प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए दो-दो मिनट का अवसर प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया पहले मेरी बात सुनें, शून्य काल सायं सात बजे के बाद होगा। अब हम विधायी कार्य करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री विधेयक पुरःस्थापित करें।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: सभापति महोदय, कृपया प्रत्येक सदस्य को दो-दो मिनट बोलने का अवसर प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

श्री मुधसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, आपको हमारी बात माननी होगी, ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, हमारी बात सुने लें। हम लोग बराबर पांच दिन से नोटिस दे रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मैंने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। कार्य सूची मेरे सामने है और मुझे इसका पालन करना है। माननीय अध्यक्ष ने मुझे कार्य-सूची सौंपी है और मुझे इसका अक्षरशः पालन करना है। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। इसलिए मैंने माननीय सदस्य से विद्युत विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं, इस मुद्दे पर और चर्चा का प्रश्न ही नहीं है। और इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना ही होगा

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: सभापति महोदय, कृपया सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का मौका दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 1.38 बजे

सरकारी विधेयक-*विचाराधीन*

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों सभा में यह क्या चल रहा है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे इसके लिए अनुमति नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष ने मुझे आपको बोलने की अनुमति नहीं देने के लिये कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, सभा इसके लिए आपको अनुमति देगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपकी सूचनाओं पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): आप पहले दो मिनट हमारी बात सुन लें। गुजरात का मामला बहुत गंभीर है।..*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधायी कार्य के लिए समय का आबंटन किया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विधेयक पेश करने के लिए कह रहा हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैं पहले ही विधेयक पेश कर चुका हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री किरेन रिजीजू इस विधेयक पर बोलना आरंभ कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, हमें सिर्फ दो मिनट सुन लीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं किसी को अनुमति नहीं दे सकता हूं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो यहां चर्चा कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है, तो इस पर चर्चा करने की यहां क्या आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय विद्युत (संशोधन) विधेयक, दिसम्बर 2005 में लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। इसकी जांच करने तथा इस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने मई, 2006 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मैं समिति की सराहना करता हूं कि उन्होंने हमारे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया था और इन मुद्दों पर बहुमूल्य टिप्पणियां और सुझाव भी दिए हैं।

सामान्यतया विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों का विभिन्न शेयरधारकों ने स्वागत किया है। संप्रग सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कुछ राज्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं के मद्देनजर अधिनियम की समीक्षा करना भी परिकल्पित था। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम की समीक्षा के पश्चात के प्रतिफल हैं। हमने विधेयक में उपबंध किया है कि केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर गांवों और छोटे-छोटे कस्बों समेत ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरों में विद्युतीकरण के माध्यम से सभी क्षेत्रों में विद्युत का उपागम उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगी।

केन्द्रीय सरकार ने आगामी पांच वर्षों में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सभी घरों में विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी लक्ष्य की पूर्ति हेतु 90 प्रतिशत पूंजीगत सहायता का प्रावधान कर ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के सृजन और सभी घरों में विद्युतीकरण में राज्यों की मदद करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू है। तथापि, एक सुझाव आया है कि कानूनी उपबंध में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार भी ग्रामीण विद्युतीकरण का भार वहन करेगी।

वर्तमान में इस अधिनियम में कटौती और प्रति-राजसहायता समाप्त करने का उपबंध है। इस क्षेत्र को वित्तीय दृष्टिकोण से अर्थक्षम बनाने के लिए विद्युत प्रशुल्क को युक्तियुक्त बनाना अनिवार्य है जिससे ऊर्जा-क्षमता को बढ़ाया जा सके। बहुत अधिक अर्थात उच्च स्तर की प्रति राजसहायता दिए जाने के फलस्वरूप हमारे उद्योगों को उच्च विद्युत प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिससे इनकी प्रतिस्पर्धिता पर प्रतिकूल असर होता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति में प्रति-राजसहायता घटाने संबंधी दिशा-निर्देश का उल्लेख है। तथापि, प्रति-राजसहायता को पूर्णत: समाप्त करना आसन्न भविष्य में व्यवहार्य नहीं हो सकता है। अत: इस विधेयक में प्रति-राजसहायता को पूर्णत: समाप्त करने संबंधी उपबंध को खत्म करने का उपबंध किया गया है। हम यह बड़ा-परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम प्रति-राजसहायता में उत्तेरात्तर कटौती करते रहेंगे।

विधेयक में प्रस्तावित दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विद्युत की चोरी संज्ञेय अपराध है। ताकि पुलिस ऐसे अपराधों की छानबीन कर सके। स्थायी समिति की सिफारिश का ध्यान रखते हुए इस संशोधन की भाषा का विन्यास नए सिरे से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

हमने यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव किया है कि विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचाराधीन कैदी बनाए बगैर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम होगा। यह चोरी जिससे आप सहमत होंगे कि विद्युत क्षेत्र का अभिशाप रहा है। विद्युत अधिनियम में इस क्षेत्र में चोरी और अन्य अपराधों पर काबू पाने का उपबंध किया गया है। आगे, सरकार ने चोरी नियंत्रण करने से संबंधित उपबंध पर फिर से विचार किया है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके और साथ ही इसके लिए राज्यों के सुझाव पर विचार भी किया जा सके। कुछ समय पूर्व पारित बंगाल द्वारा विद्युत अधिनियम में पारित संशोधनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। विद्युत की चोरी के नियंत्रण हेतु इस अधिनियम के उपबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मैं विधेयक में सरकारी संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

विधेयक में एक और सरकारी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसका प्रयोजन यह स्पष्ट करना है कि मुख्य विद्युत संयंत्र अपनी अधिशेष बिजली किसी संवितरण अनुशक्ति धारक अथवा उपभोक्ता को अनुज्ञप्त्र की आवश्यकता के बिना ही सप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था और इसी कारण इस विधेयक में यह संशोधन लाया गया है।

सभापति महोदय: विद्युत के समवर्ती सूची में होने के कारण आपने राज्य सरकारों से भी जरूर परामर्श किया होगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे: हमने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है। इतना ही नहीं, हमने कुछ संसद सदस्यों और कुछ दलों से भी परामर्श किया है। जो भी अच्छी चीज है ली गई है। इसी वजह से मैंने पश्चिम बंगाल विधेयक के नाम का उल्लेख किया है। उनका विधेयक बहुत अच्छा सिद्ध होता रहा है। इसी कारण से हमने उससे कुछ उपबंध लिए हैं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विद्युत अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): सरकार ने बिना किसी सूचना के विधेयक पुर:स्थापित किया है। हमने इसे मुद्दा बनाया है *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मुझे लगता है कि आपकी प्रक्रिया गलत है। यह पुर:स्थापन नहीं है। विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। स्थायी समिति ने इस पर विचार किया है। अब इस पर विचार किया जा रहा है। विचार के लिये सूचना देने की आवश्यकता नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: विधेयक पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। ये केवल संशोधन हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: चर्चा की पूरी गुंजाइश है। चर्चा में वे सारी चीजें आएगी।

अब श्री कीरेन रिजीजू बोलेंगे।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण संशोधन विधेयक है और मैं पेश किए गए संशोधनों का पूर्ण समर्थन करता हूं। किन्तु यह संशोधन विधेयक बहुत व्यापक नहीं है और सरकार को कुछ अन्य मुद्दों पर विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जिस संशोधन का अभी उल्लेख किया है, जो गांवों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है, के बारे में विद्युत अधिनियम, 2003 को सभी दलों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। आम लोगों ने इस महत्वपूर्ण अधिनियम को स्वीकार कर लिया था। तथापि, उस अधिनियम में कुछ वाद-विवाद वाले विषय हैं। इस अधिनियम में उल्लेख है कि यदि किसी गांव में एक विद्यालय या एक सामुदायिक केन्द्र में विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो उस गांव को विद्युतीकृत माना गया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना शुरू किए जाने के पश्चात सरकार अब यह कह रही है कि विद्युत अधिनियम, 2003 अब और प्रासंगिक है। सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि देश के प्रत्येक घर में विद्युत की सुविधा होगी? यह काफी महत्त्वपूर्ण है। आशा है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर विचार करने के लिए कतिपय कदम उठाएंगे जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 6 के संशोधन में किया गया था।

अन्य विभिन्न धाराओं में प्रति-राजसहायता की बात की गई है। मेरी समझ से इस बारे में राज्य सरकारों के साथ और अधिक परामर्श किया जाना अपेक्षित था। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इस चरण में उभयपक्षीय राजसहायता को पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र में विभिन्न पक्षों, राज्य सरकारों तथा विद्युत मंत्रालय तथा स्टेक होल्डर के साथ और अधिक परामर्श करने की आवश्यकता है। और अधिक व्यापक परामर्श के पश्चात ही इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। किन्तु प्रति राज-सहायता को बिल्कुल समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

दूसरी बात यह है कि, माननीय मंत्री जी ने धारा 151 के बारे में उल्लेख किया जो पूरे देश में किए जा रहे अपराध, मीटर-पठन में धोखाधड़ी आदि के बारे में है। इस के लिए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस पर कैसे नियंत्रण करने जा रही है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। देश में पारेषण और वितरण की प्रक्रिया में करीब 30 प्रतिशत विद्युत की बर्बादी हो रही है।

मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं क्योंकि स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। स्थायी समिति में उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी और माननीय मंत्री जी ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को मान लिया है। अपराधों से निपटाने के लिए निश्चित तौर पर वे अपराधियों द्वारा किए जाने वाले संज्ञेय अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करेगी।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदय, मेरी एक आपत्ति है। इस बिल में माननीय विद्युत मंत्री जी का नाम न होकर संसदीय कार्य मंत्री का नाम है। इसका क्या कारण है? *...(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू: यह मेरी पार्टी के माननीय सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं संवैधानिक और संसदीय परम्परा की दृष्टि से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिल के उद्देश्य और कारण के अंत में माननीय विद्युत मंत्री जी का नाम आना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। वे अपना भाषण दे रहे हैं। अभी आप नहीं बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, हम इसमें आपकी रूलिंग चाहते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: इसमें विद्युत मंत्री जी का नाम नहीं है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी का नाम आया है। जो विभाग इस बिल को लाता है, उस विभाग के मंत्री का नाम होता है। यहां संसदीय कार्य मंत्री का नाम कैसे आया है।

[अनुवाद]

मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक ही समय में दो माननीय सदस्य कैसे बोले सकते हैं? *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: आप कृपया इसे स्पष्ट कीजिए *...(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): चर्चा जारी रहने दीजिए *...(व्यवधान)* मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, श्री रिजीजू अपनी बात कहना जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): मंत्री जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू: यहां विद्युत मंत्री जी का नाम न देकर बहुत बड़ी गलती की है। इस पेपर में संसदीय कार्यमंत्री जी का नाम मैंशन किया गया है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर): सभापति महोदय, माननीय विद्युत मंत्री जी की उपेक्षा की जा रही है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: मैं बात को समझाता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक बार में केवल एक माननीय सदस्य बोलेंगे कृपया बैठ जाइये। श्री रिजीजू बोल रहे हैं यदि वे समाप्त करने को तैयार हैं तो अन्य माननीय सदस्य बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाइये। *...(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: मैं इस बात को समझता हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं मामले ही जांच करूंगा। तब तक चर्चा जारी रहेगी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: गोयल साहब, आप माननीय मंत्री जी को माफी मांगने के लिए कह दीजिए। इससे मामला सुलझ जाएगा *...(व्यवधान)* इसमें सुधार किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह: संसदीय कार्य मंत्री पहले माफी मांगें ...*(व्यवधान)* ऐसे में सदन नहीं चलेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत: यह सरकार की बहुत बड़ी भूल है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: वर्ष 2005 में तत्कालीन विद्युत मंत्री श्री पी.एस. सईद का निधन हो गया है। ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए ...*(व्यवधान)* जब श्री पी. एम. सईद का देहावसान हुआ उस समय पूरा मामला संसदीय कार्य मंत्री के रूप में श्री प्रियरंजन दासमुंशी देख रहे थे। विधेयक उसी दौरान मुद्रित हुआ था और मुद्रित विधेयक सभा के समक्ष है। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है, हम इसे कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। ...*(व्यवधान)* यह जाहिर ही है ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, यदि आप विद्युत (संशोधन) विधेयक के संशोधनों की पूर्व सूचना को देखेंगे तो पाएंगे कि यहां सुशील कुमार शिंदे का नाम उल्लिखित है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: यह नियम 376 के अधीन (पाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी का नाम यहां क्यों आ रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: रासा सिंह जी, आपने स्पष्टीकरण मांगा है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभी संशोधन हमारे सुविख्यात विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के नाम पर सूचीबद्ध हैं। संसद को पता है कि पिछली सरकार के मंत्री द्वारा विधेयक पुर:स्थापित किया जा सकता है और उस विधेयक में नाम आ सकता है। यही परंपरा है। यहां तक कि जब सभा में राजग सरकार द्वारा पुर:स्थापित विधेयकों को लिया जाता है, उन पर मूल रूप से पुर:स्थापित करने वाले मंत्री का नाम होता है। महोदय, ऐसा हुआ कि जब हमारे पूर्व विद्युत मंत्री श्री पी. एम. सईद का निधन हुआ तो अस्थायी तौर पर नए मंत्री के आने तक मुझे श्री सईद की ओर से संसदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए कहा गया था। यही कारण है कि यदि उस समय मेरे नाम से विधेयक पुर:स्थापित किया गया था, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है। जब श्री शिंदे ने पदभार ग्रहण कर लिया तो उनके नाम से संशोधन आए। मैं बस इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू: मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

मैं चोरी के मुद्दे पर बात कर रहा था। माननीय मंत्री बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। हमें एक समिति बनानी चाहिए। आपको सभी शेयर धारकों को शामिल करना चाहिए और गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए। क्योंकि यह कई-कई बार चर्चा का विषय रहा है कि प्रसारण और वितरण की प्रक्रिया के दौरान 30 प्रतिशत विद्युत की बर्बादी हो रही है। सभी विशेषज्ञों और शेयरधारकों को मिलाकर एक समिति गठित की जानी चाहिए जिससे देखा जा सके कि इसे कैसे रोका जा सकता है।

मैं ऐसे राज्य से हूं जहां विद्युत की स्थिति खराब है। लोग बिना बिजली के जीवन बसर कर रहे हैं। देश में विभिन्न गांवों में हमें बिजली के खंभे और पारेषण लाइन्स देखने को मिलता है लेकिन लोग अंधेरे में रह रहे हैं। विद्युत विधेयक, 2003 एक क्रांतिकारी कदम था और यह विद्युत अधिनियम, 2003 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उठाया गया कदम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं अपने दिए गए सुझावों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इन बिन्दुओं पर विचार करेंगे।

श्री के. एस. राव (एलूरू): महोदय, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया

है। जब सभी संसद सदस्य गांवों विशेषकर उपग्रामों और गरीब लोगों के निवास क्षेत्रों में जाते हैं, तो वे हमारी मदद मांगते हुए कहते हैं कि उनके क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं है। वे हमसे अनुरोध करते हैं कि उनके क्षेत्रों में खंभे लगाए जाएं ताकि विद्युत लाइनें बिछायी जो सकें। यदि हम राज्य सरकारों से ऐसा करने को कहते हैं तो वे इस कार्य में कई वर्ष लगा देती हैं। हम जिस विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, उस पर केवल शहरी क्षेत्रों या धनी वर्गों का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी कारण से इस सरकार ने सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया है।

महोदय, हम सबको मालूम है कि आज शहरों में खंभे लगाना और विद्युत लाइनें उपलब्ध कराना सस्ता होगा क्योंकि वहां से ऐसे हजारों मकान हैं जो विद्युत को प्राप्त करेंगे जबकि यदि यही विद्युत व्यवस्था किसी गांव में करनी हो तो इसके लिए कई किलोमीटर की विद्युत लाइन बिछाने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि 100 गरीब लोगों के घरों में विद्युत कनेक्शन के लिए लाखों-करोड़ों रुपये की लागत आएगी।

अपराह्न 2.00 बजे

मंत्री महोदय ने यह जिम्मेदारी ली है तथा सरकार द्वारा 90 प्रतिशत पूंजीगत राजसहातया दी जा रही है। क्या किसी सदस्य की ऐसी राय है कि यह सुविधा नहीं दी जानी चाहिए अथवा इसमें और विलम्ब किया जाना चाहिए? यह कार्य गरीब लोगों और गांवों के हित में है। मान लीजिए कि हम इस कार्य में विलम्ब करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? गांवों में रह रहे सभी लोग शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं और वहां पलायन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कानून और व्यवस्था जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा झुग्गी-झोपड़ी बनाई जा रही हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, यह समय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित है। अत: आप बाद में इस चर्चा को जारी रख सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करेंगे।

श्री मोहन सिंह–उपस्थित नहीं।

अपराह्न 2.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित

(एक) भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2007*

श्री के. एस. राव. (एलूरू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम की स्थापना तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम की स्थापना तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. एस. राव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.01½ बजे

(दो) राष्ट्रीय लघु और अतिलघु उद्योग आयोग विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव (एलूरू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु और अतिलघु उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किए जाने और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लघु और अतिलघु उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किए जाने और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. एस. राव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.02 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*
(नए अनुच्छेद 21 ख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव (एलूरू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. एस. राव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.02½ बजे

(चार) नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव (एलूरू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के दोहन हेतु एक आयोग का गठन करने तथा इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के दोहन हेतु एक आयोग का गठन करने तथा इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. एस. राव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.03 बजे

(पांच) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अयोग विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव (खेड़): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आयोग का गठन करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आयोग का गठन करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.03½ बजे

(छह) कृषक कल्याण निधि विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव (खेड़): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक कल्याण निधि का गठन करने और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषक कल्याण निधि का गठन करने और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.04 बजे

(सात) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति (पहचान) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव (खेड़): मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की पहचान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की पहचान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.05 बजे

(आठ) विधवा कल्याण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव (खेड़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधवाओं के संरक्षण और कल्याण के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधवाओं के संरक्षण और कल्याण के लिए तथा उससे संसक्त या से उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: श्रीमती अर्चना नायक-उपस्थित नहीं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर-उपस्थित नहीं

श्री बसुदेव आचार्य-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 2.06 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*

(नए अनुच्छेद 16क और 16कक आदि का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड- उपस्थिति नहीं

श्री मोहन सिंह-उपस्थित नहीं

श्री रामदास आठवले-उपस्थित नहीं

अपराह्न 2.06½ बजे

(दस) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007* (अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: श्री एल. राजगोपाल–उपस्थित नहीं

श्री सी के चन्द्रप्पन–उपस्थित नहीं।

अपराह्न 2.07 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक- वापस लिया गया

[अनुवाद]

कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005

सभापति महोदय: सभा अब मद सं. 46 पर विचार करेगी जो कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 पर आगे विचार और उसे पारित किये जाने के बारे में है।

श्री टी. के. हमजा- उपस्थित नहीं

श्री किरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो कृषिक कर्मकारों के कल्याण तथा उनके नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के संबंध में है। यह एक अत्यंत

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

[श्री कीरेन रिजीजू]

महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे इस सभा में पुर:स्थापित किया गया है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक पर पूरी तरह विचार करे और यह सुनिश्चत करे कि यह सार्थक सिद्ध हो तथा इससे इस देश में इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों का हित हो। जिन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिये छोड़ दिया गया हैं। सरकार अब तक भारत की स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में उनके कल्याण का समुचित ध्यान नहीं रख पाई है तथा उनके लिए बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था नहीं कर पाई है और सरकार उनके हितों की रक्षा करने में पूर्णत: विफल रही है। इस देश में बहुसंख्यक लोग इसी श्रेणी में आते हैं। इस असंगठित क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में नहीं माना गया है। आज, माननीय श्रम और कल्याण मंत्री यहां उपस्थित हैं और मेरा यह मानना हैं कि उन्होंने सही दिशा में कुछ कदम उठाए हैं जिनकी मैं यहां व्याख्या नहीं करना चाहता हूं।

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, जो 2001 में आरंभ की गई थी, के अंतर्गत केवल कुछ जिले थे। आरंभ में, इसके अंतर्गत पूरे देश में 50 जिलों को सम्मिलित करने का लक्ष्य था। परंतु मैं समझता हूं कि जब हम ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को आरंभ करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें विशिष्ट रूप से जिला या राज्य तक ही सीमित नहीं रखा जाए। ये योजनाएं समस्त देश के लिए होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र समस्त देश में व्याप्त है। श्रमिक अधिकतर दूरस्थ क्षेत्रों में फैले हुए हैं तथा जैसा कि हमें मालूम है, भारत के 60 से 70 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रामीण लोग निवास करते हैं। यदि हम केवल कुछ जिलों के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करते हैं तो इससे उन कार्यक्रमों का मूल विचार और उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस कार्यक्रम में कृषि कर्मकारों के लिए जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन वापसी पेंशन, अधिवर्षिता और अन्य लाभ भी शामिल हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, किन्तु किस हद तक यह नीति उन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी जो वस्तुत: ऐसे लाभ की इच्छा रख रहे हैं जो निजी रूप से उन्हें प्राप्त हो? हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिसके माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का लाभ मिले।

आज, संगठित क्षेत्र के कर्मकार देश में सर्वाधिक निराश और शोषित लोग हैं। हमारे देश में अनेक यूनियन और संगठन हैं जो उन अभागे लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि तथाकथित यूनियनों और संगठनों द्वारा इन कर्मकारों की अधिकतर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज कुछ यूनियन नेता मेरे सहयोगी हैं तथा माननीय संसद सदस्य भी हैं। कुछ नेताओं ने अनेक बार यह मुद्दा सख्ती से उठाया है किन्तु दुर्भाग्यवश वर्तमान सरकार ने इन शोषित लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया है।

भारत में कितने लोग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देश की कुल जनसंख्या के लगभग 91 प्रतिशत भाग असंगठित श्रमिकों का है। समय-समय पर सरकार इन विशेष समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समितियों का गठन किए जाने के बारे में कहती रही है। परंतु ये बातें कागज पर लिखित रूप में या योजना के चरण तक ही सीमित रह गई हैं तथा यह प्रक्रिया सदैव बिना किसी उद्देश्य के जारी रहती है। आज, विशेषकर कृषि श्रमिक देश के अत्यधिक वंचित नागरिकों में शामिल हैं तथा मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री इस बारे में माननीय कृषि मंत्री से विस्तारपूर्वक चर्चा करें कि विशेषकर कृषि कर्मकारों का कैसे ध्यान रखा जाए। इस संबंध में अन्य क्षेत्र भी हैं। श्री ऑस्कर फर्नांडीस इस मुद्दें से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा कर सकते हैं। वे इस विषय पर उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और अन्य संबंधित मंत्रियों से इस विषय के साथ चार्च कर सकते हैं। अनेक मंत्रालय इस मामले से जुड़े हैं। अत: ऐसे कर्मकारों को पेश आ रही समस्याओं से प्रभावित मंत्री के समूह मिलकर एक तंत्र तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम वर्षों से उपेक्षित इन लोगों को किसी प्रकार का न्याय दिला सकें। सरकार उनके लिए कुछ कर रही होगी किन्तु वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुत: वह कुछ नहीं कर रही है। निस्संदेह, वह इस क्षेत्र के लिए कुछ कर रही है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। सरकार इस विषय के संबंध में विशेषज्ञों की समिति का गठन किए जाने के बारे में कहती है। हमें इन श्रमिकों के लिए और अधिक समय देना चाहिए तथा मेरा मानना है कि माननीय मंत्री इस क्षेत्र के लिए समय दे रहे हैं। वे श्रम यूनियनों से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। परंतु उन्हें कुछ और समय देने की आवश्यकता है। श्री ऑस्कर फर्नांडीस अपनी पार्टी से जुड़े मामलों में व्यस्त हैं। वे एन एस सी एन से बातचीत करने में व्यस्त हैं। मुझे वस्तुत: इस बात पर आश्चर्य है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एन आई सी सी) के महासचिव के पद पर रहते हुए वे असंगठित क्षेत्र के गरीब कर्मकारों को वास्तव में कितना समय दे सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि वे इस मुद्दे के संबंध में कुछ समय दे पाएंगे। हमें आशा है कि व्यावहारिक लाभ के रूप में कुछ अच्छे परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। इस सभा में और बाहर इतनी अधिक घोषणाएं की जा रही हैं और योजनाएं बनाई जा रही हैं। मैंने व्यावहारिक लाभ इसलिए कहा क्योंकि जब तक कि इसका लाभ लोगों को न पहुंचे, तक तक इसका कोई अर्थ नहीं है।

मैं माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सभा में यह महत्वपूर्ण विधान पेश किया। मेरा विश्वास है कि इस माननीय सभा का प्रत्येक सदस्य उनके साथ है और समस्त प्रयास तथा इस विधेयक के उद्देश्य के समर्थन में हैं।

मैं सरकार से सविनय अनुरोध करता हूं कि वह माननीय सदस्य से विधेयक को वापस न लेने को कहे तथा हम सबकी उपेक्षा का सामना कर रहे लाखों कर्मकारों के हित में विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन दे। मैं केवल सरकार को ही दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। हम सब देश में व्याप्त संपूर्ण प्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं।

हमें आशा है कि नौ प्रतिशत विकास दर से उन लोगों को वास्तव में लाभ होगा जो सही मायने में इस विकास के प्रमुख कारक हैं।

अपराह्न 2.16 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित (जारी)

(ग्यारह) अनिवासी भारतीय (मतदान अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले सदस्य को बोलने के लिए बुलाने से पहले, मैं श्री सी. के. चन्द्रप्पन को अपने विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए बुलाऊंगा, बशर्ते वह खेद प्रकट करें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मुझे खेद है कि जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं उपस्थित नहीं हो सका।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनिवासी भारतीयों को मतदान अधिकार और उन देशों में जहां वे निवास करते हैं और कार्य करते हैं, उनको सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनिवासी भारतीयों को मतदान अधिकार और उन देशों में जहां वे निवास करते हैं और कार्य करते हैं उनको सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.17 बजे

(बारह) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और सार्वभौमीकरण तथा उससे संसक्त अथवा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और सार्वभौमीकरण तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(तेरह) काजू विकास बोर्ड विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि काजू की खेती, काजू प्रसंस्करण, विपणन के विकास और संवर्धन तथा इसके उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करने हेतु एक बोर्ड का गठन करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि काजू की खेती, काजू प्रसंस्करण, विपणन के विकास और संवर्धन तथा इसके उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करने हेतु एक बोर्ड का गठन करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*

(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के समक्ष एक महत्वपूर्ण समाचार रखना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आजकल जाली पासपोर्ट और पररूपधारण का मुद्दा दिखा रहे हैं जो स्तब्ध कर देने वाला समाचार है। इसने संसद सदस्यों की प्रतिष्ठता को कम किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस मुद्दे का व्यापक प्रचार है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस मुद्दे को इस चरण पर कैसे उठा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं इस समाचार को माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। मैं सरकार से वक्तव्य की मांग कर रहा हूं। यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है। मीडिया के माध्यम से पूरा देश संसद सदस्यों और विधायकों के आचरण को देख रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री येरननायडु, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: इस मुद्दे का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। मैं सरकार से वक्तव्य की मांग कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*@

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2007 में प्रकाशित।

@कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री येरननायडु, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। आपको अध्यक्षपीठ को सूचना देनी होगी।

यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको सूचना देनी चाहिए। आप कम से कम मुझे सूचना तो दें। यह अतिमहत्वपूर्ण कार्य नहीं है। यह कार्य नियमों के अनुसार होता है। कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है, यह प्रक्रिया यहां नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.21 बजे

कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005—*जारी*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 पर बोलने का अवसर दिया। हमारे साथी हन्नान मोल्लाह साहब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और यह हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर मोस्ट मंत्री हैं। अभी हमारे साथियों के विचार इसमें आए हैं। कृषि कर्मकारों को रोजगार और उनके कार्यों की दशा विनियमित करने के विषय में यहां जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस पर तमाम सुझाव आए हैं।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इसके पहले भी इस सदन में इस पर बहुत विस्तार से बहस हुई है चाहे वह कृषि मजदूरों की समस्या हो या कृषि कर्मकारों की समस्या हो। आपने देखा होगा कि आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी ग्रामीण स्तर पर 75 प्रतिशत जानता कृषि पर निर्भर है। इस समय गेहूं की कटाई हो रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहा है, भारत का हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देखा गया है कि बड़ी संख्या में काश्तकार कोई भी अनाज बोता है तो जब उसकी कटाई-मढ़ाई होती है तो सबसे बड़ी समस्या कृषि कर्मकारों के सामने होती है कि उसकी कटाई-मढाई कैसे हो। चाहे कोई भी अनाज हो, वह कैसे किसानों के घर तक पहुंचे, यह बड़ी समस्या है। यह देखा गया है कि कृषि कर्मकारों की दशा बहुत ही दयनीय है। इस सदन में समय-समय पर बड़े विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है।

सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो कृषि कर्मकार हैं, उनका भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि वे भी देश के विकास में बहुत भी महत्वपूर्ण अंग हैं। कृषि कर्मकार देश में उत्पादन को बढ़ाने और देश की इकोनोमी में बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए इनका भी बीमा होना चाहिए। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू की है, हमारे जो कृषि कर्मकार या मजदूर हैं, उन्हें आपने खासकर ग्रामीण स्तर पर, गांव का जो कर्मकार है, उसे आपने सौ दिन का रोजगार दिया है, लेकिन क्या आज तक हमने कभी यह भी देखा या सोचा है कि 265 दिन वह मजदूर या कर्मकार क्या करेगा? अगर उसे सौ दिन रोजगार मिला तो वह सौ दिन के रोजगार पर अपने पूरे परिवार

का भरण-पोषण करेगा? अगर उसे सौ दिन रोजगार मिला तो वह सौ दिन के रोजगार पर अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कर्मकार कल्याण पर जब इस सदन में चर्चा हो रही है तो इस बात को भी प्रस्तुत किया जाए कि जो गांव का कृषि कर्मकार है, उसके सौ दिन के रोजगार के अलावा पूरे साल की, 365 दिन के रोजगार की गारंटी लेनी पड़ेगी, तभी हम उनके कल्याण की बात कर सकते हैं और कृषि कर्मकारों के रोजगार से संबंधित जो समस्या है, वह दूर हो सकती है। आज देखा गया है कि इस योजना में तमाम जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, वे ज्यादातर ग्रामीण स्तर पर हमारे पंचायत के जो प्रमुख या प्रधान होते हैं, वे बनाते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी अनियमितताएं हैं। गांवों में अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि वहां कृषि कर्मकारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां लिमिटेड लोगों का ही केवल जॉब कार्ड बनाया जाता है, जिससे वे रोजगार से वंचित रह जाते हैं और खासकर उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस बात की व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आज जरूरत इस बात की है कि हमें सख्ती से इन कानून को लागू करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कायदे से उनके कल्याण की बात कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कृषि कर्मकारों का बहुत शोषण होता है। ग्रामीण स्तर पर देखा गया है कि तमाम लोगों को इकट्ठा कर के कहीं ले जाते हैं और वहां जाकर उनसे काम कराया जाता है, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी केन्द्र स्तर पर और राज्य स्तर पर घोषित की गई है, वह भी उन्हें नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया भाषण समाप्त करें, आप विधेयक पर पहले ही बोल चुके हैं। आपका नाम गलती से लिया गया था मुझे खेद है, कृपया स्थान ग्रहण करें, आप बहुत बोल चुके हैं आपने अच्छा भाषण दिया है। अब श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। कृषि कर्मकारों का जो शोषण होता है, वह रूकना चाहिए। गांवों से शहरों की ओर इसीलिए पलायन हो रही है कि उन्हें गांवों में काम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि उन्हें गांवों में ही रोजगार देने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उनके आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गांवों में आवास की बहुत प्रॉब्लम है। उनके बच्चों का भी भविष्य बहुत अधर में है। उन्हें कंपलसरी स्कूल में भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर कृषि कर्मकार टी.बी. रोग से पीड़ित पाए जाते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय कृपया इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने हेतु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा तत्संबंधित अथवा उसके आनुशंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर सभा द्वारा विचार करने के लिए इस महत्वपूर्ण विधेयक को पुर:स्थापित करने हेतु मैं अपने सहयोगी श्री हन्नान मोल्लाह को धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा से सरकार को कृषक मजदूरों के संबंध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी, वास्तव में इस पर लगभग तीन दशकों से चर्चा जारी है। देश में कुल 480 मिलियन असंगठित मजदूरों में से मेरे विचार से कृषक कर्मकारों की संख्या पचास प्रतिशत है। देश में समस्त कृषकों की संख्या लगभग 12,30,00,000 है। जबकि कृषि मजदूरों की संख्या 24 करोड़ से अधिक है। ये मजदूर कृषि कार्यों में सहायता देते हैं। कृषि मजदूर खेती हेतु भूमि की मांग कर रहे हैं। कृषि मजदूरों को विधान द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। जब कृषि कार्य उपलब्ध नहीं होते हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। श्रम कानूनों के होते हुए भी देश के कई भागों में लिंग भेद देखा गया है। आदमियों के बराबर कार्य करने पर भी महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है।

अपराह्न 2.29 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*]

दूसरी बात यह है कि यद्यपि अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों को विशेष जोनों में विभाजित किया है तथा प्रत्येक जोन में कृषि कार्य हेतु न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की घोषणा की गई है, तथापि, दुर्भाग्यवश न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुझे पता नहीं अनेक वर्षों से राज्य सरकारें कृषि मजदूरों हेतु न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि क्यों नहीं कर रही हैं। कभी-कभी इसमें एक दशक से भी अधिक लग जाता है। वास्तव में विद्यमान मजदूरी विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी से बहुत ज्यादा है। परन्तु यह काम के मौसम के अनुसार ही है गैर-मौसमी अवधि में मजदूरी बहुत कम होती है।

वामपंथी तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मांग का यही मुख्य कारण है। परन्तु संसद द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सीमाएं है। फायदा तभी होगा जब 200 दिनों से अधिक का कार्य दिया जाए क्योंकि देश में अधिकतर कार्य वर्षा पर निर्भर है। कृषि मजदूरों को 365 दिनों में से मुश्किल से 125 या 150 दिनों के लिए ही कार्य मिलता है। 200 से अधिक दिनों में उन्हें कार्य नहीं मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम से 100 दिनों के लिए कार्य उपलब्ध कराने से उन्हें खास लाभ नहीं मिल रहा है।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

दूसरी बात यह है कि इ.एस.आई. या भविष्य निधि की तरह कृषि मजदूरों को कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। केरल में एक कानून है, यह एक आदर्श कानून है। केरल में कानून की तरह राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक विधेयक संभव है। पूर्व में श्री गुरूदास दासगुप्त की अध्यक्षता में समति ने व्यापक केन्द्रीय विधान की सिफारिश की थी। एक विधान का प्रस्ताव भी किया गया था परन्तु अनेक राज्यों द्वारा सहमति व्यक्त न करने के कारण इसे छोड़ दिया गया था। राज्य सहमत नहीं थे। बार-बार राज्यों से अनुरोध करना संभव नहीं है। केन्द्रीय सरकार को इस पर निर्णय लेना है। करीब 250 मिलियन कृषि श्रमिक की स्थिति बहुत ही खराब है। इस हेतु अनुमति के लिए हम राज्यों के श्रम मंत्रियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को कृषि मजूदरों के कल्याण हेतु तत्काल एक व्यापक विधान बनाना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी असंगठित मजदूरों हेतु व्यापक विधान पारित करने की बात की गई है। असंगठित मजदूरों में से कृषि मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है। अत: मेरी मांग है कि श्रम मंत्रालय को इस सभा द्वारा एक मत से संकल्प करने से ऐसे विधान पुर:स्थापित करने हेतु मंत्रालय को सहायता मिलेगी तथा इसमें 65 वर्ष से अधिक के सभी कृषि श्रमिकों को पेंशन का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। विधान में कृषि मजदूरों के नियमित रोजगार या कार्य न मिलने की सूरत में उनके स्वास्थ्य बीमा और जीवन सुविधाओं का प्रावधान करना चाहिए। इसके पश्चात इस विधान में समान कार्य हेतु समान वेतन और कृषि महिला मजदूरों के लिए प्रसव लाभों का भी प्रावधान होना चाहिए।

देश में असंगठित मजदूरों में कृषि मजदूरों जिनकी संख्या सर्वाधिक है की सहायता हेतु न्यूनतम कार्य किया जाना आवश्यक है, ऐसे विधान से देश के करीब 25 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ होगा। मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक कों पारित करने हेतु सहमत होगी। अंत में, मैं श्री हन्नान मोल्लाह को इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं तथा इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, इस गैर-सरकारी विधेयक जो कि कृषि मजदूरों के कल्याण से जुड़ा है, जिसे हमारे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पुर:स्थापित किया गया है, पर बोलने का मौका देने हेतु मैं आपका धन्यवाद देता हूं।

विधेयक का मुद्दा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को लागू करने हेतु एक एजेंसी की स्थापना करना तथा कृषि मजदूरों को रोजगार की गारंटी, कार्यों के घंटों को नियमित करना, भविष्य निधि के प्रावधान, कृषि कार्यों संबंधी विवादों के निपटान आदि लागू करने समस्त भारत के लिए कानून बनाने का प्रावधान से जुड़ा है।

श्री हन्नान मोल्लाह के विधेयक में पांच मुख्यत बातें हैं। विधेयक के प्रस्तुतकर्ता का मानना है कि इसके अधिनियमित हो जाने से कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा तथा भूस्वामियों तथा अन्य अमीर वर्गों द्वारा उनके शोषण में भी कमी करने में काफी सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय, आपकी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तथा अन्य कृषक तथा कृषि मजदूरों की समस्याओं से परिचित हैं। मैं असंगठित क्षेत्र की चर्चा करूंगा जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं तथा कृषि मजदूर भी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं।

मजदूरों की कुल संख्या में से असंगठित क्षेत्र में उनका प्रतिशत 93 है, इस पर भी आज चर्चा की गई है। और हमारे पूर्व वक्ता श्री कीरेन रिजीजू ने भी इस प्रतिशत का उल्लेख किया था। मैं स्पष्ट करूंगा कि इस 93 प्रतिशत की किस प्रकार गणना की गई है। इस बारे में रिपोर्ट्स भी हैं।

भारत के पिछले छ: दशकों के दौरान सबसे बड़ी असफलताओं में से एक हमारे अधिकतर नागरिकों के कार्य स्थिति तथा सामाजिक सुरक्षा का पूर्ण उपेक्षा किया जाना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम और द्वितीय राष्ट्रीय श्रम कमिशन ने असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों द्वारा विशेष और लगातार सामना की जा रही समस्याओं का विशेष रूप से उल्लेख किया था। किन्तु अधिकांशत: इन्हें नीतिगत हस्तक्षेप के बजाए किसी अप्रिय सत्य का सूचक माना गया है।

शोषित और हाशिए पर आने वाली श्रेणियों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा का उपबंध करने की दिशा में केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुछ छोटे उपाय किए गए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर विधवाओं के लिए पेंशन। किन्तु इनका क्षेत्र इतना सीमित और न्यून रहा है कि ये बिल्कुल न्यून अथवा कुछ नहीं के बराबर है।

आज पहला मुद्दा "असंगठित" शब्द को परिभाषित करना है। प्रो. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में बने असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग के मई 2006 के प्रतिवेदन में अनौपचारिक क्षेत्र में 340 मिलियन कार्मिकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। यह देश के कुल नियोजन का 86 प्रतिशत है। प्रतिवेदन के अनुसार, मैं उद्धृत कर रहा हूं "वे अपने जीवन-यापन के लिए पसीना बहाते हैं और ज्यादातर लोगों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है।" प्रो. पी. एल. महलानेविस से आरंभ होकर, योजना बनाने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के आकार और महत्त्व से बिल्कुल भिन्न रहे हैं। संप्रग सरकार द्वारा सेनगुप्ता आयोग का गठन किया गया था। नि:संदेह आयोग की 281 पृष्ठ की रिपोर्ट और सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। किन्तु ये सब सीमा से परे हैं। आयोग स्वयं अपने उदार सामाजिक सुरक्षा पैकेज को कार्य रूप देने के लिए उपयुक्त लिखत बनाने में असफल रहा है। आयोग ने इस बात की अनदेखी की है कि इनकी संख्या 340 मिलियन अथवा 34 करोड़ कर्मकार है, अथवा प्रत्येक परिवार में एक कर्मकार पर 1,700 मिलियन लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। आंकड़े यही बताते हैं। इसी तरह से आंकड़ा निकाला गया है। मेरी राय है कि उन्हें दी जाने वाली किसी भी प्रकार की बाह्य सहायता अथवा धन से इसका लक्ष्य पूरा किया जा सकता है यदि प्राप्तकर्ताओं को पहले अपने स्वयं का एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। यह पूर्व शर्त

एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। यह पूर्व शर्त है। इसके विपरीत, आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है, वह उपर से नीचे तक के सरकारी अधिकारियों के लिए अति-दुष्कर कार्य है; राज्य स्थिति बोर्डों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, फिर जिला-समितियां और तत्पश्चात स्थानीय समितियां। यह प्रक्रिया जिला समितियों द्वारा व्यक्तियों के पंजीकरण से आरंभ करना है। कल्पना कीजिए, सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत 340 मिलियन कर्मकारों का पंजीकरण इस तरह किया जा रहा है। सभी प्रकार के सरकारी पंजीकरण तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार/कदाचार का स्तर किसी से छिपा नहीं है। आयोग ने असंगठित क्षेत्र की परिभाषा में उन सभी उद्यमों को शामिल किया है जो व्यक्ति-विशेष अथवा घरों के स्वामित्व में हैं तथा जहां 10 से कम लोग कार्य करते हैं। आयोग का अनुमान है कि जनवरी, 2000 में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या 340 मिलियन है और संगठित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के कार्यरत कर्मकारों सहित कुल अनौपचारिक कर्मकारों की संख्या 362 मिलियन है। यह उस समय में अर्थात सात वर्ष पूर्व भारत में कुल नियोजन का क्रमशः 86 प्रतिशत और 91 प्रतिशत बैठता है।

आयोग द्वारा सभी अनौपचारिक कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा की समस्या को दो श्रेणियों में विभक्त करना बहुत दिनचस्प है। पहली श्रेणी क्षमता से वंचित होने के कारण उत्पन्न मानी गई है और मूलरूप से यह नियोजन की निबंधन, शर्तें और पारिश्रमिक से संबंधित हैं जिसके बारे में विधेयक में ठीक-ठीक बताया गया है। दूसरी श्रेणी में ऐसी समस्याएं हैं जो प्रत्याशित अथवा अप्रत्याशित दुर्भाग्य से उत्पन्न होती हैं। जिसकी वजह बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा और मृत्यु से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र का अभाव है। मेरा सुझाव है कि ऐसी सुरक्षा प्रदान करने में राज्य की अति-सक्रिय भूमिका का कोई विकल्प नहीं है। कुछ विकासशील देशों में भी बहुत दिलचस्प अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव रहा है। हम चीन, इन्डोनेशिया, ट्यूनिसिया और ब्राजील का उदाहरण लें। ऐसे चार देश हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार कर सकती है कि उन देशों ने सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कौन से उपाय किए हैं। जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद मिली। देश जब तक प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर सहित पूर्णतः औद्योगीकृत नहीं होने तक देश को उन व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया है। साहसिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। मुद्दा यह है कि अधिकारों पर आधारित होना चाहिए या स्वैच्छिक अथवा अंशदायी होना चाहिए। मेरा विकल्प है कि इसे किसी भी तरह से लागू किया जाए, यह स्कीम कानूनी दृष्टि से प्रवर्तनीय होना चाहिए। कुल मिलाकर सामाजिक सुरक्षा एक सुरक्षात्मक उपाय है। इससे पुरानी समस्याओं का हल नहीं होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा नहीं होने से कामगार कमजोर हो जाते हैं जिससे श्रम-उत्पादकता दुष्प्रभावित होती है और इसका असर कर्मकार और उनके परिवारों से कहीं अधिक दूर तक पड़ता है। इसलिए मेरी राय में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना असंगठित क्षेत्र के खेतिहर मजदूर के लिए कल्याणकारी उपाय है।

मैं विनम्रतापूर्वक यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि आज की सरकारी सामाजिक सुरक्षा तंत्र का कोई उपयोग नहीं है। संगठित कर्मकारों के समक्ष आज कई गुणी समस्याएं हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकार, विशेष रूप से खेतिहर मजदूर की समस्या कम करने के लिए सरकारी तरीके से कोई मदद नहीं मिलेगी।

मेरा सुझाव है कि आप जापान के निदर्श (माडल) को अपनाएं। जापान माडल को विकसित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जापान में असंगठित क्षेत्र के लोग कैसे उद्दरणीय आर्थिक क्षमता से कार्य कर रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए चूंकि जापान भारत के लिए तीर्थस्थल रहा है। जापान में दो तरह के एसोसिएशन हैं–एक भौगोलिक और दूसरा ट्रेड-आधारित है।

महोदय, मैं केन्द्रीय विधान के विरुद्ध हूं इसकी बजाय, बहुप्रयोजनीय सेवा केन्द्र से असंगठित खेतिहर मजदूरों को काफी मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के. एस. राव (एलूरू): सभापति महोदय, ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए मैं श्री हन्नान मोल्लाह को बधाई देता हूं। मेरी इच्छा है कि माननीय मंत्री इसे स्वयं लें और एक विधेयक लाएं। मैं चाहता हूं कि इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर चर्चा करने की बजाय हम इस पर सरकारी विधेयक की तरह चर्चा करें।

मुझे स्मरण है कि माननीय मंत्रीजी ने भी वचन दिया था कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगार, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के कर्मकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण का ध्यान रखने के लिए कोई व्यापक विधेयक लाएंगे।

जैसा कि हमारे साथियों ने पहले ही बताया है। खेतिहर कर्मकार संगठित नहीं हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं और उनका कोई यूनियन नहीं है। उनके पास बातचीत करने या मोल भाव करने की शक्ति नहीं है। उनके पास कोई नियंत्रण नहीं है। वे समाज की दया पर हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग करने वाले नियोक्ता का पूर्णतः कोई दायित्व नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि किससे संपर्क स्थापित किया जाए और कहां से सुरक्षा मिलेगी। मुझे खुशी है कि सरकार उनका बचाव करने की दिशा में सोच रही है। मेरी राय है कि यह उनका पूछना नहीं है–यह हमारा दायित्व है कि कम से कम मूलभूत चीजें उपलब्ध कराई जाएं और ऐसा नहीं है कि हम उन्हें लाखों लाख रुपए दे रहे हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम

[श्री के.एस. राव]

साझा कार्यक्रम में की गई कटिबद्धता के भाग के रूप में, संप्रग सरकार के लिए यथाशीघ्र इस विधेयक को लाना लाजमी है और माननीय मंत्री जी भी इसे शीघ्र लाने की सोच रहे हैं। मुझे इस पर खुशी है।

जब हम गांवों में जाते हैं तो हमें जो टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, मैं ऐसी कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम सभी को बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि खेतिहर मजदूरों को केवल सीजन में काम मिलता है। उन्हें साल भर काम नहीं मिलता है। फसल उगने के बाद ही उनके पास काम होता है। अधिक से अधिक, संभवत: गांवों में उन्हें साल में केवल चार से पांच महीने तक काम मिलता है। यदि दूसरी फसल उग आती है तो उन्हें अगले तीन महीने तक कार्य करना पड़ सकता है। यदि कोई दूसरी फसल नहीं उगती है और यदि यह शुष्क प्रदेश है, तब उनके पास केवल चार महीने काम होता है। बाकी आठ महीने के दौरान कौन उनकी देख-रेख करेगा? सरकार को उनका ख्याल रखना है। मैं चाहता हूं सरकार कम से कम न्यूनतम मूलभूत चीजें उपलब्ध कराकर उनकी देख-रेख करें। उन्हें परिश्रम करना होगा, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होगा और हमेशा के लिए तथा भावी पीढ़ियों के लिए अपना जीवन स्तर बदलना होगा।

यही न्यूनतम अपेक्षा है जो मैं माननीय मंत्री जी से रखता हूं। इस समय हम खाद्यानों की कम मूल्य पर आपूर्ति कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। अब हम चावल, गेहूं, चीनी, केरोसीन और खाद्य तेल उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ, मूलभूत वस्तुएं जो आवश्यक हैं वे दाल, इमली, मिर्च और प्याज हैं। यदि इसमें से कुछ वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी दी जाती हैं तो हम उन्हें मूलभूत न्यूनतम वस्तुएं ऐसे मूल्य पर देंगे जो वे चुका सकें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी भी इन वस्तुओं को बढ़ाने की बात सोच रहे हैं।

अगली महत्वपूर्ण बात जो वे चाहते हैं, आवास है। हजारों वर्षों से ये गरीब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना धन कमा पाने की स्थिति में नहीं हैं कि अपने लिए आसरा बना सकें। अब, सरकार ने भी महसूस किया है कि उन्हें स्थायी आवास दिए जाएं और साथ ही इसके प्रावधान को 25,000 रुपए से अधिक किया जाए।

आंध्र प्रदेश में, इसे बढ़ाकर 33,000 रुपए करने के अलावा, राज्य सरकार तीन प्रतिशत ब्याज दर पर 10,000 रुपए की राशि अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान कर रही है। इस प्रकार अधिकांश गरीब लोग अपने आवास के निर्माण हेतु पहल कर रहे हैं। इस मदद के बिना वे वहन नहीं कर सकते। लेकिन मात्र 33,000 रुपए से वे अपने घर नहीं बना सकते थे और उनके सपने पीढ़ियों तक सपने ही बने रहते। अत: इस तरह हम अपने आंध्र प्रदेश राज्य में गरीब लोगों को आवास प्रदान कर रहे हैं।

महोदय, इस मामले विशेष में, मैं कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इंद्रमपडकम अपनाया है जिसमें हरेक गरीब आदमी को जिसके पास घर नहीं है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है, उसके जाति, वंश, धर्म या दल को ध्यान में रखे बिना धन दिया जा रहा है। हम उन्हें घर के लिए जमीन दे रहे हैं, हम उन सब लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पहलू का अध्ययन करें। यदि आंध्र प्रदेश में ऐसा करना संभव हो सका है तो यही काम अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता?

सैलजा जी आप भी यहां उपस्थित हैं। वस्तुत: मैंने अपने कुछ मित्रों को भी प्रतिबंधक के बारे में बताया है। हम गरीब लोगों को शहरी क्षेत्रों में आवास स्थल दे रहे हैं। दिल्ली का मामला लें। यहां आवास स्थल की कीमत बहुत अधिक है। हम 50 गज जमीन उपलब्ध करा रहे हैं जिसकी कीमत कई लाख आ रही है। ऐसी स्थिति में, मकान बनाने के लिए धनराशि को थोड़ा और बढ़ा देने में क्या कठिनाई है? ठीक है, मान लीजिए कि यदि प्रति बंधक के लिए लागत एक लाख रुपए आती है और गरीब आदमी इसे चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो बैंकर गरीब आदमी की ओर से किस्तों पर भी धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यदि वह संभल पाए और 15 से 20 वर्ष की अवधि में ऋण चुका सके तो उसके पास एक घर हो जाएगा, यदि वह निष्क्रिय व्यक्ति हुआ और सरकार द्वारा आर्थिक रूप से दिए जा रहे घर को लेना नहीं चाहता तो 15 वर्ष बाद वह उसे खो देगा। तब वह घर बैंक की संपत्ति हो जाएगा, और बैंक उसका मूल्य तय करके उसकी नीलामी कर देगा। हम जानते हैं कि इस समय एक छोटे से मकान की कीमत क्या है। यह 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए है। लेकिन यहां, हम गरीब आदमी को स्थायी पक्का मकान दे रहे हैं जिसमें वह 100 वर्ष तक रह सकता है। मंत्री जी, आप भी

इसी तरह सोचें और 25,000 रुपए या 30,000 रुपए मात्र देकर इसे गरीब आदमी के भाग्य पर न छोड़ दें और मान लें कि आपका उत्तरदायित्व पूरा हो गया। गरीब आदमी योजना नहीं बना सकता, और इसलिए जहां तक उनकी आवास की समस्या है उसके संबंध में उनका ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है।

सभापति महोदय: मेरे विचार से यह नैशनल हाउसिंग बैंक की भी योजना है।

श्री के.एस. राव: जी हां। सभी यहां हैं। इसीलिए मैं उन्हें बता रहा हूं।

सैलजा जी, यह मात्र एक मकान या 10,000 मकानों का प्रश्न नहीं है। दिल्ली और अन्य शहरों में लाखों मकान बना सकते हैं। धन की कोई कमी नहीं। केवल योजना चाहिए। बैंक की प्रति बंधक पर पैसा देने को तैयार हैं। हुडको और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक पैसा दे सकते हैं। अत: इसके माध्यम से हम सभी गरीब लोगों को स्थायी मकान दे सकते हैं जिनमें वे 100 वर्ष तक रह सकते हैं।

महोदय, कृषि मजदूर से संबंधित अन्य मुद्दा शिक्षा है। एक कृषि मजदूर जो अपेक्षा करता है वह है उसके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम हमने महसूस किया है कि कालेज तक पहुंचते-पहुंचते उनमें से 94 प्रतिशत पढ़ना छोड़ देते हैं, और मात्र छह प्रतिशत ही कालेज में रहते हैं। अत: उनके पढ़ना छोड़ने को रोकने के लिए, हम सभी ने अतिरिक्त उपकर की और उन गरीब लोगों की प्राथमिकता शिक्षा के लिए 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। लेकिन मैं सावधान करता हूं कि जब तक जो शिक्षा हम देने की बात कर रहे हैं वह प्राथमिकता स्तर पर माध्यमिक स्तर तक पर भी व्यावसायिक न हो यह योजना नाकाम सिद्ध होगी। हमें उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। मान लीजिए, हम उन्हें 10वीं कक्षा तक शिक्षा दे रहे हैं, और हम उन्हें जबरन इंटरमीडिएट, बी.ए, और एम.ए. में भेज देते हैं। लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं है। और उनमें अपने बलबूते निर्वाह कर लेने का आत्मविश्वास नहीं है उन्हें कहीं अन्यत्र भी रोजगार नहीं मिलेगा। इसीलिए गरीब परिवारों में माता-पिता सोच रहे हैं कि जब उनके बच्चों को एम.ए, तक पढ़ लेने पर भी नौकरी उपलब्ध नहीं है तो वे अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजें? वे सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल और कालेज भेजने की बजाए, जिसके बाद कोई नौकरी नहीं मिलनी, क्यों न वे उन्हें एक और दिहाड़ी कमाने भेजें, और ऐसा करना उनके परिवारों के लिए भी मददगार होगा। यही कारण है कि गरीब लोगों के बच्चों का पढ़ना छोड़ देना बढ़ रहा है।

इसीलिए, मैं निवेदन करना हूं कि यदि शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा का प्रकार जो हम प्रदान कर रहे हैं, बच्चों में आत्मविश्वास और कौशल नहीं जगाता, पढ़ना छोड़ देने वालों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। अत: मैं चाहता हूं कि सरकार सभी गरीब लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देने की दिशा में सोचे।

महोदय, अन्य मुद्दा स्वास्थ्य की देखभाल का है। यदि किसी गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल जाना पड़ जाता है तो उसकी देखभाल करने के लिए वहां कोई डाक्टर नहीं होता। वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके पास वह जा सके। यदि वह कारपोरेट क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वह बिल नहीं चुका सकता। इस संबंध में मैं मंत्री जी से यह कह रहा हूं कि कृपया गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करें। मैं उनके लिए मांग नहीं कर रहा जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। इसमें अधिक लागत नहीं आती। मैनें आंकड़े दिए थे। इसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत नहीं आती। यह 10,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जा सकती है, जिसके द्वारा हम एक परिवार को प्रति वर्ष 30,000 रुपए की न्यूनतम राशि प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नहीं आएगा। किन्तु इससे निर्धन व्यक्ति के मन में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि "स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सरकार मेरा भी ख्याल रखती है और दुर्घटनाओं का भी ध्यान रखा जाता है" यह संभव है। खासकर निजी क्षेत्र भी बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आगे आने को तैयार है।

अंतिम पहलू वृद्धावस्था पेंशन है। आपने इसे प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) आधार पर आरंभ किया है। यह निश्चित रूप से सर्वव्यापी होना चाहिए। मैंने सभा में पहले भी कहा है। एक संसद सदस्य होने के नाते, यदि मैं संसद सदस्य के रूप में अपना एक कार्यकाल पूरा कर लेता हूं तो मुझे आजीवन पेंशन मिलती है। मैंने समाज की ऐसी कौन सी महान सेवा की है? मैं सेवा करूं या ना करूं, फिर भी मैं आजीवन पेंशन के योग्य हूं। यही स्थिति उनके साथ है जो सेवा में हैं। यदि वे 20 या 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा करते हैं तो अन्य सभी विशेष सुविधाओं के अलावा उन्हें पेंशन के रूप में आजीवन सुरक्षा मिलती है।

लेकिन इन लोगों के साथ क्या होता है? इन गरीब खेतिहर मजदूरों ने क्या अपराध किया है? वे 10 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक काम करते हैं। वे छ: घंटे या आठ घंटे कार्य नहीं करते हैं, वरन वे ग्रामीण क्षेत्रों में कभी-कभी दस से बारह घंटे तक काम करते हैं।

सभापति महोदय: वे दिन-रात काम करते हैं।

श्री के.एस. राव: जी हां, यह उन के लिए अधिकार का मामला है। सर्वप्रथम, हमें उनके बारे में फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सभी व्यक्तियों के लिए सर्वव्यापी पेंशन योजना बनाएं जो देश भर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस पर अधिक लागत भी नहीं आती है। मैं बस यही कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के पश्चात हमारे समक्ष जो आंकड़े आए हैं, वह दृष्टव्य है। आपने कहा है कि करीब 23.7 करोड़ गरीब लोग, खेतिहर मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उनमें से, कम से कम कुछ सीमांत किसान भी हैं। इस प्रकार अगर यह मान लें कि कृषि क्षेत्र में 11 से 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं तो इन पर एक वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय नहीं आता है। आप राज्य सरकारों के साथ इसका व्यय बांटें। आप उनसे पूछिए। क्या समाज के प्रति उनकी सेवा के बदले हम उनको 10,000 करोड़ रुपये नहीं दे सकते हैं? कृपया इस पर भी कुछ सोचिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी बिल का समय तो खत्म हो गया है।

[अनुवाद]

यदि सभा सहमत हो तो क्या हम सभा की कार्यवाही का समय और आधे घंटे तक बढ़ा सकते हैं, ताकि इसे पूरा किया जा सके।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: धन्यवाद, श्री राव, कृपया आगे बठिए और इसे पूरा करने की भी कोशिश कीजिए। यह बहुत साधारण विधेयक है।

श्री के.एस. राव: जी हां, आंध्र प्रदेश में हम उन सभी गरीब लोगों को बीमा दे रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं न कि एक या दो व्यक्ति को। इससे पहले, आंध्र प्रदेश में, तेलुगु देशम सरकार के दौरान, जब कोई गरीब आदमी किसी राजनीतिक या अधिकारी के पास जाता था जहां किसी गांव में लगभग दस व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता था, वे कहा करते थे कि यदि इनमें से कोई एक आदमी मरता है तो मैं आपको पेंशन दे दूंगा।" इसका तात्पर्य है कि इस व्यक्ति को अवश्य समझना चाहिए कि एक या दूसरे किसी व्यक्ति का मरना अनिवार्य है। यह बहुत ही दु:खद स्थिति थी। किन्तु आज मरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की तादात जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और जिनके बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हैं, का ध्यान रखे बगैर, उन सभी को 200 रु. प्रति व्यक्ति की दर से पेंशन दी जा रही है। इससे पहले यह राशि 75 रु. थी। अब वे खुश हैं। हमें 1,000 रु. या 500 रु. देने की आवश्यकता नहीं है। गांवों में रहने वाले और कृषि क्षेत्र से संबद्ध वृद्ध व्यक्तियों को 200 रु. मिलने से उन्हें बहुत खुशी होती है और इससे उनकी देखरेख होती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन सभी व्यक्तियों को सर्वभौमिक आधार पर यह पेंशन दी जाए।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। जो कुछ योजनाएं आपने पहले से चलाई हैं। यथा स्वर्ण जंयती ग्राम स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और अंतत: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से निश्चित तौर पर मदद मिली। किन्तु यह विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है न कि पूरे देश में। इसके अलावा यदि ये न्यूनतम चीजें स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन की दिशा में की जाती है। इन सभी चीजों से इनकी मदद करने में बहुत सहायता मिलेगी और बिचौलिए को धोखाधड़ी करने अथवा उन्हें भ्रष्ट बनाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यह सर्वव्यापी बीमा सहायता होगी।

अपराह्न 3.00 बजे

कोई आदमी इसमें परिवर्तन नहीं ला सकता है और कोई आदमी इससे पैसा नहीं बना सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कानून इस तरह से लाया जाए कि असंगठित क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके जो इस समय अनाथ की तरह रह रहे हैं। उनकी देखभाल नहीं करना हमारे लिए भी अपराध जैसा है। उनकी जरूरतों का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी विधेयक लाएं, यदि इस सत्र में नहीं तो कम से कम आगामी सत्र में इसे लाया जाए। यदि वे इसे इसी सत्र में इसे लाते हैं तो उनकी जय हो। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसी सत्र में विधेयक लाएं। हम उनके प्रति अति-आभारी होंगे।

***श्री एम. अप्पावुरई** (तेनकासी): माननीय सभापति महोदय, सभा में हमारे सम्माननीय साथी श्री इन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किए गए गैर-सरकारी विधेयक "कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक" पर चर्चा आरंभ की गई है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम लोग पिछले तीस वर्षों से इसके बारे में चर्चा करते रहे हैं। कोई व्यापक विधेयक अभी तक नहीं बनाया गया है। हमारी कुल आबादी में करीब 48 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। उनमें से 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जब यह संप्रग

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सरकार सत्ता में आई तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख था कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए इस सभा के सम्मुख एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा। तीन वर्ष बीत चुके है। मैं समझता हूं यह दुर्भाग्य है कि अभी-भी विलंब हो रहा है। असंगठित क्षेत्र के अधिकांश लोग विशेष रूप से कृषि कर्मकार, अनुसूचित जाति और जनजातिय समूह से है। उनके पास पर्याप्त तौर पर काम की गारंटी नहीं है। अभी भी यह प्रश्न बना हुआ है कि उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन काम मिलता है या नहीं जिसके अधीन ग्रमीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को सौ दिन काम की गारंटी दी गई है। यहां तक कि 80 रु. प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी-का भुगतान भी ठीक ढंग, से नहीं किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हाल के चुनावों में कुछ राज्यों में सत्ताधारी दल पराजित हुआ है। इसलिए इसे आपके ध्यान में लाना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं। अब हम जिस व्यापक विधेयक पर मनन कर रहे हैं, इसे केरल में लाया गया है। इस महती सभा में भी अनिवार्य रूप से ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए। हमारी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के अधीन अखिल भारतीय किसान संग्राम पिछले 20 वर्षों से इसके लिए आंदोलन करता रहा है। भलें ही चेन्नई हो या दिल्ली या कोई अन्य महानगर हो, सभी जगह हमें ये असंगठित मजदूर मिलते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों से आनेवाले कर्मकार हैं। वे सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहते हैं। वे या तो अन्यथा चले गए हैं या वे स्वयं को उन ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित पाते हैं। जहां वे वर्षों तक रहे हैं। इन प्रवासी श्रमिक के पास शिक्षा नहीं होती है, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी और उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है ताकि उन्हें पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके और वे स्वास्थ्यकर स्थिति में रह पाएं। इन लोगों के जीवन स्तर में अवश्य सुधार होना चाहिए। यह मुद्दा हमारे साथियों द्वारा उठाया गया था जिन्होंने मुझसे पहले बोला था। हम जल्द ही अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने वाले हैं। लेकिन आजादी किसे मिली है? आजादी के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीबी है विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपेक्षित शोषित वर्ग जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाई है। इन भाग्यहीन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने हेतु कोई उपयुक्त विधेयक लाया जाना अनिवार्य है। मेरे साथी ने यह गैर सरकारी सदस्य का विधेयक इस बात पर जोर देने के लिए पेश किया है कि श्रमिक वर्ग विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम आने वाले और खासकर कृषि क्षेत्र से संबद्ध मजदूर वर्ग को पर्याप्त रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। एक व्यापक विधेयक लाने का यह बिल्कुल सही समय है कि कोई व्यापक विधेयक लाकर कानून बनाया जाए क्योंकि पूरा सदन इसके पक्ष में हैं। और सरकार को भी अधिकांश दलों और समूहों का समर्थन प्राप्त है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वे इस अनुकूल वातावरण का उपयोग करें और खेतिहर मजदूरों/कृषि कर्मकारों के लाभार्थ कोई व्यापक विधेयक लाएं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति जी, आज एक ऐसे वर्ग के बारे में विधेयक के माध्यम से विचार-विमर्श हो रहा है, जिसके बारे में काफी कहा जाता है किन्तु उसके परिणाम लाने में हम हमेशा विफल हो जाते हैं।

महोदय, हम जानते हैं कि हमारा आज भी कृषि प्रधाान देश है। देश के 70 परसेंट लोगों की निर्भरता इसके ऊपर है। दिन प्रतिदिन खेती का रकबा कम होता चला जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब खेती कम होगी और उस पर काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे। खेतिहर मजदूर के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। आज इतनी खेती भी नहीं है कि वह अपना गुजारा कर सकें क्योंकि उनके पास छोटा रकबा है। सिंचाई के साधन न होने के कारण भी आमदनी कम है। 2-4-5 बीघा जमीन होने से गुजारे के लिए उसे जो कुछ चाहिए वह भी नहीं मिलता है। केवल खेती का एक आसरा है। अब उन्हें काम भी नहीं मिलता है। हम उसे खेतिहर मजदूर जरूर कहते हैं लेकिन खेतों में काम भी ज्यादा उसके लिए नहीं बचा है क्योंकि मशीनों ने काम ले लिया है। मशीनें जुताई और बुआई करती है। निराई के लिए कुछ लोग लगते हैं। वैसे वह भी अब मैकेनाइज्ड हो गई है। उसमें यंत्रीकरण आ गया है। ऐसे हालत में वे लोग गांवों में क्यों रहें? अगर गांवों में रहे तो क्या करें? जब गांवों में कम काम रहता है तो वे शहरों की ओर दौड़ते हैं।

यहां काफी अनुभवी लोग बैठे हैं जो सारी परिस्थितियों को जानते हैं। यदि पास में कोई छोटा-मोटा जंगल है तो शहर में लकड़ी लेकर आ जाते हैं और मजदूरी के लिए शहर में आ जाते हैं। बसने के लिए गंदे नालों के पास रहने लगते हैं जहां किसी का कोई विरोध नहीं होता है। वे ऐसे स्थानों पर अपना आसरा बनाने की कोशिश करते हैं। देश में हजारों-लाखों में नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग है जिन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। एक तो वे सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं। सामाजिक परिस्थितियां उनको कुछ करने को मौका नहीं देती है। उनके पास आर्थिक स्रोत भी नहीं है कि कोई छोटा-मोटा कारोबार कर सके और उनमें इतनी समझ भी नहीं है। वहां अशिक्षा भी है। इस कारण वे करें तो क्या करें? मानवीय श्रम करने के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं रहता है। वहां श्रम नहीं है। अगर वहां छोटी-मोटी सड़कें बन रही है तो उसके लिए मशीनें हैं। सड़क

[डा. सत्यनारायण जटिया]

बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वे सब वहां है। बांध वगैरह बनाने के लिए भी उनकी जरूरत नहीं पड़ती है।

पिछले दिनों हमने रोजगार गारंटी योजना बनायी। इसके माध्यम से हम सौ दिन का रोजगार देते हैं। रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देने वाले हैं। सौ दिन का रोजगार देने से उसे कुछ आसरा जरूर मिला होगा और मिला भी है लेकिन कुल मिला कर उसका गुजारा नहीं चल रहा है। बरसात के दिनों में वे सबसे ज्यादा मुश्किल में रहते हैं क्योंकि उनके पास मकान नहीं है। सरकार की भी ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके द्वारा वह उनको पक्का मकान बना कर दे। इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से उसे जो सहायता दी जाती है उसमें मकान नहीं बन रहा है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से जो मकान बना कर दिया जाता है वह तेज बरसात में उड़ जाता है जिससे कभी-कभी मकान गिरने से उसके परिवार के लोग दब कर मर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह बेसहारा और लाचार हो जाता है। ऊपर से बारिश होने पर बच्चे उसमें दब कर जख्मी हो जाते हैं। उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें बराबर बनी नहीं है। ऐसी विवशता में आदमी को जो कष्ट हो रहा है, आपने उनके क्या उपाय किए हैं? इस दृष्टि से भी सारी बातों पर सर्वांगीण रूप से विचार करने की आवश्यकता है। देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी हम केवल विचार-विमर्श करते चले जा रहे हैं। जब मैं इस काम में था तब कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 बनाई थी और कुछ जिलों में यह योजना लागू भी की थी। यह योजना लाइफ इंशोरेंस कार्पोरेशन के माध्यम से बनाई थी, यह तब बनी और अब उसका पता नहीं है। हर सरकार अपनी तरफ से कुछ शुरू करती है, थोड़ा किया और कुछ नहीं किया, ऐसा समझकर उसकी इति शुरू हो जाती है। इस स्थिति में उसकी वर्किंग कंडीशन्स क्या हो सकती है? उसे जो कहा जाता है वह उसे करना ही करना है। सुबह आठ बजे जाएगा और शाम को तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता। ऐसे कामों में हम देख रहे हैं कि जैसे यह ठेका प्रथा हो गई है, इसमें फिर से बंधुआपन आ रहा है। उसे यदि पत्थर फोड़ कर क्यारी बनानी है, हाथ से पत्थर फोड़कर क्यारी बननी है तो जब तक पत्थर नहीं फोड़गा उसे पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि उसे उतना पत्थर तो फोड़ना ही है, अब पत्थर फोड़ने की जगह पर उसकी पत्नी और अगर छोटे बच्चे हैं तो आसपास वहीं होंगे, धूप या बरसात में वहीं होंगे। इस तरह से उनकी कार्य दशा काफी असुरक्षित है। शहरों में पालना घर या एनजीओ भी मिल जाते हैं। लेकिन गांव में एनजीओ कहां जाते हैं? वहां सड़कें ही नहीं है, पहुंचने का रास्ता ही नहीं है वहां ऐसे हालात है। इसलिए इन पर सर्वांगीण विचार करना हमारा दायित्व है।

माननीय मंत्री जी यहां पर है और उनकी कार्यकुशलता और क्षमता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। यदि वे गंभीरता से सोचते हैं तो मैं उन पर विश्वास कर सकता हूं। अभी सरकार को तीन साल हो गए हैं, दो साल बाकी हैं, तीन साल तो चले गए हैं लेकिन दो साल में क्या करना है? अब पूछेंगे कि आपने क्या किया? हमने शुरूआत की थी और उसे बढ़ाने के लिए कोई मिला या नहीं मिला इसका कोई गिला नहीं है लेकिन कुल मिलाकर जो हो गया है, वह हो गया लेकिन उनकी कार्य दशा बहुत कठिन है, इसमें उनका गुजारा होता नहीं दिख रहा है। बरसात के दिनों में उसे मजदूरी या दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो शाम को वह कहां से खाएगा? गांव में किरयाने की दुकान से रोजमर्रा का जो सामान लेना होता है वह सामान उसे नहीं मिलता है। उसको छाया के लिए कुछ नहीं मिलता है, यह हम और आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से, इस अनुभव से हम उनके लिए क्या निकाल सकते हैं? क्या गांव में ऐसे स्थान, ऐसे आश्रय स्थल उनके लिए बना सकते हैं जो इस प्रकार के हों कि जब बहुत बरसात में उसका घर टूट जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो उसके नीचे आकर सहारा ले सके? हम एक लाख या दो लाख की लागत से उसके लिए गांव में आश्रय स्थल बना सकें जहां गरीब आदमी का मुश्किल के समय गुजारा हो सके, अगर मुश्किल नहीं है तो भी गांवों के बाकी के सामूहिक कार्यक्रम, जो हो सकते हैं, उन कार्यक्रमों को करने का अवसर दिया जाए। लेकिन मुश्किल यह है कि ऐसे जो लोग है वे कमजोर वर्ग के लोग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं यदि इस पर बाकी लोगों को कब्जा हो गया और उन लोगों को दर्जा मिल गया तो उन्हें रहने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसे उनकी बस्ती के पास बनाया जाए और पीने के पानी का प्रबंध किया जाए। स्थिति में, ऐसे कठिन समय में जब उसका मकान बारिश के समय में गिर गया है, हम ये सारी सुविधाएं देने का काम कर सकते हैं। आप जिसे कार्य दशा कह रहे हैं, कार्य दशा के नाम पर उसके पास कार्य नहीं है, उसकी दशा बहुत गंभीर है, चिंतनीय है और परेशान करने वाली है।

आप सब गांवों के बारे में जानते हैं कि सड़कें गांवों में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें पहुंच रही है और बीस से पच्चीस लाख रुपए एक किलोमीटर के लिए खर्च हो रहा है। माननीय सभापति जी, आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ये सड़कें बनते बनते बन रही हैं और इसके लिए बहुत ठेकेदार भी नहीं मिल रहे हैं। बड़े-बड़े ठेकेदारों दिल्ली में रहने वाले हैं, वहां जाकर छोटे ठेकेदारों को अपना काम दे देते हैं और छोटे

ठेकेदार और छोटे ठेकेदारों को अपना काम दे देते हैं इस तरह से चार आदमियों के पास काम जाता है और पच्चीस लाख रुपए का हिस्सा नीचे जाता है जो वास्तव में लगते-लगते पांच-सात लाख रुपए जहां लगना चाहिए वैसे ही लगता है, यह मेरा अंदाजा है। हम पच्चीस लाख जरूर भेज रहे हैं लेकिन प्रदेशों में, जिला में, साइट में जो विभाजन हो रहा है, इस संबंध में मेरा कहना है कि आप पंचायतों को सड़क बनाने के लिए, पंचायत से पंचायत की सड़कों को जोड़ने के लिए पांच लाख प्रति किलोमीटर के लिए दे दें और वे इसमें अच्छी डब्ल्यूबीएम सड़क बना लें तो अच्छी एप्रोच होगी और आवागमन के अच्छे साधन हो जाएंगे। गांवों में सड़कें अच्छी नहीं है इसलिए वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता है। वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से शहर में भी काम कर सकते हैं और विपदा के समय सबको तो नहीं ले जा सकता लेकिन परिवार और मां-बाप को ले जा सकते हैं। इसलिए जो उनकी विसंगति की कार्यदशा है, क्योंकि अब गांवों में खेतिहर मजदूर यानी खेत में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम है। इसलिए हमारी चिंता यह है कि बेरोजगारी की मार से परेशान ऐसे लोगों को राहत देने के लिए, वैकल्पिक उपाय देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनको रोजगार देने के बारे में हमारे दिमाग में क्या है? यह बात सामने आनी चाहिए। एक समय था जिसमें सब लोगों को कहा जाता था कि सम्मिलित खेती करने का काम होगा। लेकिन वह हमारे यहां सफल नहीं हुआ और इसलिए खेती के बड़े-बड़े रकबे जो हुए होंगे, वे बंटते-बंटते और भी कमजोर होते चले गये।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहूंगा कि जो उनके छोटे बच्चे हैं, सरकार ने उन बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया है? उनके बच्चों को वहां से निकालकर एक छोटे आश्रम में क्या उनकी शिक्षा के लिए हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। यदि बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वह अपने रोजमर्रा के काम करने लायक है तो उसी गांव के ऐसे आश्रमों में या पंचायत स्थान पर छोटे आश्रम बनाकर उनके पढ़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। चूंकि उसके मां-बाप पढ़ नहीं पाये हैं। अब जैसे हमने सर्व शिक्षा अभियान चलाया हुआ है। यह ठीक है कि सर्व शिक्षा के नाम से शिक्षा का संदेश गांव-गांव तक पहुंच गया है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी नहीं पहुंची। इसलिए इस दृष्टि से भी सबको शिक्षा देने के लिए क्या हम ऐसा स्कूल बना रहे हैं जिसमें ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को ठीक प्रकार से सहायता मिल सके? आप बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाएं, आप बहुत बड़े-बड़े काम करें और करोड़ों रुपये उसमें खर्च करें और देश के लिए और भी अच्छी बातें करें तो आप जरूर करिएगा लेकिन आज भी बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर रहने वाले लोग है और जिनके पास खेती का टुकड़ा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं।

चिकित्सा के बारे में भी यही बातें हैं क्योंकि सड़क नहीं है तो चिकित्सा की कुछ सुविधाएं नहीं है। मैंने अभी कोशिश की कि अभी एमपीलैड से हम कुछ पैसा देकर संस्थाओं को कहें कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप गांवों में जाकर कुछ काम करिए। इसके लिए कुछ संस्थाएं तैयार होती हैं परंतु सारी बातों को करने के लिए उनके पास चिकित्सा की कोई सुविधाएं नहीं है। इस प्रकार से खेतिहर मजदूरों के पास आवास नहीं है, शिक्षा नहीं है तो फिर इनके पास क्या है? इनके पास असहायता है, आप कहेंगे कि ठीक है, विधेयक है और इस विधेयक हम विचार करेंगे और इसमें कुछ अच्छा करके हम लाने वाले हैं। इसलिए इसको छोड़ दीजिए। हन्नान मोल्लाह जी ने एक प्रस्ताव लाने का काम किया है और हम उसे छोड़ देने वाले हैं। लेकिन आप उसे कब पकड़ने वाले हैं? आप उसे किस प्रकार से लेने वाले हैं? आपकी योजनाएं क्या हैं? आप किस तरह से उस योजना को देखते हैं? क्या श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो बनाई गई थी, क्या उसको आगे बढ़ाने को काम किया गया है? यदि हम काम किया गया होता तो बहुत सारे जिलों से मेरे पास उसका उत्तर आया हुआ है और अनेक जिलों में उस योजना को लागू करने का काम हुआ जिसमें मजदूर को एक रुपया जमा कराना होता था और एक सरकार जमा कराती थी और ऐसे जमा कराते-कराते उसकी वृद्धावस्था आने तक एक लाख रुपये से ज्यादा रुपये उसे मिल जाते थें। ऐसी कुछ योजना को लेकर आप आएं और गांवों की परिस्थिति के लिए जो बाकी की योजनाएं चलती होंगी, जिसमें ज्यादा खर्च होता होगा, उसमें से पैसा जुटाने का काम करें। पैसा कहां से सरकार के पास आए, इसका उपाय आप करें। ऐसे लोगों के लिए ठीक प्रकार के आवास की व्यवस्था हो जाए, इस प्रकार की संभावनाओं पर विचार करते हुए, क्योंकि रोजगार गारंटी योजना सौ दिन की गारंटी की योजना है और सौ दिन से 365 दिनों को गुजारा नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से भी क्या करने वाले हैं? इन सारी बातों पर विचार-विमर्श करते हुए नियमित रोजगार के बारे में कुछ प्रबन्ध करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

जो उसके पास समय बचता है, क्या उस समय का उपयोग करते हुए उसको हम किसी प्रकार की स्किल्ड प्रशिक्षण दे सकते हैं? यह ठीक है कि उसके लिए कुटीर उद्योग है लेकिन उसकी मार्केटिंग करने की कुछ व्यवस्था नहीं है। अब कुटीर उद्योग में या कुछ और चीजें वह बना लेता होगा तो उन चीजों को बाजार में बेचने के लिए उसके पास साधन कहां है? आजकल प्लास्टिक तथा अन्य इसी प्रकार की चीजें चल पड़ी हैं कि उनकी चमक के आगे उसकी टोकरी कहीं टिकती नहीं है और बिकती भी नहीं है। ऐसे कामों के बारे में, गांवों में रहने वाले व्यक्ति के लिए

[डा. सत्यनारायण जटिया]

उसको कौन सी चीज दें या सरकारी इस्तेमाल की या बाकी के स्थानों के उपयोग के लिए जो वस्तु बनती होगी, इसके लिए उसको प्रशिक्षण दें जो उसकी क्षमता के हिसाब से हो, क्या ऐसे कुछ उपाय किये जा सकते हैं? उनके बच्चों के लिए ठीक प्रकार की शिक्षा और चिकित्सा के उपाय हम कर सकें तो निश्चित रूप से ऐसे खेतिहर मजदूरों के लिये हम अवश्य ही कुछ कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसी बेबसी से उन्हें बचाने के लिए हमारा जो राष्ट्रीय दायित्व है, यह दायित्व सामाजिक और आर्थिक न्याय के अंतर्गत भी है और हम लोगों को इस देश के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक संकल्प है, उसे पूरा करने में सरकार कार्यवाही जरूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मेरी अभिरूचि को विषय भी है, पर बोलने को अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं श्री हन्नान मोल्लाह को, जिन्होंने कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा तथा उनकी उन्नति हेतु इस विधेयक को पुर:स्थापित किया है मैं बधाई देता हूं। न्यूयार्क में जब वे पूर्व अध्यक्ष श्री बालयोगी के साथ आए थे, तब में उनसे मिला था।

हम सबको मालूम है कि देश में अधिकांश कृषि मजदूर दयनीय स्थिति में हैं।

मैं अपना अनुभव आप सब को बताऊंगा जिसके कारण अमेरिका में 15 वर्ष रहने के बाद मैं भारत वापस आया। मेरे जिले निजामाबाद में माछारेड्डी मंडल है जहां सर्वाधिक संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। टी.डी.पी. के माननीय नेता यहां उपस्थित है। उनके नेता श्री चन्द्र बाबू नायडु ने एक बार कहा था कि कृषि व्यर्थ है।

श्री किन्जरपु येराननायडु (श्रीकाकुलम): ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री मधु गौड यास्खी: यह सच है और में उद्धरण भी दे सकता हूं, उस समय मेरे राज्य के केन्द्रीय मंत्री ने कहा।

[हिन्दी]

किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खाना हजम नहीं होता हैं हम जानते हैं कि

[अनुवाद]

देश में 162 मिलियन से अधिक लोग दिन में एक बार ही खाना खाते हैं। एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण के अनुसार कृषक की औसत आय 2115 रुपये प्रति माह है। राष्ट्रीय कृषक आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज्यादा आबादी तथा सबसे ज्यादा किसानों की संख्या वाले राज्य में किसानों के आय 1630 रुपये प्रति माह है, यदि किसानों की यह दशा है तो कृषि मजदूरों की दशा की आप कल्पना कर सकते हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ मैं भारत आया; आत्महत्या करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने वाला मैं पहला आदमी था। दुर्भाग्यवश, आज भी मेरे राज्य में किसान भारी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, सच्चाई स्वीकार करने में मुझे कोई परहेज नहीं है। यह सच है, न केवल आंध्र प्रदेश में यह सारे भारत में होता है।

यू.पी.ए. सरकार द्वारा वायदे, पूरे करना एक अच्छी शुरूआत है। एन.डी.ए. शासन में कृषि ऋण जो 80,000 करोड़ रु. पर को इस वर्ष बढ़ा कर 2,25,000 करोड़ कर दिया है। यू.पी.ए. सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी आरंभ की गई है जिससे मेरे जिले में भी लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राज्य में मेरा जिला पहला है जहां योजना को पूर्णत: लागू किया गया है जिससे गरीब कृषि मजदूरों को रोजगार और जीवनयापन में सहायता मिली है।

यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा विधान लाएं जो इन्हें जमीदारों के शोषण से मुक्ति दिलाए। आप मेरे जिले निजामाबाद का उदाहरण ले, महिला तथा पुरुष कृषि मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 35 रुपये तथा 45 रुपये है। उन्हें रोज रोजगार नहीं मिलता है, मेरे ही राज्य के तटवर्ती जिलों में महिला और पुरुष मजदूरों की न्यूनतम आय 80 रुपये तथा 120 रुपये है। स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से समस्त देश में एक समान मजदूरी सुनिश्चित नहीं की गई है। अत: गरीब व्यक्तियों को संरक्षण हेतु यह विधेयक अति महत्वपूर्ण है। यह परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है जब किसान को ही निवेश से फायदा नहीं हो रहा है तो वह मजदूरों को भी बेहतर मजदूरी नहीं दे सकता है, आम आदमी बीमा योजना एक बेहतर शुरुआत है, 40-50 रुपये आय वाला मजदूर अपने परिवार का लालन-पालन कैसे कर सकता है? वह बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च नहीं कर सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि भारी तादात में लोग भ्रम जाल में इसलिए फंसते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य पर अधिक खर्च व्यय करना पड़ता है। उत्तरोत्तर सरकारें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में असफल रही है। इससे कृषि मजदूरों की स्थिति पर सीधे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

आज कृषि मजदूरों की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है। खाद की लागत बढ़ गई है, तीन वर्ष पूर्व 1000 हेक्टेयर भूमि की खेती हेतु बीज की लागत 2,200 रुपये होती थी। अब इसमें तीन गुना वृद्धि हो गई है खाद की कीमतों में भी 400 प्रतिशत वृद्धि हुई है। किसानों के ऋण जाल में फंसने में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कारण जिम्मेदार है, जिसके परिणामस्वरूप वे आत्महत्या करते हैं, कृषि मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय है।

यद्यपि हमारी राज्य सरकार कृषि मजदूरों को नि:शुल्क बिजली दे रही है परन्तु बिजली कटौती के कारण बिजली आधी रात को उपलब्ध करायी जाती है। इसलिए मजदूरों को खेतों में आधी रात को जाना पड़ता है जहां अधिकतर मजदूर सांपों द्वारा काटें जाने या बिजली से मर जाते हैं। स्पष्ट है कि जमींदार ऐसे मजदूरों की कोई प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं करता है। इसलिए यह विधेयक ऐसे दुर्भाग्य वाले मजदूरों की वास्तव में सहायता करेगा, जिनका जीवन यापन का स्रोत खेतों में मजदूरी ही है। यदि वह मर जाता है तो उसका सारा परिवार सड़क पर आ जाता है। देश भर में ऐसी दु:खद घटनाओं की कमी नहीं है। अन्य माननीय सदस्यों ने उनका उल्लेख किया होगा।

श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार कृषि को महत्व देती है जो वित्त मंत्री के बजट भाषण से भी स्पष्ट है जब उन्होंने कृषि पर 15-20 मिनट बोला था। उन्होंने गरीब कृषि मजदूर की सहायता हेतु न केवल नई पहल की है परन्तु सीमांत मजदूर जो स्वरोजगार में लगे हुए हैं और कृषि मजदूर भी माने जाते हैं, की भी सहायता की है।

आंध्र प्रदेश से मेरे वरिष्ठ सहायोगी श्री के.सी. राव ने राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल के बारे में उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हमने इस बिल का समय आधा घंटा बढ़ाना था। अभी तीन वक्ता हैं और मंत्री जी को भी उत्तर देना है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति जी, इस बिल के कंप्लीट होने तक समय बढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय: हम सब मिलकर चार बजे तक इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरा बिल भी आ जाए, नहीं तो दूसरा बिल नहीं आएगा।

[अनुवाद]

आप तथा बाकी सब संक्षिप्त भाषण देंगे।

श्री मधु गौड यास्खी: एन.डी.ए. तथा विपक्षी टी.डी.पी., के विपरीत यू.पी.ए. के तहत कांग्रेस पार्टी तथा जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं उन्होने किसानों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जब तक किसानों को उनके काम का अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम कृषि मजदूरों की रक्षा नहीं कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन कृषक मजदूरों को दूसरा सबसे बड़ा खतरा एस.ई.जेड. से है हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि उद्योगपतियों को दी जा रही है। अशिक्षित तथा रोजगार योग्य कौशल के अभाव में गरीब मजदूरों को अपने अस्तित्व पर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, मेरा सुझाव है कि हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि के बजाए कुछ एकड़ बंजर भूमि में एस.ई.जेड. स्थागित किया जाए जिससे कि कृषि मजदूरों को शोाषण से बचाया जा सके।

अपराह्न 3.30 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

यदि कृषि योग्य भूमि देना आवश्यक है जो कृषक मजदूरों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्हें अन्य रोजगारों हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मैंने आंध्र प्रदेश में एस.ई.जेड. में स्थापित कंपनियों को ऐसा करते हुए देखा है परन्तु ऐसा समान रूप से किया जाना चाहिए। यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि एस.ई.जेड. में भूमि प्राप्त करने वाली कंपनियां कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा अवश्य करें। किसानों की, प्राशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा उन्हें खेती की नई पद्धतियों, के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्हें उच्च उत्पादन क्षमता वाला बीज दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कई क्षेत्रों में एजेंटों ने बीजों की आपूर्ति की परन्तु अधिकतर मिलावटी बीज दिए गए थे। कृषक इन पर पूर्णत: निर्भर हैं। वह फसल के पैदा होने का इंतजार करता है परन्तु वहां इसकी संभावना ही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वे आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। वर्तमान सरकार, विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री ने देश में विदर्भ क्षेत्र और आंध्र प्रदेश सहित कुछ चुनिंदा राज्यों का उल्लेख किया था। केन्द्र सरकार की सहायता वाले 13 जिलों की इसमें कवर किया गया है। उन्हें विशेष पैकेज दिया गया है तथा आंध्र प्रदेश को ही 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी गई है। यह एक अच्छी शुरूआत है जिससे इन किसानों को पर्याप्त सहायता मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह विधेयक पेश करने के लिए श्री हन्नान मोल्लाह को पुन: धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि मजदूरों को जमीदारों तथा अन्य अमीर लोगों से बचाने के मुद्दे पर हम सब एकमत है। सरकार को कड़े और लागू किए

[श्री मधु गौड यास्खी]

जाने योग्य उपाय करने चाहिए जिससे कि कृषि मजदरों का शोषण रोका जा सके।

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किए गए कृषि मजदूर कल्याण विधेयक 2003 का समर्थन करता हूं, श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री आस्कर फर्नान्डीज यहां उपस्थित है। श्री आस्कर फर्नान्डीज जी एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है। वे मजदूरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य करते रहते हैं। उन्होंने मजदूरों के कल्याण हेतु निरंतर आवाज उठाई है। यह अच्छी बात है कि माननीय श्रम मंत्री की उपस्थिति में हम एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

जैसा कि हम सब जानते हैं 75 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। अभी भी 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। हम कृषि मजदूरों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं जैसे छोटे किसान, मझौले किसान तथा बड़े किसान और दिहाड़ी मजदूर अथवा कुली, अधिकतर छोटे किसान कुली है।

मैं भी किसानों के परिवार का हूं। मैं किसान का बेटा हूं। मैं कृषि मजदूरों की समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हूं, मैं उनके दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी अनेक गांवों में जमीदार या गांव का मुखिया यह निर्धारित करता है कि प्रति व्यक्ति कितनी मजदूरी होनी चाहिए। अनेक गांवों में आदमी की मजदूरी मात्र 50 रुपये तथा औरतों की मजदूरी मात्र 25 रुपये है। जमीदार के निर्णय को कोई भी चुनौती नहीं देता है। ग्रामीण भारत की यही स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमारे माननीय सदस्य ने इस ऐतिहासिक विधेयक को सही समय पर पेश किया है। देश के सभी वर्गों के लोगों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

वर्तमान में हम देखते हैं कि शहरों में आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं, परन्तु ग्रामीण, क्षेत्रों में ऐसा बहुत ही मुश्किल है। पर्याप्त वर्षा की स्थिति में ही उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। इसीलिए लोग अपनी भूमि बेच कर आजीविका के लिए शहरों की ओर आ रहें हैं। केवल ऐसे ही परिवार गांवों में खुश हाल है। जिनके पास पर्याप्त भूमि, पम्प सैट और सिंचाई सुविधाएं हैं। अन्य व्यक्तियों के पास मात्र विकल्प कुली का है जो सदैव उपलब्ध नहीं होता है। वर्तमान में यू.पी.ए. सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत दसवी कक्षा तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराके एक अच्छा कार्य किया है। इस कार्यक्रम के कारण अनेक किसान अपने बच्चों क स्कूल भेज रहें है, अन्यथा कृषि मजदूरों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना बहुत दुष्कर कार्य होता क्योंकि उनकी मजदूरी मात्र 50 रुपये प्रति दिन है। कृषक मजदूर इतनी कम मजदूरी में अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दे सकता है। कृषि मजदूर के लिए अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल कालेज में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा बच्चों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सारी जिम्मेदारी लेना एक सराहनीय कार्य है। अन्यथा कृषि मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करना अकल्पनीय है। एक कृषि मजदूर जिसे प्रतिदिन मात्र 50 रुपये की मजदूरी मिलती है वो इस राशि से 4 किलो चावल भी नहीं खरीद सकता है। क्योंकि चावल का न्यूनतम मूल्य 20 रुपये प्रति किलो है। यदि उनके परिवार में 10 सदस्य है वह उनका पालन पोषण किस प्रकार करेगा? इसलिए मेरा सुझाव है कि लिंग भेद के बिना सबके लिए एक समान मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए।

इसके अलावा हम देख रहे हैं कि देश में हर तरफ किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमें यह सोचना होगा कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं तथा दिनों दिन इसमें वृद्धि क्यों हो रही है, मेरे विचार से इसका कारण ऋण के बोझ के अलावा वर्षा का न होना, फसलों का बरबाद होना, भयंकर सूखा तथा अकाल की परिस्थितियां है। इन्हीं कारणों से किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को आगे आ कर किसानों को बचाना चाहिए तथा समस्या के समाधान के लिए ठोस उपाय करना चाहिए। मैं सरकार से जोर देकर आग्रह करता हूं कि समान कार्य के लिए एक समान मजदूरी, के लिए विधान बनाए। मैं कहना चाहूंगा, कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की तरह यू.पी.ए. सरकार ने एन.आर.ई.जी.ए. जैसी-योजना आरम्भ की है। जिसमें प्रति व्यक्ति को प्रति दिन 60 रुपये दिया जा रहा है। इसमें 5 किलो चावल तथा 35 रुपये नकद दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को 100 दिनों तक का काम मिल सकता है। इसके अलावा, माननीय मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को कृषि कर्मकारों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए बीमा योजना लाना चाहिए। इस बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल कर्मकारों की ओर से सरकार को ही प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए। उस योजना में कुली और खेतिहर मजदूरों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कोई सरकारी कर्मचारी अपनी बीमा के प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम हो सकता है और मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलेगा। किसी कुली/खेतिहर मजदूर को किसी भी स्रोत से मरणोपरांत एक पैसा भी नहीं मिलेगा। भारी तादात में मजदूर भवन-निर्माण, सड़क आदि क्षेत्रों में कार्य में लगे हुए हैं। उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। चूंकि कोई कूली/खेतिहर मजदूर अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कर सकता है, इसी कारणवश, यदि सरकार उनकी सहायता करने के लिए कदम उठाती है तो इससे उनकी काफी मदद होगी।

महोदय, यह गंभीर विषय है कि लोग खासकर किसान शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। वे गांवों में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। किन्तु शहरी क्षेत्रों में लोगों को किसी तरह रोजगार मिल जाता है और वे न्यूनतम 100 रु. प्रतिदिन कमा लेते हैं। जबकि गांवों में लोगों को 25 रुपये या 30 रुपये प्रति दिन का भी काम नहीं मिल रहा है। भू-स्वामियों द्वारा भी उनका शोषण हो रहा है जो आज भी तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ग्रामीण जनता खासकर खेतिहर मजदूरों और कुलियों पर होने वाले ऐसे अत्याचार को रोकने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी खेतिहर और अन्य कर्मकारों को एक समान मजदूरी/पारिश्रमिक देने के लिए कोई सख्त कानून लाए।

अन्ततः मैं आवासीय सहायता के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। इन्दिरा अवास, वाम वे योजना जैसी योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। किन्तु भवन निर्माण के लिए मात्र 20,000/- रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वित्तीय सहायता बढ़ाकर कम से कम 50,000 रु. कर दी जाए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं श्री हन्नान मोल्लाह, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी का धन्यवाद देता हूं और मैं इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए माननीय सभापति जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री हन्नान मोल्लाह को बधाई देता हूं जिन्होंने सभा के समक्ष कई महत्वपूर्ण व निर्णायक विधेयक अर्थात कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 लाया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण विधान है। संप्रग सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितार्थ/लाभार्थ एक व्यापक विद्यायन लाने का वचन दिया है। उनके शासन काल के तीन वर्ष बीत चुके हैं और अब अन्य दो और वर्ष शेष है। यह विधेयक सभा में कब लाया जाएगा? यदि विधेयक पारित कर दिया जाएगा तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। असंगठित क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक खेतिहर मजदूर है। इसलिए, हमें खेतिहर मजदूरों पद ध्यान केन्द्रीत करना है।

प्रत्येक व्यक्ति विकास की बात कर रहा है। गत वर्ष हमने 9.2 प्रतिशत का विकास दर प्राप्त किया है। इक्विटी के बगैर विकास निरर्थक और निष्फल है। यह ठीक है कि हम धन कमा रहे हैं और हम लोग अपने सकल-घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। अंततः स्वतंत्रता के फल और लोकतंत्र का फल निर्धनतम व्यक्ति तक को मिलना चाहिए। तभी सकल घरेलू उत्पाद का कोई अर्थ होगा।

श्री एन.टी. रामा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1982 में अपने दल का गठन किया और नौ महीने के भीतर वे सत्र में आ गए। अपनी पहली मंत्रिमंडलीय बैठक में उन्होंने तीन अर्थात निर्धनतम व्यक्ति को आश्रय, स्थायी आवास-सुविधा उपलब्ध कराना, और 50 प्रतिशत की राज सहायता पर परिधान उपलब्ध कराना और 2 रु. प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया। ये तीनों निर्णय समाज में निर्धनतम व्यक्ति के कल्याण के निमित लिए गए थे। इतने वर्षों में देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रत्येक मुख्यमंत्री 2 रू. प्रति किलो आदि की दर से चावल उपलब्ध कराने का वादा करता है। किन्तु पूरे देश में, तेलुगु देशम पार्टी (टी.डी.पी.) एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने इन सभी कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की। अभी भी, खेतिहर मजदूरों के सामाजिक स्तर मैं इसी तरह की समानता है। किसानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, अच्छी सड़कें आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी जाती है। उसे उचित मजदूरी नहीं मिलती है। खेतिहर मजदूरों के समक्ष इस तरह की समस्याएं है।

हम समाज के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है।

हमारे सभी क्षेत्रों में संगठन है यथा हमारे पास सभी क्षेत्रों में संगठन है। आटोरिक्शा यूनियन, कार चालकों की यूनियन आदि। प्रत्येक क्षेत्र में उनके यूनियन है। किन्तु असंगठित क्षेत्र में कोई यूनियन नहीं है। इसलिए अपनी समस्याओं के बारे में सरकार पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनके बीच एकता नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्यों को असंगठित श्रमिक विशेष रूप से खेतिहर मजदूरों का ख्याल रखना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने से प्रयोजन पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है। कि हम कुछ हद तक अस्थायी तौर पर रोजगार मुहैया करा रहे हैं; यह अच्छा विधायन है। किन्तु इससे स्थायी समाधान नहीं प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय 100 दिन रोजगार प्रदान करना है। यदि एक फसल उगाता है, उन्हें चार से पांच महीने तक रोजगार मिलेगा। जहां तक खेतिहर मजदूरों की बात है, गांव परियोजना क्षेत्रों में स्थित है और यदि उनकी दो फसल होती है उन्हें सात महीने

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

रोजगार मिलता है और भारत में अधिकांश भूमि वर्षा जल युक्त है और उन्हें प्रति वर्ष वस्तुत: 4 महीने काम नहीं मिल सकता है। रोजगार के शेष 150 दिनों में, कौन उनका ख्याल रखेगा? सरकार को उनकी देख-रेख करनी होगी। अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी पेंशन, बीमा के हकदार है और महिला कर्मचारों को प्रसव-प्रसुविधाएं दी जा रही है। खेतिहर मजदूरों के मामले में ऐसा क्यों नहीं है? वे भी इस राष्ट्र के अंग है। वे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने के लिए भी कठिन मेहनत कर रहे हैं। इस समाज में अलग-अलग लोग अलग-अलग पेशे में हैं। कुछ व्यक्ति राजनीतिक है, कुछ कर्मचारी है, कुछ पत्रकार है और कुछ न्यायिक अधिकारी है। उनकी ही तरह ये लोग भी कार्य कर रहे हैं। वे पूरे राष्ट्र के करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। यदि उन्हें कष्ट होता है तो हमें लज्जित होना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने तीन दिन पहले मीडिया को बताया कि वर्ष 2006-07 के दौरान संग्रहित राजस्व 4,70,077 करोड़ रु. था। यह आय सृजित की गई थी। यह पुनरीक्षित प्राक्कलन की धनराशि से अधिक थी। यह संशोधित प्राक्कलन में अनुमानित राशि के 5,000 करोड़ रु. अधिक था। इसलिए सरकार को अधिक आय प्राप्त हो रही है। वह आय निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। पीड़ित होनेवाले अधिकांश व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से हैं।

यदि आप इस संबंध में विधान लाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति आप का समर्थन करेगा। राज्य भी आपका समर्थन करेंगे। मैं श्री ऑस्कर फर्नांडीस जो इन लोगों के पैरोकार है, उनसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर विशेष रूप से खेतिहर मजदूरों को कानूनी दर्जा देने के लिए विधान लाने का अनुरोध कर रहा हूं ताकि उन्हें पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा लाभ, उनके बच्चों की शिक्षा अस्पताल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बिना कोई उद्योग नहीं है, कोई किसान नहीं है इस देश में कोई धन नहीं हैं हमारे देश की सत्तर प्रतिशत जनता कृषि और इससे संबद्ध उद्योगों पर निर्भर है। इनमें से अधिकांश कर्मकार कृषि क्षेत्र से हैं।

इस स्थिति में, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे राज्यों के साथ परामर्श कर अविलम्ब कोई विधायन लाएं हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। यदि आप वह विधेयक लाते हैं तो कृषि कर्मकारों समेत असंगठित श्रमिकों की अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं श्री हन्नान मोल्लाह को इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक की परिणति जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि यह पारित नहीं होने वाला। लेकिन इस विधेयक को आशय मैं समझता हूं कि उनकी दुर्दशा को सरकार की जानकारी में लाना है और सरकार को उनके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना है। इस देश के पिछड़ेपन का कारण यह है कि हम कृषि श्रमिकों को भूल चुके हैं। यह हमारी असफलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमनें कुछ हद तक प्रगति की है। लेकिन हम इन लोगों को भूल गए हैं। इनके कल्याण के लिए सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है, भले ही कोई भी दल सत्ता में हो। यह अति महत्वपूर्ण मामला है जिस पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

विश्व में पहला श्रमिक कृषि श्रमिक है। इसके बाद, मछुआरे, औद्योगिक श्रमिक आदि आते है। हम यह बात भूल चुके हैं। कृषि में विकास किए बिना अन्य क्षेत्रों में किस सीमा तक विकास संभव है? इस बात को हमने भुला दिया है। यह हमारी असफलता है। मेरा सर्वप्रथम कहना यही है।

दूसरे, जैसा कि मेरे विद्वान मित्र ने बताया है, चूंकि वे संगठित नहीं है, इसलिए शोषित हैं। यह कोई उद्योग नहीं है और यह एक ही स्थान तक सीमित नहीं है। वे एकजुट नहीं हैं। उन्हें संगठित करना बहुत कठिन है। लेकिन उनका शोषण नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में उनकी मदद के लिए लाभ देने हेतु कोई विधान बनाया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मैंने देखा और पाया कि केरल, राज्य को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य ने उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। वर्ष 1981 में, कृषि श्रमिक पेंशन स्कीम लागू करते हुए केरल विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया। वह अब भी लागू है। मैं समझता हूं कि किसी भी अन्य राज्य में ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है। अत: कुछ सीमा तक केरल में कृषि कर्मकार लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, केरल विधान सभा ने कृषि श्रमिक कल्याण निधि का गठन करने के लिए एक और विधेयक पारित किया। उन्होंने उनकी मदद करने के लिए एक निधि का गठन किया। इसमें स्वामी, श्रमिक और सरकार द्वारा अभिदान किया जाता है। इसके साथ ही काफी निधि संगठित हो गई है जो कृषि श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस समय, हम भारत की आजादी के संघर्ष के 150 वर्ष मनाने जा रहे हैं और हम स्वतंत्रता-प्राप्ति के 60 वर्ष भी पूरे कर चुके हैं। लेकिन हमने कृषि श्रमिकों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। तथापि, इस विधेयक के कारण, माननीय मंत्री जी कृपया इस मामले पर ध्यान

दे और केरल की तर्ज पर पूरे भारत में लागू होने वाला विधान बनाने की पहल करें। केरल में यह वर्ष 1981 में हुआ था और इसे किसी अन्य राज्य ने नहीं किया है। इस पर चर्चा हुई और इसे बार-बार टाला जाता रहा। इसके बारे में अनेक मत हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया है। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वह कृपया इस विधेयक के प्रस्ताव पर सोचें। इस विधेयक के आलोक में, कल्याण निधि और कृषि श्रमिक पेंशन तथा किसी अन्य मदद के बारे में विचार किया जाए और सभा में नया विधान लाया जाए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): मुझे प्रसन्नता है कि मेरे साथी श्री हन्नान मोल्लाह ने कृषि श्रमिकों के समस्याओं के बारे में एक गैर-सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किया है। इससे हमें इस देश में बड़ी संख्या में रह रहे निर्धन लोगों, असंगठित श्रमिकों विशेषकर कृषि श्रमिकों के समक्ष आई अति महत्वपूर्ण समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है।

स्मरण रहे कि सं.प्र.ग. ने अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सत्यनिष्ठा से आश्वस्त किया है कि यदि के सत्ता में आते हैं तो वे ऐसा विधान लाएंगे और उसे अधिनियमित करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप विगत तीन वर्ष से सत्ता में हैं। इन तीन वर्षों के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय हान्डिक ने इस सभा को आश्वस्त किया कि ऐसा विधेयक शीघ्र ही पुर:स्थापित किया जाएगा। अब कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन विधेयक अभी तक पुर:स्थापित नहीं किया गया है।

अब जब श्रम मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई तो युवा और कर्मठ मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस ने सभा को पुन: आश्वासन दिया कि वह विधेयक को इसी सत्र में पुर:स्थापित करेंगे। संभवत: यह सत्र अगले दस दिनों में समाप्त हो जाएगा। अत: बहस का जवाब देते समय, हम आपसे यह बात सुनने के लिए उत्सुक हैं कि आप इस विधेयक को कब पुर:स्थापित करने जा रहे हैं।

मुझे स्मरण है कि कृषि कामगारों को बेहतर स्थिति, कार्य की सुरक्षा और उनके कल्याण का उपाय करते हुए लगभग तीन दशक पहले केरल में एक विधान अधिनियमित किया गया है। आप जानना चाहेंगे कि इस विधान पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक आदर्श विधान के रूप में चर्चा की थी। सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र में उन्होंने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों को ऐसा ही विधान अधिनियमित करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नहीं हुआ।

हम इस विधान के लिए जोर क्यों डाल रहे हैं। भारत की कुल श्रमशक्ति में से 93 प्रतिशत जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं है, असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। वे इन तमाम वर्षों में न्यूनतम न्याय तक से वंचित रहे। हम केवल इतना कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। मुझे स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्द याद है जो उन्होंने भारतीय आर्थिक विकास का क्या मार्ग होना चाहिए यह स्पष्ट करते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि भारत को सामाजिक न्याय युक्त अर्थिक विकास की आवश्यकता है। यही हम मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको और सदन के सारे मैम्बरान को धन्यवाद देना चाहता हूं विशेष रूप से श्री हन्नान मोल्लाह जी को, जो यह प्राइवेट मैम्बर बिल लेकर आये हैं। मैं सरकार और मिनिस्ट्री की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं अपनी रिटन स्पीच भी सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, प्रारंभ में, मैं सभी माननीय सदस्यों को, विशेषकर माननीय श्री हन्नान मोल्लाह जी को जिन्होंने कृषि कामगारों के कल्याण के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण और सुसंगत मुद्दे की ओर इस सम्मानीय सभा का ध्यान आकर्षित किया है। भारत में कृषि कामगारों की संख्या बहुत अधिक है। वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए सर्वेक्षण के अनुसार असंगठित क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक कार्यशक्ति कृषि कार्य में लगी है। इस तथ्य के बावजूद कि इन कृषि कामगारों की संख्या बहुत अधिक है, उनके निम्न साक्षरता स्तर, जागरूकता के निम्न स्तर और निरंतर सामाजिक पिछड़ेपन के कारण वे शोषण के अत्यधिक शिकार हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह जी ने सही ही उल्लेख किया है कि कृषि कामगारों के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों तथा कार्य की दशा के संबंध में देश में कोई एक-समान अधिनियम नहीं है। मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं कि ये वर्ग उपेक्षित है और इनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। माननीय सदस्यों ने सही ही उल्लेख किया है कि अधिकांश कृषि कामगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े वर्गों के हैं। विगत में उत्तरवर्ती सरकारें असंगठित क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र के कामगारों से संबंधित मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करती रही है। श्री हन्नान मोल्लाह जी ने सही ही कहा है कि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने वर्ष 1981 में भी कृषि कामगारों के लिए विधेयक पर विचार किया

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

था लेकिन राज्य सरकारों में मतभेद के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। यद्यपि उनमें से कुछ मतभेद अब भी हैं, फिर भी हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र में कामगारों, जिसमें कृषि श्रमिक भी शामिल है, के कल्याण के लिए व्यापक विधान लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने अन्य अवसर पर भी इस बात पर जोर दिया है। पुन: मैं आज इसे दोहरा रहा हूं। हम संसद के इस सत्र के दौरान ही किसी समय इस विधेयक को पेश करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*। हम इसे इसी सत्र में ला रहे हैं।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग असंगठित क्षेत्र में कामगारों की कार्य दशा से संबंधित एक विधेयक पर भी कार्य कर रहा है। जैसे ही आयोग की सिफारिशें प्राप्त होंगी, हम इस विधेयक पर भी कार्य करना आरंभ करेंगे।

श्री एस.के. खारवेनथन ने कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर उचित ढंग से प्रकाश डाला है। उन्होंने दुर्घटना बीमा सहित कतिपय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित किया है।

प्रो. रासा सिंह रावत जी ने कृषि श्रमिकों के लिए बीमा और पेंशन सहित किसी भी सामाजिक सुरक्षा के अभाव का उल्लेख किया।

श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने बताया कि कृषि, वानिकी, मात्स्यिकी और वृक्षारोपण के क्षेत्र में कार्यरत अनेक श्रमिक भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। ये श्रमिक जो कार्य करते हैं वे जोखिम वाले होते हैं। इसलिए, जीवन और स्वास्थ्य बीमा, उनकी पेंशन और अन्य ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि कामगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पाता, अत: वे शहरों की ओर प्रस्थान करते जाते हैं। हमें यह आशा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय सदस्य ने सभा का ध्यान बाल श्रमिकों की ओर भी आकर्षित किया है। हमने इस मुद्दे से निपटने के लिए बाल श्रमिकों के पुनर्वास करने सहित अनेक कदम उठाए हैं।

श्री सुग्रीव सिंह ने खेतिहर मजदूर की दशा का उल्लेख करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त ही कि खेतिहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की जाए। उन्होंने मौजूदा बीमा योजना के कवरेज के बारे में अपनी आशंका भी व्यक्त की। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए योजना बनाते समय उनके सभी सुझावों पर उचित ढंग से विचार किया जाएगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने ठीक ही बताया है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण हेतु विधान लाने के लिए सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमार सरकार शीघ्राशीघ्र ऐसा विधान लाने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं और इसे पास सशक्त इच्छाशक्ति है। हमने इसका उल्लेख अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी किया है। प्रधानमंत्री ने बार-बार इस विधेयक को लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दुहराई है। संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की दशा के बारे में बहुत चिंतित है। इसलिए मैं पुन: दोहराता हूं कि हम शीघ्र यह विधेयक लाने जा रहे हैं।

श्री फ्रांसिस जार्ज ने सभा का ध्यान किसानों की दशा की ओर आकर्षित किया जो बिल्कुल असंगठित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विधि विशेष रूप के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो पहले से संविधि पत्रिका में हैं, का कोई प्रवर्तन नहीं हो रहा है। इस वरिष्ठ सभा के सदस्य जानते ही है कि न्यूनतम मजदूरी अधि नियम का प्रवर्तन प्राथमिकता तौर पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, हम इस अधिनियम को बिल्कुल सही रूप में कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों से पत्राचार करते रहे हैं। इस कानून के उपबंधों को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह करने का मेरा प्रयास जारी रहेगा।

डा. सिबैस्टियन पाल मे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में केरल का उदाहरण दिया। मैं इस पवित्र सभा को सूचित करना चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिपादन करते समय हम उन योजनाओं की जांच कर रहे हैं जो योजनाएं केरल और तमिलनाडु सरकार, जहां बहुत सी कल्याण योजनाएं लाई गई है; सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही हैं।

श्री मित्रसेन यादव ने सभा का ध्यान भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों की ओर आकर्षित किया। इस संदर्भ में, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि भवन और अन्य निर्माण से जुड़े कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रतिपादन और कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से वर्ष 1996 में एक विधान लाया गया था। हम विभिन्न मंचों पर राज्य सरकारों के साथ इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और मैं, भविष्य में भी ऐसा करता रहूंगा। मैंने हाल ही में राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों के समक्ष इस मामले को उठाया है जब मैं उनसे राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मिला और उनसे अनुरोध किया कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक लें।

डा. आर. सेनथिल ने अपने वक्तव्य में श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत विधेयक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। पूरे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण हेतु विधेयक बनाए जाने पर विचार करते समय उनके सुझाव हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

महोदय, आज भी विधेयक के बारे में वाद-विवाद को जारी रखते हुए बहुत से सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। अरूणाचल प्रदेश के श्री कीरेन रिजीजू ने हमारी स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बारे में बोला। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि कम से कम अपनी आजादी की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम अपने खेतिहर मजदूरों को कुछ राहत देने जा रहे हैं और यह विधेयक लाने के लिए मैं श्री हन्नान मोल्लाह को बधाई देता हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मंत्रियों का एक समूह इस विधेयक पर विचार-विमर्श कर रहा है और संभवत: हम इस मामले को कुछ ही दिनों के भीतर मंत्रिमंडल में उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें अन्य मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए। इसी कारणवश, पूरे मामले की जांच करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाता है।

श्री सुधाकर रेड्डी ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पूरे देश में खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हम खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम 100 दिन का काम देते हैं तो यही पर्याप्त नहीं है और यह कि हमें इसे बढ़ाकर 200 दिन तक करना चाहिए। मेरी समझ से, सर्वप्रथम हमारा दायित्व पूरे देश को कवर करने का है। हमने 200 जिले को शामिल किया है और अब हमने इसका विस्तार 330 जिलों तक किया है। हमें सभी जिलों को कवर करना चाहिए और इसके बाद योजना की जांच करके देखना है कि इस बारे में क्या किया जा सकता है।

श्री महताब ने भी सामाजिक सुरक्षा, जापानी माडल आदि बातों पर बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। मेरे विचार से अंतिम निर्णय लेने से पूर्व हम इन सभी माडलों पर विचार करेंगे।

श्री के.एस. राव ने भी बताया कि सरकार स्वयं ही यह विधेयक ला रही है तथा उन्होंने आवास उपलब्ध कराने तथा मजदूरों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं।

श्री अप्पादुरई ने भी प्रभावी कार्यान्वयन की बात कही है। श्री सत्यनारायण जटिया, पूर्व श्रम मंत्री ने कहा उन्होंने एक शुरूआत की थी और अब उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। श्री मधु गौड यास्खी ने भी कहा कि हम सब किसानों का भला चाहते हैं। उन्होंने किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की बात उठाई। यह अति आवश्यक है कि हम देश में हो रही इन आत्महत्याओं को रोकने हेतु हम कुछ करें।

श्री शिवन्ना, नमस्कार,

श्री शिवन्ना ने कन्नड़ में बोला इसके लिए मैं, उन्हें बधाई देता हूं।

इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री येरननायडु ने भी कहा कि विकास का लाभ देश के गरीबों तक भी पहुंचना चाहिए जो एकदम सही बात है तथा हम इसके लिए प्रतिबद्ध है।

श्री हमजा ने कृषि मजदूरों को प्राथमिकता देने की बात कही, श्रीमती सुजाता ने अच्छा सुझाव दिया कि इस विधेयक को शीघ्र लाया जाना चाहिए।

चूंकि हम इस विधेयक को संसद के इसी सत्र में पेश कर रहे हैं इसलिए मैं श्री हन्नान मोल्लाह से अपील करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लें और इसे गैर-सरकारी विधेयक के रूप में पारित कराने पर जोर न दें।

मैं अध्यक्षपीठ, तथा सभी माननीय सदस्यों का पुन: आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस वाद-विवाद में पूरा सहयोग दिया।

श्री हन्नान मोल्लाह: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री के उत्तर तथा पूरी सभा को यह सुझाव स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विधेयक की आवश्यकता है।

आप जानते हैं कि हमने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। तीन दशकों से असंगठित क्षेत्र के कृषि मजदूरों का यह आन्दोलन सारे देश में चल रहा है। असंगठित क्षेत्र में अनेक वर्षों से करीब 97 प्रतिशत मजदूर विधि के संरक्षण से बाहर है।

हमें खुशी है कि यू.पी.ए. सरकार ने कुछ पहल की है तथा आयोगों ने भी प्रारूप तैयार कर लिया है। प्रारूप पर मेरे भी सुझाव लिए गए या इसमें कुछ खामियां भी, मैंने उनके बारे में पहले ही लिख दिया है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में समुचित पंजीकरण, अभिलेखों के रख-रखाव तथा कृषक मजदूरों की पहचान की कोई व्यवस्था नहीं है। आप्रवास के बारे में समस्या होगी, मैंने इस प्रावधान को शामिल करने का सुझाव दिया है। मैंने आयोग को लिखा है कि चार-पांच बिन्दुओं में खामियां है। मैंने यह भी निवेदन किया है कि सभा में दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के 21 सदस्यों ने न केवल अपना समर्थन दिया है परन्तु इन दो विधेयकों के विभिन्न पहलुओं

[श्री हन्नान मोल्लाह]

पर बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं। सरकार का विचार तीन विधेयक लाने का है। पहला कृषि मजदूरों के लिए दूसरा गैर-कृषि असंगठित क्षेत्रों के लिए तथा तीसरा दोनों विधेयकों के पेंशन तथा कल्याण के लिए है। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि मूल विधेयकों में ही यह उल्लेख किया जाना चाहिए। या तो इन दोनों विधेयको में ही पेंशन और कल्याण को उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो एक साथ खंड होना चाहिए कि पेंशन और कल्याण के लिए एक पृथक विधेयक की व्यवस्था की गयी है। मूल विधेयक को विधेयक समर्थन प्राप्त होना चाहिए अन्यथा स्थिति अस्पष्ट रहेगी। यह भी आवश्यक है।

अनेक सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि इन लोगों को यूनियन बनाने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। हम विधि बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और फिर इसे कार्यान्वित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे देश में मूल समस्या कार्यान्वयन की है। यहां अनेक अच्छे कानून हैं परन्तु वे सिर्फ आफिस की आलमारियों तक ही सीमित हैं, इनका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। यदि लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी है और वे इसके लिए संघर्ष करते हैं तो सरकार और अधिकारियों को मजबूर होकर उसे कार्यान्वित करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र को संगठित किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र को यूनियन बनाने की छूट होनी चाहिए। वे सरकार पर विधेयक को कार्यान्वित करने हेतु दबाव डालेगें। हमें खुशी है कि तीन दशकों तक लंबा इंतजार करने के पश्चात अब कानून बनने वाला है। उन्होंने वादा किया है कि इस विधेयक को इसी सत्र में लाया जाएगा। हमें आशा है कि देश के असंगठित क्षेत्र के 97 प्रतिशत मजदूरों की एक सुनिश्चित विधिक संरक्षण प्राप्त होगा जिसके आधार पर अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपने संघर्ष को वो जारी रख सकेंगे। मैं सरकार तथा सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले हम असंगठित क्षेत्र के कल्याण हेतु नए अधिनियम के साथ घर जायेंगे। आप सबको धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री मोल्लाह, माननीय मंत्री ने आपको आश्वासन दिया है? क्या आप इस विधेयक को वापस लेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, सभा में दिए गए आश्वासन के आधार पर मैं सभा के समर्थन से विधेयक को वापस लेना चाहूंगा।

मैं कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: मद संख्या 47, श्री मोहन सिंह- उपस्थित नहीं।

मद संख्या. 48 श्री चंद्रकांत खैरे

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–*विचाराधीन*

स्वरोजगार-संवर्धन विधेयक, 2006

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्व-रोजगार का संवर्धन करने और उसे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, मुझे खुशी है कि कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा सदन में चर्चा प्रारम्भ की गई और माननीय मंत्री जी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित थे तथा उन्होंने उत्तर भी दिया। इस संबंध में वे भविष्य में बिल भी लाने वाले हैं। मैं आज हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान में लगभग 3 करोड़ की आबादी शिक्षित बेरोजगारों की है, जो कि खाली बैठे हुए हैं। मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी आशा होती है कि उनके बच्चे पढ़-लिख कर कोई काम करेंगे या किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करेंगे, जिससे कि उनके माध्यम से स्थापित किए उद्योगों से और बेरोजागारों को भी काम मिलेगा। सभी स्टेट्स में शिक्षित बेरोजगारों के लिए सहायता केन्द्र बने हैं लेकिन वे पूर्ण रूप से नहीं है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना द्वारा बैंकों से एक लाख रुपए का जो ऋण मिलता है उसके लिए बैंकों के कई चक्कर लगाने के बाद भी ऋण नहीं दिया जाता है। बैंक वाले 40-50 हजार रुपए से अधिक ऋण नहीं देते हैं। इतनी राशि में कोई व्यवसाय नहीं हो सकता।

आज कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई सिविल, इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग करता है। देश को कम्प्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत है लेकिन वे मिलते नहीं है। देश में शिक्षित बेरोजगार की संख्या तीन करोड़ है। हमें उनकी कोई मदद करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह बिल इस मकसद से लाया हूं कि इसका केन्द्र हर जिले में हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सैंटर इंडस्ट्री वालों की मदद करने के लिए होते हैं, वैसे ही जिले में एक स्वरोजगार अधिकारी बनाना चाहिए। वह अधिकारी शिक्षित बेरोजगारों को मार्गदर्शन देने के लिए नियुक्त करना चाहिए। अगर किसी की कोई उपक्रम शुरू करना है तो वह कैसा होगा, ये सब बताने के लिए वह अधिकारी होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की समय-समय पर मीटिंग भी होनी चाहिए। अधिकारी शिक्षित बेरोजगार लोगों को बताएं कि वे फलां-फलां से ऋण लें। इससे वे पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

जन-प्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास अक्सर शिक्षित बेरोजगार लोग आते हैं और कहते हैं कि फलां कम्पनी में हमें नौकरी दिलवा दें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें केन्द्र या राज्य की सरकारी नौकरी दिलवा लीजिए। अभी हर जगह भर्ती केन्द्र खुले हैं जिन के नियम बने हैं-जैसे रेलवे के हैं, प्रॉविडेंट फंड ऑफिस के हैं, पी ऐंड टी. के हैं, पीएसयूज के हैं। हमारी पार्टी शिव सेना ने मुम्बई में शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक केन्द्र खोला है। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी हमेशा कहते हैं कि नौकरियों के पीछे क्यों भाग रहे हो क्योंकि वे इतनी ज्यादा नहीं हैं, इसलिए स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, स्वरोजगार शुरू करो। इसलिए मुम्बई में दादर में हमारी पार्टी ने शिव सेना भवन में ऐसा केन्द्र बनाया है जहां शिक्षित बेरोजगार लोगों को गाइड किया जाता है। अगर सरकार के माध्यम से व हर जिले में बन गए तो निश्चित रूप से शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कम हो जाएगी और वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, इससे देश की भी उन्नति होगी।

आज देश बहुत आगे जा रहा है। पहले बहुत मुश्किलें पैदा होती थी। आज कम्प्यूटर का जमाना है। हम इलैक्ट्रॉनिक्स में आगे जा रहे हैं। आज मैन्युअली काम नहीं हो रहा है। मशीनों द्वारा सब काम हो रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। महाराष्ट्र में एमआईडीसी है। इसके माध्यम से इंडस्ट्री खोली जाती है। गुजरात में जीआईडीसी है। उनके अलग-अलग जगह कार्पोरेशन हैं। कार्पोरेशन के माध्यम से इंडस्ट्री वालों को लैंड दी जाती है। उनका एक सैंटर भी है जो इंडस्ट्री वालों की मदद करता है। ऐसे ही शिक्षित बेरोजगारों के लिए छोटी सी इंडस्ट्री खोलें, छोटा सा कम्प्युनिकेशन सेंटर खोलें, तो निश्चित रूप से उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मीडियम प्रोजेक्ट्स है, इसमें इनकी जरूरत निश्चित रूप से हो सकती है और जॉब वर्क भी मिल सकता है। जॉब वर्क के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों का पुनरुस्थान हो जाएगा और बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो जाएगी, यह सोचना चाहिए। जैसा कि ऑस्कर फर्नांडीस जी ने कहा कि ईजीएस स्कीम निकाली है, बेरोजगारों के लिए देहात या ग्रामीण क्षेत्रों में स्कीम निकाली है जिसमें काम नहीं मिलने पर प्रतिदिन 60 रुपए दिए जाएंगे। ऐसी स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने मजदूर हैं उनके लिए निकाली है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को कई बार हल चलाना पड़ता है, कई बार वे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अगर उनकी पांच या दस एकड़ खेती होगी तो उसे कौन देखेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, बहुत लोग बीएससी, एग्रीकल्चर की डिग्री लेकर घर में काम करते हैं, उनको भी केंद्रों में अधिकारी स्वरोजगार देगा तो निश्चित रूप से हमारे देश के बेरोजगारों को बहुत मदद मिलेगी। वैसे तो ये केन्द्र हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जिसे सूचना चाहिए वह कलक्टर ऑफिस में जाकर पांच या सात मिनट में ले सकता है लेकिन आज ऐसे सूचना और सहायता केंद्र बनाने के बाद भी इनकी इतनी बड़ी संख्या होने के कारण आज नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लोगों को लगा कि मंडल आयोग के माध्यम बहुत नौकरियां मिलेंगी, लेकिन नौकरियां निकली नहीं तो मिलेंगी कहां से? आज कई ऑफिसिस में वैकेंसिस खाली हैं लेकिन वैकेंसिस भरने के लिए डिपार्टमेंट के पास बजट का प्रोवीजन नहीं होती है। ऐसी कई जगह खाली होने के कारण आउटसोर्सिंग करके ज्यादा से ज्यादा आने वाला खर्च कम हो जाता है, ऐसा कई दिन से चल रहा है। इस तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी कब मिलेगी? मान लीजिए एक हजार वैकेंसिस के लिए हमने किसी को कहा कि एंड आने के बाद फार्म भरना, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब इंटरव्यू होता है तब एक हजार वैकेसिस के लिए एक लाख कैंडिडेट आते हैं, उसमें वे कैसे आएंगे? इसलिए ऐसा कुछ हो जाए और उनको किसी न किसी माध्यम से रोजगार का साधन मिल जाए तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तरक्की होगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं। आपने बताया है कि लेबर्स के लिए अच्छा बिल लाने वाले हैं, कामगारों की सुरक्षा के लिए बिल लाने वाले हैं। माननीय सदस्य हन्नान जी और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न के संबंध में आपने अच्छा एश्योरेंश दिया है। मेरा कहना है कि शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या इस देश में है, उनको पढ़ाई खत्म करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है और नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ सहायता केन्द्र के माध्यम से कुछ इंतजाम हो जाए, इसके लिए आप ऐसा बिल लाईए जिससे हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हो जाए और इसके माध्यम से उनको मदद मिले। इस बिल

[श्री चंद्रकांत खैरे]

के माध्यम से सुधार करना पड़ेगा इसलिए मेरा सुझाव है कि नेशनल बैंक उनको पैसा नहीं देती है इसलिए उन्हें पैसे देने का प्रोवीजन इसमें होना चाहिए। आज में इस बिल के संबंध में कहना चाहता हूं कि यह पास हो जाए जबकि आपके सुझाव से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपके एश्योरेंस देने के बाद जब आप अपना बिल लाएं क्योंकि 2000 करोड़ रुपए के करीब केंद्र सरकार ने प्रोवीजन भी किया है।

मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि यह छोटा सा बिल है, हन्नान जी का तो बहुत बड़ा बिल था, इसलिए इसके लिए जल्दी से जल्दी विधेयक लाईए। आज हिंदुस्तान में रिकॉर्ड के अनुसार तीन करोड़ शिक्षित बेरोजगार है, उनकी समस्या आप सॉल्व कीजिए, यही मैं आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्व-रोजगार का संवर्धन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डा. करण सिंह (अलवर): सभापति महोदय, चंद्रकांत खैरे जी आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर आए हैं और यह ऐसा बिल है जो हमारे देश की मूल समस्या की तरफ ध्यान केन्द्रित करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। लगभग इस देश में सात प्रतिशत युवा है। बेराजगारी इस देश में सबसे बड़ी समस्या है। जहां एक ओर गांवों में आदमी बेकार बैठा है, वहीं दूसरी ओर शहर में पढ़ा-लिखा नौजवान भी बेकार बैठा है। आप उन मां-बाप की स्थिति का अंदाजा लगाइए जो भारी खर्चे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बी.एड या नर्सिंग या कम्प्यूटर कोर्स या आई.टी.आई. या इंजीनियरिंग करवाकर जब बेटा घर लौटता है और साथ ही यह उम्मीद उसे होती है कि उसे नौकरी मिलेगी, वह लड़का बेरोजगार दफ्तरों में चक्कर काटता रहता है, अपने फार्म भरता रहता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। इस हताशा के अंदर जब उसे रोजगार नहीं मिल पाता तो समाज विरोधी गतिविधियों में वह लिप्त हो जाता है। आज जितने क्राइम्स हो रहे हैं, उनके पीछे पढ़े-लिखे और बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिन्हें समय पर रोजगार नहीं मिलने के कारण छोटे-छोटे घिनौने काम करते-करते बड़े-बड़े काम करने लगते हैं। मै अपने क्षेत्र के बारे में बताता हूं कि पिछले दिनों मोटर-साईकिल चोरों की एक टोली पकड़ी गई। दुर्भाग्य से ये सब वे लोग थे जो ग्रेजुएट थे और नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। एक मोटर-साइकिल चुरायी। थोड़ी सी कीमत पर हरियाणा में जाकर बेच दी, कुछ दिन खाया-पिया, मौजमस्ती की और फिर एक मोटर-साइकिल चुरायी और धीरे-धीरे उनका एक गैंग बनकर तैयार हो गया। फिर इस मोटर-साइकिल चोरी से वे कार चोरी पर आ गये, किराये की टैक्सी ली, टैक्सी लेकर आगे गये और आगे रास्ते में गाड़ियों के ड्राईवर की गर्दन पकड़कर नीचे पटका और गाड़ी ले जाकर बेच दी। वहां से बढ़ते-बढ़ते ट्रक और दस-दस टॉयर वाले ट्रक की चोरी करने लग गये। फिरौती जैसे धंधों में लोग शामिल हो गये। इसलिए चंद्रकांत खैरे जी जो बिल लेकर आए हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सोचना होगा कि हमारे नौजवानों को किस तरह स्व-रोजगार की तरफ प्रेरित करें। सिर्फ डिग्री लेने से काम ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डा. यादव, अब साढ़े चार बज रहे हैं, हमें दूसरा आइटम लेना है। इसलिए आप अपना भाषण, अगली बार जब यह विषय आयेगा, तक जारी रख सकेंगे। अब हम दूसरा विषय ले रहे हैं।

अपराह्न 4.30 बजे

व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना के निरूपण और कार्यान्वयन संबंधी संकल्प के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 51 को लेंगे। परंतु श्री नवीन जिंदल द्वारा पेश किए गए संकल्प पर चर्चा करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री नवीन जिंदल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। इस संकल्प पर चर्चा के लिए लगभग एक घंटे 55 मिनट का समय पहले ही लिया जा चुका है और इसके लिए आवंटित समय लगभग पूरा होने वाला है। मैने देखा कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए 16 और सदस्य भाग लेना चाहते हैं। अत: इस संकल्प के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाना होगा। क्या सभा इसके लिए एक घंटा और समय बढ़ाना चाहेगी।

कई माननीय सदस्यगण: जी हां, महोदय।

सभापति महोदय: ठीक है इसके लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

अब, श्री कीरेन रिजीजू इस मुद्दे पर बोलेंगे।

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं यहां अपने सहयोगी श्री नवीन जिंदल द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं कि:

"यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश से भुखमरी को पूरी तरह मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषाहार सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे कार्यान्वित करें।"

खाद्य सुरक्षा में खाद्य की उपलब्धता, वितरण और पहुंच जैसे मुद्दे शामिल है। मैं श्री नवीन जिंदल को इस अतिमहत्वपूर्ण संकल्प को लाने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य-जिसमें मेरे साम्यवादी मित्र और अन्य सभी लोग शामिल है, इसका समर्थन करेंगे। मैं सरकार से भी यह अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को अपनाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे।

महोदय, मुझे पूरे देश की स्थिति बताने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

मैं देश का ब्यौरा देना चाहता हूं। दुनिया में सब से ज्यादा गरीबी और भुखमरी साउथ ईस्ट एशिया और सब-सहारा देशों में है। यह बड़े दुख की बात है और हमारा रीजन भी यही पड़ता है। साउथ ईस्ट एशिया की 60-65 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। उसमें हिन्दुस्तान भी आता है। इसलिये हमें इस बात पर गम्भीरता से सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के करीब-करीब 30-35 प्रतिशत लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। एन.डी.ए. सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टारगेटड पीडीएस चलाया था और हम उम्मीद कर रहे थे कि अब सही लोगों को टारगेट करके अनाज पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई आदमी खाली पेट रात में न सोये। हम आज भी देखते हैं कि इस पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर आप 2001 से 2003 तक का रिकार्ड देखेंगे तो मालूम होगा कि परसेंटेज में भले ही कमी हुई होगी लेकिन बीपीएल के लोगों की संख्या बढ़ी है। इससे हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वर्ष 1997 में रोम में फूड समिट हुई थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2015 तक, जितनी भुखमरी है उसकी संख्या कम से कम आधी कर देंगे लेकिन अगर दस साल के बाद यदि आंकड़ें देखें जायें तो टोटल भुखमरी, जो 1991-92 में 823 मिलियन थी, वह आज 820 मिलियन ही हुई है। सिर्फ 3 मिलियन कम हो पाई है। इका मतलब यह है कि जितने भी दावे हम कर रहे हैं और जितने कदम उठा रहे हैं, उसका लाभ सही दिशा में नहीं जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार क्या नीति अपना रही है? फूड और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं। हमें बहुत गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कहां फेल हुए। विकासशील देशों की बात मैं करना चाहता हूं कि चीन और वियतनाम ने भुखमरी को कैसे दूर किया। पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन सबस्टैन्शियली कम किया है परंतु हम क्यों कम नहीं कर पा रहे हैं। साधारण सी बात को हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ हमें पीडीएस को ठीक करना है ताकि गोदामों में अनाज न सड़े और लोग भूखे न मरें। दूसरी तरफ फसलों की उत्पादकता कैसी हो वह भी हमें देखना है। यदि हम चीन और वियतनाम को देखें या ब्राजील और पेरू को देखें तो वहां छोटे किसानों की उत्पादकता में ज्यादा उछाल आया है। इससे भुखमरी को मिटाने में बहुत हद तक कामयाबी मिली है। हमारे हिन्दुस्तान में नहीं मिली। चार-पांच साल से हमारा प्रोडक्शन उसी स्तर पर है। हमें देखना है कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए और खेती से लेकर घर तक उसे कैसे पहुंचाया जाए। किसान आत्महत्या न करे इसके लिए उसे अनाज की ही कीमत मिले और साथ वह अनाज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वे पूरे कामयाब नहीं हैं। भारत सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों के लिए योजनाएं है, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, ड्राउट प्रोन एरिया के लिए कार्यक्रम है, अन्नपूर्ण योजना है, अंत्योदय योजना है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं लेकिन मुझे नहीं लागता है कि इतने अलग अलग कार्यक्रम चलाने से भी कोई बहुत फायदा हो रहा है। इसके लिए एक इंटीग्रेट अप्रोच इन सब योजनाओं को एक साथ मिलाकर एक कानून के रूप में लानी चाहिए। इस रिजाल्यूशन के माध्यम से आप ऐसा एक कानून लाएं। यू.एन. की रिपोर्ट आप देखें, तो उसमें भी इस बात को कहा गया है कि फंडामैंटल राइट्स होने चाहिए और फंडामैंटल राइट्स किस चीज को लेकर होने चाहिए, उसका भी जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है।

[अनुवाद]

"संतुलित आहार स्वच्छ पेयजल, पर्यावरण, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।"

[हिन्दी]

इन सारी चीजों को फंडामैंटल राइट्स में डालना पड़ेगा। सिर्फ एक कार्यक्रम को अलग से चलाने से यह मामला सुलझने वाला नहीं है।

आज भी हिन्दुस्तान के गांवों में आप जाएं तो संसद में बैठकर हम जितनी नीतियां बना रहे हैं, उसका लाभ सीधे-सीधे वहां दिखाई नहीं पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आप भी ऐसे इलाके से आते हैं। आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं और आप आसन पर बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि 60 साल की आजादी के बाद भी आज 36-38 प्रतिशत लोग भूखे हैं। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति का क्या मतलब है? मणिशंकर अय्यर जी केन्द्रीय मंत्री है। उन्होंने जीडीपी की जो बात कही है मैं उनको सपोर्ट करता हूं। विपक्ष के सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि किसके लिए जीडीपी ग्रोथ

[श्री कीरेन रिजीजू]

हो रही है? लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसी बात को क्लियर नहीं किया कि मणिशंकर जी की बात सही है या चिदम्बरम जी की बात सही है। मैं मणिशंकर जी की बात सही मानता हूं कि 9.2 जीडीपी का कोई मतलब नहीं है। इससे क्या बैनिफिट आम लोगों को गांवों में मिलता है? कितने प्रतिशत लोगों को इसका फायदा मिला है? जब तक इक्विटेबल ग्रोथ नहीं होगी, तब तक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि दूर-दराज में जब हम देखते हैं तो भारत कितना पीछे है, हमें साफ दिखाई देता है। मुम्बई और दिल्ली में बैठकर हम देख सकते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चे भारत की ग्रोथ जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होगी, तक तक ग्रोथ का कोई अर्थ नहीं है। फूड सिक्यूरिटी की बात की जाती है।

[अनुवाद]

"खाद्य असुरक्षा मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।"

[हिन्दी]

आदमी की भूख और बेरोजगारी, ये दो सबसे बड़े इश्यु हैं। हवा और पानी के बाद भोजन ही आदमी का जीवन है, अगर इसे हम समझ नहीं पाएंगे तो बाकी जितने भी कार्यक्रमों की हम करेंगे, उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वोत्तर में बेम्बू फ्लोर होते हैं और जब ये होते हैं तो जो सारा अनाज किसान पैदा करता है, उसे लाखों-करोड़ों चूहे एक साथ निकल कर, जितना भी खेत और गोदाम में भोजन होता है, वे सारा खाकर उसे खत्म कर देते हैं। उस समय इन लोगों का फूड सिक्योरिटी क्या है? इसके लिए मैंने सदन में बात उठाई थी, अभी तक सरकार उसके लिए कोई व्यापक कार्यक्रम लेकर नहीं आई है। कई जगहें ऐसी हैं कि जहां छः-सात दिन तक पैदल चलना पड़ता है। कई जगह हेलीकाप्टर होते हैं और ये आदमी और अनाज को ड्राप कर देते हैं। आदमी की भी अनाज के हिसाब से ही गिनती होती है। एलएम के जरिए ही सामान को दूरदराज के इलाकों में पहुंचाते हैं और इसके जरिए ही हेलीकाप्टर से पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो वहां हेलीकाप्टर नहीं जा सकता है। फिर उस जगह पर हमारे जो आर्मी पर्सोनल है, नौकरी करने वाले लोग हैं और गांव वाले लोग है, उन्हें कैसे अनाज पहुंचाया जाए? बफ्फर स्टाक का मामला है, सारा पीडीएस का सिस्टम है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रिजीजू जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम 16 माननीय सदस्यों को समय देना चाहते हैं तो आप थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि केवल एक घंटे का समय है।

श्री लक्ष्मण प्रसाद (राजगढ़): महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों का मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वे दस मिनट पहले ही ले चुके हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह: वे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं। कृपया उन्हें और समय दिया जाए।

सभापति महोदय: मैने उनसे केवल अनुरोध किया है। हमें और सदस्यों को भी बोलने का मौका देना है।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: सभापति महोदय, आपने समय की पाबंदी लगाई, इसलिए मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं आखिरी प्वाइंट यह कहना चाहता हूं। अभी हम क्लाईमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। आजकल राजस्थान के मुख्य मंत्री को फ्लड के रिलीज पैकेज के लिए यहां आना पड़ता है और असम के मुख्य मंत्री को सूखे के लिए आना पड़ता है। अब जमाना उल्टा हो गया है। क्या उसके लिए सरकार तैयार है? ग्लोबल वार्मिंग क्लाईमेटिक चैंजेस से आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान के लिए जो नुकसान होने वाला है और जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि यह सरकार तैयार है। हमारी जो मौजूदा समस्या है, उससे निपटने में भी नकामयाब है और आने वाली समस्या के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से यह मांग है कि जो फ्लड एरियाज है, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाई जाए और जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, वहां के लिए दूसरी स्ट्रेटजी बनाई जाए। इमर्जेंसी सिचुऐशन में कोई आदमी भूख से न मरे, कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में न हो कि हमारे वहां खाना पहुंचाने में साधन में कोई कमी हो। इस तरह का एक व्यापक कार्यक्रम सरकार की तरफ से तैयार होना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कम सयय दिया, इसलिए अब मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। अंत में, मैं अपने मित्र श्री नवीन जिंदल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं यह विचार व्यक्त करता हूं कि ऐसा ही उद्योगपति बार-बार चुन कर आए। हिन्दुस्तान में बहुत सारे उद्योगपति है, लेकिन बहुत कम लोग लोक सभा में समय देते हैं, इसलिए नवीन जिंदल जी जैसे उद्योगपति हों। यह जो सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए हैं, मैं यह मानता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसका साथ देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदय इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

माननीय सदस्य श्री नवीन जिंदल ने इस संकल्प को इसलिए पेश किया है वे देश से भुखमरी को पूर्णत: हटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषाहार सुरक्षा योजना की कार्यान्वित किया जाए। ये सुविज्ञ तथा युवा सदस्य होते हुए देश के विख्यात उद्योगपति है। लगभग एक लाख लोग उनके अधीन काम कर रहे हैं। इस देश में रहने वाले निर्धन लोगों के कल्याण के बारे में उनकी सोच की मैं सराहना करता हूं। यह संकल्प पेश करने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं हमारे इस महान देश से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्राचीन भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 कि.मी. है तथा औद्योगिकी करण की दृष्टि से इसका विश्व में दसवां स्थान है और यह विश्व के सातवें बड़े देशों में आता है। तथा इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिमी तक 2,933 कि.मी. है। तटीय-क्षेत्र की कुल लंबाई 7,516.6 कि.मी. है। भारतीय नदियों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है। हिमालयी नदियां, दक्षिणी नदियां, तटीय नदियां तथा देश के भीतर बहने वाली नदियां। जन संख्या के मामले में 1.3.2001 को देश में 532.1 मिलियन पुरूष, 496.4 मिलियन महिलाएं, कुल मिलाकर 1028 मिलियन व्यक्ति थे जो अब 110 करोड़ है।

मेरे सुविज्ञ मित्र ने खाद्य सुरक्षा के बारे में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। यदि हम 5000 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय मानव भोजन के लिए पशुओं का शिकार करता था तथा महिलाएं खेती के पौधों को चयन करती थी। अब भी, अरूणाचल प्रदेश में अलोंग नामक एक स्थान है जहां दोन्यी-पोलो मंदिर है जहां हम एक ऐसी महिला की प्रतिमा को देख सकते हैं जिसे चावल की खेती आरंभ करने का श्रेय दिया गया है। 5000 वर्ष पहले का इतिहास था।

अब स्वतंत्रता की अवधि में स्वतंत्रता पूर्व की अवधि के दौरान हम विदेश से खाद्यान प्राप्त करने की स्थिति में थे। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22% है, लगभग 65-70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2006-07 में तिलहनों का उत्पाद बढ़कर 2.34 मीट्रिक टन हो गया। केवल कपास ने 170 किग्रा की 18.3 मिलियन गांठों का योगदान दिया। जूट और मेस्ता का उत्पादन 180 किग्रा की 10.83 मिलियन गांठों तक पहुंच गई। गन्ने का उत्पादन 273.16 मीट्रिक टन पहुंच गया तथा चावल का उत्पादन 89.99 मीट्रिक टन पहुंच गया, गेंहू का उत्पादन 71.54 मीट्रिक टन पहुंच गया। मोटा अनाज और अन्न का उत्पादन 34.67 मीट्रिक टन पहुंच गया।

भूमि के उपयोग के मामले में वर्ष 1950-51 में 1,187.5 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि की जा रही थी तथा वर्ष 2003-04 में यह 1409.6 लाख हेक्टेयर थी। खाद्य सुरक्षा और पोषक आहार इस देश में कृषि की सफलता पर निर्भर करता है। वर्ष 1999-2000 में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक था जब 76.8 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। अब खाद्यान का उत्पादन की वृद्धि में संशय है। इसके कई कारण है। जब तक हम खाद्यान के उत्पादन में सुधार नहीं लाते खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

इस का प्रमुख कारण उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ तथा दक्षिणी क्षेत्र में सूखा होना तथा किसानों को अच्छा बीज न मिल पाना तथा उचित उर्वरक और नि:शुल्क बिजली आदि न मिल पाना है। यदि आप 1989 से तमिलनाडु का उदाहरण लें तो किसान नि:शुल्क बिजली का लाभ ले रहे हैं और वे धान, चना आदि का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा मैं एक बात पर बल देना चाहता हूं।

किसान नि:शुल्क बिजली को उपयोग अपने लिए नहीं वरन् देश के लिए कर रहे हैं। वे देश की 110 करोड़ की आबादी के उपयोग के लिए गेहूं और चावल पैदा कर रहे हैं। पूरी जनसंख्या इस देश के किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं और चावल पर निर्भर है। जब वे राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें इससे कम 8-10 वर्ष इंतजार करना पड़ता है। परंतु जो 50,000 से 100,000 रुपए खर्च करने में समर्थ है वे 3-5 दिन में कनेक्शन ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में सभी राज्य सरकारों को यह निवेश दिया जाना चाहिए कि वे किसानों का कनेक्शन के लिए आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर बिजली का कनेक्शन दे। भूजल स्तर प्रत्येक वर्ष नीचे जा रहा है। इसलिए किसानों की सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैं अब बीमारियों के बारे में कहना चाहता हूं। हमें टीबी, मलेरिया, एड्स, कैंसर, अंधता, लेप्रोसी और मानसिक बीमारी जैसे रोगों को नियंत्रित करना चाहिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। मैं विशेष रूप

[श्री एस.के. खारवेनथन]

से एड्स का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 2006 में, विश्व भर में एच आई वी एड्स पीड़ित लोगों की संख्या 39.5 मिलियन है जिसमें से 37.2 मिलियन वयस्क, 17.7 मिलियन महिलाएं, 2.3 मिलियन बच्चे और 4.3 मिलियन नए संक्रमित हुए लोग हैं। वर्ष 2006 में अकेले एड्स से ही 2.9 मिलियन लोगों की मौत हुई। भारत में लगभग 5.7 मिलियन लोग एड्स के शिकार है जिनमें से 5.2 मिलियन 15-49 आयु वर्ग के वयस्क लोग है। भारत में 1.49 लाख कुष्ठ रोगी है। 2006 में ही पोलियों के 672 मामलों का पता चला। इस देश में प्रतिवर्ष तपेदिक के 2 मिलियन नए मामलों का पता चलता है। इस देश में कैंसर रोगियों की कुल संख्या 8,50,000 है जिसमें से ग्रीवा-कैंसर रोगियों की संख्या 1,40,000 स्तन कैंसर के रोगियों की संख्या 80,000 और मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या 17,000 है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि हम गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन नहीं दे पाते इसलिए अधिकांश बच्चे गर्भ में ही दुष्प्रभावित हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए, तमिलनाडु सरकार के 'मगाप्पेरू उधवी थित्तम' नाम से एक स्कीम शुरू की है। सभी गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भकाल के अंतिम छह महीनों के दौरान 1000 रूपये प्रतिमाह मिलता है। राज्य सरकार स्वस्थ बच्चों के जन्म हेतु इस स्कीम के लिए निधियां प्रदान कर रही है। इस देश में 214 मिलियन लोग अल्प-पोषित है। 40 मिलियन लोग प्राकृतिक विकारों से ग्रस्त तथा 50 प्रतिशत बच्चे, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के जनजातीय बच्चे हैं। अल्प-पोषित हैं। महोदय, 23 प्रतिशत बच्चों का जन्म के समय कम वजन होता है और 1000 में से 60 बच्चे एक वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। अधिकांश बच्चे एनीमिया, अल्प वजन और सूक्ष्म-पोषक हीनताजन्य रोगों से ग्रस्त हैं।

बहुत पहले वर्ष 1954 में, हमारे दिवंगत नेता कामराज 14 अप्रैल, 1954 को उत्तरी तमिलनाडु की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने गलियों में बच्चों को देखा और उनसे पूछा कि वे विद्यालय क्यों नहीं जाते और बाग में क्यों हैं। बच्चों ने उन्हें बताया कि उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। उन्होंने तुरन्त दोपहर के मुफ्त भोजन की स्कीम शुरू की। इसे बच्चों के कल्याण के लिए देशभर में कार्यान्वित किया गया।

वर्ष 1954 में यह स्थिति थी और 60 वर्ष पश्चात हम खाद्यानों का निर्यात कर रहे हैं यद्यपि हमारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। सरकार गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। जैसा कि मेरे साथी ने उल्लेख किया है, इस देश में 60 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम का उपभोग करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग माना जाता है। दोनों को मिलाकर, जो लोग प्रतिदिन 2250 कैलोरी का उपयोग करते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माना जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति की प्रतिमाह आय 368 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 559 रुपये है। भुखमरी का खात्मा गरीबी उन्मूलन की पहली अपेक्षा है। पर्याप्त भोजन और सुरक्षित पेयजल के अधिकार को मूलभूत मानव अधिकार माना जाना चाहिए। अधिकांश गांवों में, जनता को अच्छा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं। केवल पानी के कारण ही लोग कैंसर जैसी अनेक बीमारियों के शिकार है। इस देश की समस्त गरीब जनता को अच्छा भोजन और अच्छा पानी दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने अंत्योदय की वकालत की और विनोबा भरवे ने 'सर्वोदय' की। हमें इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए काम करना है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और हमारे नौजवान नेता श्री नवीन जिंदल इस संकल्प को लाने के लिए ध न्यवाद देता हूं। मैं यह अवसर देने के लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, आपने हमारे मित्र श्री नवीन जिंदल द्वारा पेश किए गए संकल्प के बारे में चर्चा करने के लिए इतनी देर से मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, हर कोई यह देखकर चकित है कि इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री नवीन जिंदल ने पोषण और खाद्य सुरक्षा में रुचि ली है जो राष्ट्रीय झंडे के लिए उनके शगल से भिन्न विषय है जिसमें वे जोश के साथ मनोयोगपूर्वक रूचि लेते हैं। वह सत्ता पक्ष से संबंधित हैं, फिर भी इस सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने यह संकल्प पेश किया है और संकल्प यह है कि सरकार को देश से भुखमरी का पूरी तरह से उन्मूलन करने के उद्देश्य से एक व्यापक खाद और पोषण सुरक्षा स्कीम बनानी और कार्यान्वित करनी चाहिए। खाद मंत्री यहां उपस्थित है। अगर महिला और बाल कल्याण मंत्री भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए यहां उपस्थित होती तो और भी अच्छा होता। भविष्य में यदि वे पोषण और साथ सुरक्षा से संबंधित विचार-विमर्शों में भाग ले सकें तो बेहतर होगा क्योंकि समन्वित, बाल विकास स्कीम बच्चों और महिलाओं को, जो इस देश की सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या है, पोषण और साथ सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हमारे देश में स्थिति क्या है? हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, केवल सरकार से ही नहीं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। विश्व के 146 मिलियन कुपोषित बच्चों में से भारत के 57 मिलियन बच्चे हैं। भारत में कुपोषण की इथोपिया जैसी ही स्थिति है जहां 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है और नेपाल और बांग्लादेश में यह 48 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष

की रिपोर्ट के अनुसार यह थाइलैंड के 18 प्रतिशत, अफगानिस्तान के 39 प्रतिशत और चीन के 8 प्रतिशत के मुकाबले बिल्कुल विपरीत है। आशा है कामरेड इस बात को सुन रहे हैं। नि:संदेह, कभी-कभी ये आंकड़े चेतावनी पूर्ण और चौंका देने वाले होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्त्रादि विकास लक्ष्य स्थापित किया है जिस पर सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए है। जिस गति से हमारा देश प्रगति कर रहा है इससे इस बात का बहुत संदेह है कि हम सहस्त्रादि विकास लक्ष्य प्राप्त कर भी पाएंगे सहस्त्रादि विकास लक्ष्य को उद्देश्य था कि 2015 तक बालक भुखमरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि 2015 तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। 'बच्चों के लिए विकास-पोषाहार 2006 का रिपोर्ट कार्ड' नामक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह लक्ष्य 2025 तक भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में, मैं संबंधित मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार क्या करने की सोच रही है। क्या उनके पास कोई रोड मैप है? उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

अपराह्न 4.59 बजे

[**श्री गिरिधर गमांग** *पीठासीन हुए*]

विकासशील देशों में अल्प वजन वाले बच्चों के अनुपात में पिछले 15 वर्षों में मात्र थोड़ी सी ही कमी आई है जिसमें वर्ष 1990 से केवल 5 प्रतिशत की ही गिरावट आई है। विकासशील देशों में 5 वर्ष से कम उम्र के 4 बच्चों में से एक बच्चा अल्प वजन वाला है जो कि 146 मिलियन लोगों का 27 प्रतिशत है।

अपराह्न 5.00 बजे

सर्वाधिक चेतावनीपूर्ण बात यह है कि इनमें से लगभग आधे बच्चे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं और प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 5.6 मिलियन बच्चों की मौत हो जाती है। यदि खाने की सही पद्धतियां और समान्य स्वास्थ्य सुविधाएं सार्वभौमिक रूप से लागू की जाती तो प्रतिवर्ष पांच वर्ष से कम उम्र के छह लाख बच्चों की मौतों को रोका जा सकता था। ऐसी भयानक स्थिति है। मैं आशा करता हूं कि इस संकल्प के प्रस्तावक ने भी यह पूरा करते हुए कि हमारे देश में कितनी भयानक स्थिति है, इस संकल्प को लाना उचित समझा।

यह भी कहा जाता है कि तीन वयस्क महिलाओं में से एक महिला अल्प वजन की है और इसलिए उसके द्वारा अल्प वजन वाले बच्चे को जन्म दिए जाने का खतरा होता है। बालिकाओं में कुपोषण की समस्या ज्यादा गंभीर है, जहां 16.9 प्रतिशत बालकों की तुलना में 19 प्रतिशत बालिकाएं कुपोषित है। जहां भारत में प्रारम्भ में सभी नवजात बच्चों को स्तनपान कराया जाता है वहीं केवल 37 प्रतिशत बच्चों को ही चार माह तक पूर्णत: स्तनपान पर ही रखा जाता है। तीन वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। मध्य प्रदेश में यह दर 55.1 प्रतिशत है, बिहार में 54.9 प्रतिशत, उड़ीसा में 54.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 51.7 प्रतिशत, राजस्थान में 50.6 प्रतिशत, गोवा में 28.6 प्रतिशत है। इसमें चिंताजनक गिरावट आई है। केरल में यह दर 26.9 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में तीन वर्ष से कम आयु के आधे बच्चे अल्प-वजन के हैं। एक चौथाई बच्चे जन्म के समय से ही अल्प वजन के होते हैं। तीन चौथाई बच्चों का वजन औसत वजन से कम है और आधी वयस्क महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है? क्या युद्ध-स्तर पर कार्य करने की इसकी कोई योजना है?

कुपोषण केवल भूख के बारे में ही नहीं है बल्कि बाल-विवाह और इसके परिणामस्वरूप कम उम्र में मातृत्वधारण करने तथा स्वच्छता की कमी के कारण है। मैं कहूंगा कि बच्चों के अल्प-पोषण के लिए अपर्याप्त भोजन की अपेक्षा भोजन की घटिया गुणवत्ता सुरक्षा तथा महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति अधिक जिम्मेवार है। मेरा सुझाव यह है कि केवल यह सुनिश्चित कर कुपोषण घटाया जा सकता है कि नवजात शिशुओं को कोलेस्ट्रोल दिया जाए। नवजात शिशु छ: माह तक केवल स्तनपान से अपना पोषण करते हैं और तत्पश्चात् एक दिन में तीन से पांच बार पर्याप्त पूरक आहार दिया जाता है। बच्चों के टीकाकरण तथा पोषक पूरक आहार के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर लाया जाना चाहिए। पोषण साक्षरता के बारे में जागृति/चेतना को प्रचार प्रसार करने की भी आवश्यकता है। जागृति उत्पन्न करने के लिए यह कार्य एकीकृत बाल विकास योजनाओं के अन्तर्गत आरंभ किया जाना चाहिए। यहां तक कि शिक्षित लोगों में भी पोषण के बारे में आवश्यता है जंक फूड का त्याग करने तथा पारंपरिक खान-पान को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए लोगों को पोषण संबंधी संदेश को स्वीकार करना चाहिए। पोषण की शिक्षा स्वस्थ पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकती है।

जल, खाद्य तथा स्वास्थ्य के लिए आहार संबंधी सुरक्षा पोषण को मूल है। हाल ही में, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने "फोकस ऑन चिल्ड्रेन अन्डर सिक्स" शीर्षक से एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि देश में औसत वजन से कम वजन वाले बच्चों की तादाद कम नहीं हो रही है। टीकाकरण संबंधी प्रयास प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं ज्यों का त्यों बरकरार है। यह

और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं ज्यों का त्यों बरकरार है। यह

[श्री भर्तृहरि महताब]

एक बड़ी विफलता है और राष्ट्रीय शर्म की बात है और भारत के नौ प्रतिशत के विकास दर की कहानी के अनुरूप नहीं है।

बच्चों की खुशहाली का ख्याल रखने में ऐसी विफलता और राष्ट्र की विफलता न केवल नैतिक दृष्टि से असंगत है अपितु हमारी प्रगति में यह बड़ी बाधा है। कुछ ही दिन पहले, हमारे माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। विकास का व्यापक प्रसार सुनिश्चित में विफलता बहुत ही खेदजनक पहलू इस तरह के पीड़ित बच्चे हैं। सभी संबंधित विभागों को बदलती हुई जमीनी सच्चाई के दृष्टिगत समन्वित प्रयास करना चाहिए।

सुधार की पहली प्रक्रिया में सदा समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. अहालूवालिया ने माना है कि बहुचर्चित एकीकृत बाल विकास योजना देश भर में अच्छी तरह नहीं चल रही है। और अधिक धन की आवश्यकता है और इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास इतने कार्मिक है? क्या उनके पास अपेक्षित पर्याप्त ज्ञान और क्षमता है? मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कार्यान्वयन ही सफलता की कुंजी है। राज्य सरकारें इस मामले में ढीली रही है। इसके बारे में कोई शक नहीं है। अपने दायित्व से मुंह फेरने की उनकी प्रवृत्ति है। क्या इसका अभिप्राय है कि संघ सरकार को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? इससे किसका भला होगा? यदि राज्य स्तर पर सुविधाएं प्रशिक्षण और जनशक्ति के मामले में कोई त्रुटि है तो केन्द्र सरकार को वित्त-पोषण से ऊपर उठना चाहिए और अपनी भागेदारी बढ़ानी चाहिए। और अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

अब, मैं अपने राज्य उड़ीसा पर आता हूं। उड़ीसा में खनिज, सघन वन आरक्षित क्षेत्र का बड़ा भंडार है और इसके पास बहुत बड़ा उत्पादी समुद्र तट है। फिर भी 57 प्रतिशत आबादी ऊर्जा की कमी की चपेट में है। यह पुराने और गंभीर अल्प-पोषण तथा कुपोषण को मापदंड है।

मानव विकास प्रतिवेदन, 2004 जो भारत की योजना आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से उड़ीसा सरकार द्वारा प्रभावित अध्ययन के बारे में हैं, मैं इस राज्य को खाद्य के मामले में अत्यधिक असुरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है।

वर्तमान स्थिति अत्यधिक असुरक्षित ग्रामीण आबादी खराब जीवन स्तर और आपदाओं की चपेट में आने के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने इन्हीं तीन कारणों का उल्लेख किया है।

साथ ही, विडंबनापूर्ण बात यह है कि गुजरात और केरल जैसे समृद्ध राज्यों में भी कुपोषण के शिकार होने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप को उड़ीसा के मामले में एक तरह का उदाहरण मिलेगा और केरल और गुजरात जैसे समृद्ध राज्यों के संदर्भ में दूसरे तरह का उदाहरण मिलेगा। कुपोषण का शिकार होनेवाले बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1991-2000 के दौरान दोनों राज्यों में कुपोषण की चपेट में आनेवाले बच्चों की संख्या में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों की स्थिति और भी बदतर है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में जहां वर्ष 1991 में इनकी संख्या 54 प्रतिशत थी वर्ष 2001 में यह बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई।

दुर्दशा की एक और तस्वीर शिशु मृत्यु दर से उभरती है जहां भारत की स्थिति पाकिस्तान, चीन, ब्राजील और यहां तक कि नाइजीरिया से भी गयी गुजरी है। संपूर्ण भारतवर्ष में शिशुओं में से नवजात शिशुओं की मृत्युदर का औसत प्रति हजार 58 है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा अरूणाचल में यह क्रमशः 73, 65 और 61 है जबकि तालिका में गुजरात शीर्ष पर है जिसमें यह दर 50 शिशु प्रति हजार है।

अब मैं उस पहलू पर आता हूं जिस पर हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने बोला है, वह भूखें का विषय है। इस संकल्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा 'भूख' है। आज सबसे घातक बीमारी क्या है? यदि यह प्रश्न न सिर्फ इस सभा में बल्कि सभा के बाहर भी पूछा जाता है, तब इसका क्या उत्तर होगा?

क्या आपको लगता है कि यह कैंसर है या एड्स इसका उत्तर है नहीं, इस बारे में असीम वाद-विवाद हो सकता है किन्तु हर तरफ से, भूख से सबसे अधिक मृत्यु होती है। भूख के बारे में संयुक्त राष्ट्र को प्रतिवेदन में उल्लेख है कि विश्व की 6.55 अरब आबादी में से 854 मिलियन भूखे, अल्प-पोषित, कुपोषण के शिकार है; या भूखों मर रहे हैं। यह अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन की संयुक्त आबादी से अधिक है। उनमें से अधिकांश लगभग 820 मिलियन लोग विकासशील देशों में रहते हैं, 25 मिलियन लोग अन्तर्राष्ट्रीय देशों में रहते हैं, और नौ मिलियन लोग औद्योगीकृत देशों में रहते हैं।

आज भूख का क्या कारण है? यह खाद्य के अभाव के कारण नहीं है। करोड़ों लोग गरीबी, वितरण और खपत के तौर तरीके के कारण भूखों रहते हैं, आशा है, माननीय मंत्री जी इसके निवारण का प्रयास करेंगे।

राजनीति के कारण स्थिति और भी जटिल हो जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुपोषण से ग्रस्त व्यक्तियों की तादात 221 मिलियन है; उप-सहारा अफ्रीकी कुपोषण-

आता है, वहां कुपाषण-ग्रस्त व्यक्तियों की आबादी 142.10 मिलियन है।

भूख का सीधा संबंध रोगों से होता है। भूखे वे नहीं है जो अकाल और भुखमरी का सामना करते हैं। क्योंकि हमारे यहां आज "अकाल मुक्त" जैसी स्थिति है, इसका यह अर्थ नहीं कि हमने भुखमरी की समस्या सुलझा ली है, क्योंकि अल्प पोषण और कुपोषण के स्थानिक रोग से लोग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें न केवल रोगों का बल्कि ऐसी स्थितियों को शिकार बना देता है जो मानसिक और शारीरिक विकास में बाधक बनती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भुखमरी और कुपोषण विश्व स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है और एड्स, मलेरिया व टी बी सभी की तुलना में इससे मरने वाले लोगों की संख्या कहीं अधिक है। अप्रकट भुखमरी मृत्यु का अप्रत्यक्ष कारण है जिसका वास्तव में पता नहीं चल पाता और समाधान नहीं हो पाता जैसा कि सारा ध्यान उन रोगों पर ही जाता है जिनमें उपेक्षाकृत बड़ी बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सभापति महोदय, इसे आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आपने भुखमरी यानि अप्रकट भुखमरी देखी है। मुझे इसे विस्तार से बयान करने की आवश्यकता नहीं।

आपके वरिष्ठ, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार की बात का 'द इकानामिक टाइम्स' के 9 नवम्बर, 2006 के अंक में उल्लेख किया गया है:

"यदि हम आज की स्थिति देखें तो वर्ष 2020 तक ऐसी स्थिति उभरकर आएगी जब भारत एक प्रमुख आयतक बन जाएगा।"

उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वह, उस दौरान इकोनामिक सम्पादकों को संबोधित कर रहे थे। यह 'द इकोनामिक टाइम्स' में छप गया है। यह नवम्बर माह में कहा गया था। अब मई का महीना है, पांच माह हो चुके हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? क्या हमारे पास कोई कार्यनीति तैयार है?

मेरा सुझाव है कि एक कार्य योजना तैयार करें और गेहूं तथा धान के अंतर्गत 50 प्रतिशत क्षेत्र को उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित करें, तथा विशिष्ट जिलों की पहचान करें। धान के उत्पादन में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज त्रासदी यह है कि भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त किए तीस वर्ष हो चुके है, फिर भी देश अपने लाखों लोगों के लिए पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के कहीं निकट नहीं है। डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने हमारी कृषि और कृषकों के संबंध में चार पुस्तकें निकाली है। उन्होंने बताया है कि:

"बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में व्यापक अनछुए उत्पादन भंडार मौजूद है तथा साथ ही साथ प्रौद्योगिकियां उपलब्ध है।"

हमारे पास प्रौद्योगिकी है, लेकिन अब भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। समय आ चुका है कि हम अपने देश में ही उत्पन्न खाद्यान के आधार पर अक्षय खाद्य सुरक्षा और स्वावलंबन की अपनी प्रतिबद्धता की परख करें।

खाद्य सुरक्षा की सर्वमान्य परिभाषा है– "खाद्य सुरक्षा तब होती है जब पर्याप्त सुगमता के साथ भोजन हर समय हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो और इससें सांस्कृतिक रुचि और पसंद की पूर्ति होती हो।" ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। अन्य सदस्य भी है जो बोलना चहते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: यह ऐसा विषय है जो मेरे बहुत करीब है यद्यपि संकल्प श्री नवीन जिंदल ने पेश किया है। मैं संकल्प पेश करने वाले की राय जानना चाहता हूं। वह क्या सोचते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि चर्चा के बाद वह अपना उत्तर कब देंगे। मेरा विचार है कि यह अपूर्ण नहीं है। जब भारत ने खाद्य आत्मनिर्भरता 35 वर्ष पहले ही प्राप्त कर ली थी तो ऐसा क्यों है कि हमारी 35 प्रतिशत जनसंख्या में खाद्य असुरक्षा बनी हुई है? हम सभी जानते हैं कि कम आमदनी और खाद्यानों की ऊंची कीमतें व्यष्टि खाद्य सुरक्षा को रोकते हैं। गरीबी की रेखा परिवार की खाद्यानों तक पहुंच पर आधारित है। महसूस करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की खाद्य सुरक्षा की संभावनाएं अब विकास व्यापार और निर्धनता निवारण की समग्र नीतियों से जुड़ी है। विकेन्द्रीकरण और निर्धन को शक्ति प्रदान करके ग्राम पंचायतों को भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उड़ीसा ने एक योजना कार्यान्वित की है जिसमें सरपंच को भुखमरी से पीड़ित परिवार को तत्काल सात दिन का नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने और उसे कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदित कराने की शक्ति प्राप्त है।

अब भुखमरी से मौतें नहीं होंगी, अकाल नहीं पड़ेंगे लेकिन कुपोषण एक समस्या है जिसकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अब मध्याह्न भोजन देश के बड़े भाग में काफी बड़ी सहायता का काम कर रहा है। आज निर्धन, वंचित लोगों के उत्थान के लिए और अधिक प्रतिबद्धता अपेक्षित है। कोई भी प्रगति सही मायने में तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि उसकी झलक हमारे गरीब बच्चों की मुस्कान में न दिखाई दे।

[श्री भर्तृहरि महताब]

मैं श्री विंस्टन चर्चिल के कथन को उद्धरित करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। उन्होंने कई दशक पहले कहा था:

"किसी भी समुदाय के लिए शिशुओं को दूध उपलब्धता कराने से बेहतर कोई अच्छा निवेश नहीं है।"

मुझे यह पंक्ति याद है, कुछ सात वर्ष पहले जब मैं संसदीय शिष्टमण्डल के साथ ग्रामीण मेक्सिकन गांवों में गया था। वे हमें बता रहे थे कि कैसे वंचित परिवारों को दुधारू गायें दी जा रही थी। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह आवश्यक है कि दुधारू गायें उपलब्ध कराने हेतु कोई विशिष्ट योजना बनाए क्योंकि इससे शिशुओं को समुचित मात्रा में पोषाहार मिलेगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, कहा जाता है- माया से माया मिले, करकर लम्बे हाथ, तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात। मैं माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल को उनकी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए बधाई देना चहता हूं कि उन्होंने व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना को संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भाषा लिखी है कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश से पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करेगी और लागू करेगी। मैं उनकी इस संवेदन को पुरजोर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देश की जो संस्कृति रही है-बुभुक्षित: किम न करोति पापम, यानी भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता है इसीलिए हमारे नीतिकारों ने कहा कि क्षुधार्थे भोजनम तथा, मतलब भूखे आदमी को भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे रेगिस्तान के अंदर वर्षा हो जाए, भूखे को भोजन और दरिद्र आदमी की गरीबी दूर हो जाए, इससे ज्यादा पुण्य का क्या कार्य होगा। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए मैं नवीन जिंदल के संकल्प का समर्थन करता हूं।

महोदय, आज हकीकत है कि रोटी, कपड़ा और मकान, आज मांग रहा है हिंदुस्तान। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी यही स्वर हर जगह सुनाई देता है। कहा जाता है कि आज हमारे देश के अंदर अरबपतियों खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है, गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है और बीच की खाई बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप-

श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं।
मां की छाती से चिपक, सिसक-सिसक रह जाते हैं।

एक तरफ तो अमीर लोग है, जिनके सामने समस्या है कि पैसा कहां और कैसे खर्च करें। दूसरी तरफ गरीब लोग है, खुले आसमान के नीचे रहने वाले, जिनके लिए धरती है बिछौना है और आसमान ही उनकी चादर है, वे पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण और भुखमरी के कारण घुटनों के बल पेट की आग को शांत करने के लिए मजबूर है। कवि ने लिखा है- श्वानों को मिलता दूध। अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं और उन्हें पीने को दूध मिलता है। दूसरी तरफ गरीबों के बच्चे भूख से अकुलाते हैं। उनकी मां को पौष्टिक भोजन भी नहीं मिलता है, उसके स्तनों में बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं उतरता है। परिणामस्वरूप मां की छाती से चिपकने के बाद दूध नहीं मिलता है और वह सिसक-सिसक कर रह जाता है। उसकी मां भी अपौष्टिकता की शिकार होती है और बच्चा भी अपौष्टिकता का शिकार होता है। इससे किसी को लीवर की बीमारी हो जाती है, किसी को पेट बड़ा हो जाता है, किसी की आंखे खराब हो जाती हैं और कानों से सुनना बंद हो जाता है। उस बच्चे को बचपन बीमारियों में ही गुजर जाता है।

महोदय, सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन के बारे में लिखा– "मैंने हंसना सीख लिया है, मैं नहीं जानती रोना, पलपल बरसा करता, मेरे जीवन में सोना।" गरीब बच्चों को बचपन, खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब बच्चों को बचपन, गटर के नीचे रहने वाले बच्चों के बचपन की तुलना हम कर सकते हैं। आजादी के साठ वर्षों के बाद ये सारी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? देश में हरित क्रांति हुई और हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए। किसानों को हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और संकल्पबद्ध नेताओं को भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। वर्ष 1965 की लड़ाई के बाद अमरीका ने हमें गेहूं देना बंद कर दिया था, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान, जय किसान" का नारा दे कर पूरे देश के किसानों और बड़े-बड़े बंगले में रहने वाले लोगों को आह्वान किया था कि जहां भी खाली जमीन पड़ी है, वहां गेहूं बो कर देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। जनता ने उनकी पुकार सुनी और देश आत्मनिर्भर बन गया। उसके बाद हरित क्रांति आई और श्वेत क्रांति भी आई। परंतु आज यूपीए की सरकार के समय हमें फिर से गेहूं आयात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विदेशों से गेहूं चावल, शक्कर आयात करनी पड़ रही है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? एनडीए सरकार के समय गेहूं के गोदाम भरे रहते थे और देश में जहां भी अकाल पड़ता था, उस राज्य को केंद्र की तरफ से खुले दिल से गेहूं दिया जाता था, लेकिन आज सारे गोदाम खाली पड़े हुए हैं और सरकार ऐसे कानून बना रही है, जिसके तहत विदेशी कम्पनियां पंजाब का गेहूं, हरियाणा का गेहूं खरीद रही है और

सरकारी एजेंसियां मुंह ताक रही है। उनके पास कोई गेहूं देने के लिए नहीं आ रहा है और गोदाम खाली पड़े हुए हैं। मंहगाई बढ़ गई है, जो आसमान को छू रही है, दिन दुगनी रात चौगनी महंगाई हो गई है और दूसरी तरफ सेज के कारण बढ़ते मुंह और घटते खलिहान-खलिहानों की संख्या घटती जा रही है और खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप देश में असंतुलन पैदा हो रहा है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि

[अनुवाद]

भारत साधन सम्पन्न देश है, लेकिन फिर भी भारत के लोग गरीब है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान बहुलता का देश है फिर भी यहां के लोग गरीब है। हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया था। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या अभी होंगे, आओ मिल कर विचारें देश की समस्याएं सभी। कहां देश सोने की चिड़िया था? अरूण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। दुनिया के लोग यहां आते थे। यहां से धन सम्पत्ति सब कुछ ले जाते थे लेकिन आज देश सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार हो रहा है। बच्चे, माताएं और बहनें कुपोषण की शिकार हो रही है। परिणामस्वरूप नाना प्रकार की बीमारियां घर कर रही है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार दुनिया में कुल आबादी जो 700 करोड़ है, उनमें से दुनिया के 85 करोड़ लोग भुखमरी और अभाव के शिकार हो रहे हैं। उनमें से 22 करोड़ से अधिक लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और उनमें 20 लाख बच्चे गम्भीर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वे अकारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। 54 परसेंट प्रैगनैंट महिलाएं कुपोषण और भुखमरी की शिकार होकर नाना प्रकार की बीमारियों की शिकार हो जाती है। इस दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कुछ कड़वी बातें अगर कहूं तो "तू इधर-उधर की बाते न कर, यह बता काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनी से गुरेज नहीं, सवाल तेरी रहबरी का है" हम इधर-उधर की बातें करते हैं कि यह हो गया, वह हो गया, लेकिन यह बात कि यह स्थिति क्यों पैदा हो गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6-7 वर्षों को छोड़कर बाकी के करीब 60 सालों में यहां जिस पार्टी का शासन रहा, उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उनके पास बड़े-बड़े नेता थे, जवाहर लाल जी, इन्दिरा जी जैसे बड़े प्रभावशाली नेता थे। वे शक्ति सम्पन्न, सब प्रकार से प्रभावशाली थे और सारा देश उनके साथ था, फिर भी ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, नीतियों के अन्दर ऐसी कमी रही जिस के परिणामस्वरूप इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई।

वाजपेयी जी जो एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 24 अप्रैल 2001 को जिस में स्वामीनाथन जी जैसे बड़े-बड़े लोग आए थे, उन सब को बुला कर एक सम्मेलन किया था। खाद्य सुरक्षा, खाद्य असुरक्षा। के बारे में उन्होंने कहा था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, चर्चा के लिए बढ़ाया गया समय समाप्त हो गया है। अब भी मेरे पास चार माननीय सदस्यों के नाम है जो इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तो इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय को एक और घंटा बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्यः जी, हां।

सभापति महोदयः समय बढ़ाया जाता है। प्रो. रासा सिंह रावत, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावतः मैं वाजपेयी जी का कथन कोट कर रहा था।

[अनुवाद]

"भुखमरी मुक्त भारत के दूसरे मिशन के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के सहकारी प्रयासों की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों,

[अनुवाद]

स्थानीय स्वायतशासी निकाय, गैर-सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और

[हिन्दी]

सारे देश के लोग मिल कर प्रयास करें। हमारे यहां भूखा, प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या, सबसे पहले पूछ कर भोजन को तू खाया कर। सारे देश के लोगों का भी कर्तव्य है कि हमारे पड़ोस वाला भूखा प्यासा न मरे।

हमें नागरिकों में मानवीय मूल्यों को जगाना होगा। इसके साथ ही बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा कारण है। देश के अंदर उत्पादन तो एक, दो, तीन, चार,

[प्रो. रासा सिंह रावत]

पांच, छः, सात, आठ की रफ्तार से बढ़ रहा है लेकिन आबादी दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौंसठ, एक सौ अट्ठाइस की रफ्तार से बढ़ रही है। कैसे तालमेल होगा? कोई खरी बात नहीं कहता कि कहीं जनता भड़क न जाए, हमें वोटों का लालच है और परिणामस्वरूप आबादी के नियंत्रण के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। मैं इंदिरा जी के एमरजेंसी के समय की याद दिलाना चाहूंगा आबादी के नियंत्रण के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था, हमें एक न एक दिन उसी प्रकार का कदम आबादी के नियंत्रण के लिए उठाना पड़ेगा। चीन ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और हमारे यहां कोई कुछ नहीं कहता है। जबकि होना यह चाहिए कि सरकारी सुविधाओं का उपयोग केवल उन्हीं परिवारों को, चाहे वे बीपीएल हों, एपीएल हों, मिलेगा जो जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग कर रहे हैं या जिनके बच्चे निर्धारित संख्या से ज्यादा नहीं है। तभी यह नियंत्रण होगा, नहीं तो जनसंख्या दिन दूनी रात चौगनी होती जाएगी। इस तरह से हर महीने नया आस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है।

[अनुवाद]

निस्संदेह, हमारे समस्त नागरिक भुखमरी-मुक्त देश बना सकते हैं। इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है।

[हिन्दी]

देश से भुखमरी को मिटा सकते हैं

[अनुवाद]

थोड़े से समय के भीतर, कम समय के अंदर, आइए आज संकल्प करें।

[हिन्दी]

आज हमें यह निश्चय करना चाहिएं।

[अनुवाद]

इस मिशन को वर्ष 2007 तक पूर्णतः सफल बनाने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता-प्राप्ति की 60वीं वर्षगांठ होगी।

[हिन्दी]

यह उन्होंने 2001 में कहा था और छः साल का समय मांगा था। क्या आज हम यही संकल्प करें और इसे मिशन मानें। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं-मिशनरी, मरसीनरी और मशीनरी। मिशनरी, मर्सेनरी, मशीनरी, मिशनरी मिशन लेकर चलते हैं, कितनी भी बाधाएं आएं, कष्ट आएं लेकिन वे मिशन पूरा करके रहते हैं। उनके लिए मिशन सर्वोपरि होता है। दूसरी तरह के लोग है मरसनरी, जितने पैसे देंगे उतना काम करेंगे बाकी जय राम जी की, कोई काम नहीं करना। तीसरी तरह के लोग है मशीनरी, मशीन का बटन दबा दिया तो मशीन चलेगी और अगर बटन बंद कर दिया तो मशीन चलनी बंद हो जाएगी। इस तरह से मरसीनरी और मशीनरी देश का कुछ नहीं कर सकते, हमें देश की समस्याओं से निजात पाने के लिए मिशनरी बनना पड़ेगा।

[अनुवाद]

माननीय प्रतिष्ठा के साथ मौलिक दृष्टिकोण

[हिन्दी]

मानव को बड़ा मानकर भोजन की सुरक्षा, भोजन का उत्पादन, अन्न का उत्पादन, इस सब बातों की तरफ देखना पड़ेगा। हमें माइक्रो लैवल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बाल कल्याण, रूरल, अर्बन और ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में हो। हालांकि हमारे यहां राष्ट्रीय विकास परिषद, बनी हुई है और आईसीडीएस, समेकित बाल विकास योजना, मिड-डे मील, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन योजना, सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके जो परिणाम सामने आने चाहिए वे नहीं आ रहे हैं। आईसीडीएस के माध्यम से लाखों बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में आ गए हैं, वहां गर्भवती माताएं भी आती है, किशोरावस्था की बालिकाएं भी आती है। वहां अशिक्षा को दूर करने और भोजन देने का काम किया जा रहा है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लीकेज है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा और जो भी एरियाज कवर्ड नहीं हुए हैं उनको कवर करने का काम किया जाना चाहिए ताकि स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएं। बच्चों में भागने की प्रवृत्ति न हो, बच्चों में आकर्षण पैदा हो। मिड-डे मील बहुत अच्छी योजना है, मध्यांतर भोजन में रोज भोजन बदल कर दिया जाता है, मीठे चावल, लस्सी, मीठे फल दिए जाते हैं। जो गांव में गरीब हैं, सरकार ने नियम तो बना लिया कि जो सबसे अधिक गरीब है, जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, 65 साल से बड़ा बूढ़ा है, अपंग, अंधा या अपाहिज है, जितनी आवश्यकता है, मिलता रहे। इसके अलावा और भी प्रावधान किए हैं लेकिन इन सबके बावजूद भी इनका कार्यान्वयन जिस ढंग से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और वास्तव में इस देश से भुखमरी को मिटाना होगा।

हमें व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जब चूहें फसलें बर्बाद करते हों तो उनको भी

रोकना पड़ेगा, चिड़ियाएं फसल खा जाती हों तो उनकों भी रोकना पड़ेगा और बहुत ज्यादा उत्पादन के बावजूद भी खरीदार नहीं मिले और फसल नष्ट हो जाए, उसके लिए भी उपाय करने पड़ेंगे। हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इन सबके लिए एक ही बात है कि हमें "उद्यमेन हि कार्याणि सिध्यन्ति न च मनौरथे:।" मन ही मन में विचार करने से कार्य सफल नहीं होता है। पुरुषार्थ करने पर संकल्पबद्ध हाने पर ही कार्य सफल होते हैं। जहां चाह, वहां राह जहां चाह होती है, वहां राह होती है। हमारे देश के सब लोग, सारी पार्टीज राजनीति से ऊपर उठकर, संकल्पबद्ध होकर निश्चय कर लें कि हमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर गरीबी और भुखमरी को दूर करना है तो हम निश्चित रूप से इस उद्देश्य में सफल होंगे। इसके साथ ही मैं जिंदल जी को भी धन्यवाद देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): माननीय सभापति, महोदय, मैं अपने साथी माननीय नवीन जिंदल द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो इस देश से भुखमरी के समूल उन्मूलन के लक्ष्य से एक व्यापक खाद्य और पोषाहार सुरक्षा स्कीम तैयार करने और कार्यान्वित करने के बारे में हैं।

मुझे खुशी है कि माननीय खाद्य और कृषि तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री यहां उपस्थित है। जिस संदर्भ में हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मामला इस देश के समस्त अन्य बड़े मामलों की तरह तत्काल प्रभाव डालने वाला चाहे न हो लेकिन यह ऐसा मामला है जो इस देश के भविष्य को प्रभावित करता है। इसका महत्व विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग, भोजन की कमी जो विश्व भर में व्याप्त है, के सन्दर्भ में, विश्व भर में बढ़ रही जनसंख्या के सन्दर्भ में, हमारी भूमि के मरूस्थलीयकरण, अनाच्छादन तथा वनों की कटाई से खराब हो रही कृषि भूमि के संदर्भ में, सिंचाई सुविधाओं की कमी, पोषक तत्वों और विटामिनों की कमी और शायद जीनोम वितरण के संदर्भ में भी जिसमें क्रमिक रूप से कमी आ रही है तथा जैव-विविधता जिसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, के सन्दर्भ में है। इन्हीं सब बातों के सन्दर्भ में ही भुखमरी को उन्मूलन करने तथा उन चीजों का उपबंध करने के लिए यह मामला पेश किया गया है जिन चीजों की इस राष्ट्र को जरूरत है और इसके बच्चों और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए भरपूर और संपूर्ण पोषाहार की आवश्यकता है।

महोदय, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के 60 वर्षों के सन्दर्भ में, अभी भी 38 प्रतिशत से भी अधिक बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमारे यहां नवजात शिशुओं की मौत जारी है। बच्चों और महिलाओं दोनों को स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है और वे अल्पपोषित हैं। यह एक दु:खद कहानी है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात् भी, हमारे देश में अल्प-पोषित बच्चों की समस्या बनी हुई है। यह मामला तब और भी विडम्बनापूर्ण और शायद विरोधाभासी बन जाता है जब एक तरफ हम कहते हैं। कि राष्ट्र का विकास हो रहा है और इसकी समृद्धि लगभग 9.2 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों और अपनी माताओं को विकास की संभावनाओं के रूप में जो अवसर हम प्रदान करते हैं वह शायद ऐसा मामला है जिसे उन दो विचार क्षेत्रों में समाहित किया जा सकता।

मैं उपलब्ध करवाई गई सामग्री में से कुछ सामग्री पर नजर डाल रहा था और इसे पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बहुत संक्षेप में उदाहरण देना चाहूंगा। यह उड़ीसा से एक समाचार पत्र की रिपोर्ट है जो इस प्रकार है:

> "एक जनजातीय महिला की 6 जून, 2006 को देवगढ़ की नाजुक स्थिति में अस्पताल में दाखिल किया गया। यह इस जिले में दो माह के भीतर भुखमरी से होने वाली दूसरी मौत थी।"

यह उड़ीसा की रिपोर्ट है।

मध्य प्रदेश में, "जून, 2006 में छह बच्चों और एक महिला की कुपोषण के कारण मौत हो गई। बच्चे पांच वर्ष से कम आयु के तथा महिला 22 वर्ष की आयु की थी। वे सहरिया जनजाति से संबंधित थे और जिला शिवपुर के पटलगढ़ गांव के निवासी थे।

महोदय, मेरे पास 27 सितम्बर, 2006 के 'दि न्यूज' से ऐसी एक छोटा सा उदाहरण जो इस प्रकार है:

"तंगहाली और भुखमरी से चार लोगों ने आत्महत्या की।"

25 सितम्बर, 2006 के दि टाइम्स आफ इंडिया में 'राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य' से संबंधित सर्वेक्षण की रिपोर्ट देते हुए बताया गया कि' 75 प्रतिशत नवजात शिशु कुपोषण से ग्रस्त होते हैं। उनमें से अधिकांश रक्ताल्पता के शिकार है।

महोदय, जैसा कि मैने पूर्व में सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के संदर्भ में, इस देश के स्व-शासन और स्वतंत्रता के 60 वर्षों के संदर्भ में कहा, समाचारपत्रों की ये टिप्पणियां चिंताजनक है। और यही वह संदर्भ है जिसमें माननीय सदस्य

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

श्री नवीन जिंदल द्वारा पेश किया गया यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं जानता हूं कि हमारे सभी साथियों ने संकल्प का समर्थन किया है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस रूप में हम योजना बना रहे हैं। उस रूप में इस संदर्भ के महत्व को रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि चाहे इस समय हमें इसका प्रभाव महसूस न होता हो लेकिन जिस जिस पर हमें ध्यान केंद्रीत करने की आवश्यकता है वह है इस देश का भविष्य और हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो स्वयं एक अति संवेदनशील व्यक्ति है, निःसंदेह इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे इस देश में पोषाहार की उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा प्रणाली के लिए किस प्रकार भोजन बनाएंगे।

उनका समर्थन करने के लिए, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम बी) से कुछ उद्धरण देना चाहूंगा। संप्रग के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में बताया गया है कि:

> "संप्रग अगले तीन महीनों में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए एक व्यापक मध्यावधि रणनीति तैयार करेगी। इसका उद्देश्य होगा समय के साथ सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ना, यदि इसे व्यवहार्य पाया गया।"

आगे भी इसी तरह की बातें दी गई है और संप्रग सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में आगे बताया गया है:

> "विशेष रूप से देश के सबसे गरीब और पिछड़े खण्डों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा महिलाओं और भूतपूर्ण सैनिकों की सहकारी समितियों को भी इसके प्रबंधन में शामिल करना। सर्वाधिक बेसहारा और कमजोर लोगों तक खाद्यान पहुंचाने के लिए विशेष स्कीमें शुरू की जाएंगी।"

यह वह वादा है जो हमने इस राष्ट्र से किया था और सरकार के रूप में इस संसद के माध्यम से हम सब मिलकर यह वादा करते हैं। यह एक वादा है और हमें यह देखने की जरूरत है कि यह पूरा किया जाए, दूर की कौड़ी की तरह नहीं, किसी संभावना के पवित्र आशय की तरह नहीं, किसी तंग करने वाले भ्रम की तरह नहीं जिसे हम अपने बच्चों को वादे या स्वप्न के रूप में देते हैं, बल्कि इसे एक वास्तविक के रूप में पूरा किया जाए जो इस देश के बच्चों और महिलाओं का हक है।

हमें जिस सहानुभूति के साथ इस मामले का समाधान करने की आवश्यकता है वह नदारद है और इस चर्चा से शायद लोगों की संवेदनाएं जागेंगी और जिन लोगों को पोषाहार और भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक सहायता के हाथ बढ़ेंगे ...*(व्यवधान)*

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): सभापति, महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है और हम इतने महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसे अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित किया जा सकता है।

सभापति महोदय: ठीक है, आप गणपूर्ति का मामला उठाना चाहते हैं। गणपूर्ति घंटी बजाई जा रही है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह चर्चा बाद में जारी रहेगी।

माननीय सदस्यों, चूंकि गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा सोमवार, 7 मई, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.52 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार, 7 मई, 2007/17 वैशाख, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एम. अंजनकुमार यादव श्री काशीराम राणा	421
2.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा श्री ए. साई प्रताप	422
3.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	423
4.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्री गुरूदास दासगुप्त	424
5.	श्री विजय कुमार खण्डेलवाल श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	425
6.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिसिंह चावड़ा	426
7.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	427
8.	श्री हितेन बर्मन श्री के. सुब्बारायण	428
9.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	429
10.	श्री श्रीचन्द कृपलानी श्री दानवे रावसाहेब पाटील	430
11.	श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल श्री पी.एस. गढ़वी	431
12.	श्री एम. राजामोहन रेड्डी श्री अबु अयीश मंडल	432
13.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	433
14.	श्री रघुनाथ झा	434
15.	डा. एम. जगन्नाथ	435
16.	श्री हन्नान मोल्लाह	436
17.	श्री रेवती रमन सिंह	437
18.	श्री रबिन्दर कुमार राणा	438
19.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	439
20.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4206, 4236, 4251
2.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4140, 4191, 4228, 4254, 4258
3.	आठवले, श्री रामदास	4173, 4214, 4241, 4265
4.	बारड़ श्री जसुभाई धानाभाई	4152, 4157
5.	बर्मन, श्री रनेन	4260
6.	भक्त, श्री मनोरंजन	4170, 4176, 4242, 4267
7.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4259
8.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4260, 4262
9.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4134, 4195, 4229, 4248
10.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4139
11.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4184
12.	चौरे, श्री बापू हरी	4141, 4181, 4227
13.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4236
14.	चिन्ता मोहन, डा.	4178, 4217, 4243
15.	चौधरी, श्री अधीर	4170, 4211
16.	देवरा, श्री मिलिन्द	4154, 4196
17.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	4202, 4212, 4239, 4253
18.	धनराजू, डा. के.	4187
19.	धोत्रे, श्री संजय	4141, 4181, 4227

1	2	3	4
20.	गढ़वी, श्री पी.एस.		4220
21.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव		4179, 4218
22.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव		4141, 4227
23.	हसन, चौधरी मुनव्वर		4166
24.	हुसैन, श्री अनवर		4180
25.	जगन्नाथ, डा. एम.		4162, 4237, 4252
26.	झा, श्री रघुनाथ		4207
27.	जिंदल, श्री नवीन		4142, 4170, 4192
28.	कनोडीया, श्री महेश		4152
29.	करूणाकरन, श्री पी.		4263
30.	खैरे, श्री चंद्रकांत		4171, 4183, 4189, 4213, 4237
31.	खन्ना, श्री अविनाश राय		4149
32.	खारवेनथन, श्री एस.के.		4147, 4260
33.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह		4138, 4221
34.	कृष्ण, श्री विजय		4169, 4226, 4247
35.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ		4260
36.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह		4217, 4243
37.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा		4158, 4198
38.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा		4148, 4209
39.	महतो, श्री नरहरि		4167
40.	महताब, श्री भर्तृहरि		4182, 4258
41.	माझी, श्री परसुराम		4132, 4177
42.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार		4136, 4138
43.	माने. श्रीमती निवेदिता		4218
44.	मेघवाल, श्री कैलाश		4171, 4183, 4213, 4237, 4250
45.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन		4152
46.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी		4175, 4209, 4266
47.	मोहले, श्री पुन्नूलाल		4168
48.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो		4238
49.	नायक, श्री अनंत		4169, 4188, 4225
50.	निखिल कुमार, श्री		4161, 4170, 4211
51.	ओराम, श्री जुएल		4169, 4177, 4223
52.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन		4204, 4233, 4250
53.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण		4199
54.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई		4205, 4234
55.	पटेल, श्री किसनभाई वी.		4202, 4230, 4249, 4257
56.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.		4144, 4231
57.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.		4216
58.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र		4136
59.	राई, श्री नकुल दास		4155
60.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद		4145
61.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा		4133, 4136, 4203, 4232
62.	राणा, श्री काशीराम		4208
63.	राणा, श्री रविन्दर कुमार		4201
64.	राव, श्री के.एस.		4151
65.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन		4163
66.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर		4160, 4208
67.	रेड्डी श्री एम. राजा मोहन		4200, 4235, 4265
68.	रेड्डी श्री एम. श्रीनिवासुलु		4197
69.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव		4236
70.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद		4137, 4190, 4240
71.	शर्मा, डा. अरूण कुमार		4156

1	2	3	4
72.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	4261	
73.	सेठी, श्री अर्जुन	4165	
74.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	4157	
75.	शहीन, श्री अब्दुल रशीद	4146	
76.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4206, 4236, 4251, 4265	
77.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4159, 4227	
78.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	4144	
79.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम	4153	
80.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4208	
81.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4206	
82.	सिंह, श्री दुष्यंत	4186, 4223	
83.	सिंह, श्री गणेश	4150	
84.	सिंह, श्री सुग्रीव	4202, 4230, 4249, 4257	
85.	सिंह, श्री उदय	4236	
86.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4164, 4210	
87.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4135	
88.	सुब्बारायण, श्री के.	4219	
89.	सुमन, श्री रामजीलाल	4178	
90.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4143, 4194	
91.	थामस, श्री पी.सी.	4172	
92.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4136, 4199, 4231	
93.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4167, 4185, 4222, 4245, 4255	
94.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4224, 4246, 4256, 4268	
95.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4206, 4236, 4244, 4264	
96.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4193	
97.	यादव, श्री मित्रसेन	4174, 4215	
98.	यादव, श्री पारसनाथ	4145, 4170	

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	421, 424, 426, 427, 428, 429, 434, 436, 437
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	423
विधि और न्याय	:	422, 431, 433
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	435
विद्युत	:	425, 432
ग्रामीण विकास	:	430, 439, 440
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	438
शहरी विकास	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	4185, 4252, 4253
पृथ्वी विज्ञान	:	4161, 4179, 4256
वित्त	:	4132, 4133, 4134, 4136, 4137, 4140, 4141, 4145, 4150, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4159, 4160, 4164, 4166, 4168, 4171, 4172, 4176, 4177, 4181, 4182, 4183, 4184, 4186, 4188, 4189, 4196, 4200, 4201, 4203, 4211, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4223, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4231, 4232, 4238, 4239, 4243, 4244, 4247, 4254, 4255, 4259, 4262, 4263, 4268
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	4148, 4195, 4204, 4207, 4208, 4241, 4257, 4261, 4266
विधि और न्याय	:	4198, 4206, 4236, 4248, 4265
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	4138, 4173, 4237, 4260, 4267
विद्युत	:	4139, 4167, 4169, 4190, 4192, 4193, 4202, 4209, 4213, 4242, 4245, 4249, 4250
ग्रामीण विकास	:	4135, 4142, 4144, 4151, 4152, 4158, 4165, 4174, 4178, 4180, 4187, 4191, 4199, 4210, 4212, 4214, 4215, 4222, 4258
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4143, 4146, 4163, 4194, 4197, 4205, 4224, 4234, 4246
शहरी विकास	:	4147, 4149, 4162, 4170, 4175, 4221, 4230, 4233, 4235, 4240, 4251, 4264

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

©2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।